शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

शुक्वार दिनांक 6 सितम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

का शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
23	नीचे से 7	वाणिज्य	वाणिज्य
53	पंक्ति 3 के पश्चात (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जोड़िए ।		
59	9	श्री बोला बुल्ली	श्री बोला बुल्ली रमैयापढ़िए ।
70,206	नीचे से 11,8	श्री बोल बुल्ली रमैया	
138	10	(क) से (घ)	(क) से (घ)
195	नीचे से 9	(क) और (ग)	(ल) और (ग)
222	नीचे से 2	डा॰ रमेश चन्द्र तोमर	डा॰ रमेश चन्द तोमर
223	21		
260	14	मध्याह्न 12.05	अपराह्न 12.05
268	नीचे से 5	श्री कृष्ण लल	श्री कृष्ण लाल
278	3	उपाध्य	उपाध्यक्ष
282	नीचे से 3	बंद होने से	बंद होने के कारण
301	9	श्री भगवान संकर रावत	श्री भगवान शंकर रावत
301	14	(मवेलाकाटा)	(मवेलीकारा)
303	नीचे से 4 से पहले "गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक" जोड़िए ।		
303-304	नीचे से 4 और नीचे से 13	श्री रमेश चन्द्र तोमर	डा॰ रमेश चन्द तोमर
305	नीचे से 7	19 वें	19 में
308	14	371 जक का	371 ज क का
315	नीचे से 5		
311	5	उदेशिका	उद्देशिका
329	नीचे से 14	श्री पी॰ चिदम्बरमम	श्री पी॰ चिदम्बरम
338	नीचे से 16	श्री जेवियर अराकल	श्री जेवियर अराकल

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 25, शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1996/15 भाद्र 1918 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 483 तथा 486	1–19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 484, 485 तथा 487 से 500	20–45
अतारांकित प्रश्न संख्या 4425 से 4637	45–246
सभा पटल पर रखे गए पत्र	247–258
कार्य मंत्रणा समिति	
पांचवा प्रतिवदन – **प्रस्तुत**	258
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
पहला प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**	258
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश – **प्रस्तुत**	258
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**	259
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
छियालीसवां, सैंतालीसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन – **सभा पटल पर रखा गया**	259
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन – **सभा पटल पर रख गया**	259
याचिकाएं	
(एक) ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण; और	260
(दो) जबलपुर रेलवे डिवीजन में कटनी रेलवे स्टेशन पर खान-पान ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण – श्री शरद यादव	260
सभा का कार्य	260–265
गुजरात के हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में	266–279

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इराक पर अमरीकी हमला

श्री इन्द्र कुमार गुजराल 280–281

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में अनेक पटसन मिलों के बंद होने कारण उत्पन्न स्थिति 282–302

श्री पी. आर. दासमुंशी 282–283, 284–288

श्री आर.एल. जालप्पा 283–84

श्री सुधीर गिरी 288–292

श्री हन्नान मोल्लाह 292

श्री अजय चक्रवर्ती 292–94

श्री तरित बरण तोपदार 294–303

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक – पुर:स्थापित

(एक) एक समान शिक्षा विधेयक

डा. रमेश चन्द तोमर 303

(दो) मंत्रियों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा विधेयक

डा. रमेश चन्द तोमर 304

(तीन) लोक सभा (प्रशासन) विधेयक

श्री जी.एम. बनातवाला 304

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 80 आदि में संशोधन)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 305

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, (दसवीं अनुसूची में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला 305

(छ:) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 19 में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला 305

(सात) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, (धारा 2 आदि में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला 306

(आठ) गर्म मसाला और नकदी फसल कीमत आयोग विधेयक

श्री रमेश चेन्नित्तला 306

(नौ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 29ख, आदि का अंत:स्थापन)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 306

कालम

(दस) देश में विदेशी राष्ट्रिकों का आगमन निवारण विधेयक

श्री कृष्ण लाल शर्मा 307

(ग्यारह) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा 3 में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा 307

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51क में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा 308

(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक, (नये अनुच्छेद 371 जक का अंत:स्थापन)

श्री गंगाचरण राजपूत 308

(चौदह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

प्रो. पी.जे. कुरियन 308

(पन्द्रह) संस्कृत भाषा (विद्यालयों में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक

प्रो. पी.जे. कुरियन 309

(सोलह) विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (निर्वाचन में मताधिकार) विधेयक

प्रो. पी.जे. कुरियन 309

(सत्रह) असंगठित श्रमिक कल्याण विधेयक

श्री द्वारका नाथ दास 310

(अठारह) पूर्व–चाय बागान श्रमिक कल्याण विधेयक

श्री द्वारका नाथ दास 310

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (उद्देशिका आदि में संशोधन)

श्री राम नाईक 311

(बीस) वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक

श्री राम नाईक 311

(इक्कीस) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक (धारा 2 में संशोधन)

श्री राम नाईक 312

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16क, आदि का अंत:स्थापन)

श्री जी. एम. बनातवाला 312

(तेईस) बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक

श्री जी. एम. बनातवाला 312

(चौबीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 में संशोधन)

श्री जी. एम. बनातवाला 313

(पच्चीस) मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक

श्री बची सिंह रावत ''बचदा'' 313

(छब्बीस) निराश्रित महिला कल्याण विधेयक

श्री भगवान शंकर रावत 314

(सत्ताईस) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

श्री भगवान शंकर रावत 314

(अट्ठाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44, आदि का लोप)

श्री भगवान शंकर रावत 314

(उन्नतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 18क का अंत:स्थापन)

श्री भगवान शंकर रावत 315

(तीस) लाटरी (प्रतिषेध) विधेयक

श्री विजय गोयल 315

(इक्कतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, (नये अनुच्छेद 371जक का अंत:स्थापन)

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' 315

बजट (सामान्य) 1996-97

सामान्य चर्चा

श्री पी. चिदम्बरम 316-343

अनिवार्य शिक्षा विधेयक

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी 343

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री नवल किशोर राय 343-347

प्रो. रासा सिंह रावत 347-354

लोक सभा

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1996/15 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाहन 11.03 बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

केरल और उड़ीसा का औद्योगिक पिछड़ापन

*481. **श्री पी. सी. थामस :**

श्री भक्त चरण दास :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में औद्योगिक क्षेत्र में किया गया निवेश बराबर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या औद्योगिक विकास तथा निवेश की दृष्टि से केरल और उड़ीसा सर्वाधिक पिछड़े राज्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ाने तथा निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हाँ।

(ख) अगस्त, 1991 से मई 1996 तक जारी किये गये आशय पत्रों (एल.ओ.आई.) और उद्योग मंत्रालय में दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई.ई.एम.) में दर्शाये गये निवेश में से 86 प्रतिशत निवेश 10 राज्यों में है। राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए निवेश में असमानता प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना के स्तर इत्यादि में भिन्नता के कारण है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्र सरकार राज्यों के प्रयासों में मदद करती है तथा औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के अलावा आधारभूत सुविधाएं तैयार करने में सहायता करती है तथा वित्तीय रियायतें प्रदान करती है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, उत्तर से पता चलता है कि आशय पत्रों में उल्लिखित निवेश का 86 प्रतिशत निवेश केवल 10 राज्यों में हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि अधिकतर या कहिए बहुत से राज्य, जिनमें मेरा राज्य केरल भी शामिल है, इस 86 प्रतिशत निवेश के क्षेत्र में नहीं आते।

इसलिए अनेक ऐसे राज्यों को शेष 14 प्रतिशत में ही संतोष करना पड़ रहा है। इस संबंध में सबसे गम्भीर बात यह है कि औद्योगिक विकास उन राज्यों में होना चाहिए जहाँ अभी तक वह नहीं हुआ है। उड़ीसा, केरल तथा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ है और यही राज्य 14 प्रतिशत निवेश में आते हैं।

इसलिए इसमें आपका सहयोग भी चाहूँगा—माननीय मंत्री से अपील करता हूँ कि वे उन राज्यों में, मेरे राज्य केरल समेत, औद्योगिक निवेश करें, ताकि वे क्षेत्र भी जिनमें संसाधन बहुत ज्यादा कम नहीं है, बल्कि कुछ प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न हैं, औद्योगिक रूप से विकसित हो सकें।

अब मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे उन राज्यों में मूलभूत ढाँचे के विकास और अन्य सम्भव आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए तुरन्त कुछ उपाय करेंगे जो 86 प्रतिशत निवेश के अंतर्गत नहीं आते हैं, ताकि उन राज्यों, विशेषकर मेरे राज्य केरल में अगले एक साल में कुछ विकास हो सके।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य के कथन से सहमत हूँ। सरकार, आयोजकों, और प्रशासन की वर्ष 1947 से यह नीति रही है कि सब जगह उद्योग स्थापित हों तथा क्षेत्रीय असमानता दूर हो कर क्षेत्रीय संतुलन स्थापित हो। इस नीति की घोषणा सभी औद्योगिक नीति प्रस्तावों में की गई है। परन्तु एक महाद्वीप के आकार वाले देश में, क्षेत्रीय असंतुलन का होना सम्भव है। परन्तु सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करे जिससे प्रगति में संतुलन बना रहे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि केरल एक पिछड़ा राज्य है। यह सही है कि यह कुछ उत्तर-पश्चिम राज्यों जैसा सम्पन्न नहीं है, पर इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यह एक मध्य आय वाला राज्य है। उदाहरण के लिए आई.ई.एम. और आशय पत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित निवेश में केरल का स्थान चौदहवां और उड़ीसा का बारहवां है। अब जोर प्रोत्साहन पर नहीं है। परन्तु अब सरकार, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, प्रोत्साहन के बजाय आवश्यक मूलभूत ढांचा बनाने में विश्वास करती है। इसलिए उस उद्देश्य को सामने रखकर हमने कुछ कार्यक्रम बनाये हैं। उदाहरणतः पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की सब्सिडी दी जाती है। सम्भवतः केरल इसके अंतर्गत नहीं आता।

परिवहन सब्सिडी के अलावा प्रगति केन्द्र योजना और समेकित मूलभूत ढांचा विकास योजनाएं भी है। इन सभी योजनाों के संबंध में केरल के हितों को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री पी.सी. थामस : महोदय अनेक क्षेत्रों में प्रगति केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम है और मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ केन्द्र केरल में भी स्थापित किये जायेंगे, पर मैं समझता हूं कि इन प्रगति केन्द्रों में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। मेरा सुझाव है कि इन केन्द्रों की उचित प्रगति के लिए तुरन्त कुछ किया जाना चाहिए, ताकि ये उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकें जिसके लिए इन्हें स्थापित किया गया है। इन प्रगति केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने जिस जोश के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया था उसकी तुलना में प्रगति केन्द्रों की संख्या बहुत कम है। उत्तर के पहले भाग में यह कहा गया है कि केरल में औद्योगिक विकास ज्यादा अच्छा नहीं है। हमारा राज्य देश के सुदूर दक्षिण में है और इसलिए हमारा यह दावा करने का वैधानिक और नैतिक अधिकार है कि केरल में अधिक संख्या में प्रगति केन्द्र स्थापित किये जायें। सरकार को इस संबंध में उदारता बरतनी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और भी अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केरल में मुबत्तपुंजा में मूलभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं हैं, वहां कम्युनिस्ट शासन के बावजूद श्रमिक समस्या नहों है।

एक माननीय सदस्य : कम्यूनिस्टों के साथ क्या खराबी है?

श्री पी.सी. थामस : कोई खराबी नहीं है। हमारे यहां कम्युनिस्टों का शासन है और उनकी अपनी सरकार ही श्रमिक असंतोष ओर औद्योगिक क्षेत्र में विकास के न होने के लिए जिम्मेदार है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये बहुत हो गया।

... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह मात्र सुझाव है। मुझे विश्वास है, मंत्री महोदय ने इसे नोट कर लिया होगा।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मैं किसी को दोषी नहीं बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अपने एक सुझाव दिया है। मंत्री महोदय ने इसे नोट कर लिया है। इतना पर्याप्त है।

... **(व्यवधान)**

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मेरा प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल चलाने का यह तरीका नहीं है। आपको प्रश्न पूछना चाहिए, परन्तु आप सुझाव ही देते चले जा रहे हैं।

श्री पी. सी. थामस : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे निर्वाचन क्षेत्र भुवनपूजा में एक प्रगति केन्द्र खोला जाएगा। क्या केरल में और अधिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे?

श्री मुरासोली मारन : सरकार की योजना के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रगति केन्द्र विकसित किये जायेंगे। अब तक 70 केन्द्रों का चुनाव किया जा चुका है तथा उनकी स्थापना की घोषणा की जा चुकी है। केरल के लिए दो प्रगति क्षेत्रों का चयन किया गया है, जो पांच जिलों में कार्य करेंगे। यदि माननीय सदस्य और अधिक प्रगति केन्द्रों की स्थापा चाहते हैं, तो इसकी सिफारिश करना राज्य सरकार का काम है। यदि केरल सरकार सिफारिश करती है तो अगली योजना में हम इस पर विचार करेंगे।

श्री भक्त चरण दास : यह जानकर बड़ा दु:ख हुआ कि जब मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि निवेश की दृष्टि से उड़ीसा और केरल राज्य पिछड़े राज्य नहीं है। जहां तक औद्योगिक निवेश अथवा औद्योगिक विकास की दर का प्रश्न है उड़ीसा में इसकी दर राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, जबकि उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों और कोयला, लौह अयस्क, क्रोमाइट, बाक्साइट आदि खनिजों में अत्यधिक सम्पन्न है। उड़ीसा में अपर्याप्त मूलभूत ढांचे और रेलों, राष्ट्रीय राजपथों, बन्दरगाहों आदि में अपर्याप्त राष्ट्रीय निवेश के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। उड़ीसा में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर के पीछे 12.86 किलोमीटर रेल लाइन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 19.01 किलोमीटर है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री भक्त चरण दास : मैंने अपना प्रश्न पूछ लिया है। मैं केवल उसका औचित्य सिद्ध कर रहा हूँ। प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर में भारत में औसतन 269 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं, पर उड़ीसा में यह औसत 122 किलोमीटर है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा की औद्योगिक प्रगति में गति लाने के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास के वास्ते सरकार क्या उपाय कर रही है।

दूसरे, जहां तक निवेश का संबंध है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने उड़ीसा में बहुत कम निवेश किया है। इन संस्थाओं ने कुल का केवल 1.5 प्रतिशत निवेश उड़ीसा में किया है।

इसी प्रकार वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात भी राष्ट्रीय अनुपात से बहुत कम है। जब तक बैंक उड़ीसा में ऋण में वृद्धि नहीं करते, वहाँ का औद्योगिक पिछड़ापन बढ़ता रहेगा। उड़ीसा में

इस्पात, एल्यूमीनियम, बिजली और तेल शोधन उद्योगों की स्थापना कब तक करने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार एफ. आई. पी. बी. खनन पट्टों और वित्तीय संस्थानों को भेजे ऋण प्रार्थना पत्रों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने में सहायता करेगी और क्या वहां औद्योगिक प्रगति केन्द्र आदि की स्थापना करेगी। सरकार इन कार्यों में राज्य की मदद करेगी या नहीं?

श्री मुरासोली मारन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उड़ीसा की बड़ी शोचनीय तस्वीर खींची है, परन्तु यह सच नहीं है। आप यह जानते हैं कि वहां प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी सम्पदा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको उनका उत्तर देना आवश्यक नहीं।

श्री मुरासोली मारन : लाइसेंस राज समाप्त हो गया है। इस समय औद्योगिक उदारीकरण का वातावरण है। अब आवश्यकता है ऐसी सरकार की जो निवेशकों की दोस्त हो। मेरा विश्वास है कि उड़ीसा में ऐसी ही सरकार है। इस संबंध में मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री के हाल के कथन का हवाला देता हूँ। पहली सितम्बर 1996 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में छपे समाचार के अनुसार श्री पटनायक ने कहा था :

> ''राज्य में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें 95,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।''

यह एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची दी है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 39,000 करोड़ रुपये इस्पात क्षेत्र पर, 20,000 करोड़ रुपए ऊर्जा पर, 11,000 करोड़ रुपये एल्यूमीनियन पर, और 12,500 करोड़ रुपये तीन बड़े तेल शोधक कारखानों पर खर्च किये जाएंगे।

हम एफ.आई.पी.बी. के मार्फत अपनी ओर से भरसक मदद कर रहे हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि हम प्रति सप्ताह परियोजनाओं को स्वीकृति दे रहे हैं। हाल ही में हमने उड़ीसा की अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

श्री जी.जी. स्वैल : मेरे मित्र श्री थामस ने अपने पूरक प्रश्न में पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन का भी जिक्र किया है। मैं यह मानता हूँ कि आप केवल उद्योग के लिए ही किसी जगह उद्योग नहीं लगाएंगे। इस संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई कमियां हैं। वह देश के एक तरफ स्थित दूरस्थ क्षेत्र है तथा बजार आदि भी बहुत दूर हैं। इसलिए वहां उद्योग लगाना कठिन है। मैं यह सब मानता हूँ। परन्तु एक उद्योग उस क्षेत्र को बहुत अनुकूल है और वह है पर्यटन उद्योग। आप उसके विकास के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए विशेष ध्यान देंगे? इसके लिए वहां अनुकूल क्षेत्र है और संसाधन है। इसके साथ ही वहां एक विशेष आकर्षण है।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, यद्यपि यह प्रश्न उड़ीसा और केरल...

श्री जी.जी. स्वैल : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का जिक्र किया गया था।

श्री मुरासोली मारन : मैं प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन का जिक्र किया। पिछले सत्र में भी ऐसा ही प्रश्न हमारे सामने आया था, जिस पर हमने आधे घण्टे तक चर्चा की थी।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम अब काम करने लगा है। यह उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और विकास के लिए इंजन का काम करेगा। हाल ही में मुझे जानकारी मिली है कि वहां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने टाटा कंसेलटेन्सी सर्विसेस को नियुक्त किया है तथा उसने नए निकायों के लिए व्यवसाय योजना तैयार की है। उन्होंने क्षेत्र के सात राज्यों में 62 मदों की सम्भाव्यता का पता लगाया है। यदि अनुमति हो तो मैं उनके बारे में सदन को बता सकता हूँ। ये परियोजनाएं कपड़ा, सीमेन्ट, स्क्रैप आधारित इस्पात निर्माण और पुनर्बेलन, ग्लास ब्लोइंग, पर्यटन, नर्सिंग होम, चाय और खाद्य प्रसंस्करण समेत व्यापक औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हैं। ये सभी उद्योग उस क्षेत्र के राज्यों में उपलब्ध कच्चे माल, कार्यकुशलता और बाजार की उपलब्धता पर आधारित है। इनसे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों का अत्यधिक विकास होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन के लिए एक अदभुत क्षेत्र है और मैं समझता हूँ यह निगम इस दिशा में प्रयत्न करेगा।

श्री जी. एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय माननीय मन्त्री ने बहुत ही स्वागत योग्य बात यह कही है कि सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। यह भी स्वीकार किया गया है कि केरल में बहुत कम उद्योग हैं तथा वहां केन्द्रीय निवेश भी बहुत कम है। क्या सरकार उन उद्योगों का सर्वेक्षण कराने और पता लगाने का प्रयत्न करेगी जिन्हें केरल में आसानी से स्थापित किया जा सके। क्या वह इसके लिए मूलभूत ढांचा बनाने और इन क्षेत्रों को औद्योगिक निवेशकों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगी?

श्री मुरासोली मारन : औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्रों का पता लगाना राज्य सरकार का कर्तव्य है। केरल सरकार इस काम को कर रही है। हाल ही में केरल के उद्योग मंत्री ने घोषणा की

है कि वे शीघ्र ही औद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य जारी करेंगे। मूलभूत ढांचे के विकास के लिए हमारे पास अनेक कार्यक्रम हैं। मैंने आपको अभी-अभी बताया कि पांच हजार करोड़ रुपये की पूंजी से एक ढांचा विकास निगम बनाया गया है। जिसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में की थी। लक्षित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देन और मूलभूत ढांचे के निर्माण के लिए करों में रियायत और उनसे मुक्ति की गई है।

पिछले सप्ताह माननीय वित्त मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि पिछड़ापन क्षेत्र के बजाय ताल्लुक के आधार पर माना जायेगा। उस समिति ने अपना परिवेदन दे दिया है। उन्होंने बताया है कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। हम इसी के अनुसार चल रहे हैं....(**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : मैंने कर मुक्ति के बारे में लिखा है... (**व्यवधान**) मैंने मंत्री महोदय को लिखा है.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री देव अगला प्रश्न आप ही के नाम में है।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को लाभ

***482. श्री संतोष मोहन देव :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी क्षेत्रों की इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों को कम मुनाफा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) अप्रैल से जुलाई, 1996 तक की अवधि की नवीनतम रिपोर्टों से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में उक्त अवधि के दौरान भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले 49 सरकारी उद्यमों में से 21 उद्यमों की लाभकारिता में सुधार हुआ है, जबकि 28 कंपनियों के मामले में गिरावट आई है।

(ग) विद्युत की कमी, मांग में गिरावट, आयात के कारण तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा ब्याज का भारी बोझ आदि कतिपय एककों में कम लाभकारिता के कारणों में शामिल है।

(घ) किए जा रहे उपचारात्मक उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विपणन प्रयासों में वृद्धि, क्रयादेश की स्थिति में सुधार संबंधी उपाय, पुनर्गठन एवं बेहतर वित्तीय प्रबंध आदि शामिल हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि ऊर्जा की कमी, मांग की गिरावट, आयात के कारण प्रतियोगिता को बढ़ने और ऊंची ब्याज दर के कारण कुछ सरकारी क्षेत्र के उद्योग जो अच्छा काम कर रहे हैं, परन्तु कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ के काम में जो गिरावट आ रही है, आप एक नीति के रूप में सीमा शुल्क को कम कर रहे हैं। हमारी सरकार की भी यही नीति थी, परन्तु सीमा शुल्क कम करते समय सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देशी उद्योग स्वस्थ प्रतियोगिता की स्थिति में रहे। कुछ क्षेत्रों में सीमा शुल्क इस सीमा तक घटा दिया गया है कि उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आपने यह ठीक ही कहा कि देश में उर्जा और ब्याज की दरें बढ़ती जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि यह आंकड़े आपको कहां से मिले। मेरे पास आंकड़े हैं यदि आप तालिका उन्नीस को देखें तो उसमें आप पायेंगे कि लाभ घटा है और 1994-95 में 20 करोड़ से भी अधिक हानि हुई है। नेशनल फर्टिलाइजर्स को यह बीस करोड़ की हानि हुई है और घाटा धीरे-धीरे बड़ रहा है। लगभग दस प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक 'सेल' है। एक कुशल मंत्री थे... (**व्यवधान**) और लाभ बढ़ कर पन्द्रह करोड़ रुपये हो गया था। मैं आपसे सरकारी क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही संसाधनों की कमी की दृष्टि से पूछता हूं। आपने जो सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम बनाया था, जिसका हमने समर्थन किया था, उसमें यह वादा किया गया था कि जिस धन का निवेश नहीं किया गया है उसके एक भाग को उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः लगाया जायेगा जिन्हें फिर से चालू करने, विस्तार करने और आधुनकीकरण के लिए पैसे की आवश्यकता है। हमने ये सब बातें सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल की हैं। उसी आधार पर हमने आपको समर्थन दिया था, पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

'इस्को' एक घाटे पर चल रहा उद्योग है। मैंने कई बार इसके लिए रुपया प्राप्त करने की कोशिश की। श्री चिदम्बरम स्वयं मंत्रियों की समिति के सदस्य थे। समिति ने कहा गया था कि आठवीं योजना में इसकी व्यवस्था की जायेगी। उस समय श्री चिदम्बरम का कहना था कि घरेलू सरकार देशी उद्योगों को पैसा नहीं दे रही है। तब सरकारी उपक्रमों की जिम्मेदारी उनकी थी। अब सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के द्वारा आपके पास कुछ करने का अवसर है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे उन उद्योगों को वित्तीय सहायता देने पर विचार करेंगे, जिन्हें लाभकारी बनाया जा सकता है।

आज के समाचार पत्रों में यह छपा है कि आपने एक नई गोल्डन हैंड शेक नीति अपनाने जा रहे हैं। मैंने यह समाचार आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ा है। आप इन दो बातों के बारे में हमें बतायें।

श्री मुरासोली मारन : महोदय माननीय सदस्य ने कहा कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए मैं उनसे सहमत हूं। अमेरिका में भी ऐसा संरक्षण दिया जाता है। घरेलू उद्योगों को हानि होती हैं अथवा वे विदेशी प्रतियोगिता के सामने नहीं टिक सकते हैं तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। नए भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक है।

दूसरे उन्होंने कहा कि घाटे के उद्योगों और घाटा होने की सम्भावना वाले उद्योगों में निवेश न किये गये धन से पैसा दिया जाना चाहिए। हमारे सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि निवेश न किये गये धन के बारे में एक आयोग बनाया जायेगा। वह आयोग निवेश न किये गये धन का उपयोग करेगा। सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है।

> ''निवेश न करने का निर्णय लिया जायेगा और उसे पारदर्शी रूप में लागू किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त किये गये राजस्व का उपयोग, विशेष कर देश के गरीब और पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जायेगा। इस राजस्व का एक भाग निवेश कोष बनाने के लिए रखा जायेगा, जिसका उपयोग अन्य सरकारी उद्यमों को मजबूत बनाने में किया जायेगा।''

उन्होंने पूछा है कि रुपया कहां है? इस आयोग का गठन हाल ही में किया गया है उसने अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं की है। मुझे पूरी आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे और एक निवेश कोष बनायेंगे, जिसका उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य कुशलता बढ़ाने में किया जायेगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय आपकी सरकार का मत ग्रामीण क्षेत्र को अधिक पैसा देने का था। हमने यह निर्णय लिया था कि जिन उद्योगों में निजी निवेश होता है उनके लिए हम केन्द्र सरकार से पैसा खर्च करने को नहीं कहेंगे। यह निर्णय उद्योगों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं लिया गया था बल्कि ऐसा निजी क्षेत्र को निवेश में शामिल करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास में निवेश के लिए और अधिक धन प्राप्त करने के वास्ते लिया गया था। हम सत्ता में आये थे तो यह सात हजार रुपये था। हमने इसे बढ़ाकर तीस हजार रुपये किया। बाद में हम इसे बढ़ाकर साठ हजार रुपये करना चाहते थे। इस वर्ष जब श्री चिदम्बरम ने बजट पेश किया तो उन्होंने जादूगरी दिखाई। वास्तव में यह वृद्धि 13.76 प्रतिशत हुई है। मैंने अपने पुराने विभाग से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं उनकी कठिनाई समझता हूँ। पहले ही वर्ष में उनके लिए कुछ देना सम्भव न हो। यदि आप इस प्रतिवेदन को देखें तो पायेंगे कि दस उद्यम ऐसे हैं जो घाटे पर चल रहे हैं। उनमें से कुछ के नाम है : (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (2) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (3) राष्ट्रीय इस्पात निगम (4) दिल्ली परिवहन निगम (5) हैवी इन्जीनियरिंग लिमिटेड (6) इंडियन एयर लाइन्स (7) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (8) सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड। हमारी सत्ता के दौरान मंत्रियों के एक ग्रुप ने यह सिफारिश की थी कि जो उद्योग लाभ पर चल सकें उन्हें लाभकारी बनाया जाये। हमने उन के लिए कुछ धन की व्यवस्था भी की थी, जो स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति लेना चाहते हैं।

इस दृष्टि से क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को इन 10 उद्योगों की जानकारी है जो भारी घाटा दे रहे हैं, पर जिन्हें सरकारी क्षेत्र में पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह बात सरकार में शामिल सी.पी.एम. और सी.पी.आई. दोनों के कार्यक्रम में सबसे ऊपर है।

हमने उसका बहुत अधिक प्रचार नहीं किया परन्तु हमारी नीति उन उद्योगों को फिर से चालू करने की थी। इसलिए क्या मंत्री महोदय इन 10 मुख्य उद्योगों और उल्लिखित उन 21 उद्योगों को भी प्राथमिकता देंगे, जो लाभ कमा रहे हैं, परन्तु इसी श्रेणी में आते जा रहे हैं? इन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में सरकार का क्या विचार है और इस बारे में सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम क्या है?

श्री मुरासोली मारन : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि इन उपक्रमों में सुधर पर्याप्त मात्रा में और गति से नहीं हुआ है।

सामान्य-न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार हम सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चार श्रेणियों में बांट रहे हैं। पहले स्थान पर वे कम्पनियां आती हैं जो अपेक्षाकृत लाभकारी स्थिति में है। ये उद्योग उन्हें विश्व स्तर की कम्पनियां बनाने में सहायक होंगे। दूसरे लाभकारी और कार्यकुशल उपक्रम हैं, जिन्हें मजबूत किया जाना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कठिनाई में न पड़े तथा उनके प्रबन्ध में पेशेवर लोगों को लगाया जाना चाहिए। इस कम्पनियं के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तीसरे नवम्बर पर घाटे पर चलने वाले अथवा घाटे की सम्भावना वाले उद्योग आते हैं, जिन्हें पुनर्जीवित करना है। मैं सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम से पढ़ता हूँ।

> ''इसमें पेशेवर कर्मचारियों की सहकारी समितियों को प्रबंध सौंपने की बात शामिल है।''

घाटे पर चल रही 10 कम्पनियां इस श्रेणी में आती हैं।

अन्त में वे कम्पनियां आती हैं, जो लगातार घाटे पर चल रही है, पर जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। हम आधारहीन उद्योगों में रुपया नहीं लगा सकते। अत: उन उद्योगों पर विचार किया जाए और यदि वे महत्वपूर्ण उद्योग न हो तो उनसे हटा जाए। इस पर गहराई से विचार किया जाए पर ऐसा करते समय कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा अथवा वैकल्पिक रोजगार या फिर से बहाल किए जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए। यह हमारी नीति है।

हमारा मंत्रालय एक मास्टर-प्लान बना रहा है तथा हमारे मंत्रालय से ही सुधार प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह हमारा लक्ष्य है। हम घाटे पर चल रहे उद्योगों को पुनर्जीवित कर रहे हैं।

अब प्रश्न यह है कि कितने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है तथा उसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? इसके लिए हमें आवर्ती कोश बनाना होगा। यह कार्यक्रम चल रहा है और इस पर हम काम कर रहे हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : सरकारी क्षेत्र के 240 उपक्रम हैं। इनमें से 109 घाटे पर चल रहे हैं, जिनमें 4906 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जैसा कि श्री संतोष मोहन देव ने कहा, इनमें से एच.एफ.एल. जैसे 10 प्रमुख उपक्रमों में 2449 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इंडियन एयर लाइन्स को 188 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि 109 कम्पनियों में से 10 प्रमुख कम्पनियां 49 प्रतिशत घाटे के लिए जिम्मेदार हैं।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस घाटे को रोकने के लिए, कोई ठोस उपाय करने जा रही है, विशेष रूप से इंडियन एयर लाइन्स के संबंध में, क्योंकि निजी विमान कम्पनियां लाभ कमा रही हैं। अब हमने निजीकरण की योजना बनाई है और उन्हें बी.आई.एफ.आर. के अन्तर्गत रख रहे हैं तथा तीन या चार योजनाएं बना रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय इस घाटे को, विशेष कर घाटे वाली 10 प्रमुख कम्पनियों के घाटे को किस प्रकार रोकेंगे?

श्री मुरासोली मारन : मैंने इससे पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इन घाटे वाली इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए हम एक मास्टर-प्लान जैसी योजना बना रहे हैं। इंडियन एयरलाइन्स के संबंध में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि वह दूसरे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

घाटे वाले उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए मास्टर-प्लान बनाते समय हम अनेक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें अन्य के साथ सहयोग से संयुक्त उपक्रम शुरू करना, वित्तीय पुनर्गठन, प्रबंध को सबल बनाना और से बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए विशेष आवर्ती कोष का निर्माण करना शामिल है। हम इस योजना पर काम कर रहे हैं।

श्री पी. आर. दास मुंशी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी बताया कि वे इन घाटे के उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव और एक मास्टर-प्लान पर विचार कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि घाटे पर चल रहे कुछ उपक्रम तथा अन्य सरकारी उपक्रम जब बी.आई.एफ.आर. के पास गये तो उन्हें एक लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ा है। बी.आई.एफ.आर. स्वयं कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच अनिश्चितता पैदा कर रहा है। कर्मचारियों और प्रबंधकों को उससे क्या आशा हो सकती है। इस समस्या के एक मुश्त हल पर विचार करते समय मंत्री महोदय क्या मामले को निपटाने के लिए किसी अन्य विकल्प पर भी विचार करेंगे? महोदय बी.आई.एफ.आर. के विकल्प के रूप में इस मामले को एक मुश्त समझौते के द्वारा निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि बी.आई.एफ.आर. इसे सालों से रोके बैठा है और किसी भी मामले को पूरी तरह नहीं निपटा रहा है।

श्री मुरासोली मारन : मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। हमें बी.आई.एफ.आर. का पुनर्गठन करना होगा। ताकि वह शीघ्र निर्णय करने वाला न्यायाधीकरण सिद्ध हो। इस सरकार की यही नीति है। सामान्य न्यूनतम कर्यक्रम में यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही गई है। हाल ही में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी बी.आई.एफ.आर. का पुनर्गठन करने और रुग्ण उद्योग इकाई अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की थी। ताकि इन घाटे की इकाइयों का शीघ्र निपटारा हो सके।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : रुग्ण उद्योगों को बीमारी से उबारने के लिए नेशनल रिनुवल फंड की व्यवस्था की गई है और यह बी.आई.एफ.आर. के माध्यम से संचालित होता है। अभी दासमुंशी जी ने सही कहा कि अनिश्चितता बनी रहती है। क्या सरकार कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहती है जिसमें एक निश्चित समय सीमा के अंदर इन उद्योगों को रुग्णता से उबारा जा सके? अगर हम पिछले तीन साल का नेशनल रिनुवल फंड का लेखाजांखा देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक वार्षिक बजट से पैसा दिए जाने के बावजूद यह फंड पूरी राशि खर्च नहीं करता। यह परस्पर विरोधी बात है, क्योंकि जहां एक तरफ 109 उद्योग रुग्ण हो गए हैं, दूसरी तरफ नेशनल रिनुवल फंड पैसा खर्च नहीं कर पाता। इसलिए इसके पैसे का सही उपयोग हो और जो राशि दी जाती है, भले ही वह कम है, उसका पूरा उपयोग हो, क्या सरकार इसकी भी समुचित व्यवस्था करेगी? मैं इसके साथ एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव आए हैं, जैसे बिहार सरकार से भी प्रस्ताव आया है कि राज्य स्तर पर जो सरकारी उपक्रम हैं, वे भी रुग्ण हैं, भले ही वे राज्य सरकार के

हैं, क्या इस फंड से उनकी रुग्णता दूर करने की केन्द्र सरकार कोई व्यवस्था करना चाहती है और एन.आर.एफ. से इस काम के लिए पैसा दिया जा सकता है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय मैं अंतिम प्रश्न का उत्तर पहले दूंगा। अभी राज्य सरकारों के घाटे के उद्योगों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वह एक बड़ी समस्या है। हमें इस पहलू पर भी विचार करना होगा।

महोदय मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि हम एक मास्टर प्लान बना रहे हैं, जो घाटे के उद्योगों को फिर से चलाने के उपाय करेगा। परन्तु अभी हम उस समय तक इन्तजार कर रहे हैं जब कोई उद्योग लगातार घाटे पर चले। हमारे पास तुरन्त चेतावनी देने की कोई पद्धति नहीं है। न ही हम शुरू में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं और पुनर्गठन कर सकते हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बी.आई.एफ.आर. अधिनियम को सुधारा जा सकता है।

महोदय, जो लोग सेवा से हटाये गये हैं या जिन्हें गोल्डन हैंड शेक दिया गया है उनके लिए राष्ट्रीय आवर्ती कोष पर्याप्त नहीं है। हमारे विचार से इस कोष को भी और मजबूत करना होगा। इसकी राशि को बढ़ाना होगा। यह हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हम योजना बना रहे हैं।

हस्तशिल्प के लिए सहायता

***483. डा. अरुण कुमार शर्मा :**
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर हस्तशिल्प विकास निगम ने बेंत, बांस तथा लकड़ी के सामान बनाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) संसद के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार की प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, शिलांग से बेंत एवं बांस शिल्पों के प्रशिक्षण हेतु 2.12 लाख रु. के 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि निगम ने वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इसी योजना के अन्तर्गत निगम को दी गई निधियों के परीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। भारत सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन द्वारा परीक्षित लेखों की स्वयं से प्रस्तुति अनिवार्य है। जहां तक काष्ठ शिल्प का संबंध है कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

डा. अरुण कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने हथकरघा कपड़ों और हस्तशिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। उसकी यह प्रसिद्धि भारत में ही नहीं, वरन विदेशों में भी है। हमें इस क्षेत्र को हस्त शिल्प और हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इस उद्देश्यार्थ पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम की स्थापना भी की गई थी।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि इस क्षेत्र के युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 1995-96 में दो प्रस्ताव थे। उसके लिए केवल एक या दो लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

अब मैं मंत्री महोदय के इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकता कि यह राशि इसलिए जारी नहीं की जा सकी क्योंकि उक्त निगम ने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनकी ओर से इन लेखाओं को प्राप्त करने के लिए और धन राशि देने के लिए क्या कार्यवाही की गई, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई रुकावट पैदा न हो।

श्री आर. एल. जालप्पा : महोदय उन्होंने 1995-96 में प्रस्ताव भेजे थे। हमने उनसे वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र भेजने को भी कहा था और अनेक पत्र भी लिखे थे। यह एक मामूली सी राशि हैं और मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि वह इस एक लाख 40 हजार रुपये एक लाख या दो लाख की राशि को क्यों रोक रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक वे हमें पिछले पैसे का हिसाब नहीं भेजेगें हम इस प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत राशि नहीं दे सकते।

जहां तक अन्य मामलों का सवाल है हमने उन्हें पैसा लेने की अनुमति दे दी है। इस वर्ष भी हमने 50 लाख रुपया दिया है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही लेखा-परीक्षित तुलन पत्र भिजवा दें ताकि हम एक महीने के अन्दर पैसा दे सकें।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय इस सभा के सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है और वहां बड़े उद्योग नहीं लगाये जा सकते, क्योंकि वहां संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और यह क्षेत्र दूर-दराज के इलाके में है तथा वहां मूल-भूत सुविधाओं का भी अभाव है। मेरे विचार से यही एक अकेला क्षेत्र है जिसके विकास की वहां

अत्यधिक सम्भावना है। इससे रोजगार के अवसर बड़ी मात्रा में बढ़ेंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास में बड़ी मदद मिलेगी।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने इस दिशा में कोई योजना शुरू की है क्योंकि इसके अन्तर्गत निर्यातोन्मुख हथकरघा और हस्तशिल्प इकाइयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित की जा सकती हैं। इनमें निर्मित वस्तुओं की भारत और विदेश में बड़ी मांग है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए उनके मंत्रालय ने कौन से विशेष उपाय किये हैं।

श्री आर. एल. जालप्पा : इस क्षेत्र में अनेक योजनायें हमने पहले ही दी हुई है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और वहां अनेक उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है। जब वह यह जानते हैं कि यह पिछड़ा क्षेत्र है तो इन निगमों को प्राप्त पैसे का हिसाब देना चाहिए, ताकि वे और पैसा पा सकें। हमारे पास उस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त योजनाएं हैं।

डा. प्रवीण चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जाना चाहता हूं कि क्या वस्त्र मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम और उससे लगने वाले राज्य, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तथा वहां का सूआलकुची क्षेत्र पूर्व का मानचेस्टर माना जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि त्रिपुरा बैंत और बांस के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्या उनके मंत्रालय ने इस उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में कोई कार्यक्रम शुरू किया है। और क्या सरकार ने इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के हथकरघा उत्पादों को सारे देशभर में भेजने और निर्यात करने के लिए किसी सरकारी एजेन्सी की स्थापना करने पर विचार किया है।

श्री आर. एल. जालप्पा : महोदय मुझे इस सब की जानकारी है। देश में हम इस क्षेत्र के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए अनेक प्रदर्शनियां लगाते हैं जिससे बहुत सा व्यापार होता है। इन उद्योगों का बहुत सा माल विदेशों को भी भेजा जाता है। मैं मानता हूं कि यह सब पर्याप्त नहीं है। हमने पहले ही कुछ योजनाएं लागू कर रखी हैं और यदि वे और योजनायें हमें भेजते हैं तो हम उन्हें भी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री उधव बर्मन : महोदय आप उस क्षेत्र के हथकरघा और हस्तशिल्प के सौंदर्य से अवगत हैं विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र जो कि सुप्रसिद्ध है। बहुत समय पहले महात्मा गांधी ने भी कपड़े पर परियों की कथाएं बुनने के लिए असम के बुनकरों की प्रशंसा की थी। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इन उद्योगों के विकास के लिए और अधिक धन दें। मैं चाहता हूं कि हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुओं के इस सौन्दर्य की ख्याति समस्त भारत और विश्व में फैले। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या निगम ने मुम्बई में 1981 में स्थापित एम्पोरियम को बन्द करने का निर्णय लिया है। क्या इस संबंध में उन्हें संसद सदस्यों का अभ्यावेदन मिला है, जिसमें उन्होंने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उसे बन्द न किया जाये तथा मामले की फिर से जांच की जाए ताकि देश के अन्य राज्यों के समान पूर्वोत्तर राज्यों को भी देश तथा विश्व के सामने अपनी कला को दिखाने का अवसर मिले।

श्री आर. एल. जालप्पा : महोदय हस्तशिल्प की वस्तुओं को लोगों के सामने लाने के लिए निगम अनेक प्रदर्शनियां आयोजित कर रहा है। इस महीने की 28 तारीख को भी हम बंगलौर में एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं जहां हमें आशा है कि इन उद्योगों की वस्तुएं खरीदने के लिए लगभग 500 विदेशी आयेंगे। पिछले चार वर्षों में हमने उन्हें सहायता प्रदान की है। 1992-93 में हमने उन्हें 14.60 लाख रुपये दिये, 1993-94 में यह राशि 92.81 लाख रुपये थी और 1994-95 में यह 45.71 लाख रुपये थी तथा 1995-96 में हमने उन्हें ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उनका एक छोटा सा प्रश्न था कि क्या मुम्बई में एम्पोरियम खोलने का सरकार का निर्णय लागू किया जा रहा है या नहीं।

श्री आर. एल. जालप्पा : महोदय एम्पोरियम वहां पहले से ही चालू है। दुर्भाग्य वश वह घाटा दिखा रहा है। दूसरे, एम्पोरियम की जगह के मालिक ने बहुत अधिक किराया मांगा है, जिसे वे नहीं दे सकते। पहले एम्पोरियम एक बड़ी इमारत में था। अब वह छोटे मकान में चल रह है। उन्होंने यह एम्पोरियम एक छोटे से क्षेत्र में शुरू किया है वहां उनका व्यापार नहीं चल सकता। इसलिए बोर्ड ने मुम्बई में एम्पोरियम बन्द करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री राजेश पायलट : मेरा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय के इस उत्तर से बड़ा अप्रसन्न हूं कि उन्होंने मुम्बई में एम्पोरियम को वन्द करने का निर्णय लिया है। सात राज्यों के लोगों की यह मांग थी कि पूर्वोत्तर हथकरघा निगम की स्थापना की जाये क्योंकि देश भर में और विदेशों में भी हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों की प्रशंसा की जाती है। उनकी आजीविका का और कोई साधन न होने के कारण इस निगम की स्थापना की गई थी। मंत्री

महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि दो साल से निगम द्वारा हिसाब न भेजे जाने के कारण उन्होंने दो लाख रुपये की स्वीकृति नहीं दी है।

यह केन्द्र सरकार का निगम है इसलिए यह देखना उसका ही काम है कि निगम ठीक प्रकार काम कर रहा है या नहीं। यह बहुत ही भावनात्मक मामला है। अन्य एम्पोरियम चल रहे हैं और केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के एम्पोरियम को बन्द करने का निर्णय सरकार ने लिया है, क्योंकि उसमें घाटा हो रहा है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों और बुनकरों की भावनाओं को अत्यधिक ठेस पहुँचेगी।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे अपने निर्णय पर फिर से विचार करें और देखें कि यह ठीक प्रकार काम करे। वे इस निगम के कार्यकरण की देखभाल के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करें, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों और बुनकरों की आशाओं और कांक्षाओं पर उचित ध्यान दिया जा सके।

श्री आर. एल. जालप्पा : महोदय, मैं अपने अधिकारियों को मुम्बई जाने और यह पता लगाने को कहूँगा कि क्या हम एम्पोरियम की वह शाखा चला सकते हैं... **(व्यवधान)** मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन पहले ही दे चुका हूँ कि यह दो लाख रुपया जारी कर दिया जाएगा तथा उन्हें उन दो वर्षों का लेखा-परीक्षित लेखे भेजने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए..... (व्यवधान)। यदि वे हिसाब नहीं भजेते हैं तो क्या आप यह आशा करते हैं कि हमारे अधिकारी वहां शिलांग जा कर हिसाब लाएं? उन्हें हिसाब देना होगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, जब आप उद्योग राज्य मंत्री थे और हम सांसद, हमने एक समिति में इन राज्यों का दौरा किया था। यह निगम रेशम और अन्य समेत—उसी का परिणाम है। ऐसे अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जो वित्त मंत्रालय से लिया ऋण वापिस नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र भी राजेश पाइलट गलत कह रहे हैं। हिन्दुस्तन फर्टिलाइजर को 133 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। उसका कोई हिसाब नहीं है और सरकार ने कुछ नहीं किया है। यहां दो लाख के पीछे आप एम्पोरियम बन्द कर रहे हैं... **(व्यवधान)**। आप इसे तुरन्त खुलवाएं। इसका आदेश आज ही जाना चाहिए। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

सोने की तस्करी

***486. श्री दिनशा पटेल** :

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतयेक वर्ष सोने क तस्करी के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें हवाई अड्डों पर तैनात कर्मचारी ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल पाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में कितने कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ग) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पता लगाए गए सोने की तस्करी के मामलों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

	मामलों की संख्या
1994-95	632
1995-96	702

इसी अवधि के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली में तैनात सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी पर सोने की तस्करी में शामिल होने का संदेह था। उक्त अधिकारी के खिलाफ केन्द्रीय सतर्कत आयोग के परामर्श से अनुशासनिक कार्यवाही करने पर विचार किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उक्त अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जहां तक अभियोजन चलाने का संबंध है, विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाही जो इस समय चल रही है, के पूरा होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बताया गया है कि 1994-95 में 632 केसेज थे और 1995-96 में 702 केसेज थे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें कितना सोना पकड़ा गया, उसकी कीमत क्या थी और जो लोग पकड़े गए, उनसे कितना जुर्माना वसूल किया गया?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय 1994-95 में 632 मामले दर्ज हुए। उनमें कुल 1,086 किलोग्राम सोना पकड़ा गया, जिसका मूल्य 55.43 करोड़ रुपया था। इन मामलों में 265 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 209 पर मुकदमा चलाया गया तथा 59 को 'कोफेपोसा' अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1995-96 में 702 मामले दर्ज हुए, 54.17 करोड़ रुपये मूल्य का 1,052 किलोग्राम सोना पकड़ा गया, 301 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 229 पर मुकदमा चला तथा 64 को 'कोफेपोसा' अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के लिए एक अधिकारी पर संदेह था। उत्तर में बताया गया है कि उसको दो साल पहले नोटिस भी दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ? एक ही अधिकारी के द्वारा इतना सोना लाया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अधिनियम 1962 के आधार पर जो नोटिस दिया गया था उसका क्या जवाब है और उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी। ..(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : तस्करी पर चर्चा शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अन्दर आ रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि यह सोने की तस्करी है।

महोदय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग का अधीक्षक पद का एक अधिकारी 19-20 अगस्त, 1995 की रात को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी में शामिल पाया गया। यात्री और सीमा शुल्क हाल के बाहर इन्तजार कर रहे एक व्यक्ति का बयान लिया गया। उसने उस अधिकारी की पहचान की। कागज की एक स्लिप भी बरामद हुई। अधिकारी के विरुद्ध आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम अवस्था की सलाह के लिए मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है। साथ ही सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। ज्यों ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग से हमें प्रथम अवस्था परामर्श प्राप्त होगी आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी एक वर्ष पहले हुए महानिदेशकों के सम्मेलन में राजस्व सचिव के उस भाषण पर विचार करें जिसमें उन्होंने कहा था कि 40 से 50 हजार करोड़ रुपया तस्करी, नशीले पदार्थों, हवाला और विभिन्न घोटालों की मार्फत बाजार में आता जाता है। उस समय महानिदेशकों ने कहा था कि कानून अधिक कड़े नहीं है। हमने कानून को और कड़ा बनाने की शुरूआत की थी। ऐसा किया जा रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है जो राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही है तथा अन्य सभी खराबियां इसी से उपजी हैं। सरकार का इस दिशा में क्या कार्रवाई करने का विचार है; क्योंकि यह उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से है, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मध्यान्ह 12.00 बजे

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, हम सोने की बात कर रहे हैं। इस देश में सोने की बड़ी भूख है। यदि आप इसे पूरी तरह रोकने का प्रयत्न करेंगे तो इसकी तस्करी की जाएगी। इसीलिए पिछली सरकार ने यह सही ही किया कि उसने कानूनी तरीके से सोना लाने की अनुमति दी। अब कानूनी तरीके से बड़ी मात्रा में सोना आता है तथा इससे सरकार को राजस्व की आय भी होती है। पिछले वर्ष 1995-96 में कानूनी तरीके से देश में 218 टन सोना आया। इन्टेलीजेन्स का कहना है कि देश में सोने की मांग 450 से 500 टन है। जब तक इतनी अधिक मांग रहेगी, सोने की तस्करी होती रहेगी। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सोना खरीदने का बहाना निकाल लेता है। मेरे विचार से इस नीति को समय के साथ उदार बनाया जाना चाहिए। परन्तु इस समय की नीति यही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंडियन बैंक का घाटा

***484. कुमारी सुशीला तिरिया :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 में इंडियन बैंक को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या भारतीय बैंकिंग के इतिहास में किसी भी वाणिज्यिक बैंक को हुए घाटे में यह सबसे बड़ा घाटा है; और

(च) तो इस संबंध में क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इंडियन बैंक ने वर्ष 1995-96 में 1336.40 करोड़ रुपए की हानि होने की सूचना दी है।

(ख) ये हानियां मुख्यत: वर्ष 1995-96 की ऋण हानियों के लिए प्रावधान करने और निधीकरण हानियों से इतर आय की पहचान और अग्रिमों के परिसम्पत्ति वर्गीकरण पर आधारित पिछले वर्षों में किए गए अल्पावधि प्रावधानों के कारण अतिरिक्त प्रावधान करने से हुई थीं। ये निधीकरण हानियां उन जमा प्रमाण-पत्रों द्वारा निधिबद्ध किए जा रहे ऋणों के अधिक विस्तार के कारण हैं, जिनकी लागत इनके अभिनियोजन पर आमदनी से बढ़ गई।

(ग) से (च) इंडियन बैंक के पुनरुज्जीवन के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर इंडियन बैंक ने भारतीय निवेश सूचना और ऋण दर निर्धारण एजेंसी (इन्वेस्टमेंट इन्फार्मेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया) (आईसीआरए), जो कि पुनर्गठन संबंधी नीति सुझाने वाली एक अग्रणी परामर्शदात्री फर्म है, की नियुक्ति की है। बैंक ने सभी क्षेत्रों में अपने परिचालनों का निरीक्षण करने के लिए प्रबंधन परिषद (मैनेजमेंट काउंसिल), इसकी विशाल अनुपयोज्य आस्तियों और निधियों की वसूली की निकट से निगरानी करने के लिए निवेश समिति और महाप्रबंधकों की समिति भी गठित की है।

(ङ) इंडियन बैंक द्वारा उठायी गयी हानियां सरकारी क्षेत्र से किसी बैंक द्वारा उठायी गयी अधिकतम हानि है।

जाली स्टॉक निवेश

***485. श्री अनंत कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सेवी) ने हाल ही में पब्लिक इश्यू की खरीददारी के समय जाली स्टॉक निवेश का उपयोग करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार एवं बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गिरोह में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सेबी ने अहमदाबाद और इन्दौर में स्थित कंपनियों द्वारा पब्लिक इश्यु के ऐसे 9 मामलों का पता लगाया है जिनमें इश्यु जाली/वोगस स्टाक निवेशकों के माध्यम से अभिवत्त किए गए हैं।

(ख) कंपनी-वार और बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सेवी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) लोगों को अभिदान राशि लौटाने के लिए निर्गमकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं;

(ii) संबंधित स्टाक एक्सचेंजों को सलाह दी गई है कि पुलिस में शिकायतें दर्ज कराएं;

(iii) स्टाक एक्सचेंजों को सलाह दी गई है कि वे आवंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने के समय सतर्क रहें;

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक से भी अनुरोध किया गया है कि वह संबंधित बैंकों का निरीक्षण करे।

विवरण

निर्गमों का ब्यौरा जिसमें जाली स्टॉक निवेश का उपयोग हुआ

क्र.सं.	निर्गम का नाम	जारी होने की तिथि	जिनके द्वारा स्टॉक निवेश करने का दावा किया गया* विजया बैंक नासिक शाखा संख्या	विजया बैंक नासिक शाखा राशि (लाख रुपए)	फेडरल बैंक नासिक शाखा संख्या	फेडरल बैंक नासिक शाखा राशि (लाख रुपए)	जोड़ राशि (लाख रुपए)
1.	ट्रेन्डलाइन फाइनैंस लि., अ.	20.5.96	1850	180.00	–	–	180.00
2.	प्राची लीज़िंग एण्ड फाइनैंस लि., अ.	13.5.96	2499	124.95	93	498.20	623.15
3.	हरिहर केमिकल्स लि., अ.	26.6.96	1038	62.95	–	–	62.95
4.	स्वारशिल्प प्रोपर्टीज लि., अ.	9.7.96	55	56.05	–	–	56.05
5.	एल फैशन्स लि., अ.	9.5.96	33	52.85	42	75.00	127.85
6.	द्वारकेश फाइनैंस लि., अ.	12.4.96	1798	90.45	–	–	90.45
7.	वीनस फ्लोरीकल्चर लि., अ.	25.7.96	3491	34.91	24	24.00	58.91
8.	डेलीशस इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनैंस लि., ई.	12.6.96	1017	65.00	–	–	65.00
9.	विकास स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लि., ई.	11.6.96	1794	89.70	–	–	89.70
			13575	756.86	159	597.20	1354.06

*विजया बैंक, नासिक शाखा तथा फेडरल बैंक, नासिक शाखा ने यह पुष्टि की है कि उन्होंने इन निर्गमों के लिए कोई स्टॉक निवेश जारी नहीं किया है।

अ. - अहमदाबाद

ई. - इन्दौर

हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

***487. श्री मणिकराव हौडल्या गावीत:**
श्री परसराम भारद्वाज:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा कपड़ों और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातकों को अनुदान राशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी अनुदान राशि प्रदान की गयी है और कितने निर्यातकों को इस प्रकार का अनुदान प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में कुछ जाली एजेंसियों के मामले आए हैं जिन्होंने इस प्रकार का अनुदान प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) भारत सरकार द्वारा हथकरघा कपड़े तथा हस्तशिल्प के निर्यात के लिए निर्यातकों को ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

विश्व के चमड़ा व्यापार में भारत का हिस्सा

***488. श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के चमड़ा व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 3.5 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कम प्रतिशत हिस्सा होने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2000 तक विश्व बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) आई. टी. सी. जैनेवा द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1994 के दौरान चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 4.34% था।

(ख) मूल्य वर्धित चमड़ा उत्पादों की धीमी वृद्धि तथा चीन, कोरिया, ताईवान तथा इन्डोनेशिया से तीव्र प्रतिस्पर्धा ने विश्व व्यापार में हमारे हिस्से को नियंत्रित कर दिया है। तथापि, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से निर्यात उत्पादों में मूल्य वृद्धि के बढ़ते हे सहारे के साथ तथा सुधरे हुए उत्पादन और उत्पाद प्रतिस्पर्धा से विश्व हिस्से में भारत ने वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 1994-95 के दौरान, 1984-85 के केवल 39% की तुलना में मूल्य वर्धित चमड़ा उत्पादों के निर्यात में कुल निर्यात का 75% से अधिक निर्यात था जबकि वर्ष 1984-85 में मात्र 39% था।

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह ने वर्ष 1999-2000 में चमड़ा क्षेत्र से 3.2 बिलियन अमरीकी डालर निर्यातों का अनुमान लगाया है जो इन मदों में विश्व के व्यापार का लगभग 7% होगा।

(घ) सरकार ने चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

- उद्योग के समेकित विकास हेतु राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम।
- चमड़े के जूते (फूटवेयर) को अत्यधिक ध्यान देने वाली मद के रूप में अभिनिर्धारित करना या उच्चतर निर्यात वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम मद हैं।
- स्थायी विकास हेतु चमड़ा तकनालाजी मिशन आरम्भ करना।
- कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन सेंटर स्थापित करना।
- फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान स्थापित करना।
- अर्द्ध परिष्कृत चमड़ा, अपरिष्कृत खालें और चमड़े के निर्यात पर रोक लगाना।
- फैशन प्रवृत्ति और आंकड़ों पर सूचना के प्रसार हेतु चर्म निर्यात परिषद में बाजार अनुसंधान एकक स्थापित करना।

भारतीय पटसन निगम के पटसन खरीद केन्द्र

***489. श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम के नये पटसन खरीद केन्द्र खोले जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इन केन्द्रों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं। चालू वर्ष में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात में बैंकों में चोरी/डकैती

***490. श्री छीतुभाई गामीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में, विशेषकर गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई चोरी तथा डकैती की घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक घटना में कितनी धनराशि चुराई गई अथवा लूटी गई;

(ग) इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या क्या है तथा क्या इसमें कुछ बैंक कर्मचारी भी शामिल पाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कानूनी कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए गए अनुसार वर्ष 1992 से 1996 (मार्च तक) के दौरान डकैतियों/लूटपाटों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि की बैंकवार और राज्यवार स्थिति से संबंधित सहज उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने लूटपाटों और डकैतियों के सभी मामलों की रिपोर्ट आश्यक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस में कर दी थी। इन मामलों में शामिल होने के कारण 64 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे जिनमें एक बैंक कर्मचारी भी शामिल था।

विवरण

(रुपये लाखों में)

बैंक का नाम	1992		1993		1994		1995		1996 (मार्च तक)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश										
आन्ध्रा बैंक	01	9.45	–	–	01	2.60	01	(#)11.64	–	–
केनरा बैंक	–	–	–	–	01	0.01627	–	–	–	–
पंजाब नैशनल बैंक	01	1.25	–	–	–	–	01	2.18	–	–
असाम										
इलाहाबाद बैंक	–	–	01	1.58	–	–	02	0.63	–	–
केनरा बैंक	–	–	–	–	–	–	01	0.40	–	–
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	–	–	02	0.70	01	0.44	01	0.44	–	–
इंडियन बैंक	–	–	–	–	01	1.00	02	3.07	–	–
इंडियन ओवरसीज बैंक	–	–	–	–	01	0.38	–	–	–	–
पंजाब नेशनल बैंक	01	1.00	–	–	–	–	–	–	–	–
यूको बैंक	01	0.18	03	94.33	02	12.76	02	3.92	–	–
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	02	2.84	01	4.79	–	–
बिहार										
इलाहाबाद बैंक	03	0.68	04	6.06	03	2.91	01	5.00	–	–
बैंक आफ बड़ौदा	–	–	01	2.00	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बैंक आफ इंडिया	11	23.33	07	8.62	08	6.89	06	8.24	03	1.27
केनरा बैंक	01	6.06	02	4.05	03	1.55	02	2.24	-	-
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	03	0.83	01	0.24	01	0.13	01	0.31	-	-
इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	01	0.71	01	0.40	-	-	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	08	6.62	07	10.95	13	14.45	10	21.5	01	0.12
सिंडिकेट बैंक	-	-	-	-	-	-	01	2.58	-	-
यूको बैंक	04	2.44	05	15.63	04	11.62	03	7.29	01	3.00
यूनियन बैंक आफ इंडिया	-	-	02	1.53	01	2.40	01	0.50	-	-
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	02	9.97	03	5.32	03	2.38	02	7.42	-	-
विजया बैंक	01	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली										
इलाहाबाद बैंक	-	-	-	-	01	0.50	-	-	-	-
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	-	-	02	49.60	-	-	-	-	-	-
सिंडिकेट बैंक	-	-	-	-	-	-	01	1.00	-	-
गुजरात										
बैंक आफ इंडिया	-	-	-	-	-	-	01	4.59	-	-
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	-	-	-	01	(*)792.14	-	-	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	-	-	01	0.03	-	-	-	-	-	-
हरियाणा										
पंजाब नेशनल बैंक	-	-	-	-	03	3.43	-	-	-	-
जम्मू और कश्मीर										
न्यू बैंक आफ इंडिया	01	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	01	0.86	01	1.37	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक										
पंजाब नेशनल बैंक	-	-	-	-	-	-	01	@7.29	-	-
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	01	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
विजया बैंक	01	(+)13.88	-	-	01	0.57	01	0.58	-	-
मध्य प्रदेश										
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	01	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र										
बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	–	–	01	66.22	–	–
कार्पोरेशन बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	01	10.00
सिंडिकेट बैंक	–	–	01	2.06	01	2.00	–	–	–	–
यूनियन बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	01	0.10	01	0.18	–	–
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	01	5.00	–	–	–	–
मणिपुर										
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	–	–	01	11.19	–	–
विजया बैंक	–	–	–	–	01	0.52	–	–	–	–
मेघालय										
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	01	0.81	–	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब नेशनल बैंक	–	–	02	1.55	–	–	–	–	–	–
नागालैंड										
इलाहाबाद बैंक	01	1.50	–	–	01	2.50	–	–	–	–
यूको बैंक	01	2.34	–	–	–	–	01	6.63	–	–
उड़ीसा										
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	–	–	01	2.50	–	–	–	–	–	–
इंडियन ओवरसीज बैंक	–	–	–	–	–	–	01	0.22	–	–
यूको बैंक	02	2.19	–	–	–	–	–	–	–	–
यूनियन बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	–	–	01	0.95	–	–
पंजाब										
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	01	0.00178	–	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब एंड सिंध बैंक	–	–	–	–	01	0.52	–	–	–	–
यूको बैंक	01	2.13	–	–	–	–	–	–	–	–
यूनियन बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	–	–	01	0.35	–	–
राजस्थान										
पंजाब नेशनल बैंक	–	–	01	0.17	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु										
इंडियन ओवरसीज बैंक	–	–	–	–	–	–	01	1.65	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
त्रिपुरा										
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	–	–	01	0.06	–	–	–	–	–	–
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	01	0.47	–	–	01	1.15	01	32.00	–	–
उत्तर प्रदेश										
इलाहाबाद बैंक	–	–	01	0.45	02	1.56	–	–	–	–
बैंक आफ इंडिया	–	–	01	1.79	02	2.00	01	2.92	–	–
केनरा बैंक	01	0.17	01	14.23	–	–	–	–	01	0.09
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	–	–	01	1.57	01	1.00	–	–	–	–
इंडियन ओवरसीज बैंक	–	–	–	–	–	–	01	4.00	–	–
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	–	–	–	–	01	0.75	–	–	–	–
पंजाब नैशनल बैंक	01	8.82	02	3.15	04	5.16	03	3.19	–	–
सिंडिकेट बैंक	–	–	03	1.26	01	0.50	01	0.20	–	–
यूनियन बैंक आफ इंडिया	01	2.23	04	7.40	08	9.11	03	12.28	01	16.30
पश्चिम बंगाल										
इलाहाबाद बैंक	02	1.63	–	–	01	3.73	02	3.88	–	–
बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	01	3.32	01	0.25	–	–
केनरा बैंक	–	–	–	–	–	–	01	1.68	–	–
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	–	–	01	0.13	–	–
इंडियन ओवरसीज बैंक	02	13.54	–	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब नेशनल बैंक	01	0.66	–	–	–	–	01	1.68	–	–
सिंडिकेट बैंक	–	–	–	–	–	–	01	1.75	–	–
यूको बैंक	–	–	–	–	–	–	01	7.57	–	–
यूनियन बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	01	0.97	–	–	–	–
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	06	12.92	01	3.19	02	3.73	01	2.50	–	–
विजया बैंक	01	2.38	–	–	–	–	–	–	–	

(अनंतिम आंकड़े)

(*) 8.76 लाख रुपए की कीमत के सोने सहित।

(*) निकासी लिखतों का मूल्य।

* 49000/– रुपए के मूल्य के आभूषणों सहित।

(**) 13.02 लाख रुपए के मूल्य के सोने सहित।

[अनुवाद]

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं पर कर

***491. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की ओर आयकर की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) उक्त बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की ओर इस बकाया राशि के इकट्ठा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) आयकर की बकाया धनराशि को वसूल करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तरफ दिनांक 31-3-96 की स्थिति के अनुसार करोड़ रुपये से अधिक की आयकर की मांग बकाया बनी रही, उनके नाम निम्नानुसार है:-

सरकारी क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	दिनांक 31-3-1996 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि (रु. करोड़ों में)
1	2	3
1.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	24.82
2.	पंजाब नेशनल बैंक	289.36
3.	पंजाब एंड सिंध बैंक	6.43
4.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	21.27
5.	न्यू बैंक आफ इंडिया	6.44
6.	बैंक आफ इंडिया	65.06
7.	देना बैंक	16.30
8.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	23.09
9.	सिंडीकेट बैंक	32.30
10.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	12.01
11.	केनरा बैंक	43.37
12.	विजया बैंक	22.79
13.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	171.49
14.	यूको बैंक	35.50
15.	इलाहाबाद बैंक	14.46
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	14.15
17.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	21.00

वित्तीय संस्थाएं

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	दिनांक 31-3-1996 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि (रु. करोड़ों में)
1.	मैसर्स आई.एफ.सी.आई. लि.	8.46
2.	मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. लि.	73.81
3.	मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	10.70
4.	मैसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी	6.16
5.	मैसर्स एस.सी.आई.सी.आई. लि.	11.33
6.	मैसर्स आई.डी.सी. आफ उड़ीसा लि.	6.44
7.	मैसर्स पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास नि. लि.	7.97
8.	मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	2.40
9.	मैसर्स कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम लि.	16.31
10.	मैसर्स तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि.	5.40
11.	मैसर्स महाराष्ट्र लघु उद्योग लि.	2.01
12.	मैसर्स पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम	1.80
13.	मैसर्स राजस्थान वित्त निगम	2.55
14.	मैसर्स बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वे. कारपो. लि.	7.20
15.	मैसर्स बिहार राज्य वित्त निगम	4.91

(ख) बकाया धनराशि ऐसे मामलों से संबंधित है, जो अपील के विभिन्न स्तरों पर विवादग्रस्त रहे हैं और अधिकांश मामलों में वसूली की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। चूँकि ऐसे अपीलों के निपटान में काफी अधिक समय लगता है, इसलिए बकाया धनराशि उन्हीं आधारों पर परवर्ती कर-निर्धारणों को पूरा करने के साथ ही बढ़ती जाती है। शेष मामलों में कर-निर्धारण माह मार्च, 1996 में

पूरे कर लिए गए थे और इसके परिणामस्वरूप जारी की गई मांग भुगतान/वसूली के लिए बकाया नहीं बनी थी।

(ग) बकाया धनराशि की वसूली एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। बकाया धनराशि की वसूली के लिए उठाए गए कदमों में कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा चल एवं अचल परिसम्पत्तियों की कुर्की शामिल हैं। जहां अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा वसूली स्थगित कर दी जाती है वहां इन्हें रद्द करवाने के उपाय किये जाते हैं। खासकर बड़े-बड़े मामलों में बकाया धनराशि की वसूली के कार्य पर सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

एशियाई विकास बैंक से गुजरात को ऋण

***492. डा. ए.के. पटेल :**

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशियाई विकास बैंक ने गुजरात को ऋण देने में रुचि दिखलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण राशि का क्षेत्रवार किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) इस समय एशियाई विकास बैंक ने "गुजरात सरकारी क्षेत्र संसाधन प्रबंध कार्यक्रम" के लिए संभव ऋण सहायता प्रदान करने में दिलचस्पी दिखाई है। ऋण राशि सहित विवरण, बातचीत को अंतिम रुप देने और करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ज्ञात होगा।

एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों यथा, गुजरात सरकारी क्षेत्र संसाधन प्रबंधन, गुजरात औद्योगिक निवेश निगम, गुजरात राज्य विद्युत क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए गुजरात सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धांततः सहमति दे दी है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बैंक निक्षेप से निवेश

***493. श्री नामदेव दिवाथे :**

प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धन के 18 प्रतिशत का राज्य में और 32 प्रतिशत का राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं पर निवेश किया जाता है;

(ख) इस संबंध में राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों को इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर लाने और कुल मिलाकर देश में स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बकाया जमाराशियां 44,014 करोड़ रुपए और अग्रिम 34,384 करोड़ रुपए थे जिनके कारण इसका ऋण जमा अनुपात (सीडीआर), अखिल भारत स्तर पर 54.2 प्रतिशत की तुलना में, 78.1 प्रतिशत था। किसी खास राज्य या क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात सिर्फ बैंक द्वारा किए गए प्रयासों पर ही नहीं बल्कि राज्य में ऋण खपत क्षमता, मूलभूत सहायता और समग्र नीतिगत सहित विभिन्न अन्य मदों पर भी निर्भर करता है। इसका राजयवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल और पांडिचेरी में कम ऋण जमा अनुपात के कारण का पता लगाने के लिए कृतिक बलों का गठन किया था। इन सभी राज्यों के कृतिक बलों ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं जिन पर संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) में इनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विचार-विमर्श किया गया है। ऋण खपत क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से, कृतिक बलों ने आमतौर पर मूलभूत सुविधाओं में सुधार, चकबंदी (जोतों के समेकन) बाजारों के विकास, रुग्ण औद्योगिक एककों का शीघ्र पता लगाने और उनके पुनर्वास, भूमि विकास, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने, लघु सिंचाई योजनाओं और सम्बद्ध क्रिया-कलापों का वित्तपोषण करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंकों से स्थिति में सुधर लाने के लिए विचार करने और उपयुक्त कदम उठाने हेतु विशेष बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया है जहां ऋण जमा अनुपात कम था और साथ ही जहां विशेष कृतिक बल गठित किए गए थे।

विवरण

मार्च 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए ऋण जमा अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण जमा अनुपात (%)
हरियाणा	42.0
हिमाचल प्रदेश	25.6
जम्मू व कश्मीर	23.4

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण जमा अनुपात (%)
पंजाब	39.9
राजस्थान	48.9
चण्डीगढ़	44.5
दिल्ली	50.0
अरुणाचल प्रदेश	16.5
असम	41.3
मणिपुर	73.9
मेघालय	13.7
मिजोरम	17.7
नागालैण्ड	25.7
त्रिपुरा	38.2
बिहार	28.9
उड़ीसा	51.0
सिक्किम	14.0
पश्चिम बंगाल	47.5
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	19.1
मध्य प्रदेश	49.9
उत्तर प्रदेश	32.1
गोवा	25.6
गुजरात	46.4
महाराष्ट्र	78.1
दादरा और नगर हवेली	22.0
दमन दीव	22.3
आंध्र प्रदेश	75.0
कर्नाटक	60.6
केरल	40.0
तमिलनाडु	85.1
लक्षद्वीप	9.6
पाणिचेरी	44.3
अखिल भारत	54.2

कोयले का आयात

***494. श्री शिवराज सिंह :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार और खानवार उन्नत किस्म के कोयले का अनुमानित भण्डार कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और खानवार कितना कोयला निकाला गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन्नत किस्म के कोयले की कितनी मात्रा का आयात हुआ और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(घ) देश में उन्नत किस्म के कोयले का प्रचुर मात्रा में भण्डार उपलब्ध होने के बावजूद, इसका आयात किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में कोयले का आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) कोयले के उत्पादन तथा उच्च ग्रेड के कोयले के भंडारों के संबंध में राज्यवार सूचना नीचे दी जा रही है; देश की 600 से अधिक खानों के संबंध में खान-वार इन आंकड़े को प्रस्तुत किया जाना अधिक मात्रात्मक स्वरूप का होता और इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया है:–

(1) 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण के अनुसार उच्च ग्रेड के देश में अकोककर कोयले के कुल भण्डार (ग्रेड-ए, बी एवं सी) और कोककर कोयले के भण्डारों का क्रमशः 24677.05 तथा 29812.39 मिलियन टन मूल्यांकन किया गया है। प्रत्येक राज्य में ऐसे भण्डारों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:–

(मिलियन टन में)

राज्य	कोयले के भण्डार (प्रमाणित तथा विनिर्दिष्ट)	
	उच्च ग्रेड का अकोककर कोयला (ग्रेड ए+बी+सी)	कोककर कोयला
पं. बंगाल	10929.45	1380.57
बिहार	2251.23	26493.71
मध्य प्रदेश	6930.71	1938.11
महाराष्ट्र	749.04	–
उड़ीसा	1120.97	–
आंध्र प्रदेश	2695.65	–
जोड़	24667.05	29812.39

(2) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:

(मिलियन टन में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	25.21	25.65	26.77
असम	1.20	1.19	0.82
बिहार	73.27	72.41	74.53
मध्य प्रदेश	72.86	75.12	79.76
महाराष्ट्र	20.45	21.00	22.02
उड़ीसा	24.30	27.32	32.70
उत्तर प्रदेश	12.14	13.70	14.80
पं. बंगाल	16.61	17.34	17.93
जोड़	246.04	253.73	270.13

(ग) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय में उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में आयातित किए गए विभिन्न प्रकार के कोयले की कुल मात्रा नीचे दर्शाई गई है:

(आंकड़े अनंतिम)

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन में)	कीमत (करोड़ रुपये में)
1993-94	7.51	1463.33
1994-95	11.39	2224.21
1995-96	13.23	3010.70

(घ) जबकि इस्पात संयंत्र कम राख वाले कोककर कोयले का आयात मुख्यत: मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तराल को पूरा किए जाने हेतु तथा प्रौद्योगिकी के कारणों से समग्र रुप में मिश्रण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु करते हैं अन्य आम तौर पर या तो कम राख वाले कोककर कोयले का अथवा विशेष किस्म के कोयले का जैसे एन्थ्रासाइट का आयात कर रहे हैं। कुछ सीमेंट संयंत्र और विद्युत गृह, जो कि पत्तनों के समीप स्थित हैं, वे भी अकोककर कोयले का आयात कर रहे हैं।

(ङ) कोककर कोयले तथा अकोककर कोयले का यथा-संभव रुप में देशीय उत्पादन में वृद्धि किए जाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

(i) नई खानों का खोला जाना तथा आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों की क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना, नई प्रौद्योगिकी को लागू किया जाना और आगत तथा संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता का समय पर सुनिश्चित किया जाना;

(ii) को.इ.लि. के पूंजीगत आधार पर पुनर्गठन किया गया है ताकि यह पूंजी बाजार से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटा सकें, जो कि नई कोयला उतपादन परियोजनाओं का वित्त-पोषण किए जाने हेतु अपेक्षित हैं;

(iii) रेलवे के साथ निरंतर आधार पर समन्वय रखा जाता है ताकि ऐसे कोयला क्षेत्रों में, जिनमें कि वृद्धात्मक उत्पादन को बढ़ाये जाने की संभावना है, उनमें परिवहन संबंधी कठिनाई दूर की जा सके;

(iv) निजी क्षेत्र की कंपनियां, जो कि लौह तथा इस्पात, सीमेंट और विद्युत के उत्पादन में कार्यरत हैं, उन्हें अपने सहयोग किए जाने हेतु कोयले का खनन किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे यह आशा है कि कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी।

(v) धुले कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने हेतु विद्यमान वाशरियों में संशोधन तथा नई वाशरियों का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में कोयला

***495. श्री दत्ता मेघे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में कोयला खानों में कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र सरकार को रायल्टी की कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कोयला आधारित कोई उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्थित कोयला खानों से किए गए कोयले के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	(मिलियन टन में)
1994-95	21.00
1995-96	22.82

(ख) वर्ष 1994-95 और वर्ष 1995-96 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र की सरकार को कोयले पर अदा की गई रायल्टी की राशि नीचे दर्शाई गई है:-

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1994-95	159.70
1995-96	217.90

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

बंद कोयला खानें

***496. श्री नवल किशोर राय :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी क्षेत्र में अनेक कोयला खानें बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से आज तक के दौरान राज्यवार कितनी कोयला खानें बन्द हुई;

(ग) इन खानों के बन्द होने के क्या कारण हैं और इसका कोयला उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में इन खानों को राज्य सरकारों को सौंपने और उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रथम चरण में ये कोयला खानें, किन-किन राज्य सरकारों को सौंपे जाने की संभावना है; और

(च) उक्त निर्णय को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इ.लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार को.इं.लि. तथा सिं.को.कं. लि. द्वारा वर्ष 1995-96 और अगस्त, 1996-97 तक की अवधि में बन्द की गयी खानों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	कोल इंडिया लि.	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी. लि.
1	2	3
पश्चिम बंगाल	8	-
बिहार	9	-
मध्य प्रदेश	8	-
महाराष्ट्र	2	-
जोड़	27	-
आंध्र प्रदेश	-	4
कुल जोड़	31 खानें	

(ग) कोयला खानों के भण्डारों का परिसमापन होने, जल-मग्न होने, सुरक्षा तथा प्रतिकूल आर्थिक और प्रौद्योगिकी-आर्थिक परिस्थितियों के कारण बन्द करना पड़ा था। इन कोयला खानों को बंद किये जाने के कारण कोयले के उत्पादन पर कोई विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान को.इ.लि. तथा सिं.को.कं. लि. द्वारा बन्द की गयी खानों को सौंपे जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

रियायती दर पर सूती धागे की बिक्री

***497. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हथकरघा विकास निगम के माध्यम से देश में हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर सूती धागा उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि नहीं, तो हथकरघा बुनकरों को यह धागा उपलब्ध कराने हेतु क्या अन्य व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या हथकरघा क्षेत्र के बदले विद्युतकरघा क्षेत्र को रियायती दर पर धागे की बिक्री किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि रियायती सूती धागे का लाभ हथकरघा बुनकरों को ही मिले।

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों को 15 रुपये प्रति किलो ग्राम की रियायत देकर 20 मिलियन किलो ग्राम सूती हैंक यार्न सप्लाई करने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना की घोषणा की थी। यह योजना हथकरघा शीर्ष/क्षेत्रीय प्राथमिक सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा विकास निगमों और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की गई। इस योजना को वर्ष 1995-96 के लिए भी बढ़ा दिया गया तथा आपूर्ति का लक्ष्य 20 मिलियन किलोग्राम रखा गया जबकि सब्सिडी की दर को बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया। भारत सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्यों पर सूती धागे की आपूर्ति करने के लिए मिल गेट मूल्य योजना भी कार्यान्वित कर रही है।

(ग) और (घ) सरकार के पास विद्युतकरघा क्षेत्र को इस रियायती दर पर धागे की बिक्री किये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रियायती सूती धागे का लाभ हथकरघा बुनकरों को ही मिले सरकार ने विभिन्न हथकरघा अभिकरणों माध्यम से पर्याप्त मात्रा में रियायती सूती धागा उपलब्ध करवाने और इसके मूल्यों में कड़ी निगरानी रखी हुई है।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

***498. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :**
श्री सनत मेहता :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों से कपास की कुल कितनी खरीद की गई है; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम ने इस खरीद की तुलना में कपास का कुल कितना निर्यात किया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) चालू वित्त वर्ष अर्थात 1995-96 (सितंबर-अगस्त) में कपास उगाने वाले विभिन्न राज्यों से भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की राज्य-वार खरीफ निम्नानुसार रही है:-

राज्य	(19.8.96 तक की स्थिति अनुसार) खरीदी गई मात्रा (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)
पंजाब	122388
हरियाणा	72783
राजस्थान	122958
गुजरात	231730
मध्य प्रदेश	223653
आंध्र प्रदेश	211291
कर्नाटक	23715
तमिलनाडु	2013
अन्य	5424
कुल	1015955

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा कपास का कुल निर्यात तथा खरीद निम्नानुसार रही हैं:-

वर्ष	खरीदी गई मात्रा (लाख गांट में- प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.)	निर्यात की गई मात्रा (लाख गांठ में- प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.)
1992-93	11,86	6.06
1993-94	7,76*	1.46
1994-95	8,43	0.085

* इसमें हथकरघा बुनकरों को वितरण करने के लिए हैंकयार्न का उत्पादन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन संघ से खरीदी गई 65,300 गांठें शामिल नहीं है।

विदेशी ऋण

***499. श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार द्वारा विदेशों/विदेशी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु कोई सीमा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विदेशी दाताओं से संघ सरकार द्वारा उधार ली जाने वाली राशि की सीमा नियत करने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संघ सरकार देश के आर्थिक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं से ऋण लेती है। तथापि, नए ऋणों पर करार करते समय देश के विदेशी ऋण भार तथा ऋण सोधन देयताओं का हमेशा ध्यान रखा जाता है।

सामान्य बीमा निगम की अलाभकारी शाखाएं

***500. श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम का विचार इसकी अलाभकारी अनुषंगी शाखाओं को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अलाभकारी शाखाओं में विलय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन्हें लाभकारी बनाने हेतु अन्य किन-किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण मजदूरों का बीमा

4425. श्री एन. एस. वी. चित्यन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलवे के निर्माण मजदूरों को भी बीमा सुरक्षा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों ने अब तक इस योजना को कार्यान्वित किया है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने मजदूरों का बीमा किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुकदमों का तेजी से निपटान

4426. श्री आई. डी. स्वामी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1996 के 'हिन्दुस्तान टाईम्स' में ''एस.सी. रुलिंग टू हेल्प स्पीडी ट्रायल्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु उक्त विनिर्णय को लागू करने के संबंध में राज्य सरकारों को निर्णय देने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन

4427. श्री नारायण अठावले : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोस्वामी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई कार्यवाही/लिए गए निर्णय/लिए जाने वाले निर्णय का ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग में राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) दिनेश गोस्वामी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें जिन्हें पहले ही पूर्णतया कार्यान्वित कर दिया गया है, संलग्न विवरण में दी गई हैं, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, इस समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में निर्वाचनों से पहले और संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दिनेश गोस्वामी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें, जिन्हें सरकार द्वारा पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है।

1. निर्वाचन आयोग का तीन-सदस्यीय निकाय के रूप में गठन।

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, की गई।

3. मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र जारी करना।

4. निर्वाचन में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग।

5. निर्वाचक नामावलियों, आदि के तैयार किए जाने के संबंध में शासकीय कर्त्तव्य के भंग के लिए दंड का बढ़ाया जाना।

6. राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 और धारा 3 के अधीन दोषी पाए गए व्यक्ति की निरर्हता।

7. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संप्रेक्षकों को कानूनी सहायता प्रदान करना और बड़ी संख्या में बूथों पर बलात् कब्जा करने के मामले में, निर्वाचन आयोग के विनिश्चिय के लंबित रहने तक, रिटर्निंग ऑफिसर को गणना या परिणाम की घोषणा रोकने का निदेश देने के लिए उन्हें सशक्त बनाना।

8. प्रतिभूति निपेक्ष में वृद्धि और स्वतंत्र अभ्यर्थियों की दशा में 10 प्रस्तावकर्ताओं की अपेक्षा अधिकथित करना।

9. किसी अभ्यर्थी के एक ही वर्ग के दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने पर निर्बन्धन।

10. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के नामों को मतपत्र में स्वतंत्र अभ्यर्थियों के नामों के ऊपर रखा जाना।

11. किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी की मृत्यु की दशा में निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट न किया जाना।

12. जनसभाओं पर प्रतिबंध से संबंधित उपबंध का संवर्धन जिससे कि मतदान के समापन के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले ठीक अड़तालीस घंटों के दौरान निर्वाचन संबंध अन्य तरीकों को प्रतिषिध किया जा सके।

13. जनसभाओं में व्यवधान के लिए दंड का बढ़ाया जाना और अपराध को संज्ञेय बनाना।

14. किसी मतदान केन्द्र के लिए या से किसी मतदाता के निःशुल्क प्रवहण के लिए किसी वाहन आदि का किराए पर लेने या प्राप्त करने के अपराध के लिए दंड का बढ़ाया जाना।

15. मतदान दिवस पर किसी मतदान केन्द्र में या उसके समीप सशस्त्र जाने पर, इसे निर्वाचन संबंधी अपराध बनाते हुए, प्रतिषिघ करना।

16. उस उपबंध की परिधि को बढ़ाना, जो मतदान केन्द्र से मतपत्र के हटाए जाने को अपराध बनाता है।

17. बूथों पर बलात् कब्जा करने के अपराध और उसके लिए दंड का भी बढ़ाया जाना और संज्ञेय अपराध बनाना।

18. (अ) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना के कर्मचारियों को मतदान दिवस पर वैतनिक अवकाश का दिया जाना।

(ब) मतदान के समापन के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटे के लिए मदिरा आदि की बिक्री वितरण पर प्रतिबंध।

19. उप निर्वाचनों का छह मास की अवधि के भीतर कराया जाना।

कपास का उत्पादन

4428. श्री सनत मेहता : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी एजेन्सियों जैसे वस्त्र-आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय तथा कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा चालू वर्ष में कपास के उत्पादन तथा खपत के बारे में परस्पर विरोधी आकलन के क्या कारण हैं; और

(ख) कपास व्यापार तथा कपास उत्पादकों पर आकलन में इतनी अधिक भिन्नता से क्या प्रभाव पड़ेगा?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार तथा साथ ही वस्त्र आयुक्त कार्यालय कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमानित किये गये कपास के उत्पादन के अनुमानों का अनुसरण करते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दुर्घटनाओं को टालने के लिए एहतियाती कदम

4429. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और अन्य राज्यों में मानसून से पूर्व कोयला खानों के जलमग्न होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या जलमग्नता संबंधी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर सी.आई.एल./आई.आई.एस.सी.ओ./आई.एस.सी.ओ. के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक कोयला खान को कोई नोटिस जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी खानों के क्या नाम है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) खानों के संभावित जलमग्न होने के एवज में एहतियाती उपायों के संबंध में व्यवस्था खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सांविधिकों तथा जारी किए मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत की जाती हैं। व्यक्तिगत रूप में खान प्रबंधकों की सांविधिक आवश्यकताओं तथा मार्ग निर्देशों का अनुपालन किए जाने हेतु निदेश दे दिए गए हैं और सख्ती से इस बात का सुनिश्चिय किए जाने को निर्देश भी दिए गए हैं कि उपर्युक्त का किसी खान में उत्खनन कार्य करते समय उल्लंघन न किया जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

औद्योगिक इकाइयों का अन्यत्र स्थापित किया जाना

4430. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से हटा कर पड़ोसी राज्यों में स्थापित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ये औद्योगिक इकाइयां मूलतः कहां स्थापित थीं और किन राज्यों में इन इकाइयों को स्थापित किया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में स्थापित की गई इन इकाइयों की संख्या और ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजधानी में भीड़-भाड़ कम करने के उपाय के एक भाग के रूप में चार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने अपने कार्यालय दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर लिए हैं। इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम और जिन स्थानों पर इन्हें स्थानान्तरित किया गया है, उनके नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जिन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने दिल्ली से बाहर अपने कार्यालय स्थानान्तरित कर लिए हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं:

क्रम. सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	जिस स्थान पर स्थानान्तरित किए गए
1.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	नोएडा (उत्तर प्रदेश)
2.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	भुवनेश्वर (उड़ीसा)
3.	आईबीपी कंपनी लिमिटेड	नोएडा (उत्तर प्रदेश)
4.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	फरीदाबाद (हरियाणा)

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4431. श्री ललित उरांव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है;

(ख) क्या इसके कारण हुई रिक्तियां भर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 31.3.95 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

1.	भारत कोकिंग कोल लि.	10417
2.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	307
3.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	शून्य
4.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	4650
5.	केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि.	1
6.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	138
7.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	5728
8.	इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्स्यूलेशन कंपनी लि.	181
9.	मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.	24
10.	माइका ट्रेडिंग कारपो. ऑफ इंडिया लि.	849
11.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.	363
12.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	461
13.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.	शून्य
14.	यूरेनियम कारपो. ऑफ इंडिया लि.	शून्य

(ख) से (घ) सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 5.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जिन उद्यमों में श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है, उनमें स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के परिणामस्वरूप रिक्त हुए पदों को नहीं भरा जाएगा।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ऋण

4432. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय विद्युत क्षेत्र को और ज्यादा ऋण देना बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक के साथ वार्ता करने तथा विद्युत क्षेत्र को और ज्यादा ऋण जारी करने के संबंध में आग्रह करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनी

4433. श्री एन. जे. राठवा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में आज तक कोई वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनी लगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राप्त हुये निर्यात आवेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसी और प्रदर्शनियां लगाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी हां। वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात में निम्नलिखित स्थानों पर 4 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया :

(1) अहमदाबाद

(2) भुज

(3) राजकोट

(4) महसाना

(1) अहमदाबाद: फाइन आर्ट्स स्कूल आफ इंटीरियर टैक्सटाईल डिजाईंस एण्ड फैशन डिजाईनिंग के लगभग 100 विद्यार्थियों ने व्यवहारिक कार्य में पहल करने तथा कार्यशाला में भाग लेने में अत्यधिक रुचि दिखाई।

(2) भुज : उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनकर सेवा केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा विकसित काशी शालों के लिए बुनाई की अदाई प्रणाली के प्रयोग का प्रदर्शन किया। भुज और माण्डवी के प्रिंटरों और वन्दनी विनिर्माताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा रंगाई और प्रिंटिंग की तकनीक सीखी।

(3) राजकोट : यह मुख्यत: एल इक्ट रेशम पटोला बुनाई क्षेत्र है। बुनकरों ने अम्ल रंजकों और वनस्पति रंजकों से शुद्ध रेशम की रंगाई में गहरी रुचि दिखाई।

(4) महसाना : भसरिया ग्रुप इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाईटी लि. के दस बुनकर सदस्यों को पांच-दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा विकसित अतिरिक्त चौड़ी चादरों की बुनाई की अदाई प्रणाली का कार्यशाला में प्रदर्शन किया गया।

(ग) इन प्रदर्शनियों का उद्देश्य इस क्षेत्र में इच्छुक व्यक्तियों को प्रदर्शन तथा लाभान्वित करने तथा साथ ही संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त जानकारी देना था।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार का वर्ष 1996-97 के दौरान बुनकर सेवा केन्द्र अहमदाबाद द्वारा गुजरात में 6 प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कोको का आयात

4434. श्री सौम्य रंजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने कोको का प्रति वर्ष आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या हाल के दिनों में कई कम्पनियों ने कोको के आयात में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोको के इस बढ़ी हुई आयात के कारण भारतीय उत्पादकों को घाटे में इसे बेचना पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके आयात को कम करने अथवा इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए विभिन्न प्रकार के कोको की मात्रा तथा मूल्य के आंकड़ें नीचे दिए गए हैं:

(मात्रा टनों में तथा मूल्य '000 रु. में

मद कोड	विवरण	1993-94		1994-95		अप्रैल, 95 से फरवरी, 96	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1801	कोको बीन, साबुत या टूटे हुए, कच्चा या भुना हुआ	220	9593	706	33567	1696	87789
1802	कोको छिलका, भूसी, झिल्ली और अन्य कोको अपशिष्ट	100	2027	500	10471	300	7367
1803	कोको पेस्ट, क्या उसमें से वसा निकाली गई है या नहीं	–	–	–	–	82	5996
1804	कोको मक्खन वसा और तेल	140	11281	–	–	445	56821

1	2	3	4	5	6	7	8
1805	कोको पाउडर, जिसमें वर्धित चीनी और अन्य मीठे पदार्थ शामिल नहीं हैं	3	124	222	917	92	2429
1806	चाकलेट और कोको युक्त अन्य भोजन सामग्री	4	787	10	4043	27	4113

(ख) और (ग) आयातों की कम्पनी-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) घरेलू विक्रेताओं द्वारा कष्टकरी बिक्री के बारे में कोई सूचना/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में बैंक शाखाएं

4435. श्री गिरधारी यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बैंकवार एवं स्थानवार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में प्रति वर्ष जमा की गई राशि का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकवार किसानों को कितनी ऋण राशि स्वीकृत/आवंटित की गई;

(घ) क्या इन बैंकों द्वारा ऋण वितरण संबंधी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निफ्ट केन्द्र

4436. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नालोजी का कोई और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष पहले से स्थापित 'निफ्ट' केन्द्रों के सुचारू कार्यकरण और रखरखाव हेतु केन्द्र-वार कितनी राशि खर्च की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) कुछ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) वर्ष 1995 में निफ्ट की जांच शाखाएं कलकत्ता, गांधी नगर, हैदराबाद, मद्रास तथा मुंबई में स्थापित की गई थीं। 1995-96 के वित्तीय वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में से प्रत्येक को सुचारू कार्यकरण तथा व्यवस्था के लिए किया गया व्यय प्रत्येक केन्द्र के नाम के सम्मुख नीचे दर्शाया गया है:

शाखा	लाख रु. में
कलकत्ता	73.00
गांधी नगर	70.00
हैदराबाद	78.00
मद्रास	80.00
मुंबई	83.50

[अनुवाद]

कमोडिटी स्विच स्कैप

4437. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1996 के "इकानामिक टाइम्स" में "कमोडिटी स्विच स्कैम कास्ट्स 150 मिलियन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के स्विच डील्स के कारण दुर्लभ मुद्रा आय में होने वाले अत्यधिक घाटे से उबरने तथा तत्कालीन सोवियत यूनियन के ऋण के भुगतान के मामले से निपटने के लिए इसको समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मामले से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। उक्त समाचार मद रूस को सूचित निर्यात खेप के संदर्भ में हैं जो ऋण पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत मसाले और काफी से संबद्ध है। इस संबंध में काफी बोर्ड ने सूचित किया कि इस आशय की शिकायत मिली है कि ऋण पुनर्भुगतान निधि के अंतर्गत रूस को काफी के निर्यात के जिस भाग की अनुमति दी गई थी वह रूस में जाने की बजाय अन्य देशों को महासागर (हाई-सी) पर भेज दिया गया। काफी बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने तत्काल आधार पर निम्नलिखित उपचारी उपाय किए हैं:-

(1) ऐसे सभी निर्यातक जिन्होंने 1.4.96 के बाद रूस को काफी की खेप भेजी है, से समरूप लैडिंग सर्टिफिकेट के साथ कस्टम क्लीयरेंस सर्टीफिकेट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

(2) निर्यातकों को यह चेतावनी भी दी गई है कि परमिट में दिए गए गंतव्य से अलग काफी को न भेजें;

(3) निर्यातकों से फिर अनुरोध किया गया कि बोर्ड द्वारा रूस को निर्यात के लिए उनको जारी किए गए शेष परमिट का उपयोग न करें जब तक उस पूरी मात्रा के लिए अवतरण प्रमाण (लैडिंग प्रूफ) प्रस्तुत नहीं किया जाता जिसके लिए निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत किया गया था।

(4) बोर्ड ने सभी बड़े पत्तनों और कस्टम प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि काफी बोर्ड की पूर्व क्लीयरेंस के बिना रूस को शिपमेंट की अनुमति न दें। लम्बित परमिटों की एक सूची के साथ निर्यात-वार ब्यौरा भी पत्तन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है।

(ख) से (ङ) भारत सरकार उस निर्यात खेप के अवैध विपणन की जांच के लिए प्रतिबद्ध है जो ऋण पुनर्भुगतान मार्ग के अंतर्गत रूस को भेजी जानी है। ऐसे विपणन से बचने के लिए सरकार निम्नलिखित उपायों पर विचार कर रही है:

(1) कस्टम बाडिंड गोदामों से खेप के माध्यम से निर्यात;

(2) कस्टम संबंधी मामलों में सहयोग के लिए भारत तथा रूस के बीच कस्टम एग्रीमैंट का निश्चय; और

(3) संतोषजनक अवतरण प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए रूस से आग्रह।

बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि बोर्ड अब से परमिटों तथा मूल के प्रमाण-पत्र पर विनिर्दिष्ट कर रहा है कि गंतव्य देश अन्य गंतव्य देश से परिवर्तनीय नहीं है जिसके लिए परमिट जारी किया गया है। बोर्ड ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि निर्यातक सभी निर्यातों के लिए अवतरण प्रमाण-पत्र के साथ-साथ कस्टम क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे जो ऋण पुनर्भुगतान मार्ग के अंतर्गत रूस को किया जाएगा।

इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड

4438. श्री मधुकर सर्पोतदार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड के गठन को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा उक्त फंड के कार्यकलापों का स्वरूप क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ख) इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड (आई.बी.ई.एफ.) का न्यास विलेख 11.7.1996 को पंजीकृत किया जा चुका है। यह फंड स्थापित करने के पीछे मूल विचार ब्रांड निर्माण निर्यात संवर्धन नीति विकसित करना है ताकि अपेक्षाकृत कम समय में अधिकतम मात्रा में निर्यात किए जा सके। ये फंड विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रांडों तथा उत्पादों के संवर्धन के लिए कार्य करेगा।

यह फंड पूरे तौर पर भारत को तथा मोटे तौर पर उत्पादन क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन संबंधी कार्य करने का जिम्मा लेगा तथा ऐसे ब्रांड विशेष को सहायता देगा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता तथा निष्पादन मानक हैं और ऐसे घरेलू जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों को सहायता देगा जो गुणवत्ता और ऊंचे व्यापारिक नीतिपरक निर्देशन में तैयार किए गए हैं।

भारी उद्योग परियोजनाएं

4439. श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में राज्यों में भारी उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये उद्योग राज्यवार कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस समय राज्यों में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एम.पी.ई.डी.ए. के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल/आंदोलन

4440. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के कर्मचारियों द्वारा हाल में कोई हड़ताल/आंदोलन किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली) : (क) से (ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) अधिकारी संघ के सदस्य तथा एम्पीडा स्टॉक एसोसिएशन के कर्मचारी न्यूयार्क में एम्पीडा के व्यापार संवर्धन कार्यालय में निवासी निदेशक के रूप में एम्पीडा के बाहर की सेवाओं के अधिकारी की तैनाती के सूचित किए गए प्रस्ताव के विरुद्ध आंदोलन करते रहे हैं। उनकी यह इच्छा थी कि एम्पीडा के अधिकारियों में से इस पद तथा निदेशक के पद के लिए चयन किया जाना चाहिए जो शीघ्र ही रिक्त होने वाला है। अब तक इस मामले में सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

ब्रिटेन से पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध

4441. श्री मोहन रावले : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुनिया के बहुत से देशों ने ब्रिटेन में फैली गाय की बीमारी (बोविन स्पौनजीफार्म इनसेफैलोपेथी) के कारण वहां से पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई एहतियाती उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां। एक मुख्य व्यापारिक ब्लाक अर्थात् यूरोपीय समुदाय ने ब्रिटेन के पशुओं के सभी मांस उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। किसी भी पशु मूल वाले चर्बी, वसा/तेल इत्यादि के आयात की अनुमति नहीं है और निर्यात और आयात नीति के अंतर्गत आयातों की निषेधात्मक सूची में इन्हें प्रतिबंधित मदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यू.के. और अन्य देशों में बोवीन स्पोंजीफार्म एनसेफालोपैथी (बी.एस.ई.) की घटना को देखते हुए सरकार ने इन उत्पादों/मदों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए और उपाय किए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये बी.एस.ई. से मुक्त स्वस्थ जानवरों से प्राप्त किए गए हैं।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में संशोधन

4442. श्री सुशील चन्द्र : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का है ताकि निर्णयों, न्यायिक प्रणाली की आलोचना करने की अनुमति और इस प्रणाली को स्वस्थ और भ्रष्टाचार मुक्त करने की व्यवस्था की जा सके;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संशोधन के लिए संसद में कब तक विधेयक पेश किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो न्यायिक प्रणाली को स्वस्थ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) न्यायिक प्रणाली को स्वस्थ और शुद्ध बनाने के लिए विद्यमान विधि पर्याप्त है।

यूरो/जी. डी. आर. इश्यू

4443. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों को यूरो और जी.डी.आर. इश्यू में भागीदारी से कुल कितनी राशि (रुपए और डालर में) प्राप्त हुई;

(ख) ऐसे इश्यू पर औसत ब्याज दर कितनी है;

(ग) क्या यूरो और जी.डी.आर. इश्यू से प्राप्त अधिकांश राशि का उपयोग ऐसे घरेलू उधार का पूर्व भुगतान करने में किया जा रहा है जिस पर ब्याज दर अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा यूरो इश्युओं (सार्वभौम निक्षेप प्राप्तियां और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड) के जरिए डालरों और रुपए में जुटाई गई समकक्ष राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	समकक्ष राशि (करोड़ रुपए में)
1993-94	2500.00+ 20 मिलियन स्विस फ्रैंक	7868.00
1994-95	1991.63	6248.16
1995-96	616.25	2156.88

(ख) दिनांक 19.6.96 के यूरो इश्यू संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की समग्र आंतरिक लागत तदनुरुपी ऋण प्रपत्रों* (विदेशी वाणिज्यिक ऋण) से बहुत बेहतर होनी चाहिए। भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए तथा अमरीकी डालर में मूल्यांकन विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों पर ब्याज दरें 2.25 प्रतिशत से 7.8 प्रतिशत के बीच रही है।

(ग) और (घ) यूरों इश्युओं के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 19.6.96 के दिशा निर्देशों के अनुसार, कंपनियां यूरो-इश्यू से हुई प्राप्तियों का अधिक से अधिक 25 प्रतिशत हिस्सा सामान्य कार्पोरेट पुनर्संरचना के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें कार्यकर पूंजी संबंधी अपेक्षाएं शामिल हैं और जिसके अंतर्गत अधिक खर्च के देशीय उधार के भुगतान आते हैं।

जन-हित याचिकाएं

4444. डा. बल्लभ भाई कठीरिया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन हित याचिका दर्ज करने संबंधी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और ऐसी याचिका न्यायालय द्वारा किन आधारों पर ग्रहित की जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश के विभिन्न न्यायालयों में कितनी जन-हित याचिकाएं दर्ज की गई; और

(ग) कितनी याचिकाएं स्वीकार की गई और न्यायालयों द्वारा इन याचिकाओं के संबंध में क्या निर्णय दिए गए?

विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चाय के मूल्य में वृद्धि

4445. श्री एस. पी. जायसवाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चाय के मूल्य की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) यद्यपि भारतीय नीलामियों में चाय की औसत नीलामी कीमतों में जनवरी-जुलाई, 1996 के दौरान 1995 की उसी अवधि की तुलना में 8.66% की वृद्धि हुई है, तथापि चालू वर्ष के प्रथम 6/7 महीनों के दौरान उपभोक्ता की पसन्द की मध्यम प्रकार के चायों की खुदरा कीमतों में वृद्धि दर्ज नहीं हुई है।

(ख) और (ग) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान कीमतों के गिरे हुए स्तर की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान चाय की नीलामी कीमतों में ममूली उपलब्धि बेहतर माँग के कारण हुई है। कीमतों को रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का विचार नहीं किया गया है क्योंकि कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है। तथापि, चाय बोर्ड नीलामी और खुदरा दोनों स्तरों पर चाय कीमतों की लगातार मानीटरिंग करता है।

[अनुवाद]

असम में औद्योगिक पार्क

4446. श्री केशव महन्त : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में विशेषत: असम के संदर्भ में कोई औद्योगिक पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त औद्योगिक पार्क में असम सरकार का कोई हिस्सा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। अब तक गुवाहाटी के समीप अमीनगांव (असम), धनदारी कलां (पंजाब), अम्बरनाथ (महाराष्ट्र), काकन्द (केरल), बाद्दी (हिमाचल प्रदेश), सीतापुर (राजस्थान), हूडी (कर्नाटक), कुण्डली (हरियाणा), सूरजपुर (उ.प्र.) गोमीडीपुंडी (तमिलनाडु), पशमीलारम (आंध्र प्रदेश), सावली (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), विरनीहाट (मेघालय), सिपा (माध्य प्रदेश), भुवनेश्वर (उड़ीसा) तथा साम्बा (जम्मू तथा कश्मीर) में स्थापित किये जाने के लिए 18 निर्यात उन्नयन औद्योगिक पार्कों का अनुमोदन किया गया है।

(ग) और (घ) असम सरकार के परियोजना प्रस्तावं के अनुसार निर्यात उन्नयन औद्योगिक पार्कों को निम्न प्रकार से वित्त पोषित किया जाना है:-

भारत सरकार अनुदान	10.00 करोड़ रु.
असम सरकार/असम औद्योगिक विकास निगम	4.62 करोड़ रु.

बैंकिंग सेवा में लिपिकों हेतु परीक्षा

4447. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग, सेवा भर्ती बोर्ड, दिल्ली और लखनऊ दोनों ने लिपिकों आदि के पदों के लिए समान परीक्षा तिथि अर्थात 16 दिसम्बर, 1996 निर्धारित्र किया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश उम्मीदवार दोनों ही परीक्षाओं में बैठ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो दोनों बोर्डों द्वारा परीक्षा की समान तिथि निर्धारित करने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन उम्मीदवारों, जो दोनों बोर्डों द्वारा ली जा रही परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं के हितों की सुरक्षा हेतु किसी एक बोर्ड की तिथि में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां। तथापि, परीक्षा की समान तारीख 15.12.1996 है, न कि 16.12.1996।

(ख) से (ङ) सरकार ने नवम्बर, 1990 में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों (बी.एस.आर.बी.) को, अन्य बातों के साथ-साथ, सलाह दी थी कि जहां तक संभव हो बी.एस.आर.बी. द्वारा विभिन्न संवर्गों के लिए परीक्षाएं समान तारीखों को आयोजित की जाएं।

तथापि, सराकर ने इस मामले पर पुनर्विचार करने का निर्मय लिया है। पुनर्विचार होने तक, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को सलाह दी गई है कि 15.12.1996 को निर्धारित की गई लिपिकीय परीक्षाएं विभिन्न तारीखों को ली जाएं।

[हिन्दी]

"हार्ड कोक" भट्टी और संयंत्र

4448. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 में देश में कुल कितनी हार्ड कोक भट्टियां और संयंत्र थे और हार्ड कोक के उत्पादन के लिए उस समय कितने कोयले की आवश्यकता थी;

(ख) इस समय कितनी भट्टियां और संयंत्र चालू हालत में हैं और हार्ड कोक के उत्पादन के लिए कितने कोयले की आवश्यकता होती है;

(ग) 1982-83 के दौरान इन भट्टियों और संयंत्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत थे और इस समय इनमें कितने कमर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या पहले इन भट्टियों और संयंत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कार्यों में लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वे किन-किन कार्यों में लगाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयला कंपनियों द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना पद्धति 1982-83 में देश में हार्ड कोल ओवन (भट्ठों) और संयंत्रों की संख्या के संबंध में और उस वर्ष इनके द्वारा अपेक्षित कोयले की मात्रा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं करती है।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अभी 176 ऐसे संयंत्र को.इ.लि. के स्रोतों से कच्चा कोयला प्राप्त कर रहे हैं। इन संयंत्रों की मासिक आवश्यकता लगभग 4 लाख टन की है।

(ग) से (ङ) कोयला कंपनियों ने 1982-83 में अथवा यहां तक कि वर्तमान में भी देश में विभिन्न हार्डकोक भूट्टों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान में समपूर्ण देश में फैले लघु और मध्य क्षेत्रों में 176 से अधिक कोक भट्ठा यूनिटें कार्यरत हैं। इन कोक भट्ठा संयंत्रों के कर्मचारियों के संबंध में किसी सूचना का रख रखाव कोयला कंपनियों द्वारा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

डाकघरों में आवर्ती जमा

4449. श्री एस. अजय कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर के आवर्ती जमा संग्रहकर्त्तओं को कमीशन के रूप में राज्य-वार और आज तक कुल कितनी बकाया राशि का भुगतान किया गया है; और

(ख) बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) डाक घर के आवर्ती जमा संग्रह कर्ताओं (एम.पी.के.बी.वाई. एजेंटों) को कमीशन

के रूप में भुगतान किए जाने वाले समस्त बकाया का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) बकाया के समाशोदन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं;

(1) बैंक ड्राफ्ट जारी किए जाने की पूर्व प्रणाली के स्थान पर क्षेत्रीय निदेशकों को एजेंटों को 5000/रुपए तक के आउटस्टेशन चैंक जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाना,

(2) राष्ट्रीय बचत आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय निदेशकों को अधिकतम 8 सप्ताह के भीतर त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देशों का सैट जारी किया जाना,

(3) एम.पी.के.वी.वाई. एजेंटों के लिए कमीशन दावों के त्वरित कार्यवाही करने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए देश भर में एक दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना। कार्यक्रम देशभर में सभी क्षेत्रीय निदेशकों तथा उप क्षेत्रीय निदेशकों के मुख्यालयों में 2.9.1996 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

विवरण

31.7.1996 की स्थिति के अनुसार एम.पी.के.वी. वाई. एजेंटों के राज्य-वार लम्बित कमीशन दावे

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कमीशन की राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	380
2.	असम	29
3.	बिहार	6
4.	दिल्ली	62
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	213
7.	हरियाणा	69
8.	हिमाचल प्रदेश	26
9.	जम्मू एवं कश्मीर	अनुपलब्ध
10.	कर्नाटक	9
11.	केरल	203
12.	मध्य प्रदेश	85
13.	महाराष्ट्र	437
14.	उड़ीसा	5
15.	पंजाब	75
16.	तमिलनाडु	20
17.	त्रिपुरा	9
18.	मणिपुर	अनुपलब्ध
19.	राजस्थान	511
20.	मेघालय	अनुपलब्ध
21.	उत्तर प्रदेश	18
22.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	8
	जोड़	2166 (लगभग)

रोजिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाना

4450. श्री चमन लाल गुप्तः
श्री नारायण अठावले :
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना विद्युत के संचालित कुटीर और लघु उद्योगों के रोजिन इकाइयों पर लगाये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विभिन्न संगठनों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदन में उल्लिखित विभिन्न टिप्पणियों/मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाये जाने के पश्चात् उक्त लघु उद्योगों से कितनी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली हुई है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 के बजट में बिजली की सहायता के बिना विनिर्मित रोजिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट समाप्त कर दी गई थी और ऐसे रोजनि पर 20 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया गया था। सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि बिजली की सहायता के बिना विनिर्मित रोजिन पर उत्पाद शुल्क छूट समाप्त करने में ऐसी इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन पर विचार किया जा रहा है।

(घ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 की अवधि के दौरान बिजली की सहायता के बिना रोजिन का विनिर्माण करने वाली इकाइयों से प्राप्त शुल्क (अनंतिम) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1994-95	1.20 करोड़ रुपए
1995-96	1.07 करोड़ रुपए

कच्चे तेल पर आयात शुल्क

4451. श्री के. एस. रायडू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के अधिकारियों तथा भारतीय तेल निगम ने कच्चे तेल की आयात लागत कम करने हेतु कच्चे तेल के आयात शुल्क में और अधिक कमी करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

कम्प्यूटर और साफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहन

4452. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का डाटा प्रोसेसिंग सहित कम्प्यूटर और साफ्टवेयर के क्षेत्र में विकसित देशों में निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कोई संगठन कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) इलैक्ट्रानिक और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् इलैक्ट्रानिक और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में निर्यात का संवर्धन करती है। परिषद् सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।

[हिन्दी]

कागज की मांग/आपूर्ति

4453. श्री सोहन बीर : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कागज की कितनी मांग और आपूर्ति होती है;

(ख) देश में राज्य-वार स्थापित की गई कागज मिलों और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कागज के उत्पदन के लिए अपेक्षित कच्चा माल देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में छोटी कागज मिलें स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में सामान्य किस्म के पेपर तथा पेपर बोर्ड की वार्षिक मांग और उत्पादन लगभग 28 लाख टन है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हालांकि लकड़ी आधारित कच्चे माल की कमी है, फिर भी शर्करा तथा कृषि आधारित अवशेषों जैसे गैर-परम्परागत कच्चे माल की जो देश में पेपर तथा पेपर बोर्ड के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई कमी नहीं है।

(घ) और (ङ) पेपर उद्योग को जुलाई, 1991 से आंशिक रूप से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। कृषि आधारित अवशेष इत्यादि जैसे गैर-परम्परागत कच्चे माल से कम से कम 75 प्रतिशत लुगदी के प्रयोग पर आधारित पेपर एककों को औद्योगिक लाइसेंस से छूट दी गई है। उद्यमियों को नये उपक्रम स्थापित करने तथा उसके पर्याप्त विस्तार के लिए औद्योगकि स्वीकृति सचिवालय को केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। 25 प्रतिशत से अधिक लकड़ी आधारित कच्चे माल का प्रयोग करने वाली पेपर एककों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पेपर मिलों की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (मी.टन/वार्षिक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	19	4,26,620
2.	असम	4	1,88,000
3.	बिहार	9	99,000
4.	गुजरात	55	3,69,199
5.	हरियाणा	18	1,54,860
6.	हिमाचल प्रदेश	15	68,800
7.	जम्मू और कश्मीर	1	3,300
8.	कर्नाटक	17	2,06,570
9.	केरल	4	36,650
10.	मध्य प्रदेश	18	2,49,750
11.	महाराष्ट्र	63	6,24,170
12.	नागालैण्ड	1	33,000

1	2	3	4
13.	उड़ीसा	8	2,41,572
14.	पंजाब	23	1,94,480
15.	राजस्थान	8	48,850
16.	तमिलनाडु	24	2,17,372
17.	उत्तर प्रदेश	68	3,36,365
18.	पश्चिम बंगाल	22	2,65,530
19.	चंडीगढ़	1	3,000
20.	पांडिचेरी	1	9,000
	कुल	379	37,76,088

[अनुवाद]

ऋण माफ करने संबंधी योजना

4454. श्री सुरेश प्रभु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण माफ करने की योजना के कारण धन प्राप्त नहीं होने के संबंध में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन देने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें कितनी धनराशि निहित है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सम्भवतः, माननीय सदस्य का आशय कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत (एआरडीआर) योजना, 1990 से है। भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि अब सभी बैंकों के दावों का निपटारा कर दिया गया है।

सभी बैंकों के दावों का अंतिम निपटारा करते समय, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) और राज्य भूमि विकास बैंकों (एस.एल.डी.बी.) के दावों का निपटारा जहां कहीं दावों में दण्डस्वरूप ब्याज सम्मिलित किया गया है, कुल अनंतिम दावों के 5% की मानक कटौती करने के बाद किया जाए। तदनुसार, अंतिम निपटारे किए गए हैं। तथापि, कुछ एस सी बी और एस एल डी बी ने मानक कटौती के बारे में सरकार से सम्पर्क किया था परन्तु यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे दावों पर विचार न किया जाए।

[हिन्दी]

भारी इंजीनियरिंग निगम

4455. श्री राम टहल चौधरी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम (एच.ई.सी.) लि. की बिगड़ती वित्तीय हालत से अवगत है;

(ख) क्या उक्त मिल बंद होने के कगार पर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मिल को बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) बिहार में रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच.ई.सी.) पिछले काफी समय से अपनी लगातार हानियों के कारण वित्तीय कठिनायों का सामना कर रही है।

(ख) से (घ) बी.आई.फ.आर. ने 26.8.96 को हुई अपनी सुनवाई के दौरान एच.ई.सी. की सुधार स्कीम को स्वीकृति दे दी है। साथ ही, सरकार अपनी बजटीय सीमाओं के भीतर कंपनी को वित्तीय सहायता दे रही है।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात

4456. श्री ई. अहमद : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के दौरान इलैक्ट्रानिक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और इससे संबंधित सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल बुल्ली रमैया): (क) से (ग) जी, हां। इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और इससे संबंधित सेवाओं के निर्यात, प्रतिशत वृद्धि और अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण नीचे दिया गया है:

(मूल्य : करोड़ रु. में)

निर्यात (करोड़) रु. में		
1994-95	1995-96 (अ.)	प्रतिशत वृद्धि
3808	6375	67.41%

(स्रोत : इलैक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद्)

अ. : अनुमानित

संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अनारक्षण

4457. श्री बी. एल. शंकर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण देश में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और अनारक्षण का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) कब तक इन्हें लागू कर दिया जाएगा?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युतकरघा

4458. श्री नंद कुमार सिंह चौहान:
श्री कल्लप्पा आवाडे:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतकरघा क्षेत्र में धोती और कुछ अन्य प्रकार के कपड़ों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्युतकरघा उद्योग और इसमें कार्यरत लाखों श्रमिकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने कुछ किस्मों की धोतियों तथा कुछ विनिर्देशनों तथा विवरण वाली कुछ अन्य मदों को हथकरघा उद्योग का संरक्षण तथा विकास करने के लिए हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से हथकरघा क्षेत्र में ही उत्पादन करने के लिए आरक्षित किया है। आरक्षित मदों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। हथकरघा उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे विद्युतकरघा सेवा केन्द्र, कम्प्यूटर सहायता डिजाईन केन्द्र, विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद को खोलना तथा विद्युतकरघा कामगारों और बुनकरों के लिए बीमा योजना क्रियान्वित करना।

विवरण

1. साड़ी
2. धोती
3. तौलिये, गमछा तथा अंगवस्त्रम
4. लुंगी
5. सेस, बैडशीट, बैडकवर, काउंटरपेन, फर्निशिंग (दीवालदारी, अपहोल्स्ट्री सहित)
6. जमक्कलन करी अथवा गलीचे
7. ड्रैस मेटीरियल
8. बैरक कम्बल, कम्बल अथवा कम्बलियां
9. शाल, लोई, मफलर, पंखो आदि
10. वूलन ट्विड
11. चद्दर, मेसल/फनेक

मध्य प्रदेश में संयुक्त उद्यम की इकाइयां

4459. श्री देवी बक्स सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की संयुक्त उद्यम की कितनी इकाईयां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस जनजातीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए कोई कार्य योजना बनाने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा देय बकाया राशि

4460. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री सनत मेहता :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को-आप्रेटिव काटन फेडरेशन द्वारा कपास की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को 11.70 करोड़ रुपये देने हैं;

(ख) क्या इससे गुजरात में कपास उत्पादक सहकारिताओं तथा कपास पैदा करने वाले किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात राज्य को-आप्रेटिव काटन फेडरेशन की बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने क्या कदम उटाये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) 31-3-1996 तक की स्थिति अनुसार एन.टी.सी. को गुजरात राज्य सहकारी कपास परिसंघ को कपास की खरीद के लिए 15.44 करोड़ रु. की राशि का भुगतान करना पड़ा।

(ख) और (ग) क्योंकि एन.टी.सी. मिलों द्वारा उधार पर कपास की खरीद की जाती है, इसलिए किसी भी निश्चित समय पर हमेशा ही कुछ न कुछ बकाया देय राशि का होना स्वाभाविक है। एन.टी.सी. कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण सभी देय बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ है। ऐसी आशा है कि एन.टी.सी. देय बकाया राशि का भुगतान कर देगा जोकि कार्यशील पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर है।

निर्यात संबंधी बिलों का निपटान

4461. श्री अशोक प्रधान :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों को निपटान न किये गये बिलों के कारण भारी मात्रा में रुकी पड़ी विदेशी मुद्रा की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की वसूली की जाएगी; और

(ग) इस संबंध में चूक कर्त्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाद

4462. श्री भक्त चरण दास : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों विवादों के निपटान हेतु वैकल्पिक विवाद निवारण सेवा की स्थापना तथा उसे बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने भारत में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शीघ्र समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया को संप्रवर्तित करने की आवश्यकता का समर्थन किया है।

(ग) सरकार ने भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान आन्दोलन को संप्रवर्तित करने के लिए, माध्यस्थम् और सुलह संबंधी नई विधि का अधिनियमन, लोक अदालतों को कानूनी स्तर प्रदान करना और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का प्रवृत्त किया जाना, आदि जैसे अनेक उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा

4463. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मार्च, 1996 तक का कुल घाटा उन उपक्रमों में निवेशित कुल पूंजी से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें कितना पूंजी-निवेश किया गया है तथा प्रत्येक उपक्रम में कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें अधिकांश रूप से सक्षम बनाकर उनके पुनरुद्धार के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे सभी उपक्रमों में अप्रैल, 1996 तक कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) 31.3.95 तक की अवधि के लिए प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, जिनकी संचयी हानियां नियोजित पूंजी से अधिक हैं, उनमें निवेशित पूंजी और संचयी हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) औद्योगकि रूप से रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन पैकेज तैयार करने के लिए उन्हें बी

आई एफ आर के विचारार्थ भेजा गया है। रुग्ण गैर-औद्योगिक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से पुनरुद्धार पैकेज तैयार करते हैं।

(ङ) ऐसे सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या भी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान निवेशित पूंजी से अधिक संचयी हानियां दर्शाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची और उनमें कार्यरत कर्मचारियो की संख्या

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	संचयी हानियां	पूंजी निवेश	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु. कारपो. ऑफ इंडिया	3271	1082	546
2.	असम अशोक होटल निगम लि.	180	85	84
3.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	6779	731	1171
4.	बंगाल इम्युनिटी लि.	5925	372	1136
5.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.	4468	1649	501
6.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	20558	1322	6607
7.	भारत इम्युनोलॉजिकल एण्ड बायोलॉजिकल कारपो. लि.	161	514	139
8.	भारत लेदर कारपो. लि.	1102	80	155
9.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.	11585	7340	466
10.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.	9013	5802	518
11.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.	10268	634	1786
12.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	8478	3427	2954
13.	बीको लॉरी लि.	2726	1741	951
14.	बर्डस, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.	1110	194	212
15.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	15903	6549	3743
16.	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन लि.	1522	477	159
17.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	22468	1519	5981
18.	ब्रुशवेयर लि.	20	11	57
19.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	30293	11284	11139

1	2	3	4	5
20.	कानपुर टैक्सटाईल्स लि.	4582	1600	1316
21.	सीमेंट कारपो. ऑफ इंडिया लि.	52716	18740	6218
22.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	30845	913	1722
23.	कोल इँडिया लि.	24627	109717	7206
24.	कोचीन शिपयार्ड लि.	17978	16016	2513
25.	भारतीय साईकिल निगम लि.	25433	11572	1778
26.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि.	3381	1017	387
27.	इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपो. लि.	3074	1664	395
28.	एल्गिन मिल्स कंपनी. लि.	35252	18776	4035
29.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	64599	44185	753
30.	भारतीय उर्वरक निगम लि.	248433	93599	8125
31.	भारी इंजीनियरी निगम लि.	96041	15321	12275
32.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.	262365	160787	8853
33.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	77831	12744	3613
34.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कारपो. लि.	21853	1893	3127
35.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	1182	753	855
36.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	73089	16505	5447
37.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	62982	33075	16229
38.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	6252	490	1388
39.	भारतीय होटल निगम लि.	7904	1782	3884
40.	इस्को उज्जैन पाईप एण्ड फाउण्ड्री कं. लि.	1138	860	289
41.	इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सूलेशन कं. लि.	1925	663	924
42.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	59215	9122	7940
43.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील लि.	89897	13685	31098
44.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि.	36004	16978	180
45.	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि.	110	28	16
46.	जेसप एण्ड कंपनी लि.	20843	8303	5579

1	2	3	4	5
47.	जूट कारपो. ऑफ इंडिया लि.	4066	927	1869
48.	कोंकण रेलवे कारपो. लि.	373	4474	2158
49.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.	14956	9576	815
50.	माइका ट्रेडिंग कारपो. आफ इंडिया लि.	2918	1107	533
51.	खनिज गवेषण निगम लि.	3728	3354	3931
52.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	35815	11455	4456
53.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लि.	36479	23914	805
54.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लि.	11940	5170	687
55.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	12602	4057	3504
56.	नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि.	11503	6695	895
57.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.	54095	3288	30050
58.	नेशनल टेक्सटाईल कारपो. लि.	675	2830	1206
59.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	452	340	162
60.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.	1107	277	71
61.	नेंटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.	28642	503	11608
62.	नेंटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.	17979	3021	7124
63.	नेंटेका (गुजरात) लि.	44906	13303	7093
64.	नेंटेका (मध्य प्रदेश) लि.	40872	12500	11974
65.	नेंटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.	46348	11005	10277
66.	नेंटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.	41105	10778	12488
67.	नेंटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	48891	10419	11860
68.	नेंटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा (लि.)	62951	16131	10346
69.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.	406	48	89
70.	प्रोजेक्ट् एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.	12297	3190	2748
71.	आर.बी.एल. लि.	1023	370	254
72.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.	147	107	55
73.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	13905	1439	4353

1	2	3	4	5
74.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.	27442	16832	1466
75.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	10836	4406	1778
76.	स्कूटर्स इंडिया लि.	56383	37974	2049
77.	स्कूटर्स इंडिया (इंटरनेशनल) जीएमबीएच पश्चिम जर्मनी	9	1	1
78.	स्मिथ स्ट्रेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	4294	30	623
79.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	21290	11898	1482
80.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि.	2394	144	4028
81.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	8253	1887	1467
82.	टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	18816	4703	2344
83.	यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	1245	282	347
84.	उत्कल अशोक होटल निगम लि.	250	19	55
85.	वायुदूत	15924	5454	1661
86.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि.	828	405	217
87.	वेबर्ड (इंडिया) लि.	2319	1094	188

[अनुवाद]

मताधिकार रहित शेयर

4464. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनियों को अपनी कुल पूँजी के 25% को मताधिकार रहित शेयर के रूप में जारी करने संबंधी अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका विदेशी संस्थागत निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार का प्रस्ताव है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जाए ताकि यह व्यवस्था हो सके कि कम्पनियां मताधिकार वाली अपनी निर्गत इक्विटी शेयर पूँजी के 25% से अनधिक गैर मतदान वाले शेयरों को जारी कर सकें। इस मानदण्ड से भारतीय कम्पनियों को संप्रवर्तकों के नियंत्रक हित को कम किए बिना अपनी परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए निधियों को जुटाने के लिए एक सामर्थ्यकारी तंत्र की व्यवस्था हो सकेगी।

गैर-मतदान वाले शेयरों पर मताधिकार वाले शेयरों के मुकाबले लाभांश की दर अधिक होगी। अधिक आय का लाभ विदेशी संस्थागत निवेशकों, जो इस लिखत के जरिए निवेश करना चाहेंगे, सहित सभी निवेशकों को प्राप्त होगा।

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

4465. श्री भक्त चरण दास :क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के नौपारा तथा कालाहांडी जिला स्थित सरकारी उपक्रमों के बारे में विशेष उल्लेख सहित उन केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान निवेश में गिरावट आई है;

(ख) क्या इन उपक्रमों की क्षमता तथा मुनाफे में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उपक्रमों की क्षमता तथा मुनाफे में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित पांच उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा में अवस्थित हैं:

1. महानदी कोलफील्ड्स लि., सम्बलपुर
2. नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
3. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि., भुवनेश्वर
4. पारादीप फास्फेट्स लि., भुवनेश्वर
5. उत्कल अशोक होटल निगम लि., भुवनेश्वर

उत्कल अशोक होटल निगम लि. को छोड़कर उक्त उद्यमों में विगत तीन वर्षों के दौरान सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में कोई कमी नहीं आई है। उत्कल अशोक होटल के मामले में वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1994-95 में सिर्फ दो लाख रुपये की मामूली कमी आई है।

(ख) से (घ) इन उपक्रमों में क्षमता उपयोग तथा इनके लाभ/हानि से संबंधित ब्यौरा दिनांक 19.7.96 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1994-95 (अंग्रेजी संस्करण) के खण्ड-1 के विवरण संख्या 23 और 7-क एवं 7-ख में क्रमानुसार दिया गया है।

तीन उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया है तथा दो उपक्रमों- उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि. तथा उत्कल अशोक होटल निगम ने वर्ष 1994-95 के दौरान घाटा उठाया है। उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि. को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में पंजीकृत किया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने इस कंपनी की पुनरुद्धार योजना अनुमोदित कर दी है, जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्कल अशोक होटल निगम लि. के मामले में प्रबंधन प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से आमूलचूल परिवर्तन संबंधी एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसमें ब्याज का बोझ कम करने के लिए शेयरधारिता ढांचे में परिवर्तन, सम्पत्ति नवीकरण, कमरा अधिभोग, खाद्य बिक्री में वृद्धि आदि से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। इन कदमों से उनकी समग्र लाभप्रदत्ता में वृद्धि होने की संभावना है।

रुग्ण सरकारी उपक्रमों के लिए बजटीय सहायता

4466. श्री के. सी. कोंडय्या :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, सरकारी उपक्रमों के आधुनिकीकरण के लिए तथा उन्हें चालू रखने के बारे में समीक्षा करने तथा उन्हें बजटीय सहायता शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) रुग्ण सरकारी उपक्रमों को सामान्यतः उनकी सुधार संबंधी अनुमोदित योजनाओं के आधार पर बजटीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें उनके पूंजी आधार को पुनर्गठन करना, ऋणों तथा बकाया ब्याज को बट्टे खाते में डालना और जहां अपरिहार्य हो तुरन्त बजटीय सहायता प्रदान करना शामिल किया जा सकता है। सुपात्र रुग्ण सरकारी उपक्रमों को अपने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए अपने संसाधनों की कमी की पूर्ति करने हेतु आयोजना-भिन्न सहायता भी दी जाती है।

[हिन्दी]

दलहनों का निर्यात

4467. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कितनी मात्रा में दालों का निर्यात किया गया और इससे रुपयों तथा डालरों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान दालों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि दालों का उत्पादन स्थिर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान 100% निर्यात अभिमुख एककों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों (जिन्हें अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत दालों का आयात करने की अनुमति दी गई है) सहित निर्यात की गई दालों की मात्रा तथा उनसे अर्जित की गई विदेशी मुद्र का मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1993-94	43601	73.59
1994-95	50507	90.41
1995-96	61196	131.79

देशवार ब्यौरे डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता द्वारा प्रकाशित फारेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) दालों का निर्यात लाइसेंस के अधीन है। 1996-97 के दौरान 10,000 मी. टन की अधिकतम सीमा रिलीज़ की गई है। 10,000 मी. टन की अल्प मात्रा, जो घरेलू उत्पादन का लगभग 0.01% बनता है, को निर्यात करने की अनुमति दी गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का प्रतिनिधित्व कायम रखा जा सके।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन "यूनिडो"

4468. श्री टी. गोपाल कृष्ण :
श्री एल. रमना :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिडो का नया निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन प्रारंभिक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम से छोटे और मझौले उद्यमियों को सहायता मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) "निवेश तथा प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन पहल" (आई.टी.पी.आई.) की शुरूआत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यकलापों को हाथ में लेने के लिए की गयी है:-

1. अन्य देशों के प्रौद्योगिकी भागीदारी तथा संयुक्त उद्यमों की पहचान में उद्यमियों की सहायता करना।
2. भारत भर में भारतीय और विदेशी फर्मों के बीच कारोबारी सहयोग में सक्रिय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के केन्द्रीय बिंदुओं के तंत्र की स्थापना करना।
3. संयुक्त राष्ट्र औद्यगिक विकास संगठन से उपलब्ध सेवाओं तथा निवेश परियोजना पहचान, गठन, जांच तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में विकसित और विकासशील देशों में इसकी निवेश संवर्धन सेवाओं के विषय में जागरूकता को फैलाना।
4. राज्य स्तर पर प्रौद्योगिकी तथा निवेश सामंजस्य हेतु "इनटैकमार्ट" आयोजित् करना।
5. नई दिल्ली में 1995 और 1996 में आयोजित पिछली "इनटैकमार्ट" में संयुक्त उद्यमों हेतु पता लगायी गयी परियोजनाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही करना।

परियोजना दो वर्ष की अवधि के लिए है जो 1 मई, 1996 से आरंभ होगी। निवेश और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन पहल परियोजना मुख्यत: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा संयुक्त उद्यमों के लिए लघु तथा मझौले उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। इससे लघु तथा मझौले उद्यमों के विकास में वृद्धि होगी, जिससे कि कौशल उन्नयन तथा रोजगार सृजन होगा और इस प्रकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

ढांचागत परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक ऋण संबंधी गारंटी

4469. डॉ. एम. पी. जायसवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विकास हेतु विश्व बैंक अवसंरचनात्मक ऋण की स्थायी गारंटी हेतु किसी आयोग को अधिकृत किया है:-

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्यां है;

(गं) क्या यह शर्त विस्व बैंक द्वारा लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक ने आधारभूत परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कोई ऋण नहीं दिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी ऋण संबंधी आयोग

4470. श्री दिलीप संघानी :
श्री कांशीराम राणा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1996 के "इकॉनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "कमीशन ऑन गवर्नमेंट डेट कास्ट आर. वी. आई. डीयर" शीर्षक के समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस परिस्थिति में सुधार लाने हेतु किन उपायों पर विचार किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मार्च 1995 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलरों की एक योजना की घोषणा की, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार विकसित करने का कार्य सौंपा जाएगा। प्राथमिक डीलरों को कुछ सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक बाजार में सभी निर्गमनों में सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक ड़ीलरों द्वारा अभिदान के माध्यम से की गई खरीद (जिसमें हामीदारी वचनबद्धता शामिल

है) पर 10 जुलाई, 1996 से कमीशन के भुगतान की घोषणा की है। कमीशन के भुगतान का समस्त व्यय रिजर्व बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कमीशन के प्रावधान को सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार के विकास की लागत के अंश के रूप में लिया है।

[हिन्दी]

निर्यात हेतु राज्यों को प्रोत्साहन

4471. श्री ओ.पी. जिंदल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के अन्त तक कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का निर्यात के संवर्द्धन हेतु राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार निर्यात संवर्द्धन में राज्य सरकारों को किस प्रकार से शामिल करना चाहती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग 18-20% प्रति वर्ष और नौवीं योजना अवधि 1997-2002 के दौरान 20% प्रति वर्ष यू.एस. डालर में निर्यात वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) मुख्यत: निर्यात उत्पादन के लिए 1993-94 के दौरान एक योजना आरंभ की गई थी जिसके अंतर्गत 18 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) मंजूर किए गए हैं जो 18 राज्यों में औद्योगिक इन्कलेव के रूप में होंगे। इन पार्कों के ढांचागत लागत का 75%, 10 करोड़ रुपये की सीमा तक केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इन पार्कों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अब तक 733.26 करोड़ रुपये दिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत आरंभ में प्रत्येक राज्य में एक ई.पी.आई.पी. की स्थापना का विचार है।

वर्ष 1996-97 के दौरान सरकार ने निर्णायक संतुलित निवेश योजना आरंभ की है, जिसमें निर्यात उत्पादन और परिवहन में आने वाले अवरोध को दूर करने के लिए संतुलित पूंजी निवेश को ध्यान में रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पहचान किए प्रस्तावों जिसमें राज्य सरकारों के प्रस्ताव भी शामिल हैं, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विशेष निधियों में से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय पोषण किया जाना है। वर्ष 1996-97 में इस उद्देश्य के लिए 25 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

(च) निर्यात का विस्तार करने के लिए केन्द्र, ढाँचागत प्रावधान, लागत समर्थन, चुंगी में राहत, नियंत्रण की समाप्ति आदि में राज्यों की भागीदारी चाहती है। राज्यों से संबंधित विशिष्ट मामलों में उनसे सलाह भी की जाती है। प्रत्येक राज्य में मानदंड में छूट देकर एक एजेन्सी को निर्यात घराना की मान्यता दी गई है। निर्यात संवर्धन के लिए राज्य सरकारों ने नोडल अधिकारियों (निर्यात बंधुओं) की नियुक्ति की है।

[अनुवाद]

निर्यात आयात नीति का सरलीकरण

4472. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात आयात नीति को और सरल बनाया है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन योजना में विशेषत: हीरा, रत्न और आभूषण के मामले में क्या-क्या प्रमुख संशोधन किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) निर्यात और आयात नीति को सरल बनाना सतत् प्रक्रिया है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग के साथ परस्पर विचार-विनिमय किया जाता है। 25.3.1996 को घोषित निर्यात और आयात नीति तथा क्रियाविधि, 1992-97 का संशोधित संस्करण में 1995-96 के दौरान कार्यान्वित नीति में विभिन्न संशोधनों को समेकित किया गया है ताकि निर्यात वृद्धि पर दिए गए बल को बनाए रखा जा सके तथा इसमें डायमंड ऋण पास बुक योजना, आभूषणों को निर्यातकों को सोना/चांदी की आपूर्ति के लिए स्टेट

ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का एक नामित अभिकरण के रूप में नामांकन, तथा डीटीए को अपरिष्कृत हीरो की सप्लाई के लिए गैर-सरकारी बॉडिड वेयरहाऊस की स्थापना के लिए व्यवस्था करना तथा उन्हें तीसरे देश को पुनर्निर्यात करना शामिल है।

कोयले पर रायल्टी तथा उपकर

4473. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कोयले पर उपकर तथा रायल्टी की उचित मांग को ठुकरा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा कोयले की रायल्टी तथा उपकर की दावा की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) कोयले पर रायल्टी एक कर के रूप में लगाई जाती है जो कि कोयले की बिक्री पर टन के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दरों के रूप में निर्धारित की जाती है, किन्तु उपभोक्ताओं से कोयला कंपनियों द्वारा संग्रहित की जाती हैं और इसकी राज्य सरकारों को अदायगी की जाती है। कोल इंडिया लिमिटेड (को.इ.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियीज कंपनी लिमिटेड (सि.को.कं. लि.) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का उत्पादन करने वाले राज्यों को की गई रायल्टी की अदायगी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	अदा की गई रायल्टी की राशि		
	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	10.63	9.59	7.82
बिहार	555.05	613.18	658.33
उड़ीसा	72.82	104.08	180.79
महाराष्ट्र	111.09	159.70	217.90
मध्य प्रदेश	369.56	438.91	666.77
उत्तर प्रदेश	70.59	87.39	113.50
असम	0.44	0.42	21.59
आंध्र प्रदेश	291.30	144.53	175.28

कोयले पर उपकर राज्यों के संबद्ध उपकर अधिनियमों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर के रूप में होता है। उपकर का संग्रहण यथा मूल्य आधार पर कोयले की पिट-हैड कीमतों पर संबद्ध राज्यों द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है। को.इं.लि. द्वारा अदा किए गए उपकर का ब्यौरा जिसमें पं. बंगाल को पिछले तीन वर्षों के दौरान देय कोयले की बिक्री के एवज में समायोजन शामिल है, को नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	पं. बंगाल को अदा की गई रायल्टी की राशि
1993-94	376.96
1994-95	300.16
1995-96	372.05

दिनांक 4.4.1991 के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए किसी भी राज्य पर उपकर देय नहीं था केवल पं. बंगाल को छोड़कर जिसका कि इस विषय से संबंधित एक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ा है।

उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

4474. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो विश्व बैंक की सहायता से लागू की जा रही हैं;

(ख) उन क्षेत्रों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत उक्त परियोजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा अब तक कितनी राशि जारी की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:-

मिलियन अमरीकी डालर

क्र.सं.	परियोजना का नाम	खंड/क्षेत्र	राशि	31-7-1996 की स्थिति के अनुसार संचयी उपयोग
1.	उत्तर प्रदेश लवणीय भूमि सुधार	कृषि	61.851	13.607
2.	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा	सामाजिक	181.942	65.395
3.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	शहरी विकास	142.190	114.679
4.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जला-पूर्ति और स्वच्छता	ग्रामीण जलापूर्ति	59.6	नगण्य ऋण 28.8.96 को प्रभावी हुआ।
बहुराज्यीय				
5.	झींगा और मछली पालन	कृषि	98.475	9.134*
6.	राज्य सड़कें	सड़कें	115.000	86.147*
7.	तकनीकी शिक्षा	सामाजिक	239.490	132.620*

*ये आंकड़े पूरी परियोजना के लिए हैं।

इन राज्य/बहुराज्यीय परियोजनाओं के अतिरिक्त पूरे देश में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है।

निर्यातकों को नकदी प्रतिकर सहायता का भुगतान

4475. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.जी.एफ.टी. के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय विशेषकर विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक, कोची द्वारा अब तक रोके गये नकदी प्रतिकर सहायता को 31 अगस्त, 1996 तक जारी करने के लिए विभिन्न निर्यातकों से प्राप्त आवेदनों/अभ्यावेदनों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय/डी.जी.एफ.टी. नई दिल्ली द्वारा पहले लिये गये निर्णय के अनुसार मामले का निपटारा करने तथा सी.सी.एस. के बकाए राशि को जारी हेतु मार्गनिर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) नकद मुआवजा सहायता (सी.सी.एस.) 3-7-1991 को समाप्त कर दी गई थी और 2.7.91 तक किए गए निर्यातों के लिए सी सी एस के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31.13.92 थी। नियत तारीख तक प्राप्त सी सी एस को मंजूर करने के लिए आवेदन-पत्रों का निपटान कर दिया गया था। कुछ मामलों में जहां दावों को नामंजूर कर दिया गया था, सी सी एस प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन/अपीलें प्राप्त हुई थी। उन पर विचार किया गया था और गुणावगुण के आधार पर उनका निपटान कर दिया गया था। कुछ मामलों में जहां सी सी एस का भुगतान किया गया था, लेखा-परीक्षा ने आपत्तियां उठाई थी, उन पर कुछ लेखा-परीक्षा से बातचीत की गई थी। और स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था। जहां कहीं भी लेखा-परीक्षा आपत्तियों को समाप्त करने के लिए सहमत नहीं हुआ, अन्य लंबित दावों के विरुद्ध अन्य समायोजनों के साथ-साथ वसूलियां भी की गई। जहां तक संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय का संबंध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.4.1996 से 31.7.1996 की अवधि तक उक्त कार्यालय को इस संबंध में मैसर्स बालमेर लारी एंड कं., जो एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इस मामले में प्रमुख निदेशक लेखा-परीक्षा, मद्रास कंपनी को सी सी एस के अधिक भुगतान पर लेखा-परीक्षा आपत्ति उठाई थी। सरकार ने प्रमुख निदेशक, लेखा-परीक्षा, मद्रास के साथ इस मामले पर विचार किया जिन्होंने इस आपत्ति की पुष्टि की। इसके परिणामस्वरूप नकद मुआवजा सहायता (सी सी एस) के अधिक भुगतान को पार्टी के अन्य लंबित दावों के विरुद्ध समायोजित किया गया और इस प्रकार लेखा-परीक्षा संबंधी आपत्ति को सुलझा दिया गया।

उच्च न्यायालय की खंडपीठें

4476. श्री ए. सम्पथ : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार उच्च न्यायालयों की कुल कितनी खंडपीठें हैं;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों की कुछ और खंडपीठें स्थापित करने के संबंध में सरकार को कुछ मांगे प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की, इसके प्रधान स्थान से दूर स्थापना किए जाने के संबंध में किसी भी राज्य सरकार से, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	उच्च न्यायालय का नाम	न्यायपीठ का नाम
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	लखनऊ
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
		इन्दौर
महाराष्ट्र	मुंबई	नागपुर
		औरंगाबाद
बिहार	पटना	रांची
राजस्थान	राजस्थान	जयपुर
गोवा	मुंबई	पणजी
नागालैंड	गौहाटी	कोहिमा
मिजोरम	गौहाटी	आइजोल
मणिपुर	गोहाटी	इम्फाल
त्रिपुरा	गौहाटी	अगरतला
मेघालय	गौहाटी	शिलांग

बी.आई.एफ.आर. के पास रुग्ण एकक

4477. डा. देवी प्रसाद पाल :
श्री एन.जे. राठवा :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड की स्थापना के पश्चात् इसके समक्ष राज्यवार विशेषकर पश्चिम बंगाल से कितने रुग्ण औद्योगिक एककों को भेजा गया तथा कितने एककों का पंजीकरण किया गया;

(ख) उन मामलों का जिनका निपटारा किया जाना शेष है का ब्यौरा सहित निपटारा किये गये मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है,

(ग) बी.आई.एफ.आर. के पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् वर्षवार कितनी कम्पनियों का पुनरुद्धार किया गया;

(घ) क्या बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदति स्वीकृत योजना के अंतर्गत इस प्रकार के एककों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता/रियायत इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो अब तक इस प्रकार के कितने मामलों का रिकार्ड तैयार किया गया तथा इस संबंध में क्या उपाचारात्मक कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने के प्रस्ताव हैं; और

(च) मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाईरफर) ने सूचित किया है कि उन्हें दिनांक 31.7.1995 तक 2595 संदर्भ प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1807 संदर्भ रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सोका) के अंतर्गत पंजीकृत किए गए थे। दिनांक 31.7.1996 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल सहित बाइफर में पंजीकृत मामलों के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ख) बाइफर ने सूचित किया है कि दिनांक 31.7.96 तक उनके पास पंजीकृत हुए 1807 संदर्भों में से 1435 मामले निपटाए जा चुके हैं, जबकि 372 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के मामले बाइफर के पास लंबित है। निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

रखरखाव योग्य न होने के कारण रद्द किए गए मामले	404
स्वीकृत पुनर्वास योजनाएं	435
जिनके संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय से बन्द करने की सिफारिशें की गई	452
वे मामले जिन्हें अब रुग्ण घोषित नहीं किया गया है	125
शुद्ध मूल्य प्राप्त हो जाने पर बन्द किए गए मामले	19

(ग) बाइफर ने आगे सूचित किया है कि 31.7.96 तक 125 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को अब रुग्ण घोषित नहीं किया गया है और पुन: अर्थक्षम बनाने की स्वीकृत योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के बाद अब ये वाइफर के दायरे से बाहर हैं। ऐसी कम्पनियों के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	कम्पनियों की संख्या
1987	शून्य
1988	7
1989	11
1990	10
1991	3
1992	3
1993	2
1994	19
1995	20
1996	50

(घ) और (ङ) बाइफर द्वारा "सीका" की 17(2) या 18(4) धारा के अधीन यदि किसी रुग्ण कंपनी पुनर्वास की योजना अनुमोदित/स्वीकृत की जाती है तो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं सहित सभी संबंधित पक्षों पर यह बाध्यकारी होगा कि वे स्वीकृत योजना के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराए। स्वीकृत योजना के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के मामलों में बाइफर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह "सीका" की धारा 33 के अधीन दण्डात्मक व्यवस्था करे। 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार, बाईफर ने संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को नौ मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए थे जिनमें उन्होंने स्वीकृत योजना के उपबंधों का अनुपालन करने में हुए विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।

(च) बाइफर ने सूचित किया है कि उसने अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाया है, सुनवाई में लगने वाले समय को कम किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके, कार्यवाही में लगने वाली कुल अवधि को कम किया है।

दिनांक 31.7.1996 की स्थिति के अनुसार बाईफर में पंजीकृत रुग्ण/औद्योगिक कंपनियों के मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

सं.	राज्य	पंजीकृत मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	211
2.	असम	8
3.	बिहार	55
4.	चंडीगढ़	2
5.	दादर एवं नगर हवेली	4
6.	गोवा, दमन एवं दीव	6
7.	गुजरात	164
8.	हरियाणा	56
9.	हिमाचल प्रदेश	35
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6
11.	केरल	64
12.	कर्नाटक	119
13.	मध्य प्रदेश	92
14.	महाराष्ट्र	283
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12
16.	नागालैण्ड	1
17.	उड़ीसा	35
18.	पांडिचेरी	10
19.	पंजाब	54
20.	राजस्थान	85
21.	तमिलनाडु	143
22.	त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश	185
24.	पश्चिम बंगाल	176
	कुल	1807

पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिक अपनाना

4478. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कपड़ा मिलों और अन्य मिलों द्वारा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाएं और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के संबंध में हुए अंतर्राष्ट्रीय

समझौते के अनुसरण में प्रदूषणकारी विषैले अपशिष्ट पदार्थों का शोधन हो;

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है, विभिन्न राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इन उपायों को अब तक अपनाने और नहीं अपनाने वाले कपड़ा मिलों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) अब तक इन उपायों पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यातकों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

4479. श्री डी. पी. यादव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों की शिकायतों के निवारण हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों की शिकायतों तथा सुझावों पर निर्धारित समय में विचार नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त प्रकोष्ठ के उद्देश्य को किस हद तक प्राप्त किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी हां। निर्यातकों के सुझावों और परेशानियों के निपटान कार्यों को देखने और निगरानी करने के लिए तथा ऐसे मामलों पर जल्द कार्रवाई करने को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्यातकों की शिकायतों के निवारण हेतु एक प्रकोष्ठ बनाया गया है।

(ग) से (ङ) हालांकि नीतिगत मामलों के लिए कोई समयावधि नहीं बनाई जा सकती तो भी विशिष्ट शिकायतों को चार सप्ताह के भीतर निपटाने के प्रयास किये जाते हैं। निपटान की प्रगति पर अन्य तथा अन्तर्मंत्रालय की बैठकों के द्वारा भी निगरानी रखी जाती है।

(च) भारतीय निर्यातों का स्वस्थ विकास ई आर बी के क्रियाकलापों तथा सरकार द्वारा किए गए अन्य निर्यात संवर्धन उपायों की कार्रवाई है।

[अनुवाद]

प्रोटोकाल व्यवस्था

4480. श्री प्रमोद महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा शुल्क अधिकारियों को विमानपत्तनों पर प्रोटोकाल व्यवस्था के दुरुपयोग तथा सीमा शुल्क के अपवंचन को रोकने हेतु कोई निर्देश अथवा मार्ग-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995 तक 1996 में अब तक दिल्ली स्थित इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सीमा शुल्क के अपवंचन में प्रोटोकाल व्यवस्था का दुरुपयोग किए जाने संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अधिकारियों द्वारा विमानपत्तन पर अनियमितताओं को रोकने में किस हद तक सफलता प्राप्त की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों जैसे मंत्रियों, संसद सदस्यों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों, किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अन्य सम्मानित व्यक्तियों, वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारियों तथा बच्चों और वृद्ध और अपंग यात्रियों को उनके असबाब की शीघ्रता से निकासी के संबंध में सामान्य सीमा शुल्क प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने और जहां कहीं अपेक्षित हो सीमा शुल्क की अदायगी किये जाने के उपरांत प्रोटोकाल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई गई इन सुविधाओं का दुरुपयोग किये जाने संबंधी मामलों के बारे में कार्रवाई करने के लिए अनुदेश पहले ही मौजूद हैं और सीमा शुल्क के अपवंचन संबंधी मामलों पर जहां कहीं भी वे ध्यान में आते हैं, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) जिन मामलों में प्रोटोकाल सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के कारण सीमा शुल्क की अदायगी करनी पड़ी और अन्य दाण्डिक कार्यवाही करनी पड़ी है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) प्रोटोकाल प्रणाली का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग नहीं किया जाता है। तस्करी और सीमा शुल्क अपवंचन को रोकने की दृष्टि से, विभाग ने प्रत्येक हवाई अड्डे पर एक आसूचना इकाई स्थापित की है जिसमें ऐसे प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई है जो अति विशिष्ट व्यक्तियों सहित यात्रियों की सीमा शुल्क संबंधी जांच के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक्स-रे मशीनें लगाई गई हैं जिन्हें आसूचना और यादृच्छिक चयन के आधार पर यात्रियों के आसबाब की जांच-पड़ताल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

विवरण

1. 7.11.1995 को, भूतपूर्व कपड़ा मंत्री, श्री कमलनाथ विदेश से आए। उनके निजी सचिव ने जो आसबाब प्राप्त करने के लिए मौजूद थे, शुल्क की अदायगी के लिए शुल्क्य चैनल (रैड चैनल) में सामान के साथ अपनी उपस्थिति की सूचना दी और क्राकरी और तराशे हुए कांच की वस्तुओं के रूप में सामान की घोषणा की। असबाब की जांच की गयी और 1,11,217/- रु. शुल्क के रूप में प्राप्त किए गए। इसके अलावा 25,000/- रु. का विमोचन शुल्क और 10,000/- रु. का अर्थदण्ड लगाया गया था। तथापि, अपील करने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 10.5.96 को उक्त आदेश रद्द कर दिया गया।

2. 13.5.1996 को वियतनामी दूतावास से श्री फाम ट्रांग डुओग नामक वियतनामी राजनयिक एक यात्री, श्री ट्रांग मिन्ह टैम की अगवानी करने आए। उक्त यात्री से 70,18,130/- रु. मूल्य का 13.118 कि.ग्रा. सोना पकड़ा गया। उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर कानून के अंतर्गत आगे कार्यवाही की जा रही है। राजनयिक को वियतनामी दूतावास द्वारा उसके देश वापस भेज दिया गया है।

आई.डी.बी.आई. द्वारा उद्योगों को सहायता

4481. श्री अमर पाल सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा 31 जुलाई, 1996 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योगों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है; और विकास बैंक द्वारा उद्योगों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है; और

(ख) ऐसी औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और अप्रैल-जून, 1996 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	एककों की संख्या	संवितरित राशि
1994-95	1797	9334.1
1995-96	1257	9229.2
अप्रैल-जून 96	125	1511.5

(ख) ऐसे औद्योगिक एककों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96 और अप्रैल-जून, 96 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त उद्योगों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994-95	1995-96	1996
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	150	122	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0
3.	असम	10	17	0
4.	बिहार	14	14	1
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	83	31	2
6.	गोवा	5	3	1
7.	गुजरात	211	138	23
8.	हरियाणा	35	35	3
9.	हिमाचल प्रदेश	18	15	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2	4	0
11.	कर्नाटक	84	75	8
12.	केरल	28	22	3
13.	मध्य प्रदेश	67	66	4
14.	महाराष्ट्र	386	246	25
15.	मणिपुर	0	0	0
16.	मेघालय	1	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0
19.	उड़ीसा	21	10	0
20.	पंजाब	52	32	2
21.	राजस्थान	116	83	7
22.	सिक्किम	0	0	0
23.	तमिलनाडु	249	152	14
24.	त्रिपुरा	0	0	0

1	2	3	4	5
25.	उत्तर प्रदेश	119	97	7
26.	पश्चिम बंगाल	101	64	7
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2.	चंडीगढ़	2	1	1
3.	दादर एवं नगर हवेली	27	18	2
4.	दमन एवं दीव	9	5	1
5.	लक्षद्वीप	0	0	0
6.	पांडिचेरी	6	6	0

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

4482. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा देश में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया और इसका मूल्य विदेशी मुद्रा में और भारतीय मुद्रा में कितना-कितना है;

(ख) क्या अनिवासी भारतीय अपनी पूंजी लगाने के लिए इच्छुक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में और अधिक निवेश के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से, 31.5.96 तक, अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) द्वारा 20868.80 करोड़ रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा में निवेश के प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं, जब से नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है अनिवासी भारतीय निवेश में लगातार वृद्धि हुई है।

(घ) सरकार ने अनिवासी भारतीय निवेश में संवृद्धि के लिए कई कदम उठाये हैं।

कतिपय चुनिन्दा क्षेत्रों में, पूरे देश प्रत्यावर्तन लाभों के साथ 100% अनिवासी भारतीय ईक्विटी की अनुमति दी गई है।

पिछड़ेपन के लिए जिले के बजाय प्रखण्ड पर विचार करना

4483. श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को जिले के बजाय प्रखण्ड को पिछड़ा मानने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उद्योग मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दयनीय स्थिति वाले चाय बागान

4484. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने चाय बागान हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय चाय बागान दयनीय स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बागानों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) चाय बोर्ड में पंजीकृत बागानों की संख्या 13,936 है। इन चाय बागानों के राज्यवार ब्यौरा विवरण संलग्न हैं।

(ख) से (घ) चाय बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 114 कमजोर चाय बागान और 10 बंद चाय बागान हैं। इन चाय बागानों का राज्यवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	कमजोर चाय बागानों की संख्या	बंद चाय बागानों की संख्या
1	2	3
असम	47	5
पश्चिम बंगाल	41	4

1	2	3
त्रिपुरा	14	–
केरल	8	1
तमिलनाडु	4	–
कुल	114	10

रुग्ण और कमजोर चाय बागानों द्वारा झेली जा रही परेशानियाँ काफी जटिल हैं जोकि प्रबंधकीय/वित्तीय कुप्रबंधन, लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमें जैसे विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई हैं। वित्त पोषण और संबद्ध उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिए चाय बोर्ड के तत्वावधान में वाणिज्यिक बैंकों के साथ इन पर चर्चा की गई है सुधरी हुई आर्थिक परिस्थितियों और चाय की कीमतों में स्थायित्व आने के कारण चाय बागानों की रुग्णता/कमजोरी में कमी आई है।

विवरण

चाय बोर्ड में पंजीकृत चाय बागानों का राज्य-वार विवरण

राज्य	चाय बोर्ड में पंजीकृत चाय बागानों की संख्या
असम	850
पश्चिम बंगाल	347
त्रिपुरा	57
बिहार	1
उत्तर प्रदेश	8
हिमाचल प्रदेश	1660
मणिपुर	4
सिक्किम	1
अरुणाचल प्रदेश	14
नागालैंड	5
उड़ीसा	1
कुल : उत्तर भारत:	2948
तमिलनाडु	6845
केरल	4106
कर्नाटक	37
कुल : दक्षिण भारत:	10,988
सम्पूर्ण भारत:	13,936

स्रोत : टी बोर्ड

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में बैंकों में जमाराशि

4485. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1989-90 के बाद से जमाराशि के अनुपात में निरन्तर कमी होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान बैंकों में जमाराशि का अनुपात 68.66 प्रतिशत था जबकि यह अनुपात 1994-95 में गिर कर 56 प्रतिशत हो गया; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से यथाउपलब्ध, मार्च, 1990 से मार्च, 1996 तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) निम्नानुसार है:-

अवधि	सीडीआर (%)
मार्च, 1990	61.5
मार्च, 1991	57.8
मार्च, 1992	56.0
मार्च, 1993	55.7
मार्च, 1994	49.5
मार्च, 1995	46.6
मार्च, 1996	49.9

किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष में ऋण जमा अनुपात (सीडीआर), न केवल बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों अपितु ऋण खपाने की क्षमता, आधारभूत सहायता और क्षेत्र में समग्र नीतिगत ढांचे जैसे अन्य विभिन्न तथ्यों पर भी निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अखिल भारतीय स्तर पर अपनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अलग-अलग 60 प्रतिशत का सीडीआर प्राप्त करें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि जबकि यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपात शाखावार, जिला-वार अथवा क्षेत्रवार अलग-अलग प्राप्त किया जाए, फिर भी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण अभिनियोजन में असन्तुलन कम करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्य/क्षेत्रों के बीच अनुपात में व्यापक असमानता से बचा जाए।

बैंकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांड की खरीद पर प्रतिबंध

4486. **श्री तारीक अनवर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बांड खरीदने पर वाणिज्यिक बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों पर सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट के भी धन निवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी नहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत, को किसी एक उधारकर्ता या उधारकर्ताओं के समूह हेतु ऋण निवेश के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन के अध्यधीन बिना किसी अधिकतम सीमा के सरकारी क्षेत्र के बांडों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। कुछ बैंकों की शंकाओं के उत्तर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सलाह दी है कि वे गौण बाजार में पी एल ओ बांडों सहित पूंजी बाजार लिखतों को प्राप्त न करें। ऐसा इस प्रकार की प्रतिभूतियों में कारोबार करने से बैंकों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को जमा प्रमाणपत्रों में निधियों के निवेश करने से भी नहीं रोका गया है।

व्यापार को श्रम मानकों अथवा विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत पर्यावरणीय मुद्दों के साथ जोड़ने संबंधी नीति

4487. **श्री विजय हान्डिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार को श्रम मानकों अथवा पर्यावरणीय मुद्दों से जोड़ने के लिए कोई नई नीति बनाई है क्योंकि विकसित राष्ट्रों का विचार विश्व व्यापार संगठन के आगामी सिंगापुर सम्मेलन में इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाने का है;

(ख) क्या सरकार ने अपनी छवि बनाने के लिए इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) दिसम्बर, 1996 में आयोजित किए जाने वाले विश्व व्यापार संगठन के आगामी सिंगापुर मंत्रालयीय सम्मेलन में व्यापार तथा पर्यावरण से संबंधित एक रिपोर्ट और आगे दिशा निर्देशों के लिए मंत्रियों के समक्ष रखी जानी है। भारत विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और पर्यावरण से संबंधित समिति में इस रिपोर्ट को तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

श्रमिक मानकों के साथ व्यापार को जोड़ा जाना एक नया विषय है जिसे कुछ विकसित देशों द्वारा सिंगापुर मंत्रालयीय सम्मेलन में उठाने का प्रस्ताव है। तथापि, भारत सहित काफी बड़ी संख्या में विकसित तथा विकासशील देश इस मामले को एस.एम.सी. कार्यसूची में शामिल किए जाने के विरुद्ध हैं।

चंद्रपुर ताप विद्युत केन्द्र

4488. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ का चंद्रपुर ताप विद्युत केन्द्र वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से जुड़ा हुआ है;

(ख) यह यदि हां, तो इस विद्युत केन्द्र को वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से प्रतिदिन कितने कोयले की आवश्यकता है;

(ग) क्या अगस्त, 1996 माह के दौरान कोयले की आपूर्ति में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कोलफील्ड में कोयले के उत्पादन में काफी कमी आयी है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के इस महत्वपूर्ण विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति बनाये रखने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सिफारिशों पर स्थायी संयोजन समिति द्वारा स्वीकृत किए गए तापीय विद्युत गृहों के संयोजनों की उपलब्धता, परिवहन अवरोधों, विद्युत उत्पादन आदि के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मासिक मात्रा में संयोजन प्रदान किए जाते हैं और न कि यह दैनिक आधार पर प्रदान किए जाते हैं, अप्रैल से जून तक इस विद्युत गृह को मासिक संयोजन प्रति माह 8.50 लाख टन किया गया है। जुलाई से सितंबर के लिए संयोजन प्रति माह 7.50 लाख टन स्वीकृत किया गया है।

(ग) अगस्त के महीने में 24 अगस्त, 1996 तक 5.81 लाख टन के यथानुपात संजोयन के एवज में निम्नलिखित कारणों से इसी अवधि के लिए आपूर्ति 3.61 लाख टन (अनंतिम) रहीं :

(1) विद्युत गृह द्वारा वैगन उतराई का कम कार्य निष्पादित होने के कारण रेलवे ने चन्द्रपुर टी.पी.एस. कोयले की आपूर्ति नियमित कर दी है और इसने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के अन्य विद्युत गृहों जैसे मासिक तथा पार्लि, को इस कोयले को स्थानांतरित कर दिया है।

(2) विद्युत गृह द्वारा चालित एम.जी.आर. पद्धति में विफलता के कारण यह केवल 60% तक संयोजित मात्रा में उठान कर सकी।

(3) इस विद्युत गृह द्वारा अपनी भी रोप-वे पद्धति के माध्यम से कोयले का कम उठान किया जाना।

(4) विद्युत गृह प्राधिकारियों द्वारा सड़क द्वारा संयोजित मात्रा का उठान न किया जाना।

(5) अगस्त, 1996 के दौरान यूनिट मंख्या-6 (500 मे. वाट) अनुरक्षण अधीन रही, जिसके परिणामस्वरूप कोयले का कम उपयोग हुआ है।

(घ) जी, नहीं। वे.को.लि. में कोयले का उत्पादन अप्रैल-अगस्त, 1996 अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक बढ़ गया है। इस अवधि के दौरान उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 12% की अधिक की वृद्धि दर्शाई गई है।

(ङ) विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाती है। विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति किए जाने पर एक अन्तर-मंत्रालयीय दल द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और जहां अपेक्षित होता है ऐसे मामले में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

जाली कंपनियों का पंजीकरण रद्द करना

4489. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कितनी जाली कंपनियों का पता लगाया गया;

(ख) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) निवेशकों के साथ किस प्रकार धोखाधड़ी की गई है और किस प्रकार उनकी क्षतिपूर्ति की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इस बुराई पर रोक लगाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 631 में यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों, जो किसी नाम या शीर्षक के अन्तर्गत व्यापार करता है या व्यवसाय जारी रखता है और उसका अंतिम शब्द या शब्दों "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" होता है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत समावेशित किए जाने तक, को जिस नाम या शीर्षक का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए प्रतिदिन 50 रु. से अनधिक जुर्माना लगाकर दण्डित किया जाएगा।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, ऐसे दो मामलों में 1993-94 में अभियोजन दायर किए गए हैं।

अवसंरचनात्मक विकास

4490. श्री थ. चौबा सिंह : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सात पूर्वोत्तर राज्यों के केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया निवेश क्रमशः 3022.96 करोड़ रुपए और 4894.92 करोड़ रुपए था।

भारतीय कोल लिमिटेड में ठेका मजदूर

4491. श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोल लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों में अभी भी ठेका मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीय कोल लिमिटेड में कार्यरत ऐसे श्रमिकों का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम्पनीवार नियमित किये गये ठेका-मजदूरों की संख्या क्या है;

(घ) शेष ठेका मजदूरों को अब तक नियमित नहीं किये जाने के क्या कारण है; और

(ङ) कब तक इन्हें नियमित किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा स्थायी और बहुवर्षी रुप के कार्यों के निष्पादन हेतु किसी ठेका मजदूर को नियोजित नहीं करती हैं। किन्तु ऐसे कार्य, जो संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन्) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे ठेकेदारों को दिए जाते हैं, जो कि अपने स्वयं मजदूरों को नियोजित करते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

4492. श्री जयंत भट्टाचार्य : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के पं. बंगाल के जेलिंगगाम स्थित एकक की वर्तमान स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एकक के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी तथा पर्याप्त आर्डरों का अभाव अपतटीय प्रभाग के अपर्याप्त निष्पादन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड इस समय बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है और एक पुनरुद्धार स्कीम तैयार की जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवहार्य समाधानों के लिए अपतटीय प्रभाग की समस्याओं की जांच की जाएगी।

माल को अन्यत्र भेजा जाना

4493. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिजय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण अदायगी शेष के अन्तर्गत रूस को दिए जाने वाले माल को अवैध रूप से किसी अन्य तीसरे देश को भेजे जाने संबंधी बढ़ती हुई घटनाओं को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने रूसी एजेन्सियों को यह बताया है कि रुपयों के शेष के आबंटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भारत सरकार को मिलनी चाहिए ताकि दोनों ही पक्षों द्वारा प्रभावी ढंग से इनकी निगरानी की जा सके; और

(च) यदि हां, तो दोनों ही पक्ष इस पर किस सीमा तक नियंत्रण रख पाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी हां, इस प्रकार के मामलों के पता लगने पर, भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले को उपयुक्त अधिकारियों के ध्यान में लाता रहा है। जैसा कि सरकार को सूचना मिली है, वस्तुओं को अन्यैज ले जाने से संबंधित ऐसे मामलों की वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है।

(ग) और (घ) हाल ही में ऋण पुनर्भुगतान ट्रैक के अंतर्गत रूस को निर्यात करने के लिए अन्यत्र ले जाने की रिपोर्ट काफी की खेपों के लिए ही थी। काफी बोर्ड ने तत्काल आधार पर निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए हैं:-

(1) उन सभी निर्यातकों से जिन्होंने काफी को 1.4.1996 के बाद रूस को भेजा था अनुरोध किया गया कि वे सीमा शुल्क निकासी प्रमाणपत्रों के साथ तदनुरूप लैडिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

(2) निर्यातकों को परमिटों में उल्लिखित गंतव्य स्थानों से काफी को अन्यत्र स्थानों पर ले जाने के लिए चेतावनी दी थी;

(3) निर्यातकों को और आगे अनुरोध किया गया था कि रूस को निर्यात के लिए बोर्ड द्वारा उन्हें जारी किए गए शेष परमिटों का उपयोग न करें जब तक कि वे उन सभी मात्रा का लैंडिग प्रमाण प्रस्तुत किया है;

(4) बोर्ड ने सभी मुख्य पत्तन तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को अनुरोध किया है कि वे काफी बोर्ड से पूर्व क्लीयरेंस के बगैर किसी भी लदान की अनुमति न दें। निर्यातवार ब्यौरें के साथ लेकिन परमिटों की एक सूची भी पत्तन प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई थी।

इसके अतिरिक्त, कॉफी बोर्ड ने सूचित किया है कि अब से बोर्ड परमिटों तथा मूल प्रमाण-पत्रों पर कि जिसके लिए परमिट जारी किया था, उस गंतव्य देश को छोड़कर अन्य देश को गंतव्य देश परिवर्तनीय नहीं, की शर्त लगाई जाएगी। बोर्ड ने इसे अनिवार्य बना दिया है कि निर्यातक ऋण पुनर्भुगतान मार्ग के अंतर्गत रूस

के लिए रखे गए सभी निर्यातों के लिए सीमा-शुल्क क्लीयरेंस प्रमाणपत्र लैडिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ऋण पुनर्भुगतान ट्रैक के अंतर्गत रूस के लिए निर्दिष्ट निर्यात खेपों को अन्यत्र स्थानों पर जाने से रोकने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए हैं:

(1) समिशुल्क बोंडिड भांडागारों द्वारा खेप बिक्रियों के माध्यम से निर्यात;

(2) सीमाशुल्क मामलों में सहयोग तथा पारस्परिक सहायता पर भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय करार करना;

(3) लैडिंग के संतोषजनक प्रमाण देने के लिए रूसी पक्ष को अनुरोध करना;

रूसी परिसंघ की सरकार ने एक व्यापार बदलने स्विच के कारण राजस्व की हानि को रोकने के लिए ''आयात के लिए पासबुक योजना'' नामक एक नई स्कीम शुरू की है इससे रूस के लिए निर्दिष्ट निर्यात खेपों को अन्यत्र ले जाने पर रोक लगने की आशा है।

(ङ) और (च) भारतीय पक्ष द्वारा राजनयिक स्तरों के माध्यम से इन मामलों में कारगर मॉनीटरी करने तथा अत्यधिक सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तथा रुसी पक्ष ने इस मामले पर सहयोग देने का वादा भी किया। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क मामलों में सहयोग तथा पारस्परिक सहायता के लिए भारत और रूस के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय करार को अंतिम रूप देने से इस समस्या के सुलझने की आशा है।

सीमेंट के उत्पादन की लागत

4494. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट उद्योग के उत्पादन लागत को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(घ) आठवीं योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जबकि सीमेंट उत्पादन लागत को कम करने के लिए कोई विशिष्ट सरकारी कार्यक्रम नहीं है फिर भी सरकार अनुसंधान तथा विकास, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन दक्षता, ईंधन क्षमता का सुधार आदि को प्रोत्साहित कर रही है जिसके परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादकता तथा उत्पादन लागत में कमी आई है।

(ग) सीमेंट उद्योग लाइसेंस मुक्त तथा विनियंत्रित हो गया है। इस उद्योग को विदेशी निवेश तथा तकनीकी सहयोग के लिए प्राथमिकता सूची में रखा गया है। विश्व बैंक के ऋण की 2 श्रेणियों को सीमेंट उद्योग तक बढ़ाने के परिणामस्वरूप सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता तथा आधुनिकीकरण में यथेष्ठ वृद्धि हुई है। हाल ही में मुहैया कराये गये एशियन विकास बैंक (ए डी बी) श्रेणी के ऋण के लिए इस उद्योग को पात्र बनाया गया है। सरकार भी इस उद्योग को प्राथमिकता आधार पर कोयला संयोजन तथा रेल वैगनों का आवंटन करती है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य 76 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

4495: श्री एन. डेनिस : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों की जिममेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों में वित्त, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी विपणन तथा संस्थागत मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर सहायता करती है।

केन्द्र सरकार ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण, कुटीर तथा कृषि उद्योगों के विकास हेतु विस्गत नीतिगत खाका तैयार करती है। केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास आयुक्त, हथकरघा विकास आयुक्त, हस्तशिल्प विकास आयुक्त, रेशम उत्पादन बोर्ड ग्रामीण उद्योगों के विकास तथा संवर्धन को हाथ में लेती हैं। जिला स्तर पर 422 जिला उद्योग केन्द्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने हेतु व्यापक सेवायें तथा सुविधायें मुहैया करा रहे हैं तथा ग्रामीण विकास में लगी एजैंसियों से निकट संपर्क सुनिश्चित करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को, जो कि एक सांविधिक संगठन है, उनके कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले 96 ग्रामोद्योग के संवर्धन तथा विकास की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। ये उद्योग देश-भर में फैले हुए हैं। के.वी.आई.सी.

ने खादी तथा ग्रामोद्योग की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार इन उद्योगों के गहन विकास का कार्य हाथ में लिया है तथा इस प्रयोजन के लिए एक अलग फंड निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे – विशेष जिला रोजगार कार्यक्रम, खंड विकास कार्यक्रम, विशेष परियोजना कार्यक्रम इत्यादि शुरू किये गये हैं, जिनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

सरकार पिछड़े क्षेत्रों के कार्यक्रम के तहत विकास केन्द्र योजना, 1988 के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है, जिसके तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश में 71 विकास केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। प्रत्येक विकास केन्द्र लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जायेगा और उन्हें प्रमुख आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, बैंकों तथा दूरसंचार से युक्त किया जायेगा ताकि वे उद्योगों को आकर्षित कर सकें। केन्द्र सरकार का प्रत्येक विकास केन्द्र में योगदान 10 करोड़ रुपये होगा। राज्यों को विकास केन्द्रों का आबंटन राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन के स्तर तथा जनसंख्या के सम्मिलित मानदंड के आधार पर किया गया है।

ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि आधारित उद्योग लघु उद्योग एककों के लिए अनन्य रूप से केन्द्रित एकीकृत आधारभूत विकास (आई. आई. डी.) नामक एक योजना भी है। एकीकृत आधारभूत विकास के तहत औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष रूप से भूमि, प्लाट, जल आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन, नालियों जैसी सुविधाओं से विकसित किया गया है और जांच जैसी सामान्य सुविधाओं को स्थापित किया जाना है।

प्रत्येक परियोजना की लागत 5 करोड़ रुपये हैं। जिनमें से 2 करोड़ केन्द्रीय अनुदान तथा शेष 3 करोड़ रुपये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिए जाते हैं। राज्य सरकारें ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में 20 हैक्टेयर भूमि प्रदान करेंगी।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना

4496. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्कोहल और सिगार सहित 10 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्तमान में अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत 15 उद्योगों की संक्षिप्त सूची है। अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत रखे जाने वाली मदों की समीक्षा करने की प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, सरकार द्वारा अल्कोहल तथा सिगार सहित किसी अन्य उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नए औद्योगिक एकक

4497. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए औद्योगिक एककों का पंजीकरण केवल दिल्ली में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ दूर-दराज के क्षेत्रों से दिल्ली आने वाले उद्यमियों को होने वाली कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का विकेन्द्रीयकरण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए उद्यमियों को दिनांक 25.7.91 की अधिसूचना संख्या 477 (ई) की शर्तों के अनुसार औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। उद्यमिता सहायता एकक उद्योग भवन, नई दिल्ली में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को एक कम्प्यूटरीकृत चालू पावती नंबर दिया जाता है। डाक द्वारा प्राप्त किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों को भी उसी प्रकार पावती भी दी जाती है तथा पावतियाँ पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाती हैं। अत: यह उद्यमियों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे व्यक्तिगत रूप से आकर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करें।

उड़ीसा में बैंकों का कार्यनिष्पादन

4498. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उड़ीसा में कितने-कितने निजी और राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं;

(ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान इन बैंकों में कुल जमा राशि कितनी थी और इन बैंकों ने राज्य की जनता को विशेषत: कालाहंडी और नौपारा जिलों के संदर्भ में कितनी राशि का ऋण प्रदान किया;

(ग) क्या इन बैंकों ने जमा और ऋण वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त अवधि के दौरान दिए गए ऋण से कितने लोग लाभान्वित हुए?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लालमटिया कोयला खान

4499. **श्री शिबु सोरेन** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में झारखंड लालमटिया कोयला खान, ई.सी.एल. के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है अथवा किए जाने की संभावना है;

(ख) ग्रामीणों को अधिग्रहीत भूमि के लिए दिए गए मुआवजे की दर क्या है और बाजार दर से कम मुआवजा दर दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा लालमटिया कोयला खान हेतु भूमि का अधिग्रहण स्थायी रूप से किया गया है अथवा इसे खनन संबंधी कार्य पूरा हो जाने के पश्चात इसे कृषि हेतु भू-स्वामी को सौंप दिए जाने की योजना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के परिणामस्वरूप भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी नीति क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्तमान में लालमटिया नाम से कोई खान विद्यमान नहीं है। लालमटिया क्षेत्र में राजमहल ओपनकास्ट परियोजना कार्यरत है।

अभी तक 785.91 हेक्टेयर कुल भूमि का वास्तविक रूप से अधिग्रहण किया गया है। परियोजना की शेष समयावधि के लिए परियोजना रिपोर्ट के अनुसार खनन एवं पुनर्वास प्रयोजनों के लिए कोयलाधारी क्षेत्र अधिनियम तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत 1043 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण किए जाने की संभावना है।

(ख) भूमि के मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है;

कृषि मूल्य आयोग नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्धारित धान के समर्थन मूल्य के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला प्राधिकारियों से अद्यतन दर प्राप्त की जाती है। इसमें 30% मुआवजा के रूप में 12% वृद्धि प्रतिवर्ष (1 वर्ष से अधिक नहीं) जमा इन पर ब्याज, यदि कोई हो, की राशि को जोड़ दिया जाता है और यह ब्याज की राशि का निर्धारण (प्रथम वर्ष 9%) तथा शेष वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर पर दिया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रति एकड़ निर्णायक (अंतिम) भूमि संबंधी मुआवजे की दर की संगठना की जाती है, जो कि कोयला धारी क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दरों को निर्धारित करता है।

(ग) और (घ) कोयला धारी अधिनियम अथवा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थायी रूप से किया जाता है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत खनन संबंधी कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् तत्कालीन स्वामी को भूमि सौंपे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

खनन संबंधी क्रियाकलापों के आवश्यकतानुसार राजमहल परियोजना के अधीन ग्रामीणों का चरणबद्ध रूप में पुनर्वास किए जाने के संबंध में एक पुनर्वास योजना है।

जन प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत तथा व्यापक रूप में विचार-विमर्श किए जाने के बाद जिला प्राधिकारियों की उपस्थिति में ई. को. तथा भू-वंचित व्यक्तियों के बीच पुनर्वास संबंधी लाभों से संबंधित समझौते को अंतिम रूप दिया था।

राजस्थान के बैंकों में ऋण जमा राशि

4500. **श्री ताराचन्द भगोरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजस्थान के लिए राज्य में ऋण-जमा का निम्न अनुपात होने के कारण का पता लगाने एवं इसमें सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उक्त कृतिक बल की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने बैंकों पर राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु दबाव डाला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार बैंकों पर इस राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए जोर देती रही है। ऋण जमा अनुपात से संबंधित मामले पर भी विभिन्न राज्य स्तरीय मंचों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश

4501. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण और विदेशी निवेश के लिए द्वार खोलने के परिणामस्वरूप अनेक राज्य सरकारें विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए विदेशों से बात कर रही हैं; और

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस संबंध में सफलता मिली है और किस हद तक मिली है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों से प्रतिनिधि मंडल राज्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से विदेश गए हैं।

(ख) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों को मिली सफलता तथा इस प्रकार के विदेशी दौरों के परिणामस्वरूप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्त:प्रवाह के ब्यौरे इस मंत्रालय द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

सी.आई.एल. द्वारा कोयले की आपूर्ति

4502. श्री बी. धर्मभिक्षम : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड सीमेंट तथा इस्पात उद्योगों के कोयले की आवश्यकता की पूर्ति कर पाने में सक्षम है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन उद्योगों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) धातुकर्मीय प्रयोग के लिए, जिसमें इस्पात क्षेत्र भी सम्मिलित है, अपेक्षित कोकर कोयले की मांग और उपलब्धता के बीच अंतराल है। धातुकर्मीय प्रयोग के लिए अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोककर कोयले का घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस अंतराल को आयात द्वारा पूरा करना पड़ता है। उच्चतर ग्रेड के कोककर कोयले का कुछ आयात मिश्रण किए जाने के उद्देश्य से अथवा गुणवत्ता में सुधार किए जाने की दृष्टि से भी किया जाता है।

इस्पात संयंत्रों को देशीय कोककर कोयले की आपूर्ति की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए विद्यमान वाशरियों का आधुनिकीकरण और नई वाशरियों का निर्माण किया जा रहा है।

विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में उच्चतर प्राथमिकता दिए जाने तथा परिवहन-संबंधी बाधाओं के कारण सीमेंट संयंत्रों सहित औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति बाधित हुई है।

किन्तु कोयला कंपनियां देश में सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा किए जाने का प्रयास कर रही है, जिसमें सीमेंट संयंत्र भी शामिल है जो कि ये कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक कोलियरयों से उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयला दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना किसी संयोजन/प्रायोजन के की जाती है। कोयले के आयात का विकल्प भी उपलब्ध है। सीमेंट संयंत्रों को उनके ग्रहीत प्रयोग के लिए कोयले का खनन किए जाने की भी अनुमति दे दी गई है।

एस.टी.सी./एम.एम.टी.सी. के निर्यात और आयात में वृद्धि

4503. श्री पी.आर. दासमुंशी :
डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य व्यापार निगम और भारत खनिज और धातु व्यापार निगम लि. के निर्यात और आयात में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या इन दोनों निगमों का कार्यकरण और लाभदेयता अत्यन्त असंतोषजनक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन दोनों निगमों के कार्यकरण की समीक्षा की है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इन दोनों निगमों को अर्थक्षम और लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस. टी. सी.) और एम. एम. टी.

सी. लिमि. द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए निर्यात और आयात के आंकड़े निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	एम.एम.टी.सी.		एस.टी.सी.	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1993-94	1371.3	1699.3	798	239
1994-95	1368.3	3662.1	806	965
1995-96 (पी)	1320.0	4390.0	749	858

(ख) और (ग) एस. टी.सी./एम. एम. टी. सी. का कार्य और लाभप्रदत्ता संतोषप्रद है। कुछ मुख्य मदों के गैर-सारणीयन करने, विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के बावजूद एस. टी. सी./ एम. एम. टी. सी. ने अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण किया है और अपने गैर-सारणीकृत कारोबार में वृद्धि की है। दोनों निगमों में लाभ कमाया है और सरकार को लाभांश का भुगतान किया है।

(घ) ~~से (च)~~ अनेक मदों के आयात और निर्यात के गैर-सारणीकृत होने के उपरान्त, सरकार एस. टी. सी./एम. एम. टी. सी. को उदारीकृत अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के अनुरूप पुनः अनुस्थाप करने की आवश्यकता की समीक्षा करती आ रही है। एस. टी. सी./एम. एम. टी. सी. अपने प्रचालनों का विविधीकरण निम्नांकित ढंग से कर रहे हैं:-

- सीधे ही खरीदने और बेचने पर ज्यादा जोर डालकर;
- विदेशों में अपने विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ करके;
- संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करके;
- खुला सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के माध्यम से आयात करके;
- घरेलू व्यापार का विस्तार करके।

कोयले की आपूर्ति

4504. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण पंजाब के कई उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को कोयले की आपूर्ति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे उद्योगों को कोयले की आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि पंजाब में उद्योग कोयले की आपूर्ति न होने के कारण बंद होने के कगार पर हैं।

किन्तु कोयले की आपूर्ति के लिए विद्युत क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता दिए जाने के परिणामस्वरूप और इस क्षेत्र से कोयले की मांग में तेजी से वृद्धि होने के कारण, औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विद्युत क्षेत्र को छोड़कर, पंजाब के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति, जो 1994-95 में 10.47 लाख टन (अनंतिम) की गई थी, उक्त आपूर्ति 1995-96 में गिरकर 6.85 लाख टन (अनंतिम) दी गई। किन्तु विद्युत क्षेत्र सहित पंजाब के सभी उपभोक्ताओं को किए गए कोयले का कुल प्रेषण 1994-95 से 59.16 लाख टन (अनंतिम) की तुलना में 1995-96 में इसमें 70.68 लाख टन (अनंतिम) तक की वृद्धि हो गयी।

(ग) कोयला कंपनियां कोयले का उत्पादन बढ़ाकर पंजाब सहित देश के सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक कोलियरियों से कोयले की उत्तरी-कृत बिक्री योजना के अंतर्गत पेशकश की जा रही है, जिस योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना किसी संयोजन/प्रायोजन की अपेक्षाओं के की जाती है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट तैयार करना

4505. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक में 1000/- रुपए से 9,999/- रुपए की शृंखला के बैंक ड्राफ्टों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को अपने ड्राफ्ट अन्य बैंकों से तैयार करने पड़ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या निदानात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) ने सूचित किया है कि टी.टी. शृंखला (सीरीज) के बैंक ड्राफ्टों (1000 रु. से 9999 रु. मूल्य वाले) की कोई कमी नहीं है क्योंकि उनकी शाखाएं पर्याप्त संख्या में कोरे ड्राफ्ट फार्म रखती हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने आगे सूचित किया है कि जब कभी किसी क्षेत्र/पाकेट में ड्राफ्टों की मांग में कुछ तेजी आती हैं, तो सम्बद्ध सर्किल लेखन सामग्री विभाग, जो

प्रत्येक स्थानीय/प्रधान कार्यालय के अन्तर्गत शाखाओं में प्रतिभूति फार्मों के नियंत्रण और संवितरण करने वाली एजेंसी है, को पर्याप्त मात्रा में ड्राफ्टों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा तत्काल व्यवस्था की जाती है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के पास इस संबंध में कोई ऐसी विशेष रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा भारत में विदेशी निवेश

4506. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इससे छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमियों को निवेश करने हेतु और संयुक्त उद्यम के लिए अपने सही सहयोगी खोजने में कहां तक मदद मिलेगी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू.एन.आई.डी.ओ.) ने ''निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन पहल'' (आई.टी.पी.आई.) नामक एक नया कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से कुछ विशेष कार्यकलाप शुरू करने हेतु संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन देश के निदेशक की देखरेख में नई दिल्ली में एक पृथक निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन पहल कार्यालय की स्थापना की जायेगी:-

1. अन्य देशों के प्रौद्योगिकी भागीदारों तथा संयुक्त उद्यमों की पहचान में उद्यमियों की सहायता करना।

2. भारत भरत में भारतीय और विदेशी फर्मों की बीच कारोबारी सहयोग में सक्रिय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के केन्द्रीय बिंदुओं के तंत्र की स्थापना करना।

3. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से उपलब्ध सेवाओं तथा निवेश परियोजना पहचान, गठन, जांच तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में विकसित और विकासशील देशों में इसकी निवेश संवर्धन सेवाओं के विषय में जागरुकता को फैलाना।

4. राज्य स्तर पर प्रौद्योगिकी तथा निवेश सामंजस्य हेतु ''इन्टैकमार्ट'' आयोजित करना।

5. नई दिल्ली में 1995 और 1996 में आयोजित पिछली ''इनटैकमार्ट'' में संयुक्त उद्यमों हेतु पता लगायी गयी परियोजनाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही का करना।

परियोजना दो वर्ष की अवधि के लिए है जो 1 मई, 1996 से आरंभ होगी। निवेश और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन पहल परियोजना मुख्यत: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा संयुक्त उद्यमों के लिए लघु तथा मझौले उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। इससे लघु तथा मझौले उद्यमों के विकास में वृद्धि होगी, जिससे कि कौशल उन्नयन तथा रोजगार सृजन होगा और इस प्रकार इसका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल में रबड़ वृक्षारोपण

4507. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में रबड़ वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। महाशय रबड़ बोर्ड द्वारा किए गए अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण से पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में लगभग 15,000 हैक्टे. भूमि के उपयुक्त होने के संकेत मिलते हैं। रबड़ बोर्ड ने उपयुक्त क्लोन और अन्य स्थानीय कृषि पद्धतियां विकसित करने के लिए 1989 में जलपाईगुडी जिले में नागरकट्टा में विशिष्ट अनुसंधान कार्यकलाप आरम्भ करने हेतु एक क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया। बाद में सिलिगुड़ी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। बोर्ड ने एक सामूहिक रोपण केन्द्र, 12.00 है. क्षेत्र में एक प्रदर्शन प्लाट और बर्दवान जिले के ओरगाम गांव में एक नर्सरी भी स्थापित की है।

अब तक 35.54 है. क्षेत्र पर रबड़ का रोपण किया गया है। वर्ष 1996 के दौरान और 50.00 है. क्षेत्र में रोपण की उम्मीद है।

राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण का विविधीकरण

4508. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू विपणन में राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण का विविधीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) उक्त योजना कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) उक्त योजना के लिए कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) चालू वर्ष में महाराष्ट्र के लिए विपणन योजना संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) निर्यात और आयात की मदों के गैर माध्यमीकरण के फलस्वरूप तथा लाभग्रहयता में अपने कारोबार का विस्तार करने के प्रयास में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने अपने कार्यों का विविधीकरण किया है। इसने तिलहनों, काफी, काजू आदि का व्यापार शुरू किया है। इसके अतिरिक्त इसने चाय, काफी, दालों, परिष्कृत सोयाबीन करडी तेल आदि के घरेलू व्यापार में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) अचल परिसम्पत्तियों में निवेश करने का प्रस्ताव नहीं है। 1996-97 की घरेलू बिक्रियां 100 करोड़ रुपये है जबकि 1995-96 में 78 करोड़ रु. की थी। चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र का व्यापार लगभग 10 करोड़ रु. होने की आशा है।

कमोडिटी बोर्ड के वैज्ञानिकों के लिए पूरक योजना

4509. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमोडिटी बोर्ड के वैज्ञानिकों के लिए लचीली पूरक योजना (फ्लैक्सीबंल कम्पलीमेन्टिंग स्कीम) को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह एक नीतिगत मामला है जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सलाह लेने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

बैंकों में टेलर मशीन

4510. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थान-वार उन बैंक शाखाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें बैंक टेलर मशीनें लगाई गई हैं;

(ख) निकट भविष्य में किन-किन बैंकों में उक्त मशीन को लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च होगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत मुक्त विदेशी निवेश

4511. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों पर विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय आयोग के एक प्रस्ताव को शामिल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है जिससें विदेशी निवेश को नियमित करने की उनकी सवतंत्रता समाप्त हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के नेतृत्व में बहुपक्षीय निवेश समझौता नामक एक नई निवेश व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) यूरोपीय कमीशन ने कनाडा का इस आशय के प्रस्ताव को समर्थन दिया है कि निवेश नीति के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए विश्व व्यापार संगठन एक कार्य-दल गठित करें। कुछ अन्य देशों के साथ भारत ने समर्थन किया है कि :

इस विषय पर होने वाले विचार-विमर्श पर विचार करने के लिए ट्रिम्स करार की पहले ही समयावधि है जिसका पालन किया जाना चाहिए; और

इस आशय का निर्णय लेने से पहले कि क्या इसे डब्ल्यू. टी. ओ. की कार्य-सूची में रखने की जरूरत है या नहीं, मुद्दे का पहले भली-भांति विश्लेषण करके अंकटाड में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार

4512. **श्रीमती बसुन्धरा राजे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की जैव-विविधता को गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा पेटेंट किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (टी.आर.आई.पी.एस.) के अंतर्गत संपूर्ण पादप तथा प्राणी जैव-विविधता को पेटेंट करने हेतु कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकर ने देश की छोटी से छोटी प्रजातियों सहित सम्पूर्ण पादप तथा पशु प्रजातियों की सूची तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) पादप तथा प्राणियों को पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत पेटेंट के योग्य नहीं माना गया है। व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (टी.आर.आई.पी.एस.) पादप तथा प्राणियों को पेटेंट से अलग रखने की अनुमति भी सदस्यों को देता है।

(घ) और (ङ) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.) तथा भारतीय प्राणि विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण (जेड.एस.आई.) क्रमशः देश की पादप तथा प्राणियों की प्रजातियों के आविष्कार तथा सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी है जिसमें निम्न स्तर का जीवन भी शामिल है। इन संगठनों द्वारा अब तक देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर पादपों की 45,000 तथा प्राणियों की 81,000 प्रजातियां दर्ज की गई हैं।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का कार्यकरण

4513. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपूर्ति विभाग में कितने राजपत्रित/अराजपत्रित सचिवालय अधिकारी तैनात हैं;

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कार्यकरण में उनकी भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कार्यकरण को सक्रिय बनाने के लिए उनकी क्या उपलब्धियां हैं;

(घ) क्या सरकार का आपूर्ति विभाग को भंग करके आपूर्ति बोर्ड द्वारा गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोलाबुल्ली रमैया): (क) पूर्ति विभाग में नियुक्त राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

राजपत्रित	:	34
अराजपत्रित		146

(ख) और (ग) पूर्ति विभाग, केन्द्रीय सरकार के विभागों और राज्य सरकारों, पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों आदि के लिए ऐसे सामान की खरीद और निरीक्षण करने के लिए एक नोडल विभाग है जिनके लिये पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा दर संविदाएं तय की जाती हैं। 5 करोड़ रु. से अधिक के मूल्य (टर्न ओवर) वाली सभी दर संविदाओं पर पूर्ति विभाग के अनुमोदन से अंतिम निर्मय लिया जाता है। विभाग द्वारा संबंधित कार्यों जैसेकि समय से भुगतान, सामान के नौवहन और निकासी की भी देख-रेख की जाती है। यह सामग्रियों, उत्पादों और उपकरणों के परीक्षण और मूल्यांकन करने से भी संबंधित है और यह गुणवत्ता सुधार/नियंत्रण उपायों से भी वृद्धित रूप से संबद्ध है। यह विभाग, दो ग्रुप 'ए' सेवाओं अर्थात भारतीय पूर्ति सेवा और भारतीय निरीक्षण सेवा के संवर्ग संबंधी प्रबंध कार्यों की देख-रेख भी करता है। यह विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शालाओं के कार्यालयों के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक अधिकारियों और अन्य स्टाफ का प्रबंध भी करता है। पूर्ति विभाग, संलग्न कार्यालयों—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, मुख्य लेखा नियंत्रण कार्यालय और राष्ट्रीय परीक्षण शाला के माध्यम से अपना कार्य करता रहा है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग उपर्युक्त कार्य को करने में लगे हुए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर देय राशि

4514. श्री सुशील चन्द्र : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को 21 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एस. जालप्पा) : (क) 31.7.1996 तक की स्थिति अनुसार एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) द्वारा 19.51 करोड़ रु. की राशि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को देय थी।

(ख) कार्यशील पूंजी की जटिल कमी तथा एन.टी.सी. को हुए घाटों के कारण एन.टी.सी. इस बकाया देय राशि का भुगतान नहीं कर पाया है। सरकार ने एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) लि. अधीन मिलों सहित एन. टी. सी. के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है। संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना बी.आई.एफ.आर. के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गयी है। योजना के क्रियान्वयन से एन.टी.सी. मिलों के अर्थक्षम बन जाने की आशा है। ऐसी भी आशा है कि एन.टी.सी. संशोधित

बन जाने की आशा है। ऐसी भी आशा है कि एन.टी.सी. संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना के क्रियान्वयन से इन बकाया राशि का भुगतान करने में सक्षम होगा।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प विकास

4515. एम.पी. जायसवाल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने हस्तशिल्प विकास जैसे काष्ठ कला, तांबे तथा पीतल की बनी वस्तुएं, वस्त्र रंगाई, कालीन तथा साड़ी बुनाई तथा मिट्टी के बर्तन बनाने से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, कानपुर (जो राज्य में हस्तशिल्प के विकास के लिए नोडल संगठन है) ने राज्य में हस्तशिल्प के विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न शिल्पों में सहायता मांगी है। वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान सरकार द्वारा निगम को दी गई सहायता के विस्तृत ब्यौरे निम्न प्रकार है:

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना का नाम	रिलीज की गई राशि 1995-96	1996-97 (अगस्त 96 तक)
1.	प्रदर्शनी	8.68	1.80
2.	एम्पोरियमों का नवीकरण	2.50	1.79
3.	शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना	1.88	1.94
4.	कालीन प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	-	25.00
5	डिजाइन विकास	-	3.00
6.	विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण	-	2.46

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोला जाना

4516. श्री केशव महन्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार विशेषकर असम के सन्दर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में उक्त बैंक की शाखाएं खोले जाने संबंधी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों में विशेषकर असम में स्थान-वार उक्त बैंक की शाखायें कहां-कहां खोले जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) असम में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) हैं। इन बैंकों के नाम और इनके मुख्यालयों के स्थान निम्नानुसार हैं:

	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	मुख्यालय
1.	प्रयाग ज्योतिषपर गोलियां बैंक	नलबाड़ी
2.	लखीमी गालियां बैंक	गोलाघाट
3.	कचार ग्रामीण बैंक	सिल्चर
4.	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	दिफू
5.	सुबनसिरी गोलियां बैंक	उत्तर लखीमपुर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) और (ग) शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऐसे लाइसेंसों के लिए प्राप्त अनुरोध पर वर्तमान प्रक्रियाओं और शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार निरंतर आधार पर विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 से आज की तारीख तक नई शाखाएं खोलने के लिए असम से उनके प्रधान कार्यालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्रम	राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	असम	5

1	2	3
3.	बिहार	22
4.	गुजरात	9
5.	हरियाणा	4
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू एवं कश्मीर	3
8.	कर्नाटक	13
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	24
11.	महाराष्ट्र	10
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	1
14.	नागालैण्ड	1
15.	उड़ीसा	9
16.	पंजाब	5
17.	राजस्थान	14
18.	तमिलनाडु	3
19.	त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	40
21.	पश्चिम बंगाल	9
22.	मिजोरम	1
23.	अरुणाचल प्रदेश	1
	अखिल भारत कुल :	196

बजट प्रस्तावों का निर्यात पर प्रभाव

4517. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में बजट प्रस्तावों की निर्यात पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संघीय बजट, 1996-97 में शून्य कर देने वाली कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का प्रस्ताव किया गया है। प्रभावी दर कंपनी अधिनियम के तहत परिकलित खाता लाभ की 12 प्रतिशत बैठती है। निर्यातों पर इस प्रस्ताव के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए यह देखा गया है कि मैट निम्नलिखित श्रेणियों के निर्यातकों पर लागू नहीं होगा:-

1. आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत 5 वर्षीय अवधि की छूट के दौरान शत-प्रतिशत ई.ओ.यू. और ई.पी.जैड. यूनिटें।

2. सभी भागीदारी व स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान।

3. सभी लिमिटेड कंपनियां जिनका निर्यात लाभ उनके कुल लाभ के 70 प्रतिशत से कम हो।

पुष्पोत्पाद का निर्यात

4518. **श्री सनत मेहता** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल मिलाकर अनुमानतः 60,000 करोड़ रुपये के मूल्य के पुष्पों का कारोबार होता है;

(ख) यदि हां, तो इस समय पुष्पोत्पादन के निर्यात में भारत का कितना हिस्सा है; और

(ग) पुष्पोत्पादन के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) आयात के रूप में मापे गए, तोड़े गए फूल तथा गमलों के पौधों में विश्व व्यापार 1992 के दौरान लगभग 6 बिलि. अमरीकी डालर का अनुमान लगाया गया है तथा फूलों के उत्पादों में भारत का निर्यात 1992-93 के दौरान 14.90 करोड़ रु. का हुआ है। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.07% बैठता है।

(ग) सरकार द्वारा पुष्पोत्पादन के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए अन्य उपायों में कुछेक उपाय ये भी शामिल हैं:-

1. जैसे प्रशीतित/इंसूलेटिड वैनों की व्यवस्था करने तथा प्रीकूलिंग/शीत भंडार एककों की स्थापना करने जैसे अवस्थापन के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना।

2. निकासी के लिए प्रतीक्षारत निर्यात खेपों के लिए हवाई पत्तनों (दिल्ली सहित) पर 5 चलते-फिरते शीत भंडागारों की स्थापना करना।

3. दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पत्तन पर तोड़े गए फूल तथा टिशू कल्चर पौधों सहित खराब होने वाले उत्पादों के निर्यात कार्गो के रखरखाव हेतु सुव्यवस्थित सुविधा की स्थापना करना।

4. कार्गों की तेजी से निकासी के लिए पौधा संगरोध क्रियाविधियों को सुकर तथा सरल बनाना।

5. ग्रीन हाउसिंग के लिए अपेक्षित विशिष्ट वस्तुओं पर रियायती सीमाशुल्क।

6. फूल उद्योग में लगी यूनिटों को शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत शुल्क-मुक्त आयातों के लाभ उपलब्ध कराना तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उनके उत्पादन का 50% की बिक्री की अनुमति देना।

7. तोड़े गए फूलों के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए फूल उद्योग पर यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त परियोजना का कार्यान्वयन। इस परियोजना में शुरू किए गए कुछेक क्रियाकलापों में ये शामिल हैं-फूलों के उत्पादन के संबंध में उद्यमियों को सलाह देना, फसल मैनुअल को तैयार करना, बाजार सर्वेक्षण करना तथा बाजार सूचना प्रदान करना; और

8. अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

प्रिंट मिडिया में विदेशी निवेश

4519. श्री संतोष मोहन देव :
श्री वी. वी. राघवन :
श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावें की स्वीकृति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ क्षेत्रों से यह शंका जताई गई है कि इस संबंध में केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही लाभान्वित होंगी; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण जलापूर्ति के लिए विश्व बैंक ऋण

4520. डॉ. अरुण कुमार शर्मा :
डॉ. प्रवीन चन्द्र शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने असम में ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण संबंधी स्वच्छता परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए विकसित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चमड़ा उद्योग

4521. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चमड़ा उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग में विभिन्न क्षेत्रों में कितने लोग कार्यरत है;

(ग) क्या देश में उक्त उद्योग के क्षेत्र में भारी संख्या में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने-अपने विनिर्माण एकक स्थापित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वदेशी उद्योग की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र का अर्धचर्मशोधक चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों जैसे चमड़े के जुते

और फैन्सी चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण में प्रभुत्व बना हुआ है। तथापि, चमड़ा क्षेत्र में लगभग 240 मध्यम/बड़े आकार के विनिर्माण करने वाले एकक विनियोजित हैं।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में चमड़ा क्षेत्र लगभग 1.5 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। जिनमें से छः लाख व्यक्ति लाश के लोथड़े से चमड़ा उतारने तथा 7 लाख व्यक्ति कुटीर और लघु उद्योग में लगे हुए हैं। लगभग एक लाख कारीगर अनुमानतः चमड़े की वस्तुएं मुख्यतः फुटवियर के मरम्मत कार्य में लगे हुए हैं। लगभग एक लाख व्यक्ति मध्यम और बड़े पैमाने के क्षेत्र, मुख्यतः चर्मशोधन और फुटवियर विनिर्माण एककों में भी रोज़गारत हैं।

(ग) जुलाई, 1991 से जारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जैसे जर्मनी की ऐडीडास, इटली की लोटो, स्वीटजरलैंड की बैली इन्टरनेशनल, यू.के. की लोट्स तथा यू.एस.ए. की रिबाक ने भारत में अपना विनिर्माण आधार शुरू कर दिया है।

(घ) जुलाई, 1991 से, चमड़ा उत्पाद क्षेत्र में लगभग 99 तकनीकी, वित्तीय, तथा विपणन के विदेशी सहयोग किये गये।

(ङ) भारत में लघु उद्योग के हितों की सुरक्षा के क्रम में, अधिकतर चमड़े के उत्पादों के विनिर्माण को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है।

पश्चिम बंगाल में अनधिकृत चाय बागान

4522. श्री अमर रायप्रधान : क्या **वाणिज्य मंत्री** पश्चिम बंगाल में अनधिकृत चाय बागानों के बारे में 11 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1603 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार से अब तक अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसकें क्या कारण हैं; और

(घ) यथाशीघ्र जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना से यह पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों के दौरान दार्जीलिंग, उत्तर दीनाजपुर, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिलों में कुछ नए चाय बागान बनाए गए हैं।

अब तक, चार जिलों में फैले 229 नए बागानों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

जिला	बागानों की संख्या (लगभग)	कवर किया गया क्षेत्र (एकड़)
दार्जीलिंग	21	1,302
उत्तर दीनाजपुर	113	18,863
जलपाईगुड़ी	90	15,711
कूचबिहार	05	05,000

पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है जैसाकि नए चाय बागानों के संबंध में पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उनको नियमित करने के लिए अभी कुछ नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सूचित किया है कि यह प्रश्न उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं है। चाय बोर्ड ने भी ऐसे बागान द्वारा खुले बाजार में शेयर जारी करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सिल्क यार्न बैंक योजना

4523. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सिल्क यार्न बैंक योजना को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार गत तीन वर्षों के दौरान अभिकरण द्वारा क्रय किए गए धागे के 27 प्रतिशत विभेदक मूल्य की दर से इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता देती है। कार्यान्वयन अभिकरण को शेष 73 प्रतिशत व्यय वाणिज्य बैंकों से ऋण लेकर अथवा अन्य साधनों से इसकी पूर्ति करनी होती है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

		गत तीन वर्षों 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान दी गई राशि			
क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	कुल राशि
1.	आंध्र प्रदेश	27.00	-	-	27.00
2.	असम	13.50	33.83	13.00	60.00
3.	गुजरात	-	4.25	-	4.25
4.	कर्नाटक	-	42.00	1.75	43.75
5.	केरल	-	24.245	6.62	30.865
6.	मध्य प्रदेश	-	-	11.00	11.00
7.	महाराष्ट्र	-	23.33	-	23.33
8.	मनीपुर	-	1.225	-	1.225
9.	उड़ीसा	50.30	53.71	5.60	109.61
10.	तमिलनाडु	25.00	56.00	36.49	117.49
11.	उत्तर प्रदेश	54.00	16.20	-	70.20
12.	पश्चिम बंगाल	24.875	25.21	25.54	75.625
13.	एन.एच.डी.सी.	13.50	-	-	13.50
		208.175	280.00	100.00	588.175

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की अधिष्ठापित क्षमता

4524. **श्री नवल किशोर राय :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन गत अनेक वर्षों से अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस निगम ने अपनी कितनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की 5 मिलों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 3.51 लाख टन प्रति वर्ष है। क्षमता-उपयोगिता 1993-94 में 66%, 1994-95 में 71% तथा 1995-96 में 72% थी।

[अनुवाद]

बैंकों की अलाभकारी परिसंपत्तियां

4525. **जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अगस्त, 1996 के दैनिक "इकोनोमिक टाईम्स" में "तलवार अरजेज बैंक्स टू कट डाउन एन. पी. ए. एसेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान बैंकों की अलाभकारी परिसंपत्तियों का प्रतिशत क्या है और 1995-96 के दौरान उनका प्रतिशत क्या है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष इन परिसंपत्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है; और

(ङ) निकट भविष्य में अलाभकारी परिसम्पत्तियों को कम करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। किसी भी बैंक की वित्तीय स्थिति, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी अनिष्पादित परिसम्पत्तियों (एन. पी. ए.) के स्तर पर निर्भर करती है, जो यथासंभव निम्नतर स्तर पर होनी चाहिएं। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के एन.पी.ए. के अनन्तिम आंकड़े अपने कुल अग्रिमों के 16.01% बैठते हैं जबकि पिछले वर्ष (31.3.95) के दौरान ये 19.45% थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को सतत प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे उन्नयन, वसूली आदि के माध्यम से एन. पी. ए. के अपने स्तरों में कमी लाएं।

(ग) 31.3.93 (अर्थात 8वीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष के अन्त) की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के एन. पी. ए. का प्रतिशत अपने कुल अग्रिमों का 23.18% था और यह 31.3.96 की स्थिति के अनुसार 16.01% (अनंतिम) बैठता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के एन. पी. ए. का स्तर जो 31.3.94 की स्थिति के अनुसार अपने कुल अग्रिमों का 24.78% था, वह 1992-93 से 1995-96 की अवधि के दौरान उच्चतम रहा है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों से ऋण जोखिम के बारे में बैंकों के बीच अत्यधिक सजगता आई है और अपने एन.पी.ए. को निम्नस्तर पर रखने हेतु बैंकों की ओर से सार्थक प्रयास किए गए हैं। बैंकों ने ऋण वसूली नीतियां तैयार की हैं और मुख्यालयों में वसूली कक्ष स्थापित किए हैं। बैंकों ने अपनी शाखाओं के लिए वसूली लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। वसूलियों की निगरानी थोड़े-थोड़े अन्तरालों पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से लगाकर बैंक अधिकारियों द्वारा की जाती है। ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना से यह भी आशा की जाती है जिससे कतिपय विवादित अथवा चूक देयराशियों की वसूली में बैंकों को सहायता मिलेगी।

कम्पनी अधिनियम 1956

4526. श्री भक्त चरण दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने नये कम्पनी अधिनियम का एक सम्पूर्ण मसौदा तैयार करने के लिए कोई कार्य दल गठित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त दल की संरचना तथा शर्तें क्या हैं; और

(घ) उक्त दल द्वारा कब तक मसौदे को तैयार करने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 को विस्तृत रूप से दोबारा लिखे जाने की आवश्यकता है।

(क) से (घ) जी, हाँ। सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया है जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 को दोबारा लिखने के लिए कानून, अर्थशास्त्र और कम्पनी कार्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। इस कार्यदल में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1. डा. के. आर. चन्द्रात्रे
2. डा. ओमकार गोस्वामी
3. श्री राजेन्द्र एस. लोढ़ा
4. श्री डी. एस. मेहता
5. श्री एस. रमैया
6. श्री एम. के. शर्मा
7. श्री शार्दुल एस. सराफ
8. श्री बी.बी. टंडन........ संयोजक

कार्यदल को कम्पनी अधिनियम, 1956 का दोबारा मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया है। दोबारा तैयार किए गए मसौदे का रुपान्तर सार्वजनिक चर्चा के लिए 1 जनवरी, 1997 तक उपलब्ध होने की सम्भावना है।

जनता कपड़े का उत्पादन

4527. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में जनता कपड़े के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा किसी हद तक इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में जनता कपड़े के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में जनता-कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में जनता कपड़े के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और उनकी उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1993-94	7.50	7.86
1994-95	6.50	4.36
1995-96	5.00	0.42

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) हथकरघा बुनकरों को अधिक मूल्यवान कपड़ा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जनता कपड़ा योजना को धींरे-धींरे समाप्त किया जा रहा है। अत: राज्य में जनता कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिजली परियोजना के लिए काउंटर गारंटी

4528. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन फास्ट-ट्रैक बिजली परियोजनाओं के संबंध में कुछ शर्तें लगाने का है जो काउंटर गारंटी की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या-क्या शर्तें रखे जाने के प्रस्ताव हैं; और

(घ) इससे होने वाले अपेक्षित लाभों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) : सी. सी. एफ. आई. द्वारा स्वीकृत फास्ट-ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की काउंटर-गारंटियों पर 14.12.94 को जारी की गई ''भारत सरकार द्वारा काउंटर गारंटी जारी करने के लिए सामान्य पैरामीटरों'' में दी गई शर्तों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। ''सामन्यत पैरामीटर'' संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

इस अवस्था में, उपर्युक्त सामान्य पैरामीटरों में किसी अतिरिक्त शर्त को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

निजी क्षेत्र की सभी विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रति गारन्टी जारी किये जाने हेतु सामान्य पैरामीटर

(क) पात्रता संबंधी मापदंड :

(1) राज्य बिजली बोर्ड ने विकासकर्ता के साथ विद्युत खरीद करार (पी.पी.ए.) किया हो,

(2) राज्य बिजली बोर्ड ने निजी विद्युत कंपनी को एक महीने की अपनी भुगतान संबंधी देयताओं के लिए अपरिवर्तनीय परिक्रमी साख पत्र खोलने, और एक निलंब-लेखा खाता बनाए रखने के लिए सहमति दी हो जिसमें निजी विद्युत कंपनी के एक महीने के बिल के बरार का राजस्व जमा किया जाएगा।

(3) राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत वित्त निगम के साथ प्रचालनात्मक तथा वित्तीय कार्य योजना (ओ.एफ.ए.पी.) पर हस्ताक्षर किए हों तथा उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा हो।

(4) राज्य सरकार ने पी.पी.ए. के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्ड की देयताओं के चुकाने के लिए गारंटी जारी करने की सहमति दी हो।

(5) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की राय में राज्य बिजली बोर्ड तथा राज्य वित्त का प्रबंध विवेक पूर्ण हो। अन्य पैरामीटरों के अलावा इसमें गत वित्तीय वर्ष के लिए अचल परिसम्पत्तियों पर न्यूनतम 3 प्रतिशत की प्रतिफल दर की उपलब्धि शामिल होगी।

(6) राज्य सरकार निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित शर्तों, विशेषकर वे जो कार्य-निष्पादन संबंधी पैरामीटरों से संबंधित हैं, को स्वीकारने का दायित्व लेती हैं।

(ख) विद्युत खरीद करार :

ध्यानपूर्वक समीक्षा किए जाने के बाद, भारत सरकार को इस बात पर मौटे तौर पर संतुष्ट होना चाहिए कि ''विद्युत खरीद करार'' (पी.पी.ए.) ऐसे मापदंडों को पूरा करता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं। चूंकि पी.पी.ए. निजी विद्युत परियोजनाओं के सफल प्रचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए, राज्य सरकारों को इस संबध में उपाय करने चाहिए ताकि ये उन व्यावसायिक विशेषज्ञों की मदद से निष्पादित किए जा सकें जिन्हें उपयुक्त अनुभव हो। इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय को पहले निम्नलिखित को प्रमाणित करना होगा:

(1) परियोजना की अनिवार्यता तथा ग्रिड प्रबंधन के साथ उसका सामंजस्य।

(2) क्या उत्पादन क्षमता की प्रति मैगावाट लागत विद्युत क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं की लागत को देखते हुए उचित है।

(3) टैरिफ और अन्य पैरामीटर भारत सरकार के अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियत किए गए हैं और यदि कोई परिवर्तन किए गए हैं तो वे पूरी तरह उचित हैं।

(4) विद्युत खरीद करार में प्रति इकाई लागत (पी.एल.एफ. के भिन्न-भिन्न स्तरों पर) स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी जो इन लागत तत्वों में हुए केवल उन्हीं ज्ञात उतार-चढ़ावों में समायोजित की जायेगी जिनकी सहमति स्वत: आधार पर शुल्कों में अनुभूत की गयी दरों पर दी जाएगी। जब तक इस पद्धति से लागतें नियत न की जाएं तब तक कोई प्रति गारंटी नहीं दी जा सकती।

(ग) शर्तें :

सी. सी. एफ. आई. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर निम्नलिखित गारंटियों हेतु विचार किया जा सकता है:

1. कार्यक्षेत्र :

- गारंटी में केवल क्षमता तथा उर्जा प्रभारों के संबंध में भुगतान ही शामिल होंगे।

- विद्युत खरीद करार के समापन होने की स्थिति में, गारंटी में अतिरिक्त रूप से निजी विद्युत कंपनी द्वारा संयंत्र के निर्माण हेतु लिए गए विदेशी ऋण की बकाया राशि का एक भाग शामिल होगा। जिसे ऋण के रूप में उल्लिखित किया जाएगा और जिसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी तथा जो विदेशी इक्विटी की समकक्ष राशि तक सीमित रहेगा। शेष ऋण की गारंटी नहीं दी जाएगी। ऐसा ऋण या तो भारतीय वित्तीय संस्थाओं से उगाहा जा सकेगा अथवा फिर भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयुक्त गारंटियों सहित विदेशी स्रोतों से प्राप्त किया जा सकेगा। जब भी ''समापन भुगतान'' किया जाए तो इसके साथ बिजली घर पर एक उपयुक्त प्रभार भी लगाया जाए।

2. वित्तीय सीमाएं :

- भारत सरकार की अधिकतम वार्षिक देयता संभावित क्षमता और ऊर्जा संबंधी भुगतानों के आधार पर पूर्व-निर्धारित स्तर पर नियत की जाएगी जिसमें वार्षिक वृद्धि 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह गारंटी सीमा होगी।

- अतिरिक्त रूप से, कर में परिवर्तन अथवा भारत सरकार द्वारा किए गए रुपए के अवमूल्यन के प्रभाव से वास्तविक वहनीय आधार पर गारंटी सीमा में वृद्धि हो जाएगी।

- गारंटी रुपए के मूल्यवर्ग में होगी।

- प्रत्येक राज्य के संबंध में भारत सरकार की कुल देयता केन्द्रीय योजना सहायता तथा गत वित्तीय वर्ष में उस राज्य को अंतरित केन्द्रीय करों के भाग की कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

3. दूसरी गारंटी :

- किसी राज्य के लिए एक से अधिक गारंटी पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उस राज्य के लिए भारत सरकार की कुल देयता केन्द्रीय योजना सहायता तथा गत वर्ष पिछले करों में केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से की कुल राशि से अधिक न हो।

4. गारंटी की समयावधि :

गारंटी की समयावधि वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश की तारीख के 10 वर्षों तक सीमित रहेगी। तथापि, विदेशी परियोजना निर्माण ऋणों के संबंध में समापन भुगतान के लिए ऐसे ऋणों की शर्तों के अनुरूप अधिकतम 15 वर्षों की समयावधि के बारे में विचार किया जा सकता है।

5. न्यूनतम इक्विटी धारिता :

(1) वाणिज्यिक व्यापार के प्रारंभ होने के बाद बारह महीने बीत जाने तक प्रोमोटर शेयरधारकों से यह अपेक्षा होगी कि ये निर्गम शेयर पूंजी का कम से कम 50 प्रतिशत अपने पास रखें। उसके बाद जब तक गारंटी प्रभावी रहती है, तब तक उनकी धारिता 33.33 प्रतिशत से नीचे नहीं गिरनी चाहिए।

(2) किसी भी विदेशी मूल्य वर्ग इक्विटी का रुपए के मूल्य वर्ग की इक्विटी में अंतरण करने के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना अपेक्षित होगा।

6. गारंटी शुल्क :

(1) राज्य सरकार 1 रुपए की नाममात्र गारंटी शुल्क का भुगतान करेगी (यह भारत सरकार द्वारा चार्ज की गयी गारंटी सीमा के 1.2 प्रतिशत की सामान्य शुल्क की जगह होगी)

(2) नीचे पैरा ''7'' में विस्तृत रूप से दिए गए निष्पादन पैरामीटरों को पूरा करने में असफल होने की स्थिति में, सम्बद्ध पैरा में उल्लिखित अतिरिक्त गारंटी शुल्क लगाया जाएगा।

7. निष्पादन पैरामीटर :

ओ.एफ.ए.पी. के अनुपालन के संदर्भ में और चूंकि भारत सरकार के जोखिम मूल्यांकन में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण घट-बढ़ होती रहती है, इसलिए निम्नलिखित न्यूनतम निष्पादन पैरामीटर अपनाए जाएंगे।

(क) इसकी नियत आस्तियों के मूल्य पर 3 प्रतिशत की न्यूनतम प्रतिलाभ दर 1-3 प्रतिशत से नीचे प्रतिलाभ दर में गिरावट

के लिए, गारंटी शुल्क में चूक की सीमा का ध्यान किए बिना कुल गारंटी सीमा के 0.5 प्रतिशत तक वृद्धि होगी।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विद्युत बोर्ड की औसत आय 3 महीने की बिक्री (31.3.98 तक 4 महीने) के समतुल्य से अधिक नहीं होगी। आय में निर्दिष्ट स्तरों से किसी भी वृद्धि के लिए गारंटी शुल्क में कुल गारंटी सीमा के 0.25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

(ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विद्युत बोर्ड की औसत भुगतान योग्य राशि उसके विद्युत केन्द्रों और अन्य कार्यों के लिए ईंधन और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के 3 महीने (31.3.1998 तक 4 महीने) के समतुल्य से अधिक नहीं होगी। निर्दिष्ट स्तर से अधिक किसी वृद्धि के लिए गारंटी शुल्क में चूक की सीमा का ध्यान किए बिना कुल गारंटी सीमा के 0.25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

(घ) न्यूनतम कृषि टैरिफ की लेवी का निर्धारण, राष्ट्रीय विकास परिषद अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय मंचों में समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार होगा।

8. गारंटी का आह्वान :

जब कभी कोई राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य सरकार विद्युत कंपनी को देय राशियों के भुगतान में चूक करता है तो निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ेगा:

(क) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से अपनी प्रति गारंटी के संदर्भ में भुगतान की गई किसी भी राशि को भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य के लेखों में जमा कर दिया जाएगा। जब तक भारत सरकार के संपूर्ण ऋणों की वसूली नहीं हो जाती, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार की ओर से कोई अन्य भुगतान नहीं करेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इस पर सहमत है कि प्रति गारंटी के तहत भारत सरकार को देय किसी भी राशि को केन्द्रीय आयोजना सहायता, केन्द्रीय करों में राज्य के भाग, अन्य केन्द्रीय ऋणों और अनुदानों में समायोजित किया जा सकता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि को राज्य सरकार से प्रति वर्ष बैंक दर (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार) के समकक्ष सामान्य ब्याज दर तथा 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष सहित वसूल किया जाएगा।

(घ) भारत सरकार द्वारा जब कोई भुगतान किया जाता है, तो उसे निजी विद्युत कंपनी को तत्काल यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि भारत सरकार द्वारा पूर्ण राशि वसूल किये जाने तक बिजली घर से बिजली की सप्लाई कहां और किसको की जाए।

(ङ) टर्मिनेशन प्रभारों के भुगतान होने पर, भारत सरकार अन्य ऋणदाताओं के समरूप चार्ज करेगी।

9. अन्य शर्तें :

(क) भारत सरकार को राज्य विद्युत बोर्ड में पड़ी शेष बकाया राशि और एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. और पावर ग्रिड को देय राशि का समायोजन उसी प्रकार करने का अधिकार होगा जैसा कि ऊपर पैरा 8 (1) तथा (2) में उल्लेख किया गया है।

(ख) करार और गारंटियां भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे। तथापि, विदेशी ऋणदाताओं के वैध विचारों को उनके लागू करने से उपयुक्त छूट दी जा सकती है।

(ग) इस करार के उल्लंघन होने पर प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत तक की दर से दण्डात्मक गारंटी शुल्क लगाया जा सकेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

4529. **डा. एम. पी. जायसवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक के प्रारूप रिपोर्ट में यह चेतवनी दी गयी है कि सकल घरेलू उत्पाद की अनुमति सात प्रतिशत की वृद्धि दर संभवत: कायम नहीं रखी जा सकेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) विश्व बैंक के देशीय आर्थिक ज्ञापन, 1996 में उल्लेख किया गया है कि पिछले पांच वर्षों के स्थिरीकरण तथा सुधार संबंधी उपायों ने भारत में विकास की सम्भावनाओं में पर्याप्त सुधार किया है और संभव है कि इन सम्भावनाओं से भारत के सकल घरेलू उत्पाद को प्रति वर्ष 6-7 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर में बनाए रखने के लिए पूर्व-स्थितियां निर्मित हुई हों, तथापि, विश्व बैंक ने यह भी उल्लेख किया है कि चालू वृद्धि दरों को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने मानव संसाधन विकास को तेज करने, कृषि संबंधी नीतियों में सुधार करने, नगरीय सेवा में सुधार हेतु प्राथमिक कार्रवाई करने और आधारभूत क्षेत्रों में सुधार जैसे संरचनात्मक सुधारों की चुनौतीपूर्ण कार्यसूची पर ध्यन दिए जाने की आवश्यकता है।

(ग) वर्ष 1996-97 के बजट में घोषित नीति संबंधी उपायों सहित सरकार की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखना है।

[हिन्दी]

आयातित कपड़ों का अवैध व्यापार

4530. श्री ओ. पी. जिन्दल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संगठन निर्धनों को नि:शुल्क कपड़े प्रदान करने के नाम पर चिथड़े कपड़ों का आयात करके अवैध व्यापार में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से संगठन इस कार्य में संलिप्त हैं; और

(ग) सरकार का इन संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ए.सी.ए.एस.एच. के माध्यम से विपणन

4531. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित निगमों और हथकरघा की शीर्ष संस्थाओं की एसोसिएशन और राज्य स्थित हथकरघा एजेंसियों द्वारा राज्य हथकरघा एजेंसियों में हथकरघा एककों से कितने प्रतिशत कमीशन वसूल किया जाता है;

(ख) इस एसोसिएशन में दर्ज संस्थाओं की सूची का व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विशुद्ध रूप से इस एशोसिएशन से खरीद हेतु कौन-कौन सी वस्तुएं आ रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इस एसोसिएशन द्वारा कितने अनुबंध पूरे किए गए तथा कौन-कौन सी वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा में आपूति की गई और अनुबंध में इनका मूल्य कितना था तथा इन वस्तुओं की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई और कितनी मात्रा की आपूर्ति नहीं की जा सकी; और

(घ) इस संगठन के माध्यम से सरकार की क्रय नीति से कितने बुनकर लाभान्वित हुए?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) हथकरघा की शीर्ष समितियों और निगमों के संघ (आकाश) द्वारा अपने अधिसूचित अभिकरणों द्वारा सप्लाई किए गए कुल सामान के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रशासनिक खर्चों के लिए कमीशन लेता है। आकाश अथवा केन्द्र सरकार ने इस कमीशन अथवा प्रशासनिक खर्चों के लिए कोई विशेष मार्गदर्शिका लागू नहीं की है और राज्य हथकरघा अभिकरण ही यह निर्णय लेते हैं कि अपनी पंजीकृत हथकरघा इकाईयों से कितना कमीशन लिया जाये।

(ख) आकाश के सदस्यों की सूची और केन्द्र सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र से क्रय की जाने वाली अधिसूचित मदों का विवरण क्रमश: विवरण-1, 2, 3 में उपलब्ध है।

(ग) एक विवरण जिसमें 1993-94 से 1995-96 के दौरान प्राप्त अनुबंधों, आर्डर, आर्डर की पूर्ति और शेष आर्डर आदि दर्शाया गया है, परिशिष्ट ''ग'' के रूप में संलग्न है।

(घ) 'आकाश' द्वारा यह आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण 1

'आकाश' के सदस्यों की सूची

1. अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि.।
2. आंध्र प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि.
3. आंध्र प्रदेश राज्य वस्त्र विकास निगम लि.।
4. आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादक संघ एवं रेशम बुनकर सहकारी समिति लि.।
5. बिहार राज्य निर्यात निगम लि.।
6. बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि.।
7. गुजरात राज्य हथकरघा विकास निगम लि.।
8. गुजरात राज्य हथकरघा एवं औद्योगिक सहकारी संघ लि.।
9. हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि.।
10. हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लि.
11. हरियाणा राज्य औद्योगिक सहकारी संघ लि.।
12. हरियाणा राज्य सहकारी हथकरघा बुनकर शीर्ष समिति लि.।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि.।
14. जम्मू व कश्मीर हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि.।

15. जम्मू व कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लि.।
16. कर्नाटक हथकरघा विकास निगम लि.।
17. केरल राज्य हथकरघा विकास गिम लि.।
18. केरल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि.।
19. महाराष्ट्र राज्य हथकरघा सहकारी संघ लि.।
20. महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम लि.।
21. मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि.
22. मनीपुर हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि.।
23. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.।
24. राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ लि.।
25. उत्तर पूर्वी हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि.।
26. उड़ीसा राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि.।
27. उड़ीसा राज्य हथकरघा विकास निगम लि.।
28. उड़ीसा राज्य टसर एवं रेशम सहकारी समिति लि.।
29. पाण्डिचेरी राज्य बुनकर सहकारी समिति लि.।
30. पंजाब राज्य हथकरघा बुनकर शीर्ष सहकारी समिति लि.।
31. पंजाब राज्य हथकरघा वस्त्र विकास निगम लि.।
32. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगमं लि.।
33. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि.।
34. तमिलनाडू हथकरघा विकास निगम लि.।
35. तमिलनाडू हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि.।
36. त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि.।
37. त्रिपुरा शीर्ष बुनकर सहकारी समिति लि.।
38. उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि.।
39. उत्तर प्रदेश औद्योगकि सहकारी संघ लि.।
40. पश्चिम बंगाल हथकरघा एवं पावरलूम विकास निगम लि.।
41. पश्चिम बंगाल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि.।

विवरण–2

हथकरघा क्षेत्र से क्रय करने के लिए अधिसूचित मदें

शीर्षक		आई.एस.
सूती-हथकरघा		
अंग-वस्त्रम	7216	1974
पट्टी का कपड़ा	863	1969
बिस्तर की दरियाँ	1557	1955
बिस्तर की चादरें	745	1975
कम्बल, भूरे या रंगीन	746	1975
ब्लीडिंग मद्रास, लूमस्टेट	1937	1961
बुक्रम कपड़ा	1102	1968
बटिंग कपड़ा, रंग किया हुआ	747	1982
केलिको, ब्लीच्ड या रंगा हुआ	1241	1958
केम्ब्रिक, ब्लीच्ड	1098	1957
सेलूलर सर्टिंग, हथकरघा सूती	1101	1981
प्लास्टर आफ पेरिक की पट्टी बाँधने का कपड़ा व बेडेंजों के टुकड़े	6237	1971
कोटों के लिए हथकरघा सूत	1243	1981
पक्के रंगों का हथकरघा सूती कपड़ा माँग	6906	1982
क्रेप	1100	1978
धोतियाँ	748	1974
सलेटीरंग की दसूती, चौकौर, ब्लीच्ड या रंगी हुई	756	1984
ड्रेस मेटेरियल, ब्लीचड, प्रिंट में, धारीधार, चैक में रंगा हुआ	1095	1957
ड्रिल्स	1451	1979
डुँगरी कपड़ा	749	1978
डेस्टरस	859	1978
फर्श की दरियाँ	1450	1972
गद्दे का कपड़ा	1094	1976
गाज, सोकने वाला, गैर-र्स्टालाईज्ड हथकरघा सूती	758	1975
रुमाल	1939	1975
हालेंड का कपड़ा, गैर-चमकीला	1096	1957
छोटे तौलिए व तौलियों का कपड़ा	855	1979
बड़े तौलिए	856	1971

शीर्षक		आई.एस.
जकोनेट कपड़ा, स्लेटी, ड्रेस्ड	861	1982
लाईट-शीटिंग, स्लेटी	864	1956
लाईनिग कपड़ा रंगा हुआ	1099	1957
लिंट, सोखने वाला, ब्लीच्ड	757	1971
लम्बा कपड़ा ब्लीच्ड या रंगा हुआ	1244	1958
लूँगीयाँ	750	1976
मद्रासी-चैक	1274	1958
मद्रासी-रूमाल, हथकरघा सूती	1093	1981
मलमल, ब्लीच्ड	755	1984
मजरी कपड़ा (लम-स्टेट)	751	1984
सिली जुली साड़ियाँ	8039	1976
मूटस, धारीधार या चैक में	1814	1961
मच्छर दानियाँ	1097	1979
मलमल व्लीचड	752	1984
नैनसूक, ब्लीच्ड या रंगी हुई	1240	1958
नेपकिन, व्लीच्ड, धारीधर या रंगी हुई	857	1956
पोपलिन, ब्लीचड या रंगी हुई	1556	1960
पगड़ी का कपड़ा, ब्लीच्ड या रंगा हुआ	753	1983
पायजामे का कपड़ा, स्लेटी धारीधार	1245	1958
साड़ियाँ	754	1974
स्कूल यूनीफार्म फेब्रिक	8797	1978
सर्टिंग	1242	1975
स्पंज-कपड़ा, स्लेटी, धारीधार व चैक का	860	1956
मेज का कपड़ा व नापकिन, हथकरघा सूती	858	1981
टिकिंग कपड़ा, स्लेटी रंगा हुआ	862	1956
टीर्कश तोलिए व तौलियों का कपड़ा हथकरघा सुत	854	1981
टवील्स	1579	1979

शीर्षक		आई.एस.
रेशमी-हथकरघा		
बुश-शर्ट कपड़ा, लुम स्टेट	1686	1960
धोतियां, लुम स्टेट	1583	1960
कौरा (लूम-स्टेट) कपड़ा	1687	1960
शर्टिंग-लुमस्टेट	1584	1960
ऊनी हथकरघा		
कम्बल का कपड़ा	895	1957
कम्बल, स्कार्लेट	2901	1964
कम्बल, प्राकृतिक-स्लेटी-भूरे	892	1980
कम्बल, साधारण प्लेन या चेक में	893	1957
कम्बल, मोटा (दोहरा)	2157	1962
कम्बल, मोटा (एकहरा)	2481	1963
कम्बल, भूरा लाल	891	1980
बटिंग क्लाथ, वस्टर्ड भारी	889	1957
बटिंग क्लाथ, वस्टर्ड, हल्का	890	1957
कपड़ा, कालर, सफेद	2715	1964
कम्बालिस, लुमस्टेट	896	1957
लोही, वस्टर्ड	1268	1958
मेल्टन (मोटा) कपड़ा	2173	1962
सर्ज	1266	1958
सर्टिंग, वर्स्टड	891	1957
ढेर कपड़ा	2714	1964

निम्नलिखित मदें क्रेता द्वारा अनुमोदित नमूनों/आपस में सहमति के बाद उपलब्ध की जाएंगी:-

1. खेस
2. बिस्तरे की चादर
3. काऊंटर पैन
4. फर्नीसिंग
5. चादर
6. इरेटस/जमाक्कालन
7. बस्ता कपड़ा
8. निम्न श्रेणी का पिब कपड़ा
9. सिल्क साड़ियाँ
10. शालें, मफलर, पंखियाँ
11. ऊनी ट्वीड

विवरण-3

वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक प्राप्त आदेशों के अनुबंध, उनका पालन और शेष आदेशों का ब्यौरा

(मात्रा लाख यूनिटों में, मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	मद	इकाई	प्राप्त अनुबंधों की सं	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	कम्बल	नग	29	7.91	1605.9	3.01	651.95	4.18	953.99
2.	बिस्तर की चादर	नग	43	3.35	292.66	3.05	279.05	0.30	13.61
3.	बिस्तर दरी	नग	16	2.46	319.18	1.50	215.92	0.66	103.26
4.	कम्बल कपड़ा	मीटर	10	1.15	74.67	0.60	45.59	0.35	29.08
5.	बटिंग कपड़ा	मीटर	1	0.06	1.50	0.06	1.50	–	–
6.	ब्लाउज कपड़ा	मीटर	41	1.69	42.06	1.69	42.06	–	–
7.	पर्दे	मीटर	42	1.00	55.32	1.00	55.32	–	–
8.	डूंगरी कपड़ा	मीटर	1	0.75	11.87	0.75	11.87	–	–
9.	झाडन	नग	5	6.32	18.35	6.32	18.35	–	–
10.	गौज व बैंडेज		215	–	931.45	–	906.45	–	25.00
11.	तकीए का कवर	नग	30	2.53	67,65	2.50	66.45	0.03	1.20
12.	पीसी शूटिंग व शर्टिंग	मीटर	81	12.67	770.72	12.26	743.72	0.41	27.00
13.	पगड़ी का कपड़ा	मीटर	1	7.49	155.52	–	–	7.49	155.52
14.	शीट	मीटर	18	1.13	15.74	0.97	14.87	0.16	0.87
15.	साड़ी	नग	57	2.06	337.41	1.88	311.93	0.18	25.48
16.	रेशमी साड़ी	नग	1	0.06	60.72	0.06	60.72	–	–
17.	स्पोंज कपड़ा	नग	14	11.55	101.92	11.20	99.42	0.31	2.50
18.	तौलिए	नग	58	10.94	291.55	2.69	121.29	8.25	170.26
19.	कंबली	नग	3	0.15	17.30	0.07	8.30	0.08	9.00
20.	ड्रिल कपड़ा	मीटर	1	0.001	0.05	0.0001	0.05	–	–
	कुल		667		5071.58		3854.31		2516.77

स्पिनिंग मिल्स

4532. **श्री सौम्य रंजन :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यातोन्मुखी सूत कताई मिलों ने वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसी और मिलें स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन मिलों की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल और अन्य ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) वर्ष 1995-96 के दौरान शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा 1590 करोड़ रु. (लगभग) मूल्य का सूती यार्न निर्यात किया गया।

(ख) और (ग) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक उद्यमियों की अभिरुचि के स्थानों में स्थापित किए जा सकते हैं जोकि सरकार की स्थान संबंधी नीति के अध्यधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को घाटा

4533. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों को गत तीन वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले गए मूलधन और ब्याज की राशि, यदि कोई हो, सहित लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है और उक्त राशि किन परिस्थितियों में बट्टे खाते में डालनी पड़ी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा यथासूचित, गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में हुए घाटों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	ग्रामीण शाखाओं की संख्या जिनमें घाटा हुआ है	हुए घाटे की कुल राशि
1992-93	5850	132.00
1993-94	5936	161.83
1994-95	4910	140.21

जहां तक उपर्युक्त अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले गए मूलधन और ब्याज की राशि का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आंकड़ा रखने संबंधी उनकी वर्तमान प्रणाली में सूचना इस प्रकार उपलब्ध नहीं होती जैसे पूछी गई है।

जहां तक सहकारी बैंकों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों के रिक्त पद

4534. श्री डी.पी. यादव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर कुछ विद्वान वकीलों को नियुक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो उच्च न्यायालय-वार इस प्रकार के कितने वकीलों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

विधिकार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (1) में अधिकथित मानदंड के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायमूर्तियों और राज्य संवैधानिक प्राधिकरणों से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की सिफारिश करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। तारीख 1-9-96 को प्रत्येक उच्च न्यायालय में बार से न्यायाधीशों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	निम्नलिखित से न्यायाधीशों की संख्या		
		बार	सेवा	योग
1.	इलाहाबाद	38	26	64
2.	आंध्र प्रदेश	22	15	37
3.	मुंबई	36	15	51
4.	कलकत्ता	22	18	40
5.	दिल्ली	18	10	28
6.	गौहाटी	12	5	17
7.	गुजरात	19	11	30
8.	हिमाचल प्रदेश	5	3	8
9.	जम्मू-कश्मीर	6	4	10
10.	कर्नाटक	20	10	30
11.	केरल	17	6	23
12.	मध्य प्रदेश	16	12	28
13.	मद्रास	17	6	23
14.	उड़ीसा	9	5	14
15.	पटना	20	13	33
16.	पंजाब और हरियाणा	16	17	33
17.	राजस्थान	20	12	32
18.	सिक्किम	1	1	2
		314	189	503

कपास का निर्यात

4535. श्री एन. जे. राठवा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मौसम के दौरान गुजरात से विशेष रूप से जनजातीय बहुल क्षेत्रों से कितनी मात्रा में कपास का निर्यात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) गुजरात सरकार ने अब तक कितनी मात्रा में कपास का निर्यात किया;

(ग) गुजरात सरकार ने कितनी मात्रा में कपास के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(घ) राज्य से कम मात्रा में कपास का निर्यात करने को अनुमति देने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने गुजरात राज्य विपणन परिसंघ को निर्यात के लिए कपास की 115 लाख गाठों का कोटा आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त 3.10 लाख गाठों का कोटा सभी परिसंघों के लिए खोला गया तथा वर्ष 1995-96 के वर्तमान कपास मौसम के दौरान आधुनिक जिनिंग तथा प्रैसिंग एककों को 2.00 लाख गाठें आबंटित की गई हैं।

इस वर्ष गुजरात को जारी किए गए कोटे में से लगभग 48,275 गाठों की दिनांक 27.8.96 तक गुजरात परिसंघ द्वारा लदान की सूचना थी।

(ग) से (घ) गुजरात सरकार ने 1995-96 के कपास मौसम के शुरू में ही कपास की 5 लाख गाठों के निर्यात कोटे के लिए अनुरोध किया था। इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त कोटा गुजरात परिसंघ को जारी किया गया था। इस कोटे का अभी उनके द्वारा प्रयोग किया जाना है।

[अनुवाद]

अनुमानित आयकर योजना

4536. श्री अमर पाल सिंह :
श्री विजय गोयल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर आधार बढ़ाने के प्रयास में 1992-93 बजट में लागू की गई अनुमानित (प्रीजस्टिव) आयकर योजना सफल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अनुमानित कर योजना अपनाने वाले व्यक्तियों की संख्या और इसके प्रारंभ से उक्त अनुमानित कर योजना के अंतर्गत वसूल किए गए कर के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

वित्त वर्ष	व्यक्तियों की सं.	वसूल किया गया कर (रु. करोड़ों में)
1992-93	116644	16.47
1993-94	195600	27.53
1994-95	356322	49.96
1995-96	251824*	35.39*

*आंकड़े अनंतिम हैं।

अनुमानित कर योजना के परिणाम उतने उत्साहजनक नहीं पाए गए हैं, जितने कि इनकी आशा थी।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे व्यापारी और विनिर्दिष्ट व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अनुमानित कर योजना से उत्पन्न होने वाले लाभों को पूरी तरह से समझ नहीं पाये हैं। परिणामत: उक्त योजना का लाभ उठाने के बारे में उतना उत्साह नहीं रहा है, जितनी कि आशा थी।

(ग) इसके लिए उपाय किये गये हैं और प्रिंट और इलैक्ट्रानिक माध्यमों के द्वारा तथा कर दाताओं एवं व्यापारिक एसोसिएशनों आदि के साथ बैठकें आयोजित करके उक्त योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए इन उपायों में तेजी लाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

काफी का निर्यात

4537. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में काफी का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान काफी के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) काफी का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोलाबुल्ली रमैया): (क) पिछले वर्ष के दौरान निर्यात की गई कॉफी की कुल मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	निर्यातित मात्रा (टनों में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (मिलियन यू.एस. डालर में)
1995-96	167956	438.33

(ख) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 1,50,000 टन काफी के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) बोर्ड अपने निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है:-

1. विदेशों में महत्वपूर्ण कॉफी मेलों में नियमित भाग लेना।
2. भारतीय काफी पर एक टी.वी. फिल्म बनाने के अतिरिक्त भारतीय कॉफी को लोकप्रिय करने के लिए मीडिया प्रचार अभियान चलाना।
3. नियमित बाजार सर्वेक्षण करना तथा विदेशी बाजारों में व्यापारिक वार्ता के लिए प्रतिनिधिमण्डल भेजना तथा
4. भारतीय काफी को लोकप्रिय बनाने के लिए देश में विदेशी बाजार टीमों को आमंत्रित करना।

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कर्मचारियों की संख्या कम करना

4538. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का अपने कर्मचारियों तथा श्रमिकों की संख्या को कम करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों तथा श्रमिकों की संख्या में कितनी कमी की जायेगी; और

(ग) कोयले के उत्पादन पर इस योजना के क्या संभावित प्रभाव पड़ेंगे?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.को.लि.) द्वारा अगले पांच वर्षों के दौरान अपनी श्रमशक्ति को कम किए जाने का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया हैं:-

वर्ष	श्रमशक्ति कम किए जाने की प्रस्तावित संख्या
1997-98	2920
1998-99	4096
1999-2000	3619
2000-2001	6058
2001-2002	4566

(ग) श्रमशक्ति में प्रस्तवित कमी किए जाने से कंपनी के कोयला के उत्पादन कार्यक्रम में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

नियंत्रणमुक्त सीमेंट

4539. श्री बी.एल. शंकर : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियंत्रण मुक्त सीमेंट के प्रभाव का आकलन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमेंट क मूल्य आम आदमी की पहुंच के दायरे में रहे, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) मार्च, 1989 में सीमेंट उद्योग की कीमत तथा वितरण के विनियंत्रण तथा जुलाई, 1991 में लाइसेंसमुक्त करने से सीमेंट उद्योग ने असाधारण वृद्धि दर्ज की है। स्थापित क्षमता लगभग दुगनी हो गई है तथा उद्योग का आधुनिकीकरण हो गया है तथा काफी हद तक इसकी प्रौद्योगिकी उन्नत हुई है। 1980 के प्रथम आर्द्ध तक बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में सीमेंट का आयात किया जाता रहा था। अब स्थिति विपरीत हो गई है तथा बहुत बड़ी मात्रा में देश से सीमेंट का निर्यात किया जा रहा है। भारत अब विश्व के प्रथम चार बड़े सीमेंट उत्पादकों में से एक है। देश में उत्पादित सीमेंट विश्व के सर्वोत्तम सीमेंट के मुकाबले का है।

(ग) जबकि सीमेंट की कीमत तथा वितरण विनियंत्रित हो गया है फिर भी सरकार अतिरिक्त स्थापित क्षमता की सृजित करने तथा बाजार में प्रतियोगात्मक सुदृढ़ता के ध्येय से सीमेंट उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार, जिन क्षेत्रों में सीमेंट फालतू है उसे वहं से कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए

प्राथमिकता आधार पर सीमेंट उद्योग को रेल वैगनों का नियतन करती है। रियायती उत्पाद शुल्क को छोटे सीमेंट संयंत्रों तक बढ़ा दिया गया है जो कि मुख्यतया दूर-दराज तथा ग्रामीण क्षत्रों में प्रचालित हैं।

बैंक धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त धनराशि का बीमा

4540. **श्री आई. डी. स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को धोखाधड़ी आदि के मामले के कारण हो रहे घाटे की प्रतिपूर्ति करनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और बैंक वार बैंकों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) भुगतान किये जाने के पूर्व क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा उठाए गए घाटे, उनके नियंत्रण के बाहर थे और उन घाटों के लिए बैंक अधिकारियों की कोई मिलीभगत, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने की कार्यवाही तथा लापरवाही नहीं की गई थी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सीमेंट फैक्टरियों द्वारा सीमेंट बैगों का आयात

4541. **श्री एन.वी.एस. चितयन्** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सीमेंट निगमों के लिए राज्य सरकार द्वारा सीमेंट बैगों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे आयात का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) प्रत्येक सीमेंट संयंत्र द्वारा बैगों की खरीद संबंधी आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राज्य सरकारों और सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाये जा रहे सीमेंट कार्पोरेशनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकार या कार्पोरेशनों द्वारा स्वयं सीमेंट की पैकिंग के लिए सीमेंट बैगों का आयात नहीं किया गया है।

निगरानी प्रणाली

4542. **श्री तारीक अनवर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंककारी कंपनियों के लिए कोई निगरानी प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से वित्तीय संस्थाओं के लिए स्थल पर ही निरीक्षण की प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के अंतर्गत, वित्तीय संस्थाओं का दो वर्ष के अन्तराल में निरीक्षण किया जाना है। स्थल पर निरीक्षण में सामान्यतः पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, ऋण प्रबंधन, आय एवं लाभप्रदता, नकदी, वाणिज्यिक बैकिंग क्रियाकलाप, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, समग्र प्रबंधन आदि क्षेत्र शामिल हैं। अद्यतन स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई), भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमटेड (आई. सी. आई. सी. आई.), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई. एफ. सी. आई.), राष्ट्रीय आवास बैंक (एन. एच. बी.), भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई. आर. बी. आई.) नामक छः वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण-क्षेत्र में आती है।

जहां तक गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों (एन. बी. एफ. सी.) का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक इन कंपनियों की जमा-स्वीकृति संबंधी क्रियाकलापों को ही नियंत्रित करता है। कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखा पुस्तकों का आवधिक निरीक्षण करता है।

विदर्भ क्षेत्र के विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति

4543. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कोराडी तथा खापरखेड़ा विद्युत गृह मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्व कोलफील्ड्स तथा उड़ीसा के महानदी कोलफील्ड से कोयला प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोलफील्ड से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के कोयले की वार्षिक आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या पश्चिम कोलफील्ड लिमिटेड के कोयला खदान की इन खदानों से कोराडी तथा खापरखेड़ा विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो विद्युत गृहों को उक्त कोयला खदानों से कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई;

(ङ) इन विद्युत गृहों के आसपास पश्चिमी कोलफील्ड लिमिटेड की खानों का वार्षिक उत्पादन क्या है; और

(च) इन विद्युत गृहों के अलावा अन्य पार्टियों का इन खानों के कुल उत्पादन में कितना हिस्सा है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (सा.ई.को.लि.) तथा उड़ीसा में महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (म.को.लि.) से कोनाडिल तथा खापरखेड़ा विद्युत संयंत्रों को 245.72 करोड़ रु. की कीमत के कुल 6.856 मि. ट. कोयले की आपूर्ति की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) 1995-96 के दौरान, इन दो विद्युत क्षेत्रों को वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (वे.को.लि.) से कुल 1.269 मि. टन. कोयले की आपूर्ति की गई।

(ङ) और (च) इन विद्युत संयंत्रों के समीप अर्थात वे. को. लि. के नागपुर क्षेत्र की खानों में 1995-96 के दौरान 2.778 मि. टन (अनंतिम) उत्पादन किया गया।

इन खानों में उत्पादित लगभग 0.08 मि. ट. प्रति माह अर्थात, 35% कोयला नागपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में संयोजित औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन खानों से कोयले की आपूर्ति खापरखेड़ा, कोराडीह तथा सरनी विद्युत गृहों को भी की गई है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

4544. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने अपनी 116वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 अप्रैल, 1995 के अपने फैसले में केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) विधि आयोग ने सितम्बर, 1986 में प्रस्तुत की गई अपनी 116वीं रिपोर्ट में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश की है।

(ख) जी हां।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा केवल तब सृजित/गठित की जा सकती है जब राज्य सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित एक संकल्प द्वारा यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। ऐस किसी संकल्प के प्रस्तावित किए जाने से पूर्व, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के संबंध में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए हैं। कलकत्ता, मद्रास और जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालयों तथा बिहार, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान की राज्य सरकारों से टिप्पणियां/विचार अभी प्राप्त होने हैं।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

4545. श्री हाराधन राय : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के विभिन्न एककों में कोई पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एकक-वार किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के पं. बंगाल में स्थित एककों में निकट भविष्य में कोई पूंजी निवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख)

(लाख रुपए में)

इकाई	1993-94	1994-95	1995-96
हावड़ा वर्क्स	43.05	159.79	117.00
बर्नपुर वर्क्स	93.21	92.15	87.84
अपतटीय परियोजना	–	–	1.34
रानीगंज वर्क्स	0.33	–	–
गुल्फरबाड़ी वर्क्स	1.98	1.48	0.02
जबलपुर वर्क्स	0.98	–	–
निवाड़ वर्क्स	5.96	0.75	–
सेलम वर्क्स	4.87	27.76	8.53
मुख्यालय	4.00	0.14	0.22
योग :	154.38	282.07	214.95

(ग) और (घ) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड इस समय औद्योगिक एवं वित्तय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित है और प्रचालन एजेंसी बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. की पुनरुद्धार स्कीम तैयार कर रही है। बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. में निवेश औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

ऋण मेला योजना

4546. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में आज तक इस ऋण मेला योजना के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) ऋणकर्ताओं पर ऐसे ऋणों की कितनी धनराशि अभी बकाया है जिसकी वसूली न होने की संभावना है; और

(ग) इस राशि की वसूली के लिए तथा इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी शाखाओं को उन ऋण मेलों में भाग लेने से बचने के लिए हिदायतें दें जो ऋण देने संबंधी स्थापित मानदंडों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध होते हैं। तथापि, यदि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभग्राहियों का पता लगाने और आवेदन-पत्रों आदि को भरने में लगने वाले उनके समय तथा उर्जा की बचत करने के लिए ऋण-शिविरों का आयोजन किया जाता है तो बैंक ऐसे ऋण-शिविरों में भाग ले सकते हैं।

जर्मनी के साथ व्यापार

4547. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत तथा जर्मनी का व्यापार संतुलन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जर्मनी के साथ निर्यात-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत तथा जर्मनी के बीच वर्ष 1995 के दौरान कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में जर्मनी के साथ व्यापार की स्थिति क्या है; और

(च) वर्ष 1996-97 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बेहतर बनाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और जर्मनी के बीच व्यापार संतुलन का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	जर्मनी के साथ भारत का व्यापार संतुलन
1993-94	(-) 781.56
1994-95	(-) 1379.56
1995-96	(-) 3859.14

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस)

(ख) और (ग) जी, हां महाशय। सरकार, जर्मनी सहित सभी देशों के साथ भारत के निर्यात निष्पादन की सतत समीक्षा करती है। जर्मनी-भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं:-जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान में वृद्धि, थ्रस्ट मदों पर ज्यादा ब्याज देना, और भारत-जर्मन निर्यात संवर्धन परियोजना (आई.जी.इ.पी.) के संवर्धनात्मक क्रियाकलाप।

(घ) और (ङ) जी, हां महाशय। दिसम्बर, 1995 में बोन में आयोजित भारत-जर्मनी संयुक्त आयोग की बैठक के 12वें सत्र के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ जर्मनी के साथ भारत के व्यापार संबंधों पर चर्चा की गई थी। वर्ष 1995-96 में वर्ष 1994-95 की तुलना में जर्मनी के साथ भारत के निर्यात में 20.89% की वृद्धि हुई तथा जर्मनी से आयात में 52.80% की वृद्धि हुई। अप्रैल-जून 1996 के दौरान जर्मनी को भारत से 1579.79 करोड़ रु. के निर्यात किए गए और जर्मनी से 2676.49 करोड़ रु. की राशि के आयात हुए। इससे निर्यात और आयात में क्रमश: 7.27% और 22.04% की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(च) विशेष निर्यात संवर्धन प्रयास किये जाने के लिए 15 उत्पादों की पहचान की गई है जिससे कि आगामी वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में सुधार हो सके। जर्मनी स्थित हमारे मिशन ने व्यापक बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिससे कि इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में सुविधा मिलेगी।

1995-96 के दौरान वाहनों का उत्पादन

4548. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान देश में कुल कितने कार/ट्रक, जीप, दुपहिए तथा तिपहिए वाहनों का उत्पादन हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने वाहन निर्यात किये गये तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उत्पादित तथा निर्यातित वाहनों की संख्या निम्नलिखित है;

	उत्पादन	निर्यात
कारें	3,48,242	28,851
जीप	67,679	2,470
मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन (ट्रक तथा बसें)	1,29,748	8,560
हल्के वाणिज्यिक वाहन	1,29,383	7,810
तिपहिए	1,73,412	32,214
दुपहिए	26,56,017	14,035

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान आटोमोटिव वाहनों के निर्यात के जरिये कमाई गई विदेशी मुद्रा 1500 करोड़ रुपये के लगभग है।

निःशुल्क कानूनी सहायता

4549. डा. बल्लभ भाई कठीरिया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) कानूनी सहायता प्रदान किए जाने के आधार क्या हैं तथा किस-किस श्रेणी के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ मिल रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश के विभिन्न न्यायालयों में राज्यवार कितने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ मिला;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) आगामी दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) केन्द्रीय सरकार ने समाज के दुर्बल वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए कि आर्थिक या अन्य नियोग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों को 12 राज्यों, अर्थात आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर विस्तारित किया गया है, जिन्होंने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और अपने राज्य के राजपत्रों में अधिसूचित कर दिया है। अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों को बिहार राज्य पर शीघ्र ही विस्तारित किये जाने की संभावना है। अन्य राज्यों को, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों को अंतिम रुप देने के लिए प्रभावी रूप से जोर दिया जा रहा है जिससे कि अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों को उन पर भी विस्तारित किया जा सके।

(ख) विधिक सेवा देने के लिए मानदंड अधिनियम की धारा 12 में अंतर्विष्ट हैं जो निम्नानुसार है:-

(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है;

(2) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यवहार या बेगार का शिकार है;

(3) स्त्री या बालक है;

(4) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा निःशक्त है;

(5) अनर्ह अभाव की दशाओं के अधीन व्यंति है, जैसे बहुविनाश, जातीय, हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक संकट का शिकार है; या

(6) औद्योगिक कर्मकार है; या

(7) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर गृह में या किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा भी है; या

(8) ऐसा व्यक्ति है जो, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो नौ हजार रुपए से कम या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो राज्य सरकार विहित करे और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो बारह हजार रुपए से कम या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।

परन्तु यह कि संबंधित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला है। [धारा 3 (1)]

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा निधियन किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के अनुदान से न्यायालयों में विधिक सहायता देने के लिए राज्यों को निधि का कोई आवंटन निश्चित नहीं किया जाता है।

(ङ) नि:शुल्क विधकसेवा एक निरन्तर प्रक्रिया है अत: कोई लक्ष्य नियत करना संभव नहीं है।

केवल महिला कर्मियों वाली बैंक शाखाएं

4550. **श्री दिलीप संघानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऐसे कोई अनुदेश जारी किये कि महिला कर्मियों वाली शाखाओं में केवल महिलाओं को ही नियुक्त किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अब तक खोली गई उन बैंक शाखाओं का बैंक-वार, शाखा-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है जिनमें केवल महिला-कर्मियों को ही नियुक्त किया जा रहा है; और

(घ) देश में ऐसी और बैंक शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने केवल महिला कर्मियों वाली शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि 31 मई, 1996 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 68 महिला शहरी सहकारी बैंक हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से केवल महिलाओं द्वारा चलाई जा रही विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं होती है।

इस्पात के आयात पर शुल्क

4551. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में स्टेनलेस सटील की कुल कितनी मात्रा का आयात किये जाने की आवश्यकता है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितना आयात किया गया तथा इस पर कितना शुल्क लगाया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर कर अपवंचन को देखते हुए तथा इसे रोकने हेतु नए उपाय करने के लिए प्रतिवर्ष लगने वाले शुल्क की समीक्षा करने का है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की ऐसी वस्तुओं को पकड़ा गया तथा जब्त किए गए इस्पात के निपटान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में प्रक्रिया को सुचारू बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान आयातित स्टनलैस स्टील की मात्रा, इस पर प्राप्त सीमा शुल्क और स्टैनलैस स्टील पर मूल सीमा शुल्क की दर का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	आयात (1000 मीट्रिक टन)	शुल्क (करोड़ रुपयों मे)	दर
1993-94	43.2	49.89	65%
1994-95	18.6	81.56	50%
1995-96	58.1	159.73	40%

आयात की जाने वाली स्टेनलैस स्टील की अपेक्षित मात्रा स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार के मूल्यों, स्वदेशी मांग और सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। अत: आयात की जाने वाली इस स्टेनलैस स्टील की अपेक्षित मात्रा का आकलन करना संभव नहीं है।

(ख) सामान्यतया, सामान्य बजट प्रस्तावों को तैयार करने से पहले विभिन्न वस्तुओं के संबंध में शुल्क ढांचे की समीक्षा की जाती है। इस वर्ष के बजट में स्टेनलैस स्टील और उसके उत्पादों के संबंध में मूल सीमा शुल्क ढांचे में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

स्टेनलैस स्टील के स्लैब	20%
एच.आर. कायल्स	25%
सी.आर. कॉयल्स तथा अन्य उत्पाद	30%

(ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) स्टेनलैस स्टील सहित पूर्ण रूप से जब्तशुदा माल का निपटान या तो नीलामी करके अथवा निविदाओं के जरिये किया जाता है। निपटान के इस तरीके को अपनाने से कोई कठिनाई पेश नहीं आई है।

बहुराष्ट्रीय निगम

4552. **श्री उत्तम सिंह पवार** :
श्री राजकेशर सिंह :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को आमंत्रित करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं और ऐसे निवेश के लिए पता लगाए गए क्षेत्र कौन से हैं; और

(ग) इससे अनुमानत: विदेशी निवेश कितना बढ़ने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के विचार से विदेशी संस्थानों सहित अन्य देशों से निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की परिकल्पना में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए मदद देगी।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनरीक्षण करना तथा विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन करना भी है जो निवेश संवर्धन के लिए दिशा और साधनों को सुझायेगी। बिजली, टेलीकॉम, रेलवे और पत्तन जैसे क्षेत्रों में विपुल निवेश की आवश्यकता है।

(ग) यद्यपि पहले से विदेशी निवेश के अन्तप्रवाह का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों का प्रवाह अब तक सन्तोषजनक रहा है।

हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षण

4553. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषरूप से हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में से बीस वस्तुओं को हटा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं:

(ग) क्या सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा): (क) से (घ) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985 का उद्देश्य हथकरघा द्वारा अनन्य रूप से कुछ मदों अथवा मदों की श्रेणी के उत्पादन को केवल हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित करके हथकरघा उद्योग को संरक्षण देना और इस उद्योग का विकास करना है। इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि सलाहकार समितियों की सिफारिशों के आधार पर आरक्षित मदों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाए। सलाहकार समिति की अभी हाल ही की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए सरकार ने 11 मदों की सूची अधिसूचित की है जो केवल हथकरघों पर उत्पादन के लिए आरक्षित की गई है।

असम के चाय बागानों को बैंक सहायता

4554. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के चाय बागान अपने विस्तार व आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के संदर्भ में बैंक सहायता के अभाव से ग्रस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो हालात में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि असम के चाय बागानों के विस्तार तथा उनकी आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए बैंक-ऋण देने से मना करने के बारे में व्यक्तिगत एककों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। परन्तु, भारतीय चाय संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि चाय-बागानों के विकास की योजनाओं के लिए वित्त-पोषण करने में बैंकों की दिलचस्पी कम हो गई है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा इस प्रयोजन के लिए ऋणों का पुनर्वित्तपोषण बन्द कर दिया गया है। सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों की तुलना में नाबार्ड के

पास उपलब्ध संसाधनों और अपेक्षाकृत बेहतर संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल परियोजना आधारित उधार देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देने का निर्णय लिया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये सम्मिलित हैं : बागवानी, पुष्पोत्पादन, पशुपालन, मछली-पालन (खारे पानी में एक्वाकल्चर के अलावा) बीज संसाधन, रेशम उत्पादन और अन्य नवोन्ष और विशेष रूप से अनुमोदित योजनाएं। तथापि, नाबार्ड गैर कृषि-क्षेत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य योजना और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋणों के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देता रहेगा।

नाबार्ड ने आगे बताया है कि बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वह सभी पात्र प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देता रहेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अगस्त, 1996 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें पारम्परिक बागानों (जिसे चाय, काफी, रबड़, मसाले) के लिए चाहे उनके जोत-क्षेत्र का आकार कुछ भी हो, सभी अल्पकालिक अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत सीधे कृषि अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

हरियाणा में ऋण माफी योजना

4555. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कृषि तथा ग्रामीण ऋण माफी योजना का लाभ देने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को इस योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाने का है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रमीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने निदेशक, संस्थागत वित्त, हरियाणा सरकार, से सुनिश्चित करने के बाद सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्तव नहीं भेजा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खेलकूद के सामान का निर्यात

4556. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल-कूद के सामान के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ख) सरकार द्वारा अपरम्परागत खेल-कूद के सामान जैसे आईस हॉकी, कैम्पिंग किट्स और अन्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खेल के सामान के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु./अमरीकी डालर में मूल्य)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	(रु. में)	(डालर में)	(रु. में)	(डालर में)
1993-94	120.00	37.00	133.82	422.66
1994-95	165.00	52.00	179.91	57.30
1995-96	205.00	65.00	207.50	61.72

(स्रोत) : खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद।

(ख) उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर, खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए अनेक गैर-परम्परागत मदों जैसे आइस हॉकी कैपिंग किट आदि को अभिज्ञात किया है। इस मंत्रालय ने यू.एस.ए. तथा कनाडा में हमारे मिशनों को यू.एस.ए. की प्रमुख खेल सामान विनिर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यमो की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लिखा है। इस उद्देश्य से हमारे मिशनों ने यू.एस.ए. स्थित विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कामर्स तथा एसोसिएशनों को भारतीय खेल सामान निर्माताओं की प्रोफाइल परिचालित की हैं।

कृषि ऋण को ब्याज से छूट

4557. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि ऋण को ब्याज से छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका देश के राजकोष पर अनुमानतः कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं; और

(घ) ऋण को ब्याज से छूट देने का निर्णय किस तिथि से लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास बुनाई और कताई मिलों को बंद करना/ आधुनिकीकरण

4558. श्री नामदेव दिवांथे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ कपास बुनाई और कताई मिलों को बंद करने और आधुनिकीकरण करने की भी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और इस वर्ष के दौरान अब तक राज्य में इन मिलों के आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.7.1996 की स्थिति के अनुसार, उसने महाराष्ट्र राज्य में 13 रुग्ण वस्त्र-उद्योग कंपनियों के संबंध में पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की थीं तथा छः रुग्ण वस्त्र उद्योग कंपनियों को बन्द करने की सिफारिश की थी। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) बाइफर ने सूचित किया है कि वह रुग्ण औद्योगक कंपनियों के पुनर्वास के लिए आबंटित या आबंटन के लिए प्रस्तावित धनराशि के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है। पुनर्वास योजनाओं से सामान्यतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकृत सहायता/रियायतों तथा इस तरह हुए घाटों की समग्र मात्रा का पता चलता है, न कि अभिकरणवार यथार्थ धनराशि का।

विवरण

दिनांक 31.7.1996 तक बाइफर में पंजीकृत महाराष्ट्र राज्य की रुग्ण वस्त्र उद्योग कम्पनियों की सूची

बाइफर द्वारा स्वीकृत पुनरुज्जीवन योजनाएं

1. जे.बी. टेक्सटाइल इंडिस्ट. (प्रा.) लि.
2. राघवंशी मिल्स
3. निरलोन लि.
4. जय भारत सिंथेटिक्स
5. देवगिरी टेक्सटाइल मिल्स
6. कलमेश्वर टेक्सटाइल मिल्स लि.
7. कटाऊ माकनजी स्पिनिंग एंड वीविंग
8. फोनिक्स मिल्स लि.
9. मतुल्य मिल्स
10. कमला मिल्स
11. पोगुल स्पिनिंग मिल्स
12. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
13. माडर्न मिल्स

बाइफर द्वारा बन्द किए जाने के लिए सिफारिश की गई

1. अल्पना टेक्सटाइल प्रोसेसिंग प्रा. लि.
2. इमराल्ड वूलेन मिल्स
3. इलाक लि.
4. पुल्गांव काटन मिल्स लि.
5. माधव नगर काटन
6. दि प्रताप स्पिनिंग वीपिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.

[हिन्दी]

मणि-रत्न परीक्षण केन्द्र

4559. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार देश में कार्यरत मणिरत्न परीक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर दिल्ली में कुछ और केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 14 रत्न परीक्षण केन्द्र हैं जो देश में चल रहे हैं। वे इस प्रकार हैं:

1. इंडियन जैमोलोजीकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली

2. जैम टैस्टिंग लेबोरेटरी, जयपुर, राजस्थान

3. जैमोलोजीकल इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र

4. जैम टैस्टिंग लेबोरेटरी, मुंबई, महाराष्ट्र

5. पन्जैम एन्टरप्राइसेज, पुणे, महाराष्ट्र

6. जैम टैस्टिंग लेबोरेटरी, सी पी एल, जी. एस. आई., कलकत्ता, पश्चिम बंगाल

7. जैम टैस्टिंग लेबोरेटरी, मद्रास, तमिलनाडु

8. श्री रामकृष्ण जैम टैस्टिंग लेबोरेटरी, सेलम, तमिलनाडु

9. जैम टैस्टिंग लेबोरेटरी, त्रिवेन्द्रम, केरल

10. जैम टैस्टिग लेबोरेटरी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

11. इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत

12. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, मुंबई, महाराष्ट्र

13. एस.जी. झावेरी सैंटर फार डायमंड टेकनोलोजी, मुंबई, महाराष्ट्र

14. सेंट जेवियर कालिज, मुंबई, महाराष्ट्र

(ख) से (घ) रत्नों के लिए और अधिक परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इंडियन जैमोलोजीकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में रत्नों के व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

[अनुवाद]

ब्रांड एक्विजीसन फण्ड

4560. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एक ब्रांड एक्विजीशन फण्ड का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित फ़ंड की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यह कहां तक भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने में सहायता करेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अभी तक ऐसे किसी भी फंड की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, यह प्रस्ताव है कि एक बार इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड पूरे तौर पर चालू होने पर, ब्रांड अधिग्रहण निधि की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव जांच के लिए इसके न्यासी मण्डल को प्रस्तुत किया जाएगा।

आयातित वस्तुओं का निर्यात

4561. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नए सीमा शुल्क प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत बिना लाइसेंस के ही वस्तुओं के आयात की अनुमति है बशर्ते कि उन वस्तुओं का 10 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य वृद्धि के बाद पुनः निर्यात किया जाए।

(ख) क्या अनेक आयातकों द्वारा नए प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) जाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) कस्टम एक्ट 1962 में कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बिना लाइसेंस माल के आयात की अनुमति दी गई है यदि 10 प्रतिशत या अधिक मूल्य के साथ माल का पुनः निर्यात किया जाता है। तथापि, एग्जिम पालिसी 1992-93 (आर. ई. मार्च, 1996) के पैरा 128ए के अनुसार कोई मद आयातों की ऋणात्मक सूची या निर्यातों की ऋणात्मक सूची में दर्शायी गयी हो (किसी भी सूची में निषिद्द मदों को छोड़कर) तो इस शर्त पर पुनः निर्यात के लिए बिना लाइसेंस आयात किया जा सकता है कि (क) मूल्य वृद्धि कम से कम 10 प्रतिशत हो (ख) माल कस्टम बांड के अन्तर्गत आयात किया जाता है। (ग) आयात और पुनः निर्यात उसी कस्टम बांडिड परिसर से किया जाता है; और (घ) माल कस्टम बांडिड परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता। इस प्रकार ऐसे सभावित दुरुपयोग से बचाने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए गए हैं।

खाड़ी देशों को निर्यात

4562. श्री संतोष मोहन देव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी देशों में किये जाने वाले भारतीय वस्तुओं की चीन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है;

(ख) क्या वस्त्रों, परिधानों, प्लास्टिक और रबड़ क्षेत्र में भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात में चीन द्वारा किये जाने वाले निर्यात की तुलना में कमी आई है जबकि पूर्व में भारत इसका प्रमुख निर्यातक था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठा जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) से (च) खाड़ी देशों को भारत के कुल निर्यात (8 जीसीसी देश अर्थात बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, साउदी अरब और यू ए ई) में पिछले 3 वर्षों के दौरान वृद्धि होती आ रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में निर्यातों में 2.3% की वृद्धि हुई। वर्ष 1994-95 के आंकड़ों की तुलना में 1995-96 में 19% की वृद्धि हुई, पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 1996-97 में निर्यात वृद्धि 36% से ज्यादा रही है।

टैक्सटाइल गारमेटस, प्लास्टिक और रबड़ क्षेत्रों में खाड़ी में भारत के निर्यात की स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

मद	1993-94	1994-95	1995-96
टैक्सटाइल्स	864.83	1041.59	1201.96
पोशाक	574.03	459.72	552.20
प्लास्टिक	258.72	292.06	268.89
रबड़	94.04	128.74	196.13

वर्ष 1993-94 की तुलना में 1994-95 में पोशाकों के निर्यात में 19.9% की गिरावट आई, लेकिन 1995-96 में इसमें तेजी आई। प्लास्टिक क्षेत्र में निर्यात में 1994-95 की तुलना में 1995-96 में 7.90% की गिरावट आई। अन्य मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात वृद्धि 12% से 50% के बीच रही। टैक्सटाइल्स पोशाक, मशीनरी और इलैक्ट्रानिक उपकरणों जैसे क्षेत्र में खाड़ी में चीन के निर्यात में तेज गति से वृद्धि होने की रिपोर्ट है। फिर भी, ऐसा समझा जाता है कि चीन के उद्गम वाली वस्तुओं का एक भाग का पुनः निर्यात हांगकांग और सिंगापुर से किया जाता है। ऐसी रिपोर्ट है कि इसके बदले चीनी वस्तुओं का निर्यात खाड़ी से इरान, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका को किया जाता है। इन कारणों से और प्रमाणिक आंकड़ों के उपलब्ध नहीं होने से मदवार तुलनात्मक वृद्धि का विश्लेषण असंभव हो जाता है।

तथापि, अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में हमारे निर्यातों को बढ़ावे के लिए लगातार आधार पर प्रयास किये जाते हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

1. अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी।
2. उत्पादक के मन में प्रतिस्पर्द्धात्मक और उत्पाद गुणवत्ता बैठाना।
3. सरकारी और व्यापारिक दोनों स्तरों पर प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान करना ताकि अवसरों का पता लगाकर निर्यात बढ़ाया जा सके और निर्यात का विविधीकरण किया जा सके।
4. उन्नति निर्यात को सुविधाजनक बनाना।

असम में उद्योग

4563. डा. अरुण कुमार शर्मा :
डा. प्रवीन चंद्र शर्मा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए लघु, मध्यम तथा भारी उद्योग स्थापित करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों का तथा विशेषरूप से असम का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान स्थापित किए गए तथा चालू हुए उद्योगों की क्या संख्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उद्योग परिवहन तथा अन्य राजसहायता के रूप में उद्योगों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का कार्य निष्पादन

4564. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारतीय स्टेट बैंक के कितने सहयोगी बैंक हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सहयोगी बैंकों का वर्षवार कार्य-निष्पादन परिणाम क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी बैंकों का विलय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के सात सहयोगी बैंक हैं।

(ख) इन बैंकों की पिछले तीन वर्ष के दौरान लाभ/हानियां वर्षवार नीचे दी गई हैं:-

(रु. करोड़ में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	31.3.94 की स्थिति के अनुसार	31.3.95 की स्थिति के अनुसार	31.3.96 की स्थिति के अनुसार
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	6.50	8.04	25.79
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	24.48	43.60	50.00
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	3.65	9.09	12.08
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2.39	2.92	25.63
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	29.14	32.64	52.14
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	5.50	14.00	(-)230.31
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	9.34	20.70	26.20

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऊनी वस्त्रों का निर्यात

4565. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ने वर्ष 1996-97 के दौरान सिले सिलाए ऊनी परिधानों के निर्यात द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की विशेषताएं क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऊन तथा ऊनी निर्यात संवर्द्धन परिषद ने वर्ष 1996-97 के दौरान सिले सिलाए ऊनी परिधानों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। तथापि, सिले-सिलाए परिधानों, ऊनी वस्त्रों तथा क्लोदिंग के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से परिषद स्विटजरलैंड, हांगकांग, कनाडा तथा ब्राजील में इस वर्ष के दौरान आयोजित होने वाले मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की योजना बना रही है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

4566. श्री ओ. पी. जिन्दल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए पूंजी निवेश पर बहुत कम लाभ होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए निवेश पर लाभ बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों में किए गए पूंजी निवेश से प्राप्त लाभांश की दर कम है, परन्तु विगत तीन वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि हुई है और यह वर्ष 1991-92 के 2% से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 2.33% हो गयी तथा वर्ष 1993-94 में और बढ़कर 2.84% तथा 1994-95 में 4.47% हो गयी।

(ग) सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए किए जा रहे उपाय तथा उनके फलस्वरूप पूँजीनिवेश से प्राप्त लाभांश की दर उद्यम-सापेक्ष है। बहरहाल, सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं—सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डल का व्यावसायीकरण, रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को उनकी सुपुर्दगी, श्रमशक्ति का यौक्तिकरण, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, प्रौद्योगिकी उन्नयन, दक्षता, उत्पादकता एवं लाभकरिता में सुधार के उद्देश्य से पुनर्गठन आदि।

काफी अधिनियम, 1942 में संशोधन

4567. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काफी अधिनियम, 1942 में संशोधन करने अथवा उसे समाप्त करने के बारे में विभिन्न काफी उत्पादक संघों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। दि यूनाइटेड प्लांटर्स असोसिशन आफ साउथ इंडिया (यू.पी.ए.एस.आई.) कुनूर ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनमें काफी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में सुधारों, काफी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को हटाने और काफी अधिनियम में नए प्रावधानों को जोड़ने के प्रस्ताव शामिल हैं। यू. पी. ए. एस. आई. द्वारा प्रस्तावित सुधारों के मुख्य थ्रस्ट निम्नानुसार है:

1. काफी बोर्ड को नियंत्रणोन्मुख होने के बजाय ज्यादा विकास और संवर्धन उन्मुख होना चाहिए।
2. काफी बोर्ड में 17 सदस्यों का छोटा और चुस्त बोर्ड होना चाहिए।
3. कोटा प्रणाली को हटाना और बोर्ड के साथ काफी के एकत्रीकरण को ऐच्छिक बनाना।
4. छोटे उपजकर्ताओं के लिए एकत्रीकरण के प्रावधानों को बनाए रखना।
5. बोर्ड द्वारा काफी की खरीद करना और इस प्रकार व्यापार क्रियाकलापों में लगाना।
6. क्यूरिंग कारखानों को लाइसेंस देने और निर्यातकों को परमिट जारी करने जैसे नियंत्रणों को हटाना।

(ग) अधिनियम में संशोधन करने की स्थिति में अभ्यावेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सामाजिक खंड

4568. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के अंतर्गत कोई सामाजकि खंड लागू किया गया है तथा यूरोपीय और अन्य देशों ने उनके द्वारा आयातित विभिन्न उत्पादों पर बाल श्रम मुक्त वस्तु अंकित करने पर दबाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे हमारा निर्यात कितना प्रभावित होगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि बाल श्रम के विषय पर कतिपय प्रचार माध्यमों द्वारा रहस्योद्घाटन करने के कारण यूरोप सहित कुछ विकसित देशों में उपभोक्ता ''बाल श्रम मुक्त'' लेबल वाले उत्पाद खरीदते रहे हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई आकलन करना संभव नहीं है।

(घ) सरकार ने बाल श्रम के बगैर तैयार किए गए कालीनों के लिए ''कालीन'' लेबल की शुरूआत की है।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

4569. श्री एन. जे. राठवा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के इसपात संयंत्रों को अभी भी अनियमित और निम्न कोटि के कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में 15 जुलाई, 1996 से आज तक कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजरात में विद्युत संयंत्रों को उत्तम कोटि के कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) अप्रैल से जुलाई, 1996 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के विद्युत गृहों को संयोजनों की तुलना में कोयले की की गई आपूर्ति से संबधित ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

(000 टन में)

संयोजन	6145
आपूर्ति	4563

गुजरात विद्युत गृहों को सामान्य आपूर्ति गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा अदा की गयी अग्रिम भुगतान की राशि की सीमा तक विनियमित कर दी गई है।

कुल मिलाकर तापीय विद्युत ग्रहों को सहमति प्राप्त गुणवत्ता वाले का कोयले की आपूर्ति की गई है, जिसके लिए उनके बायलर्स अभिकल्पित हैं। सामान्यत: आपूर्ति कोयले की गुणवत्ता संबंधी शिकायतें निम्नलिखित हैं:- विद्युत गृहों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले में बाह्य सामग्रियों की उपस्थिति तथा बड़े आकार के कोयले की आपूर्ति किया जाना। इन शिकायतों के संबंध में प्रत्येक मामले में उनके गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की मात्रा को कम करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-फीडर ब्रेकरों की स्थापना किया जाना, कोयले के लदान के समय पत्थरों को कोयले से पृथक किया जाना, बेहतर पर्यवेक्षण तथा अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले के लदान के लिए उपभोक्ताओं द्वारा लदान स्थल पर प्रतिनिधियों को तैनात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना।

[अनुवाद]

परियोजनाओं के विकास हेतु विदेशी सहायता

4570. श्री कचरू भाऊ राऊत :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार तथा महाराष्ट्र की विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु राज्यवार कुल कितमी सहायता प्रदान की गई;

(ख) इस प्रकार की परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार और महाराष्ट्र की विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए संघ सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई कुल विदेशी सहायता निम्नलिखित है :-

(करोड़ रु.)

	1993-94	1994-95	1995-96
	के दौरान जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
(1) बिहार	24.89	72.01	32.02
(2) महाराष्ट्र	927.56	562.58	721.20

(ख) ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) बिहार के मामले में, अधिकांश परियोजनाएं बंद की जा चुकी हैं। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उदाहरणार्थ-पर्यटन आधारभूत विकास परियोजना अंतिम चरण में है, जबकि झींगा और मछली पालन जैसी परियोजनाओं के पूरा होने में अभी तीन वर्ष और लगेंगे, महाराष्ट्र के मामले में जबकि कई परियोजनाएं बंद पड़ी हैं, और अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उदाहरणार्थ-चन्द्रापुर पोडधे कार्यान्वयन के प्रारम्भिक चरण में है, जबकि सहकारिता के विकास से संबंधित जल नियंत्रण प्रणाली अंतिम चरण में है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई परियोजनावार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य : बिहार

क्र.सं.	स्रोत	परियोजना का नाम	प्रारंभ/पूर्ण होने की तारीख	1993-94	1994-95	1995-96
				के दौरान जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आई.डी.ए.	बिहार पठार विकास	07.12.92/ 30.06.98	-	11.29	17.68
2.	जापान	पूर्वी गंडक नहर जल परियोजना*	26.12.84/ 31.12.94	2.04	1.93	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	आई.डी.ए.	झींगा और मछली पालन	29.01.92/ 30.06.99	0.07	0.07	0.05
4.	आई.बी.आर.डी./ आई.डी.ए.	राज्य सड़क परियोजना*	17.11.88/ 30.06.99	12.10	7.17	10.78
5.	जापान	पर्यटन आधारभूत संरचना	15.12.88/ 20.01.97	3.09	10.48	2.55
6.	आई.डी.ए.	राष्ट्रीय जल प्रबंध*	12.05.87/ 31.03.95	2.30	1.94	–
7.	आई.डी.ए.	तकनीकी शिक्षा-1	13.08.90/ 30.06.98	1.17	0.20	0.96
8.	आई.डी.ए.	बिहार सार्वजनिक नलकूप*	13.01.87/ 31.05.94	2.12	38.93	–
9.	संयुक्त राज्य अमरीका	जल संसाधन प्रबंध और प्रशिक्षण परियोजना*	30.07.83/ 30.09.92	2.00	–	–
		जोड़		24.89	72.01	32.02
10.	आईडीए	तीसरी बम्बई जलापूर्ति*	12.05.87/ 30.06.96	85.75	37.67	37.05
11.	आईडीए	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	05.06.91/ 31.12.97	35.91	21.78	27.59
12.	आईडीए	महाराष्ट्र आपातकालीन भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना	06.04.94/ 30.06.97	–	27.36	145.81
13.	आईएफएडी	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	01.06.93/ 30.09.00	–	–	1.60
14.	आईबीआरडी/ आईडीए	राज्य सड़क परियोजना*	17.11.88/ 30.06.96	50.32	36.54	20.93
15.	आईडीए	राष्ट्रीय जल प्रबंध*	12.05.87/ 31.03.95	0.81	0.18	0.41
16.	आईडीए	तकनीकी शिक्षा-2	16.12.92/ 30.06.99	7.43	21.86	11.12
17.	आईडीए	5वीं जनसंख्या	16.09.88 31.12.96	–	2.89	8.70
18.	आईडीए	सरदार सरोवर परियोजना	01.03.85/ 30.06.95	9.73	13.89	23.32
19.	स्वीडन	चन्द्रपर पोडघे	28.02.94/ 30.06.97	–	–	141.64
20.	जापान	सरकारी इंजीनियरिंग कालेज-पुणे*	22.06.93	–	–	18.68

1	2	3	4	5	6	7
21.	आईबीआरडी	चन्द्रपुर तापीय विद्युत परियोजना*	16.09.85/ 31.03.94	39.54	8.26	–
22.	आईडीए	वर्षापोषित क्षेत्र जलसंभर परियोजना*	08.02.84/ 31.12.93	2.40	0.78	–
23.	आईडीए	बम्बई शहरी विकास*	01.03.87/ 30.0994	85.90	3.22	–
		जोड़		927.56	562.58	721.20

*. परियोजना जब से पूर्ण हुई।

क्योंकि विश्व बैंक से ऋण देना बंद कर दिया गया है, इसलिए परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जा रही है।

[हिन्दी]

भारी उत्पादन लागत वाली खानों को बन्द किया जाना

4571. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बी.सी.सी.एल. की भारी लागत वाली कोयला खानों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कोयला खानों को बन्द किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इन कोयला खानों की उत्पादन लागत कितनी है;

(घ) इन कोयला खानों में कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ङ) इन खानों से कोयले का श्रेणीवार कितना उत्पादन होता है; और

(च) इन कोयला खानों को बन्द किए जाने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों को पुनः रोजगार देने और पुनर्वास करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में सरकार का भारी उत्पादन लागत वाली मुख्य रूप से कोयला खानों को बन्द किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कोयला धोवनशाला

4572. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक स्थापित की गयी कोयला धोवनशालाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी अधिस्थापित क्षमता क्या है;

(ख) क्या बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. की धोवनशालाओं में धुले कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु उनका आधुनिकीकरण करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धुले कोयले का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आठवीं योजना में कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया है तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत 15 कोककर कोयला वाशरी कार्यरत हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 25.22 मिलियन टन की है। वाशरी-वार ब्यौरा, जिसमें प्रत्येक वाशरी के सामने संचालन योग्य क्षमता दर्शाई गई है, उसे नीचे दिया गया है:-

वाशरियों का नाम	संचालन योग्य क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष)
1	2
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.का. लि.)	
दुग्दा (I और II)	3.80
भोजुड़ीह	1.70
पाथरडीह	1.60
सुदामडीह	2.00

1	2
मूनिडीह	2.00
लोदना	0.40
बरोरा	0.42
मोहुदा	0.63
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (से.को.लि.)	
कारगली	2.72
कठारा	3.00
स्वाम	0.75
गिद्दी	2.00
राजरप्पा	3.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वे.को.लि.)	
नंदन	1.20

(ख) और (ग) 10 विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों (भा.को. को. लि. 6 और से. को. लि. की 4) को आधुनिकीकृत किए जाने का कार्य विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार शुरू किया गया था। आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी पूरा किए जाने वाला कार्य "अल्पावधि" तथा "दीर्घावधि" उपायों से संबंधित था। अल्पावधि उपायों के क्रियान्वियन कार्यों को सभी वाशरी में पूरा कर लिया गया है। दीर्घावधि में क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। प्रारंभ में कोयला कंपनियों के पास निधियों में कमी होने के कारण कार्य में विलंब हुआ। वर्तमान में "टर्न-की" संविदा कर्ता की ओर डी-शैलिंग संयंत्रों को चालू नहीं किए जाने के कारण विलंब हुआ।

(घ) और (ङ) इस्पात संयंत्र आवश्यकताओं तथा देशीय उपलब्धता के बीच अन्तराल को पूरा किए जाने हेतु और प्रौद्योगिकी के कारणों से समग्र रूप में मिश्रण किए जाने हेतु गुणवत्ता के सुधार किए जाने के लिए भी कम राख वाले कोककर कोयले का आयात कर रहे हैं।

(च) आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान आयातित कोककर कोयले की मात्रा और समान मात्रा में खर्च की गई देशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन में)	लगभग कीमत (करोड़ रुपए में)
1992-93	6.23	1283.84
1993-94	6.94	1359.99
1994-95	10.16	1954.39
1995-96	7.05	1569.923

(जनवरी, 96 तक) (स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कलकत्ता)

राज्यों के लिए अग्रिम की सीमा

4573. श्री सनत मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में राज्यों को अग्रिम देने संबंधी सीमा दोगुनी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पुरानी तथा नई सीमाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सीमाओं को बढ़ाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की मौजूदा आवश्यकताओं तथा समग्र आर्थिक और वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा की है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

		1 नवम्बर, 1991 से राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के लिए मौजूदा सीमायें				1 अगस्त, 1996 से राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों की संशोधित सीमायें		
क्रम सं.	राज्य	रिजर्व बैंक में न्यूनतम बकाया	सामान्य (कालम 3 का 84 गुना)	विशेष (कालम 3 का 32 गुना)	योग	सामान्य (कालम 2 का 168 गुना)	विशेष (कालम 2 का 64 गुना)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1.00	84.00	32.00	116.00	168.00	64.00	232.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.10	8.40	3.20	11.60	16.80	6.40	23.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	0.40	33.60	12.80	46.40	67.20	25.60	92.80
4.	बिहार	0.70	58.80	22.40	81.20	117.60	44.80	162.40
5.	गोवा	0.10	8.40	3.20	11.60	16.80	6.40	23.20
6.	गुजरात	0.70	58.80	22.40	81.20	117.60	44.80	162.40
7.	हरियाणा	0.30	25.20	9.60	34.80	50.40	19.20	69.60
8.	हिमाचल प्रदेश	0.20	16.80	6.40	23.20	33.60	12.80	46.40
9.	कर्नाटक	0.80	67.20	25.60	92.80	134.40	51.20	185.60
10.	केरल	0.60	50.40	19.20	69.60	100.80	38.40	139.20
11.	मध्य प्रदेश	0.80	67.20	25.60	92.80	134.40	51.20	185.60
12.	महाराष्ट्र	1.50	126.00	48.00	174.00	252.00	96.00	348.00
13.	मणिपुर	0.10	8.40	3.20	11.60	16.80	6.40	23.20
14.	मेघालय	0.10	8.40	3.20	11.60	16.80	6.40	23.20
15.	मिजोरम	0.10	8.40	3.20	11.60	16.80	6.40	23.20
16.	नागालैंड	0.10	8.40	3.20	11.60	16.80	6.40	23.20
17.	उड़ीसा	0.60	50.40	19.20	6.60	100.80	38.40	139.20
18.	पंजाब	0.60	50.40	19.20	69.60	100.80	38.40	139.20
19.	राजस्थान	0.60	50.40	19.20	69.60	100.80	38.40	139.20
20.	तमिलनाडु	1.10	92.40	35.20	127.60	184.80	70.40	255.20
21.	त्रिपुरा	0.10	8.40	3.20	11.60	18.80	6.40	23.20
22.	उत्तर प्रदेश	1.70	142.80	54.40	197.20	285.60	108.80	394.40
23.	पश्चिम बंगाल	1.00	84.00	32.00	116.00	168.00	64.00	232.00
		13.30	1117.20	425.60	1542.80	2234.40	851.20	3085.60

बैंकों के बोर्ड में निःशक्त व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत करना

4574. श्री एन.एस.वी. चित्थन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंकों को निःशक्त व्यक्तियों को, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व देने हेतु बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में मनोनीत करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड के लिए निदेशक मनोनीत करने का कार्य ऐसे नामांकन करने के लिए विद्यमान संगत कानूनों के अनुसार किया जाता है। इन कानूनों में बैंकों के निदेशक मंडल में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति करने के बारे में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

कोयले की बिक्री

4575. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केम्पटी, सिल्वेरा खान समूह और साओनेर खानों में उत्पादित कोयले को अन्य उपभोक्ताओं को बेचा जाता है

जबकि प्रमुख विद्युत उत्पादन केन्द्रों कोराड़ी और खपाड़खेड़ा को सिल्वेरा खान समूह और केम्पटी कोयला धोवनशालाओं से राजमार्ग से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन खानों से कोराड़ी और खपाड़खेड़ा विद्युत केन्द्रों के बजाय अन्य उपभोक्ताओं को बेचे जाने के परिणामस्वरूप इन विद्युत केन्द्रों को मध्य प्रदेश में बिलासपुर और उड़ीसा में सम्भलपुर से उतनी ही मात्रा में कोयले की ढुलाई से भाड़े पर अतिरिक्त धनराशि खर्च कम होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा स्वीकृत तिमाही संयोजनों के अनुसार महाराष्ट्र के कोराड़ी और खपाड़खेड़ा विद्युत गृहों और मध्य प्रदेश के सारनी तापीय विद्युत गृह को कोयले का प्रेषण किए जाने के अलावा इन खानों से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी कोयले की आपूर्ति की जानी अपेक्षित है। इनमें कुछ औद्योगिक उपभोक्ता परम्परागत रूप से उक्त खानों से कोयला उठा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जिस गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यकता इन औद्योगिक उपभोक्ताओं को होती है, उसे किसी वैकल्पिक स्रोत से प्रप्त नहीं किया जा सकता है। चूंकि इन खानों से उत्पादित कोयला कोराड़ी और खपाड़खेड़ा विद्युत गृहों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा के स्रोतों से कोयले का परिवहन अपरिहार्य है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

रेशम कीट-पालन परियोजनाएं

4576. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में रेशम कीट पालन परियोजनाएं शुरू करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) इन परियोजनाओं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक कितना कार्य-निष्पादन हुआ है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने रेशम का उत्पादन किया गया; और

(घ) रेशम-धागे के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) राज्यों में रेशम उत्पादन के कार्यान्वयन/विस्तार/विकास के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही शुरू की जाती हैं। इच्छुक राज्य परियोजना तैयार करने तथा साथ ही कृषि जलवायु दशाओं के संबंध में ऐसे कार्यक्रम को शुरू करने की व्यवहार्यता पर भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रेशम के विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं विकास विस्तार, प्रशिक्षण, तथा आधारी संरचनात्मक सहायता का लाभ भी उठा सकते हैं।

तथापि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने समय-समय पर विभिन्न राज्यों में अनेक रेशम उत्पादन विकास परियोजनाएं (शहतूती तथा गैर-शहतूती दोनों के लिए) शुरू की हैं लेकिन ऐसी बड़ी परियोजनाओं में जिनसे विशेष रूप से आंध्र प्रदेश लाभान्वित हुआ, राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, इंडो-स्विस शहतूती विकास परियोजना, तथा स्विस सहायता प्राप्त अंतर-राज्य तसर परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने राज्य में अनिवार्य अवसंरचना के सृजन तथा रेशम उत्पादन के विस्तार में सहायता दी है तथा आंध्र प्रदेश इस समय देश के रेशम उत्पादक राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश में अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन क्रमशः 2229, 2451 तथा 2364 (अनंतिम) टन था।

मौजूदा निर्यात आयात नीति के अंतर्गत रेशम/रेशम यार्न के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार मूल्य वर्धित रेशम उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देती है।

परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान

4577. श्री हाराधन राय : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों के सभी अधिकारियों को बढ़े हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भुगतान किस दर से किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को उक्त भुगतान शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों ने यह

सलाह दी है कि वे अपने उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिनके वेतनमान सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 19-7-1995 को कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित किए गए हैं, दिनांक 1-1-1992 से बढ़े हुए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का भुगतान स्लैब प्रणाली के अनुसार करें। संबंधित सरकारी उद्यम के प्रबन्धन को संशोधित वेतनमानों तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता योजना को कार्यरूप देना है तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनका परिवीक्षण करना है।

"दक्षेस" देशों के साथ व्यापार

4578. श्री सुरेश प्रभु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत द्वारा "दक्षेस" देशों के साथ किए गए व्यापार का कुल कितना मूल्य है;

(ख) क्या सरकार का विचार "दक्षेस" देशों के साथ साझा बाजार का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) "दक्षेस" देशों के साथ व्यापार में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और सार्क देशों के बीच हुए व्यापार का कुल मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु./अन.)
1993-94	3174.08
1994-95	4370.00
1995-96	6562.33

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कलकत्ता

(ख) और (ग) सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मई, 1995 में निर्णय लिया है कि सार्क देशों को इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

(घ) सार्क देशों के साथ व्यापार में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी करना/हटाना, सरकारी एजेंसियों द्वारा भारी आयातों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना, परिवहन और पारगमन की आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना, क्षेत्र के अन्दर से ही सदस्य राष्ट्रों की आयात आवश्यकताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों की वर्तमान व्यापार संभावना का प्रदर्शन करना, सरकार और व्यवसाय/व्यापार संवर्धन एजेंसियों के बीच और ज्यादा बार-बार संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से वीसा सुविधाओं को सरल बनाना, व्यापार स्तर पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना तथा क्षेत्र के अन्दर ही आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सार्क वाणिज्य और उद्योग मंडल द्वारा प्रयास करना इत्यादि।

विदेशों में व्यापार मेलों का आयोजन

4579. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूसरे देशों में व्यापार मेले आयोजित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 हेतु निर्धारित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे व्यापार मेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) 1996-97 के दौरान संगठन के लिए कार्यक्रमों/विदेशों में व्यापार मेलों में भागीदारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन/भागीदारी का मुख्य उद्देश्य विदेशी खरीदारों को भारत की औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षमता दर्शा कर भारत के विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है।

विवरण

क्र.सं.	व्यापार मेले का नाम
1	2
1.	रायल ईस्टर शो, आकलैंड (न्यू जीलैंड), अप्रैल 3-8, 1996
2.	कैरिबियन, एक्सपो एग्जीबीशन, पोर्ट आफ स्पेन (ट्रिनिदाद और टोबागो) अप्रैल 19-20, 1996
3.	ए. पी. एल. एफ-एशिया पेसिफिक लैदर फेयर, हांग कांग अप्रैल 22-25, 1996 (पार्ट-1), अप्रैल 29 मई 1, 1996 (पार्ट-2)
4.	इंटरनेशनल मार्डन लिविंग एग्जीबिशन, टैल-एविव (इस्राइल), जुलाई 3-13, 1996
5.	नेशनल हार्डवेयर शो, शिकागो (यूएसए), अगस्त 11-14, 1996
6.	दि फिपथ ताइपेई इंटरनेशनल फेयर, ताइपेई (ताईवान), सितम्बर 4-9, 1996

1	2
7.	प्रित-ए-पोर्टर फेयर, पेरिस (फ्रांस), सितम्बर 6-9, 1996
8.	सीमेन-हु कुइर फेयर, पेरिस (फ्रांस), सितम्बर 6-7-10, 1996
9.	बी एन वी-बुडापेस्ट इंटरनेशनल फेयर फार कंज्युमर गुड्स, बुडापेस्ट (हंगरी), सितम्बर 20-29, 1996.
10.	नैरोबी इंटरनेशनल शो, नैरोबी (केन्या), सितम्बर 30-अक्तूबर 5, 1996
11.	आई एफ एम ए, कोलोन (जर्मनी) अक्तूबर 2-6, 1996
12.	तेहरान इंटरनेशनल फेयर, तेहरान (इरान), अक्तूबर 2-9, 1996
13.	इंडियन एग्जीबिशम, अलमेटी (कजाकिस्तान), अक्तूबर 8-13, 1996
14.	एस आई ए एल फूड फेयर (फ्रांस), अक्तूबर 20-24, 1996
15.	सऊदी अरबियाज इंटल, ट्रेड फेयर (लाइफ स्टाइल, 96), जद्दाह (सऊदी अरेबिया) अक्तूबर 20-25, 96
16.	एस.ए.आई.टी.ई. एक्स, जोहंसबर्ग (दक्षिणी अफ्रीका), अक्तूबर 22-26, 1996
17.	इंडियन एग्जीबिशन, साओ पोलो (ब्राजील), नवम्बर 6-10, 1996.
18.	उआंग तरुंग इंटरनेशनल फेयर, होचि मिन्ह सिटी (वियतनाम), नवम्बर 24-30, 1996.
19.	बेकर इंटल, फेयर, डेकर (सेनेगल) नव. 28-दिस. 9, 1996
20.	हेइमटैक्स टाइल, फ्रैंकफुर्त (जर्मनी), जनवरी 8-11, 1997
21.	होमोटैग्स, हैनोवर (जर्मनी), जनवरी 11-14, 1997
22.	टैन्थ इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक एँगजीबिशन, लंदन (यू.के.), फरवरी 9-13, 1997
23.	एनुअलसप्रिंग फेयर, बसेल (स्विटजरलैंड) फर. 28-मार्च 9, 1997
24.	इंटरनेशनल हार्डवेयर फेयर, कोलोन, मार्च 2-5; 1997
25.	एक्पोकमर इंटरनेशनल फेयर, पानामा सिटी, मार्च 5-10, 1997
26.	"मेड इन इंडिया" एग्जीबिशन, काठमांडु (नेपाल) मार्च, 15-21, 1997
27.	टी सी एफ इंटरनेशनल, 97-दि इंटरनेशनल टैक्सटाईल क्लोदिंग, फेटवियर एंड फेशन एक्सेसरी, मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) मार्च 18-20, 1997
28.	इंटरनेशनल फेशन फैब्रिक एग्जीबिशन, न्यू यार्क (यू एस ए), मार्च 20-22, 1997
29.	ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर "पार्टनर्स फार प्रोग्रेस", बर्लिन (जर्मनी), मार्च 20-23, 1997
30.	कुवैत इंटरनेशनल फेयर, कुवैत सिटी, मार्च 26-अप्रैल 4, 1997
व्यापार विकास एवं वाणिज्य विभाग	
31.	22वाँ ओसाका इंटरनेसनल ट्रेड फेयर, ओसाका, जापान, 24 अप्रैल-29, 1996.
32.	वेस्ट जापान इम्पोर्ट फेयर, किटाक्यूच, जापान, 2 मई-5, 1996
33.	इंटरबिका, अनाहिम, यूएसए, सितम्बर 19-22, 1996
34.	आटोमैकेनिका बैंकर्स फ्रेंकफर्ट जर्मनी, सितम्बर 10-15, 1996
35.	बीआईजी-1/एपीपीए, जास बेगज, यूएसए, नवम्बर 5-8, 1996
36.	फुडेक्स, टोक्यो, जापान, मार्च 12-15, 1997

डब्ल्यू.डी.ओ./के.वी.आई.सी./ए.सी.ए.एस.एच. को प्रदान किये गये दर-ठेके

4580. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथ से काते तथा बुने गये हर प्रकार के हथकरघा वस्त्रों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)/महिला विकास संगठनों (डब्ल्यू.डी.ओ.) से प्रत्येक मंत्रालय/विभागों द्वारा खरीदने हेतु आरक्षित रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उक्त वस्तुओं की खरीद हेतु मंत्रालयों/विभागों की सम्पूर्ण मांग की आपूर्ति कर पाने में सक्षम है;

(घ) यदि नहीं, तो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इसमें कहाँ तक सक्षम नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अब मंत्रालयों/विभागों ने एसोसियेशन आफ कार्पोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीज आफ हैण्डलूम्स (ए.सी.ए.एस.एच.) को उक्त वस्तुओं की खरीद के क्रयादेश देने शुरू कर दिये हैं;

(च) यदि हाँ, तो इसमें सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की जायेगी; और

(छ) डब्ल्यू.डी.ओ./ए.सी.ए.एस.एच. को अब तक कितने दर-ठेके प्रदान किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) हाथ से काते व बुने गये वस्त्रों की सभी मदें केवल खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) से खरीदे जाने के लिए आरक्षित हैं। केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा चाहे जाने वाली हथकरघा वस्त्रों की सभी मदें एसोसियेशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीज आफ हैंडलूम्स (ए.सी.ए.एस.एच.) के माध्यम से केवल अधिसूचित हथकरघा एककों से खरीदे जाने के लिए आरक्षित हैं। वस्त्रों की इस प्रकार की मदें जो केवल खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) से खरीदे जाने के लिए आरक्षित हैं, वे उस सीमा तक खादी तथा ग्रमोद्योग आयोग से खरीदी जायेंगी, जिस सीमा तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, एसोसियेशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीड आफ हैंडलूम्स (ए.सी.ए.एस.एच.) के माध्यम से हथकरघा एककों पर रखी गई मांग को पूरा करने से पहले मांग की पूर्ति कर सकता हो। इन एककों को उस सीमा तक आदेश/आर्डर दिये जाते हैं, जिस सीमा तक ये एकक माँग की पूर्ति कर सकते हों। शेष मात्रा के लिए, यदि कोई हो, अन्य स्रोतों से खरीददारी की जा सकती है। बैरक कम्बलों (बैरक ब्लैकेट्स) की अधिप्राप्ति खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/महिला विकास संगठनों/एसोसिएशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीज आफ हैंडलूम्स से की जानी होती है।

बैरक कम्बलों के लिए अधिप्राप्ति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत 18-10-1995 को जारी किये गये थे, जिनके अनुसार एसोसियेशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीज आफ हैंडलूम्स, महिला विकास संगठनों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करने का उत्तरदायित्व ले सकता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से आदेश (आर्डर) के 1/3 भाग और एसोसियेशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीड आफ हैंडलूम्स से आदेश (आर्डर) के 2/3 भाग की पूर्ति हो सकती है। एसोसियेशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीज आफ हैंडलूम्स के लिए 2/3 आदेशों (आर्डर्स) में से 50 प्रतिशत आदेशों (आर्डरों) की पूर्ति यथासंभव महिला विकास संगठनों से की जायेगी और जिस मांग की पूर्ति उनके द्वारा न की जा सकती हो, उसकी तथा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से पूरी न की जा सकने वाली उस कमी की पूर्ति भी एसोसियेशन आप कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीज आफ हैंडलून से की जायेगी।

(ख) वस्त्रों की वे मदें जो केवल खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से खरीदे जाने के लिए आरक्षित हैं वे इस प्रकार है– (1) दसूती; (2) पगड़ी का कपड़ा; (3) झंडे का कपड़ा (बंटिंग क्लाथ); (4) डागरी का कपड़ा; (5) चादर का कपड़ा (शीटिंग क्लाथ); (6) चादरें (बैड सीट्स); (7) झाडन (डस्टर्स); (8) तौलिये; (9) साड़ियां; (10) धोतियां; जिंन पर रंग न किया गया हो, (11) तकिये का गिलाफ (पिलो केशज); (12) सिले-सिलाये कपड़े (निकर-शार्टस); (13) ब्लाउज; और (14) स्कर्ट आदि। हथकरघा वस्त्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) खरीद कार्यों के विकेन्द्रीकरण के बाद विभिन्न मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त दी गई नीतियों के अनुसार अपनी खरीद स्वयं करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए कोई केन्द्रीकृत सूचना नहीं रखी जा रही है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए आरक्षित कुछ मदों के लिये उनके साथ दर संविदायें तय करता रहा है। इस समय कुछ एक मदों के लिए दर संविदा है जो 1-1-1996 से 31-12-1996 तक की अवधि के लिए वैध है। कुल मिलाकर, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, दर संविदाओं पर रखी गई मदों की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने एसोसियेशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीज आफ हैंडलूम को उन मदों के लिए कोई आदेश (आर्डर) नहीं दिये हैं जो मदें केवल खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिए आरक्षित हैं।

(छ) महिला विकास संगठन-शून्य।

एसोसियेशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाईटीज आफ हैंडलूम दरियों के लिए 20-2-89 से दर संविदा पर हैं। चालू दर संविदा (आर.सी.) 30-9-1996 तक वैध है।

विवरण

हथकरघा क्षेत्र से खरीदे जाने के लिए अधिसूचित मदों की सूची

(सी.एफ. पैरा-9.3.2.3)

मद	आई.एस. विनिर्देश
1	2
सूती-हथकरघा	
अंगवस्त्रम	7216-1974
पट्टी का कपड़ा	868-1969
पलंग की दरियां	1557-1972
चादरें	745-1975

1	2
कम्बल, ग्रे अथवा रंगीन	746-1955
ब्लीडिंग मद्रास, कूमस्टेट	1937-1961
बुकरम का कपड़ा	1102-1968
झंडे का कपड़ा, रंगा हुआ	747-1982
कालीको, ब्लीच्ड अथवा रंगा हुआ	1241-1958
कम्बरिक, ब्लीच किया हुआ	1099-1957
सेल्यूलर शर्टिंग, सूती हथकरघा	1101-1981
प्लास्टर आफ पेरिस की पटटियों और कट्ट पट्टियों के लिए कपड़ा	6237-1971
कोटिंग, हैंडलूम काटन	1243-1981
हैंडलूम काटन टैक्सटाइल के लिए अपेक्षित कलर फास्टनेंस	6906-1982
क्रोप	1100-1978
धोतियां	718-1974
दसूती, ग्रे, स्वच्छ, ब्लीच अथवा डाई किया हुआ	756-1984
ड्रैस मैटिरियल, ब्लीच, डाई किया हुआ प्रिंटेड लाइनों वाला, अथवा चैक में	1095-1967
ड्रिल	1451-1979
डंगरी का कपड़ा	749-1978
डस्टर	859-1978
फलोर दरियां	1450-1972
गद्दे का कपड़ा	1094-1976
गौजो, एबजौरबेंट, नॉन स्टेराईज हैंडलूम काटन	758-1975
रुमाल	1989-1975
हालैंड क्लाथ, अनस्कोरड	1096-1957
हनीकोष टावल और टावल का कपड़ा	855-1979
हकबैक टावल	856-1971
जैकोनेट क्लाथ, ग्रे, ड्रैस्ड	861-1982
लाईट शीटिंग, ग्रे	864-1956
लाइनिंग क्लाथ, रंगा हुआ	1099-1957
लिन्ट, एब्जौरबेन्ट, ब्लीच किया हुआ	757-1971

1	2
लॉग क्लाथ, ब्लीच अथवा डाई किया हुआ	1244-1958
लुंगियां	750-1971
लॉग क्लाथ, ब्लीच अथवा डाई किया हुआ	1244-1958
मद्रास चैक	1247-1958
मद्रास रुमाल, हैंडलूम काटन	1093-1981
मलमल, ब्लीच किया हुआ	755-1981
माजरी क्लाथ (लूम स्टेट)	751-1981
मिश्रित साडिंया	8039-1976
मृटस, लाईनदार अथवा चैक में	1814-1961
मच्छरदानी	1097-1079
मुस्लीन, ब्लीच किया हुआ	752-1984
नैनसुक, ब्लीच अथवा डाई किया हुआ	1240-1958
नैपकीन, ब्लीच, लाईनदार, चैक अथवा डाई किया हुआ	857-1956
पापलीन, ब्लीच अथवा डाई किया हुआ	1556-1960
पगड़ी क्लाथ, ब्लीच अथवा डाई किया हुआ	753-1983
पाईस्मा क्लाथ, ग्रे लाईनदार	1245-1958
साड़ियां	754-1974
स्कूल यूनिफार्म फैब्रिक	8797-1978
शर्टिंग	1242-1975
सौंज क्लाथ, ग्रे, लाईनदार और चैक में	860-1956
टेबल क्लाथ और नैपकीन, हैंडलूम काटन	858-1981
टिकिंग क्लाथ, ग्रे, लाईनदार	862-1956
टरकिश टावल और टावलिंग क्लाथ	854-1981
हैंडलूम काटन	
ट्विल्स	1579-1979
सिल्क हैंडलूम	
बुशर्ट क्लाथ, लूमस्टेट	1686-1960
धोतियां, लूमस्टेट	1583-1960
कोरा (लूमस्टेट) क्लाथ	1687-1960
शर्टिंग, लूमस्टेट	1584-1960

1	2
वूल हैंडलूम	
ब्लैकेटिंग क्लाथ	895-1957
ब्लैकेट, स्कारलैट	2901-1964
ब्लैकेट, नैचुरल ग्रे, ब्राउन	892-1980
ब्लैकेट, साधारण, प्लेन अथवा चैक	893-1957
ब्लैंकेट, शौड़ी (डबल फैस्ड)	2157-1962
ब्लैंकेट, शौड़ी (शिंगल फैस्ड)	2481-1963
ब्लैंकेट, ब्रीक-रैड	894-1980
बनटिंग क्लाथ, वर्सटिड, हैवी	889-1957
बन्टिंग क्लाथ, वर्सटिड, लाईट	890-1957
क्लाथ, कालर, सफेद	2715-1964
कैम्बल्स, लूम स्टेट	896-1957
लोई, वास्टेड	1268-1958
मैल्टन (शौड़ी) क्लाथ	2173-1962
सर्ज	1266-1953
शर्टिंग, वरस्टेड	891-1957
पाइल फ्रैबरिंग	2417-1964

निम्नलिखित मदों की अधिप्राप्ति खरीददार द्वारा अनुमोदित सैम्पलों/परस्पर सहमत विनिर्देशों के आधार पर की जायेगी-

1. खेस
2. बेड कवर
3. काउंटर पैन
4. फर्नीशिंग
5. चद्दर
6. डैरेट/जामाक्कलम
7. बास्टा क्लाथ
8. लौरिड पिक क्लाथ
9. सिल्क साड़ियां
10. शाल, मफलर, पंखियां
11. वूलन ट्वीड

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थिति में परिवर्तन

4581. **श्री तारीक अनवर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जैसाकि वित्तमंत्री द्वारा 1996-97 के बजट भाषण में घोषणा की गई है, सरकार का भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई.आर.बी.आई.) को एक पूर्णरुपेण सर्वांगीण विकास वित्तीय संस्थान के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

असम में चाय बागानों से शुल्क एकत्रित करना

4582. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा असम के चाय बागानों से शुल्क के रूप में कितना राजस्व एकत्रित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन चाय बागानों के लिए विकासात्मक/कल्याण संबंधी कार्य किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय बोर्ड के पास उपलब्ध अनुमानों के अनुसार चाय के उत्पादन पर उपकर के रूप में असम में चाय के बागानों से केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्र किया गया राजस्व निम्नानुसार रहा है:

(लाख रु. में)

वर्ष	एकत्र किया गया उपकर
1993	614
1994	598
1995	597

(ख) से (घ) चाय बोर्ड अनेक विकासात्मक योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत दीर्घावधि ऋण, पूंजीगत सहायता, बैंक ऋणों पर ब्याज सहायता तथा विस्तार रोपण, नए रोपण, पुनर्रोपण, जीर्णोद्धार छंटाई तथा इनफिलिंग सिंचाई तथा जल निकासी, चाय की फैक्टरियों का आधुनिकीकरण आदि जैसे विकासात्मक कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान की जाती है। इन क्रियाकलापों के लिए राशि चाय बोर्ड स्वीकृत योजना बजट से पूरी की जाती है। चाय बोर्ड राज्य में कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ-साथ प्राथमिक स्तर से आगे के अध्ययन के लिए चाय

बागानों के कामगारों के बच्चों को सहायता मंजूर करना तथा शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों को वित्तीय सहायता मंजूर करना, स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना, शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करना तथा चाय बागानों के कामगारों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए विशेषीकृत इलाज सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

जी.आई.सी. में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के कर्मचारियों की तैनाती

4583. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान निगम की चार सहायक कंपनियों में से प्रत्येक में साधारण बीमा निगम के व्यावसायिक के कितने कर्मचारियों को सेवा में लिया गया;

(ख) इस निगम की चार सहायक कम्पनियों में से प्रत्येक में नगरवार कितनी तैनाती की गई; और

(ग) ऐसे उम्मीदवारों की तैनाती के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी निवेश सीमा

4584. डा. एम. पी. जायसवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी संस्थागत निवेशकर्त्ताओं द्वारा निवेश की सीमा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तथा (ख) वर्ष 1996-97 के बजट भाषण के दौरान सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुपालन के रूप में सेबी द्वारा (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियमन 1995 में संशोधन की घोषणा की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ इन संशोधनों में प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक के लिए पत्राधान निवेश सीमा को किसी कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रावधान है। तथापि, किसी भी कम्पनी में सभी विदेशी संस्थागत निवेशक/अप्रवासी भारतीय/ओ सी बी के लिए 24 प्रतिशत की विद्यमान सकल निवेश की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

बंगला देश के साथ सीमा व्यापार

4585. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावकी में भारत-बंगला देश सीमा व्यापार संबंधी अड़चन विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मार्च 1972 का प्रख्यात इंदिरा-मुजीब समझौता के अन्तर्गत यथा परिकल्पित भारत-बंगला देश के बीच सीमा व्यापार को पुनः आरम्भ करने हेतु बंगला देश सरकार के परामर्श से क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने अनेक अवसरों पर बंगला देश सरकार के साथ सीमावर्ती व्यापार को फिर से शुरू करने संबंधी प्रस्ताव रखा है। सकारात्मक उत्तर के अभाव में इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

पदोन्नति संबंधी व्यवस्था

4586. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को यह सुझाव दिया है कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर न करके दक्षिण कोरिया में विद्यमान व्यवस्था को अपनाते हुए उन सरकारी अधिकारियों की पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक से भारत को इस संबंध में कोई ठोस सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों को कार्यान्वित करने पर सहमति व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक उत्पादों की विकास दर

4587. श्री संतोष मोहन देव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक उत्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 1991-92 से 1995-96 के दौरान उत्पादन वृद्धि केन्द्र पर औसत विकास दर 1986-87 से 1990-91 के दौरान प्राप्त 8.4 प्रतिशत से कम था;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक उत्पादन के 7.8 प्रतिशत की औसत विकास दर से यह आंकड़ा कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परिस्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 से 1990-91 तक तथा वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक विकास दर क्रमशः 8.4% तथा 6% थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-93 के दौरान समग्र अधिनियम विकास कुछ अवरुद्ध रहा क्योंकि 1991 के भुगतान संतुलन संकट के कारण आयात पर रोक लगाना आवश्यक हो गया तथा मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कठोर मुद्रा नीति अपनाए जाने से निधियों की उपलब्धता तथा लागत दोनों पर प्रभाव पड़ा। 1994-95 में 9.4 प्रतिशत तथा 1995-96 में अपेक्षाकृत 12% उच्च वार्षिक वृद्धि का औद्योगिक उत्पादन दर्ज किया गया। दर में इस वृद्धि के औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में सुधार के संचयी प्रभाव, निर्यात की वृद्धि में निरंतर प्रफुल्लता तथा आय में वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि जैसे अनेक कारण हैं।

ऋण मांग में वृद्धि

4588. श्री माधव राव सिंधिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैकिंग क्षेत्र की सीमित निधि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऋण की बढ़ती हुई मांग और ब्याज दरों को विनिमय मुक्त करने के संबंध में सतर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर बैकिंग क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि फिलहाल बैकिंग प्रणाली के पास ऋण की सभी वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। वर्ष 1995-96 की तुलनात्मक अवधि में रिकार्ड किए गए 2390 करोड़ रुपये (0.6 प्रतिशत) की गिरावट की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष (29 मार्च, 1996 से 2 अगस्त, 1996 तक) के दौरान अब तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 14862.00 करोड़ रुपए (3.4 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्धारित की गई ब्याज दर संरचना में पर्याप्त रूप में अविनियमन किया गया है। अब बैंक जनता को जारी की जाने वाली एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार, 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए, बैंक ऋण देने के लिए अपनी ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। अपनी जमाराशियों और उधार दरों का निर्धारण करते समय, बैंक लागत और निधियों के अभिनियोजन पर संभाव्य प्रतिफल को ध्यान में रखते हैं। बैंकों द्वारा अनुसूचित रूप से प्रस्तावित/प्रभारित की जाने वाली दरों को नियंत्रित करने हेतु उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान किया गया है कि वे जो ब्याज दरें निर्धारित करते हैं उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आय की पहचान, पूंजी पर्याप्तता और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का निर्धारण, बैंकों द्वारा प्रस्तावित की गई/प्रभारित की गई ब्याज दरों को बनाए रखने के मामले में एक प्रमुख रक्षोपाय है।

बी.सी.सी.एल. में "नोशनल डम्पस"

4589. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.सी.सी.एल. में कितने "नोशनल डम्पस्" हैं;

(ख) ये किन स्थानों में स्थित हैं और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) केन्द्रीकृत कोयला भंडार और "नोशनल कोल डम्प" में क्या अन्तर है और अलग-अलग इनकी क्या उपयोगिता है;

(घ) "नोशनल कोल डम्प" से बेचे गये कोयले पर प्रति टन कितना-कितना कोयला उतराई शुल्क वसूल किया गया है; और

(ङ) बी.सी.सी.एल. के "नोशनल कोल डम्प" से कितनी मात्रा में कोयले की कितनी बिक्री हुई है और गत तीन वर्षों के दौरान उसके बदले कितना उतराई शुल्क वसूल किया गया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जैसा कि कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं. लि.) द्वारा सूचना दी गई है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोलियरियों में 15 नोशनल कोल डम्प अवस्थित हैं। उनकी स्थिति नीचे दर्शायी गयी हैं:-

क्रम सं.	नोशनल कोल डम्पस का नाम	स्थिति
1.	दामोदा सैटेलाइट स्टॉक यार्डस	बरोरा क्षेत्र
2.	मुरइडीह सैटेलाइट स्टॉक यार्डस	बरोरा क्षेत्र

क्रम सं.	नोशनल कोल डम्पस का नाम	स्थिति
3.	जे.ओ.सी.पी. सैटेलाइट स्टॉकयार्डस	ब्लाक II क्षेत्र
4.	नुदखुर्की सैटेलाइट स्टॉकयार्ड	ब्लॉक II क्षेत्र
5.	बेनिडीह सैटेलाइट स्कॉटयार्ड	ब्लॉक II क्षेत्र
6.	आकाशकिनारी सैटेलाइट स्टॉकयार्ड	गोविन्दपुर क्षेत्र
7.	गोविन्दपुर/ब्लाक II/सैटेलाइट स्टॉकयार्डस	गोविन्दपुर क्षेत्र
8.	सेन्द्र बंसजोरा सैटेलाइट स्टॉकयार्डस	सिजुआ क्षेत्र
9.	तेतुलमारी सी.एच.पी. सैटेलाइट स्टॉकयार्डस	सिजुआ क्षेत्र
10.	निचितपुर सैटेलाइट स्टॉकयार्डस	सिजुआ क्षेत्र
11.	बस्ताकोल्ला सैटेलाइट स्टॉकयार्डस	बस्ताकोला क्षेत्र
12.	डाबरी सैटेलाइट स्टॉकयार्डस	बस्ताकोला क्षेत्र
13.	कया सैटेलाइट स्टॉकयार्ड्स	बस्ताकोला क्षेत्र
14.	बेरा सैटेलाइट स्टॉकयार्डस	बस्ताकोला क्षेत्र
15.	जीन्नागोरा सैटेलाइट स्कॉटयार्डस	लोदना क्षेत्र

कोल इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि उपर्युक्त डम्पों के कर्मचारी और उनकी संपत्ति उन कोलियरियों से संबंधित हैं, जिनमें ये डम्प अवस्थित हैं। इसलिए इन डम्पों पर हुए व्यय का अलग से कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीयकृत कोल डम्प एक अलग यूनिट है जो कि स्वतंत्र रूप में कर्मचारियों, उपकरणों और अन्य सुविधाओं का रख-रखाव करता है।

दूसरी ओर नोशनल कोल डम्प कोलियरियों से जुड़े होते हैं और इन्हें पृथक स्थापना और अन्य बड़ी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। कोलियरियों के कर्मचारी, उपकरण और अन्य सुविधाएं नोशनल डम्प के प्रयोग में भी आती हैं।

(घ) दिनांक 13.1.92 से 31.12.95 के बीच की अवधि में डम्प का शुल्क 48/- रु. प्रति टन निर्धारित किया गया था, जिसे दिनांक 1.1.96 से बढ़ाकर 80/- रु. प्रति टन कर दिया गया था।

(ङ) भा.को.को.लि. के नोशनल डम्पों से बिक्री किए गए कोयले की मात्रा और गत तीन वर्षों के दौरान वसूल की गयी डम्प प्रभारों की राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

	नोशनल डम्प के माध्यम से बिक्री की गई कोयले की मात्रा (टन में)	संग्रहण की गई राशि (लाख रुपए में)
1994	944,649	453.43
1995	1,337,105	641.81
1995 (अगस्त तक)	854,677	683.74

[अनुवाद]

सलबोनी छापाखाना

4590. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सलबोनी में छापाखाना शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रेस के 1999 के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है।

विदेशी मुद्रा का जब्त किया जाना

4591. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा राजधानी में विदेशी मुद्रा की जालसाजी के कुछ बड़े मामलों का पता लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रकर की जालसाजी के मामलों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा तथा सोना जब्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसमें विदेशी मुद्रा तथा सोने की कितनी मात्रा जब्त की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली द्वारा विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि के अभिग्रहण से संबंधित मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली पर सोने एवं विदेशी मुद्रा की जब्ती के अभिग्रहण के ब्यौरे निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	जब्त किए गए सोने की मात्रा (कि.ग्रा. में)	जब्त विदेशी मुद्रा का मूल्य (रु. हजारों में)
1994-95	54.619	11,715
1995-95	106.438	21,005
1996-97 (30.6.96 तक)	30.00	5,535

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	पार्टी का नाम	जब्ती का विवरण
1.	1994	श्री मोहम्मद अकरम एवं श्रीमती नसीम	14.80 लाख रु. की विदेशी मुद्रा
2.	1994	श्री लखबीर सिंह	1.25 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा और 1680 तोला सोना।
3.	1995	श्री आर. के. गोयल	10 लाख रु. की विदेशी मुद्रा।
4.	1996	श्री नटवर डालमिया	75 लाख रु. की विदेशी मुद्रा।
5.	1996	श्री प्रकाश लुनिया और अन्य	11 किलोग्राम सोना+100 अमेरिकी डालर

गैर-सूचीबद्ध मदों के अन्तर्गत विशेष आयात लाइसेंस जारी किया जाना

4592. **श्री एन.एस.वी. चित्थन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सूचीबद्ध मदों के अंतर्गत वर्षवार कुल कितने विशेष आयात लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) क्या कई मामलों में अत्यधिक विलम्ब होने से निर्यातकों को असुविधा हो रही है;

(ग) यदि हां, तो आज तक स्वीकृति हेतु कितने मामले लम्बित हैं; और

(घ) इन लाइसेंसों को कब तक जारी किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

अवधि	आयात लाइसेंस	सीमाशुल्क निकासी परमिट
1993-94	730.	220
1994-95	901	242
1995-96	971	174

(ख) से (घ) सामान्यतः वास्तविक उपभोक्ता के लिए घरेलू उपयोग के लिए प्रतिबंधित मदों के आयात हेतु प्रमुख आयात लाइसैंस दिया जाता है। इसलिए, निर्यातकों को असुविधा उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, ऐसे लाइसेंसों के आवेदनों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित कराने के लिए हर प्रयास किया जाता है। संबंधित तकनीकी प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख लाइसैंसिंग समिति, ऐसे मामलों पर कार्य करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय नियमित रूप से हर पन्द्रह दिन में एक बार मिलते हैं और बैठक से पहले प्राप्त होने वाले सभी लाइसेंस आवेदन समिति के सामने रखे जाते हैं। समिति द्वारा प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और बैठक में ही निर्णय ले लिया जाता है। तथापि, विशिष्ट मामलों में जहां सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य जोखिम, घरेलू उपलब्धता जैसे मामले शामिल हैं और संबंधित मंत्रालयों से क्लीयरेंस मिलनी आवश्यक है, उनके विचार प्राप्त करने के लिए उनको भेज़ दिये जाते हैं और उसके बाद मामले दोबारा समिति के समक्ष रखे जाते हैं।

चौकी-तुला स्थापित करना

4593. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के लदान स्थल पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कितने चौकी-तुला स्थापित किए गए तथा विभिन्न स्थानों पर कितनी चौकी-तुलाओं को अभी स्थापित किया जाना है;

(ख) शेष चौकी-तुलाओं को स्थापित किए जाने का क्या कार्यक्रम है;

(ग) क्या चौकी-तुलाओं को स्थापित करने के संबंध में अनुदेश लगभग एक दशक पूर्व दिये गये थे तथा यदि हां, तो इन्हें अब तक स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने 1986 में यह निर्देश दिया था कि जब तक इलेक्ट्रोनिक चौकी-तुला कोयले के लदान स्थल के पास लगाए नहीं जाते हैं, तब तक कोयले के लिए दी जाने वाली राशि की अदायगी के उद्देश्य से इन विद्युत गृहों पर चौकी-तुला पर किए गए तौल को मान्य माना जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उपरोक्त निर्देश का पालन करने के संबंध में क्या कदम उठाये गयें हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान में, कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) की विभिन्न सहायक कोयला कंपनियों में 123 वे-ब्रिज प्रचालन में हैं। 28 और वे-ब्रिजों को स्थापित किया जाना है। इनमें से 25 वे-ब्रिजों को 31.3.1997 तक स्थापित कर दिया जाएगा तथा शेष

3 वे-ब्रिजों को 1997-98 के दौरान स्थापित कर दिया जाएगा।

(ग) 1986 में वे-ब्रिजों की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसका अनुसरण करते हुए को.इं.लि. ने कार्रवाई की है तथा अब तक 123 इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिजों की स्थापना के चरण के अधीन हैं। 28 और वे-ब्रिजों की स्थापना संबंधी कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) दिनांक 22.12.1986 को संपन्न बैठक में निम्न रूप में आगे यह निर्णय लिया गया कि :

(1) सिद्धान्त रूप से लदान स्थलों पर मापन इलैक्ट्रॉनिक वे-ब्रिजों द्वारा किया जाएगा तथा सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा भार की मुद्रित मात्रा स्वीकार की जाएगी।

(2) जहां लदान स्थलों पर कोयले की माप के लिए इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिजों की व्यवस्था नहीं है तथा जहां कि 100% माप यंत्रिकृत अथवा इलेक्ट्रॉनिक वे-बिज्रों द्वारा किए जाने की व्यवस्था है और ऐसे सभी वैगनों की माप (तौल) विद्युत गृहों पर ही की जाती है तो यह अंतिम रूप से स्वीकार्य होगा।

(3) जहां कि विद्युत गृहों में 100% वैगनों को तौलने की सुविधा नहीं है तथा जहां 100% वैगनों को मैकेनिकल वे-ब्रिजों द्वारा तौलने की सुविधा लदान-स्थल पर उपलब्ध है, ऐसे सभी मामलों में लदान स्थल पर तौल से संबंधित रिकार्ड अंतिम रूप से स्वीकार्य होगा।

4) जहां तौलने की सुविधा न तो लदान स्थल पर और न ही विद्युत गृह में उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में मात्रात्मक आधार पर तौल की विद्यमान पद्धति स्वीकार्य रहेगी।

विकेन्द्रीकरण के बाद पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की खरीद नीति

4594. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा इसके विकेन्द्रीकरण किये जाने के पश्चात ऐसी कोई खरीद नीति तैयार की गई है जो किसी भी प्रकार की खरीददारी संबंधी ठेके को अंतिम रूप देते समय सभी केंन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों पर बाध्यकारी हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं। सरकारी खरीद पर लागू मूल सिद्धांत सामान्य वित्तीय नियमांवली (जी एफ आर) में निर्धारित किए गए हैं जिनका पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में अभी भी अनुपालन किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक संहिता

4595. श्री तारिक अनवर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी नागरिकों के लिए नागरिक संहिता जारी करने का है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी नागारिकों की घुसपैठ एवं कर अपवंचन आदि से बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प

4596. श्री एन. जे. राठवा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात के जन-जातीय क्षेत्रों में काष्ठ कला, कांस्य कला, हस्त पेंटिंग, कालीन बुनाई, मिट्टी की मूर्ति कला, चीनी के बर्तन बनाने की कला तथा बांस से वस्तुओं के निर्माण की कला के विकास हेतु गुजरात हस्तकला विकास निगम को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) इससे कितने जन-जातीय लोगों को लाभ हुआ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) काष्ठ शिल्प, कांस्य शिल्प, हस्त छपाई, कालीन बुनाई, मिट्टी भास्कर्य, कुम्भकारी व बांस शिल्प सहित हस्तशिल्प के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात-जन-जातीय क्षेत्रों सहित गुजरात राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड को नोटिस निधियां निम्नोक्त है:-

(लाभ रुपये में)

वर्ष	बंटित राशि
1993-94	13.98
1994-95	6.61
1995-96	10.55

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंटित निधियों से 3000 से अधिक जनजातीय व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा है।

[अनुवाद]

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी

4597. श्रीमती बसुन्धरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी की घोषणा के कारण कितनी अतिरिक्त धनराशि जारी करने का विचार है तथा इन उपायों से किस प्रकार बैंकों के जमा में वृद्धि होगी; और

(ख) क्या सरकार का विचार जैसा कि नरसिंहमन समिति ने सुझाव दिया था प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को और कम करके 10 प्रतिशत करने का है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात के युक्तिकरण संबंधी नीति के अंगस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल मांग और समयबद्ध देयताओं का आरक्षित नकदी निधि अनुपात, 6 जुलाई, 1996 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से 13.0 प्रतिशत से कम होकर 12.0 प्रतिशत हो गया है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी से बैंक, उधार देने योग्य संसाधनों के 4,100 करोड़ रुपए जारी करने में सक्षम होंगे।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि नरसिंहम समिति की सिफारिशों की समनुरूप उनका मध्यावधि उद्देश्य, सी आर आर को घटाकर 10 प्रतिशत करना है। तथापि, चूंकि सी आर आर मौद्रिक नियंत्रण का एक साधन है, अत: उपयोग मौद्रिक स्थिति के आधार पर लचीले ढंग से करने की आवश्यकता होगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के सुझाव

4598. श्री संतोष मोहन देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक ने सरकार को राज्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह घाटा दस प्रतिशत तक पहुंच गया है;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का पैनल हाल ही में वित्त मंत्री से मिला था;

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने किन बातों पर चर्चा की; और

(च) सरकार द्वारा राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक साधारणतया वित्तीय विवेक की आवश्यकता और वित्तीय घाटे को कम करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

(ग) विश्व बैंक देशीय आर्थिक ज्ञापन, 1996 के अनुसार केन्द्र सरकार, राज्य और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समेकित घाटे की राशि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) अनुच्छेद 2/मंत्रणा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मिशन जिसने 31.7.96 से 13.8.96 तक भारत का दौरा किया था, ने वित्त मंत्री से 13.8.96 को मुलाकात की।

(च) राज्यों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने और बजटीय सहायता पर उनकी निर्भरता को कम करने के महत्व पर जोर देते हुए वित्तीय असंतुलन को एक स्थायी स्तर पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

मौलिक न्यूनतम सेवा कार्यक्रम

4599. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने उनके मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान निर्धन व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु धनराशि जुटाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त धनराशि को किस प्रकार खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 7 लक्ष्यों के स्वीकार करने की सिफारिश की गई थी जिन्हें वर्ष 2000 तक प्राप्त किया जाना है। इनमें सभी स्थानों के लिए स्वच्छ पीने के पानी का शत-प्रतिशत प्रावधान, सभी स्थानों के लिए शत-प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी बेघर गरीब परिवारों को लोक आवास सहायता, दोपहर के भोजन की योजना का विस्तार, सभी ग्रामों और निवास स्थानों को सड़कों से जोड़ना, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए लक्षित लोक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना शामिल है।

(ख) और (ग) संघ सरकार के 1996-97 के बजट अनुमानों में, उपर्युक्त 7 मूल न्यूनतम सेवाओं के लिए निधि की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि हेतु अंतरिम बजट में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए नियतन से अधिक 2466 करोड़ रुपए

की अतिरिक्त राशि केन्द्रीय सहायता के बतौर दी गयी है। इस राशि में से 250 करोड़ रु. गंदी बस्तियों के निवासियों को आश्रय स्थान और अन्य मूल सुविधायें प्रदान करने के लिए उद्दिष्ट किये गये हैं। ये राशि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा केवल निर्धारित मूल न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग में लाई जायेगी।

वित्तीय संस्थाओं के बांड

4600. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकदी तथा उधार में कमी के कारण आई डी बी आई, आई सी आई सी आई, एन.सी.आई.सी.आई., एफ.सी.आई. जैसी कई वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आज की तारीख तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा योजना-वार तथा संस्था-वार जारी किए गए बांडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बाडों पर सरकार द्वारा किये जा रहे विनियमन अथवा नियंत्रण का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं अर्थात आई.डी.बी.आई., भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ.सी.आई.), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. (आई.सी.आई.सी.आई.) और एस.सी.आई.सी.आई. लि. द्वारा जारी किए गए बाण्डों के सरकारी निर्गम के विवरण और 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (अब तक) के दौरान एकत्र की गई निधियों की राशि निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

संस्था	1994-95	1995-96	1996-97
आई.डी.बी.आई.	शून्य	1079.00	शून्य
आई.एफ.सी.आई.	शून्य	शून्य	1250.00
आई.सी.आई.सी.आई.	691.35	623.67	शून्य
एस.सी.आई.सी.आई. लि.	419.00	473.00	674.00**

* आंकड़े अनंतिम

** अनुमानित आंकड़े

(ग) ऋण निर्गमों सहित सभी सरकारी निर्गमों को प्रकटीकरण और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सेबी) के मार्गनिर्देशों के अनुरूप तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सेबी ने मार्च, 1996 से कतिपय शर्तों के अध्यधीन सूचीबद्ध की गई कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विशुद्ध ऋण अनुदेशों के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने से मना कर दिया है।

बिलंब शुल्क शीर्ष के अंतर्गत किए गए खर्च

4601. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विलंब शुल्क शीर्ष के अन्तर्गत कितना व्यय किया गया;

(ख) विलंब शुल्क अदा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त विलंब शुल्क किस-किस शीर्ष के अंतर्गत अदा किए गए?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान भा.को.को.लि द्वारा विलम्ब शुल्क शीर्ष के अन्तर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1993-94	732.81 लाख रु.
1994-95	679.56 लाख रु.
1995-96	850.23 लाख रु.

(ख) कोयला कंपनियों द्वारा रेलवे की अनुमेय खाली समयावधि के अन्दर रेकों में लदान का कार्य पूर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में विलम्ब शुल्क अदा करना अपेक्षित हो जाता है। ऐसे कभी-कभी होने वाले विलम्बों के कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल है:-

(1) कुछ साइडिंग्स में लदान हेतु अपर्याप्त समयावधि प्रदान किया जाना

(2) लदान स्थलों पर उपकरणों में खराबी हो जाना।

(3) बिजली फेल हो जाने के कारण फीडर ब्रेकरों द्वारा कोयले की क्रोशिंग का कार्य प्रभावित होना।

(4) उपकरणों के खराब हो जाने तथा अन्य कारणों से साइडिंग्स को कोयले का कम परिवहन किया जाना।

(ग) इन कारणों से किए गए व्यय को भारत कोकिंग कोल लि. को वहन करना पड़ेगा।

"ई.सी.एल." के लिए हैवी अर्थ मूवर्स मशीनरी को भाड़े पर लिया जाना

4602. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में हैवी अर्थ मूवर्स मशीनों को भाड़े पर लिया जाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय से कोयले के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) की कार्यप्रणाली की समीक्षा किए जाने हेतु अपनी 25वीं रिपोर्ट (1986-87) (आठवीं लोक सभा) में सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (कोपू) के दिशानिर्देशों के अनुसरण में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा ''हैम'' को भाड़े पर लिए जाने से संबंधित मुद्दों की जांच किए जाने हेतु सरकार ने अगस्त, 1987 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। विशेषज्ञ दल ने अन्य बातों के अलावा, यह सिफारिश की कि भाड़े पर लिए गए ''हैम'' द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा लक्ष्य क्षमता और बाजार की मांग के बीच के अंतराल को पूरा किए जाने के स्तर पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और यह कि संगठित रूप में केवल सीमांतिक स्तर तक खनन के लिए ही इसे भाड़े पर लिया जाना चाहिए तथा इसे शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए। जनवरी, 1988 में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर उचित रूप से विचार किए जाने के पश्चात सरकार ने अन्य बातों के अलावा अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप में, ''हैम'' को भाड़े पर लिए जाने का कार्य समाप्त करने का निर्णय लिया। ई.को.लि. में ''हैम'' को भाड़े पर लिए जाने का कार्य 1.4.91 से बाधित हुआ। लेकिन, कुछ ठेकेदारों ने न्यायालय के आदेश के बल पर इसे जारी रखा जब तक कि न्याबालय द्वारा इसे 25.7.91 को विरामित नहीं कर दिया गया।

(ग) ''हैम'' को भाड़े पर लिया जाना बंद किए जाने के परिणामस्वरूप कोयले के उत्पदन पर 1991-92 से प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मिलियन टन मात्रा में प्रभाव पड़ने का आंकलन किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु विदेशी प्रस्ताव

4603. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु विदेशों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन औद्योगिक इकाइयों में कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हाँ।

सरकार द्वारा पिछली नीति अवधि अर्थात 01.08.91 से 31.07.96 तक के दौरान 16382.07 करोड़ रुपये के विचारित 377 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः विदशी सहयोग कर्ता का नाम तथा देश, अन्तर्ग्रस्त इक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक समाचार पत्र के पूरक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा उसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की आपूर्ति

4604. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों ने कोयले के साथ पत्थरों की आपूर्ति किये जाने के संबंध में क्षतिपूर्ति हेतु दावा किया है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने राज्य विद्युत बोर्डों को इन दावों की क्षतिपूर्ति की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड और सरकार द्वारा पत्थर मिले कोयले की आपूर्ति रोकने और पत्थरों की आपूर्ति किए जाने संबंधी क्षतिपूर्ति हेतु दावों को रोकने के लिए क्या निवारात्मक कार्यवाही की जा रही है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) राज्य विद्युत बोर्ड, जिसमें महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है, बड़े आकार के कोयला, पत्थरों, आदि की आपूर्ति के कारण कोयला से संबंधित बिलों में इकतरफा रूप से कटौती कर रहे हैं। कोयला कंपनियों को ऐसी एकतरफा कटौती स्वीकार्य नहीं है। अधिकांश मामलों में राज्य विद्युत बोर्ड ने विवादित राशि से संबंधित भुगतान नहीं किया है, अतः कोयला कंपनियों द्वारा संबंधित राशियों की प्रतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता

है। विवादित राशियों के निपटारे के लिए राज्य विद्युत बोर्ड से पारस्परिक रूप से विचार-विमिर्श किया जा रहा है। विवादित राशियों के निपटारे के लिए सरकार ने प्रमुख व्यक्तियों को अधिनिर्णायकों के रूप में नियुक्त किया है। उक्त अधिनिर्णायकों द्वारा अधिनिर्णय की घोषणा किए जाने के बाद विवादित राशियों से संबंधित मामले को निपटा लिए जाने की संभावना है।

(घ) उपभोक्ताओं को अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति में सुधार किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें निम्न कदम शामिल हैं:-

(1) आपूर्तित कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फीडर ब्रेकर्स तथा कोयला रख-रखाव संयंत्रों के संस्थापन हेतु एक कार्रवाई योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(2) कोयले के लदान के समय कोयले में से पत्थरों को यथासंभव अलग किया जा रहा है।

(3) विद्युत उपयोगिताओं से अनुरोध किया गया है कि वे कोयले के प्रेषण से पूर्व कोयले के संयुक्त नमूना लेने से संबंधी कार्रवाई करने के लिए लदान स्थलों पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात करें।

अतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी

4605. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1996 के "द इकनोमिक टाइम्स" में "स्वीस फेयर ट्रिक्स ऑफ टाइटन एण्ड अदर 'मेड-इन इंडिया' एग्जीबिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेसल, स्विटजरलैण्ड में भारत की भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण के साथ कोई विरोध व्यक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय मेला प्राधिकरण की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का भारत की मुक्त व्यापार नीति के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए तथा संरक्षण-वादी व्यापार नीति के अनुपालन संबंधी आरोप का खण्डन करने हेतु कुछ मानदण्ड निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स टाइटन इण्टरनेशनल मार्केटिंग लिमिटेड ने प्रदर्शन करने वालों की उस समिति को एक प्रतिवेदन दिया है जो बसेल, स्वीटजरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय घड़ी, दीवाल घड़ी और आभूषण में भाग लेने का मानदण्ड बनाती है। फिर भी प्रदर्शन करने वालों की समिति अपना यह मन्तक बनाए हुए है किसी देश द्वारा भाग लेने की शर्तों में से एक यह है कि उस देश को सभी उदगम वाली घड़ियों के आयात के संबंध में उदार व्यापार नीति रखनी चाहिए तथा आयात टैरिफ 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह मामला अनुसुलझा है।

(घ) से (च) भारत सरकार के लिए भारत के बाहर विदेशी निजी पक्षों द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के मानदण्ड निर्धारित करना संभव नहीं है। सरकार ने स्विस अधिकारियों के साथ मामले को उठाया है जिनकी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया यह रही है कि एक निजी पक्ष प्रदर्शन करने वालों की समिति, एक प्राईवेट पार्टी, जो भाग लेने के मानदण्ड निर्धारित करती है के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार, स्विस अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ा रही है।

[हिन्दी]

संगमरमर पर उत्पाद शुल्क

4606. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संगमरममर के कई व्यापार संगठनों और जन प्रतिनिधि मंडलों से संगमरमर और चूना पत्थर पर उत्पाद शुल्क कम करने अथवा हटाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) चूना पत्थर पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है। जहां तक संगमरमर का संबंध है सरकार को इस आशय के कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि संगमरमर पर उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया जाए अथवा इसे 30 रु. प्रति वर्गमीटर के मौजूदा स्तर से कम कर दिया जाए। इन पर विचार किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश

4607. **श्री देवी बक्स सिंह** :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में अलग अलग देश के निवेश संबंधी कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई;

(ख) किन-किन कंपनियों ने ऐसे निवेश प्रस्ताव भेजे हैं और किन-किन राज्यों में निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) देश में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) 1.1.96 से 31.7.96 की अवधि के दौरान बागवानी और पुष्पोत्पादन सहित कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा 45.03 करोड़ रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना करते हुए 25 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किए गए।

इन प्रस्तवों के ब्यौरे अर्थात विदेशी सहयोगकर्ता का नाम और देश, निहित इक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक समाचार पत्र के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं और इनकी प्रतिलिपियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अंतर्प्रवाह की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है।

भारत और ईजरायल के बीच संयुक्त उद्यम

4608. श्री देवी बक्स सिंह :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईजरायल के बीच औद्योगिक क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है/किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईजरायल में भारतीय उद्योग भी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हाँ। औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईजरायल तथा लघु उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन. एस. आई. सी.), भारत तथा इजरायल की लघु व्यवसाय प्राधिकरण के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौते जिन पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं में शामिल हैं व्यापार और आर्थिक सहयोग पर समझौता, दोनों देशों के मानक संस्थानों के मध्य समझौता, दोहरी कर व्यवस्था से बचने के लिए समझौता, तथा निवेश संरक्षण पर समझौता।

(ग) और (घ) जी, हाँ। सरकार ने मैसर्स इन्डो-इजरायल एंड कैमिकल्स लि., कलकत्ता को 21.84 मिलियन यू.एस. डालर की निवेश ईक्विटी के साथ इज़रायल में फासफोरिक एसिड विनिर्माण करने वाले एकक की स्वीकृति प्रदान की है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, परियोजना कार्यान्वियन के अंतर्गत है।

[अनुवाद]

कागज उद्योग पर संकट

4609. श्री पी. सी. चाको : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में बड़े पैमाने पर कागज के आयात के कारण घरेलू कागज उद्योग को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कागज उद्योग ने उनके पास एक बफर स्टाक जमा किया है और यह बन्द होने के कगार पर है अथवा अपने उत्पादन में भारी मात्रा में कमी ला रहा है;

(ग) यदि हां तो राज्यवार ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बड़े पैमाने पर कागज के आयात का क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू कागज उद्योग के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) घरेलू कागज उद्योग बड़े पैमाने पर कागज के आयात के कारण किसी कड़ी स्पर्धा का सामना नहीं कर रहा है। क्योंकि देश की मांग को अधिकांशतः घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है। बड़े पैमाने पर कागज के आयात के कारण मिलों के पास न तो स्टॉक का ढेर लग रहा है, न उत्पादन में कमी आ रही है और न हीं मिलें बन्द होने की अवस्था में हैं। देश कागज की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मौटे तौर पर आत्मनिर्भर है।

तथापि अखबारी कागज उद्योग कुछ कठिनाइयां महसूस कर रहा है। अपेक्षाकृत सस्ते आयात की उपलब्धता के कारण उपभोक्ता घरेलू उद्योग से अखबारी कागज नहीं खरीदते हैं, फलस्वरूप स्टॉक में वृद्धि हो जाती है।

सरकार को इस मामले की जानकारी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

4610. श्री भक्त चरण दास : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा 1994-95 के दौरान अधिक मुनाफा दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को कितना मुनाफा हुआ है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन उपक्रमों को घाटा हुआ है; और

(घ) घाटे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के 130 उपक्रमों ने वर्ष 1994-95 के दौरान 12124 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जो वर्ष 1993-94 के दौरान 121 उपक्रमों द्वारा 9768 करोड़ रुपये के अर्जित लाभ की तुलना में अधिक है। वर्ष 1994-95 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का ब्यौरा दिनांक 19-7-1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1994-95 (अंग्रेजी संस्करण) के खण्ड-1 के विवरण संख्या 7क में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1994-95 के दौरान 109 सरकारी उपक्रमों ने घाटा उठाया, जबकि वर्ष 1993-94 में 116 सरकारी उपक्रमों ने घाटा उठाया था। उक्त अवधि के दौरान घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों के नाम लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1994-95 (अंग्रेजी संस्करण) के खण्ड-1 के विवरण सं. 7-ख में दिए गए हैं। घाटा के कारण प्रत्येक उद्यम के मामले में अलग-अलग हैं। बहरहाल, अधिक श्रमशक्ति, पुरानी व अप्रचलित मशीन व संयंत्र, अनद्यतन प्रौद्योगिकी, अनियमित विद्युत आपूर्ति, यांत्रिक व्यवधान, ब्याज का भारी बोझ, अधिक प्रारम्भिक पूंजी निवेश, गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ तीव्र प्रतिस्पर्द्धा, क्षमता का कम उपयोग आदि घाटा के सामान्य कारण हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा वित्तीय सहायता

4611. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार में कुछ नई इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन. एस. आई. सी.) लि., द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान 25 नई इकाईयों को कुल 137.20 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाल ही में एन.एस.आई.सी. ने 1997 से शुरू होकर अपनी गतिविधियों का एक 10 वर्षीय कारपोरेट प्लान तैयार किया है।

पूंजीगत निवेश

4612. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आज तक कुल कितना पूंजीगत निवेश किया गया है;

(ख) इन उपक्रमों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ है और उक्त अवधि के दौरान इनमें कितनी अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सिर्फ 31.3.1995 तक की ही लेखापरीक्षित जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में उक्त तारीख तक कुल पूंजी निवेश 172438 करोड़ रुपये का था।

(ख) इन उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 20.41 लाख है।

(ग) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में लगी पूंजी की तुलना में अर्जित लाभ की प्रतिशतता से संबंधित ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 तथा 1994-95 (अंग्रेजी संस्करण) के खण्ड-1 के विवरण संख्या 10 में दिया गया है। उक्त दोनों सर्वेक्षण संसद में क्रमशः 22.3.95 तथा 19.7.96 को प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में अतिरिक्त निवेशित पूंजी क्रमशः 17373 करोड़ रुपये तथा 7478 करोड़ रुपये थी।

नया प्रत्यक्ष-कर कानून

4613. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री छतर सिंह दरबार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाने हेतु सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषज्ञ दल कब से काम करना शुरू कर देगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। नए प्रत्यक्ष कर कानून को पुनः तैयार करने के निमित्त सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 को युक्तिसंगत और सरल बनाने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

(ग) विशेषज्ञ दल ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और इसे 31 दिसम्बर, 1996 तक अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

[अनुवाद]

कोयले पर उत्पाद शुल्क

4614. डा. एम. पी. जायसवाल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने कोयले पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे तटीय सीमेंट संयंत्रों के विकास में किस हद तक सुधार होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग) द्वारा सूचित किया गया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सीमेंट उद्योग पर कार्य दल तथा सीमेंट उद्योग हेतु विकास परिषद, जो कि योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी, ने कोयले पर आयात शुल्क को 35% से घटाकर 5% तक करने की सिफारिश की है।

(ख) से (घ) संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये वर्ष 1996-97 के बजट में, सीमेंट संयंत्रों द्वारा आयात किए जा रहे कोयले पर रियायती आयात शुल्क के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया है। किन्तु, सभी उपभोक्ताओं के मामले में, जिसमें सीमेंट क्षेत्र के उपभोक्ता भी शामिल हैं, कोकर कोयले के आयात पर शुल्क को 35% से 20% तक घटा दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं के लिए, जिसमें तटीय स्थलों पर स्थित सीमेंट के संयंत्र भी शामिल हैं, आयातित कोयले की लागत में कमी आ जाएगी।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में पूंजी निवेश

4615. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से देश के औद्योगिक विकास में लघु उद्योग इकाईयों का योगदान बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनका प्रतिशत कितना रहा है;

(ग) क्या देश में औद्योगिक क्षेत्र में किए गए कुल निवेश की तुलना में लघु क्षेत्र में किया गया पूंजीगत निवेश कम है; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रत्येक वर्ष लघु उद्योग क्षेत्र में किए गए पूंजीगत निवेश का प्रतिशत अलग-अलग कितना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान क्रमशः 40.70%, 40.71% तथा 41.27% था।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ व्यापार

4616. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अमरीका व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में किए गए कुल निर्यात तथा आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत-अमरीका व्यापार के विस्तार में आने वाली किसी अड़चन का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अड़चनों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आगामी तीन वर्षों के लिए भारत अमरीका व्यापार संबंधी संभावनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-यू. एस. व्यापार निम्नानुसार था-

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	द्विपक्षीय व्यापार	व्यापार संतुलन
1993-94	12543.88	8599.85	21143.73	(+) 3944.03
1994-95	15764.32	9123.61	24887.93	(+) 6640.71
1995-96	18457.54	12805.25	31262.79	(+) 5652.29

(स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ख) जी हां।

(ग) अवरोधों में वस्त्र कोटा, एन्टी-डम्पिंग और काउनट्रवेलिंग शुल्क, स्वास्थ्य से संबंधित मानक और वातावरण आदि शामिल हैं। इन मामलों पर उभयपक्षीय रूप से यू.एस.ए. से बातचीत होती है जिससे यह सुनिश्चित हो कि बाजार की पहुँच में नाजायज रुकावट न हो। किसी विसंगति या विभेद के मामले में शिकायत को दूर करने के लिए भारत को डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटान मशीनरी के पास जाने का अधिकार होगा।

(घ) यू.एस.ए. के साथ भारत का व्यापार भारत के समग्र व्यापार वृद्धि के समानान्तर बढ़ने के आसार हैं।

(ङ) भारत-यू.एस.ए. व्यापार के विस्तार के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों में, द्विपक्षीय क्रियाकलाप में वृद्धि हुई है। इसमें मई 1994 में भारतीय प्रधानमंत्री की यू.एस.ए. यात्रा, जनवरी 1995 में यू.एस.ए. वाणिज्य सचिव की भारत यात्रा; जून, 1995 में वाणिज्य मंत्री की यू.एस.ए. यात्रा, दिल्ली में अप्रैल 1995 में भारत-यू.एस. आर्थिक व वाणिज्यिक उप-आयोग की बैठक; अक्टूबर 1994 में भारत-यू.एस. व्यापार परिषद की वाशिंगटन और दिसम्बर 1995 में दिल्ली में बैठक; जनवरी 1995 में भारत-यू.एस. वाणिज्यिक सहयोग का आरंभ शामिल है। भविष्य में भी इस प्रकार के द्विपक्षीय क्रियाकलापों के जारी रहने की संभावना है।

उद्योगों द्वारा भविष्यनिधि से धनराशि का निकाला जाना

4617. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों को उपर्युक्त भविष्यनिधि से धनराशि निकालने की अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस समय इस प्रकार की कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ग) औद्योगिक एककों को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या मापदंड अपनाए जाते हैं; और

(घ) धनराशि निकालने की अनुमति किस प्रयोजनार्थ दिए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भविष्य-निधि राशि कर्मचारियों की संपत्ति है। निधि में अंशदान एकत्रित किया जाता है परंतु इसका भुगतान तुरंत नहीं किया जाता और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निवेश के ढांचे के अनुसार निवेशित किया जाता है। कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में जमा की गई ब्याज सहित भविष्य निधि की राशि उनके मांगने पर अदा की जाती है। जैसे कि भविष्य निधि राशि दुरुपयोग के लिए नहीं रखी जाती है और न ही यह औद्योगिक एककों को वितरित करने के लिए होती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

4618. श्री प्रमथेस मुकर्जी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और अनेक न्यायालयों द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालयों के निर्णय के पश्चात भी बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के शीघ्रताशीघ्र पुनर्वास हेतु और आगे मुकदमेबाजी के स्थान पर उनके दावों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा के औद्योगिक परियोजनाएं

4619. श्री सौम्य रंजन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की औद्योगिक परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हाँ। 31.7.96 तक, उड़ीसा राज्य से चीनी, एसबेस्टोज, सीमेंट, विस्फोटक इत्यादि के विनिर्माण के लिए कुल 15 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं। इन परियोजनाओं में प्रस्तावित निवेश 73176 लाख रुपये का है।

(ग) और (घ) आवेदन पत्रों के तीव्र निपटान के लिए सभी कदम उठाये गये हैं। आवेदन पत्रों का वास्तविक निपटान प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामले में उनकी सिफारिशों तथा आवेदन कर्ता द्वारा सम्बद्ध सूचना उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है।

बैंकों द्वारा ऋणों के वितरण हेतु मानदंड

4620. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋणों के वितरण हेतु निर्धारित मानदंडों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सख्त बनाये जाने से अन्तर निगम निक्षेप ने अपने ब्याज दर में वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या ऋण को स्वीकृति किये जाने से पूर्व विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंकों द्वारा दबाव डाले जाने से निगमों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या निगम इस दर पर दीर्घकालिक ऋण नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इससे इस निधि पर 20 प्रतिशत और देना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इन परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋणों के संवितरण के लिए मानदंडों को सख्त नहीं बनाया है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि बैंक ऋण का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पहले जो मार्गनिर्देश जारी किए थे, उन्हें ही दोहराया है। जब इन उपायों को कार्यान्वित किया जाएगा तब उससे बैंक ऋण को किसी अन्य कार्य में लगाने और/या उसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित ब्याज-दर संरचना को हाल ही में पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। बैंक द्वारा जनता के लिए एक वर्ष में परिपक्व होने वाली जिन सावधि जमाओं की पेशकश की जाती है, उनकी दरें निर्धारित करने के लिए अब वे स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए बैंक अपनी स्वयं की ऋण दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी जमा एवं ऋण दरें निर्धारित करते समय बैंक निधियों के अभिनियोजन संबंधी लागत तथा उस पर आय को ध्यान में रखते हैं। बैंकों को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से ऋण की प्रतियोगी मांगों को पूरा करना होता है, अतः लगाई गई दरों में संशाधनों के समुचित प्रसार सहित उनकी लागत शामिल होगी।

शेयरधारक

4621. श्री काशीराम राणा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लघु शेयर होल्डरों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन प्रावधानों के उल्लंघन किये जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) ऐसे उपबंध कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं 113, 111, 81, 84, (3) और 205 के अन्तर्गत निहित हैं।

(ग) से (ङ) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इन धाराओं के तहत 28,803 शिकायतें प्राप्त हुई और 21,997 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

रुग्ण उद्योग

4622. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के गैर सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र के कितने रुग्ण उद्योगों को अपने कार्य संचालन को जारी रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या इस धनराशि का उचित सदुपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन एककों के प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) विगत तीन वर्षों अर्थात 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में सरकार ने पश्चिम बंगाल के 15 रुग्ण उद्यमों को क्रमश: 101.09 करोड़, 112.66 करोड़ तथा 174.73 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) से (घ) सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वित्त प्रदान करती है। सरकारी उद्यम का प्रबन्धन तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय निधियों के उपयोग का परिवीक्षण करता है।

बी.आई.एफ.आर.

4623. श्री मधुकर सर्पोतदार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.आई.एफ.आर. के पास लंबित मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्नसंरचना बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के अनुसार 31.7.1996 तक बी. आई. एफ. आर. के पास 372 मामले लम्बित थे। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

(ख) बी. आई. एफ. आर. में पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के मामलों में कार्रवाई रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशिष्ट प्रावधान) औद्योगिक अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है और जहां भी संभव हो, वित्तीय संस्थाओं बैंकों इत्यादि सहित सभी संबद्ध दलों की सहमति पर विचार करने के बाद बोर्ड द्वारा शीघ्रता से पुनर्वास/पुनरुज्जीवन योजनाएं स्वीकृत की जाती है।

विवरण

औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्नसंरचना बोर्ड के पास लम्बित मामलों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	35
2.	असम	3
3.	बिहार	10
4.	दादर तथा नगर हवेली	2
5.	गोवा, दमन तथा दीव	1
6.	गुजरात	36
7.	हरियाणा	15
8.	हिमाचल प्रदेश	8
9.	जम्मू तथा कश्मीर	2
10.	केरल	8
11.	कर्नाटक	21
12.	मध्य प्रदेश	30
13.	महाराष्ट्र	49
14.	दिल्ली	3
15.	उड़ीसा	2
16.	पांडिचेरी	1
17.	पंजाब	18
18.	राजस्थान	15
19.	तमिलनाडु	22
20.	उत्तर प्रदेश	44
21.	पश्चिमी बंगाल	47
	योग	372

[हिन्दी]

पूंजी निवेश

4624. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण नीति के कार्यान्वयन के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में बड़े/मझौले/लघु उद्योगों में किए गए पूंजी निवेश (राष्ट्रीय और विदेशी) की राशि कितनी है; और

(ख) देश में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति धीमी होने का क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पूंजी निवेश (राष्ट्रीय तथा विदेशी) के राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, निम्नलिखित तालिका नई औद्योगिक

नीति (अगस्त, 1991 से जुलाई, 1996 तक) की घोषणा के बाद राजस्थान सहित पूरे भारत के लिए प्रस्तावित निवेश दर्शाती है :

राज्य	औद्योगिक निवेश आशयों की संख्या			प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)		
	आशय-पत्र	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	कुल	आशय पत्र	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	कुल
पूरा भारत	2554	26579	27133	82881	520455	603336
राजस्थान	75	1440	1515	1448	24233	25681

उपर्युक्त प्रस्तावित निवेश में राजस्थान का हिस्सा 4.26% है।

राज्य के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार विकास केन्द्र योजना के जरिये आधारभूत सुविधाओं के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। विकास केन्द्रों की पहचान राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है।

टिप्पण :

आशय पत्र = लाइसेंस वाली वस्तुओं के लिए जारी आशय पत्र

आद्योगिक उद्यमी ज्ञापन = लाइसेंस मुक्त मदों के लिए प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की वित्तीय सीमा

4625. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग की वित्तीय सीमा को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। निवेश सीमा संशोधित करते समय मुद्रास्फीति, विनिमय परिवर्तन और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कई उपाय किए हैं। प्रमुख उपाय निम्न हैं:-

(1) 836 उत्पाद लघु क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित किए गए हैं।

(2) लघु उद्योगों को संस्थागत ऋण देना, बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण का एक भाग है।

(3) सरकारी क्रय कार्यक्रमों के अंतर्गत लघु उद्योगों को क्रय और मूल्य वरीयता दी जाती है।

(4) 2 लाख रु. तक का ऋण ब्याज की निर्धारित/रियायती दर पर दिया जाता है।

(5) लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी, विपणन इत्यादि क्षेत्रों में विभिन्न सहायक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

विदेशी निवेश के लंबित प्रस्ताव

4626. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी निवेशकों से प्राप्त कुल प्रस्तावों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है; और एफ.आई.पी.बी. के समक्ष कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) एफ.आई.पी.बी. द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को निपटाने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 1996 के दौरान विदेशी निवेश के लिए अगस्त 1996 तक 876 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 636 आवेदनों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जा चुका है।

लगभग 240 आवेदनों पर एफ.आई.पी.बी. द्वारा अभी विचार किया जाना है।

(ग) प्रस्तावों का निपटान आमतौर पर 6 सप्ताह के अन्दर कर दिया जाता है।

कोका कोला द्वारा निवेश के प्रस्ताव

4627. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला द्वारा 700 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह राशि किस क्षेत्र में निवेश की जायेगी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। पूर्वी तथा पश्चिमी भारत में गैर अल्कोहलिक मादक पेय व्यवसाय को विस्तार करने तथा उत्पादन एवं वितरण संरचना को समेकित करने के लिए भारत में दो पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक कम्पनियों को स्थापित करने के लिए जिसमें 700 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश अंतर्ग्रस्त है तथा गुजरात में बोटलिंग प्लांट 40 मिलियन अमेरिकी डालर की विदेशी इक्विटी से दूसरी पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी जो मादक पेय तैयार करने, पैक करने, बिक्री तथा वितरण का कार्य करेगी, स्थापित करने के लिए मैसर्स कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग इंक, यू.एस.ए. को अनुमति प्रदान की गयी है।

रबड़ का मूल्य

4628. **श्री पी. सी. चाक्को** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए रबड़ के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आयात के क्या कारण हैं; और

(ग) रबड़ के मूल्य को बनाए रखने और रबड़ उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। तथापि यह बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

(ख) 1996-97 के दौरान सरकार ने अब तक प्राकृतिक रबड़ का आयात करने की अनुमति नहीं दी है।

(ग) घरेलू मांग और पूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए रबड़ की कीमत को न्यूनतम स्तर पर आयात करने की अनुमति देकर लाभप्रद स्तर तक बनाए रखा जाता है।

[हिन्दी]

उपदान की सीमा

4629. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **उद्योग मंत्री** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपदान की सीमा के बारे में 28 फरवरी, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उपदान की सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उपदान सीमा बढ़ाने के मुद्दे की सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श करके जांच की जा रही है तथा अंतिम निर्णय लेने में कुछ और समय लगेगा।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4630. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार 2000 ई. तक देश में न्यूनतम 50 बिलियन डालर विदेशी निवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रमुख नीति पत्र तैयार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम निर्णय कब तक लिया जाना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार देश को प्रतिवर्ष कम से कम 10 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता है और उसे समायोजित करने की क्षमता है। सरकार की विदेशी निवेश संबंधी नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि देश में, विशेषकर आधारभूत संरचना सहित प्राथमिकता वाले/प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे और गतिशील बनाया जा सके।

राजस्व घाटा

4631. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री राम नाईक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान अनुमानित राजस्व घाटे और वास्तविक राजस्व का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त घाटे में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) बढ़ते हुए राजस्व घाटे को रोकने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राजस्व घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1993-94	17630	34058	32716
1994-95	32727	34132	31029
1995-96	35541	33331	लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) आवर्ती राजस्व घाटे के लिए व्यय के क्षेत्रों में वृद्धि यथा ब्याज भुगतान, रक्षा, आर्थिक सहायता, राज्य सरकारों को अनुदान, आंतरिक सुरक्षा, राजस्व लेखे पर आयोजना व्यय आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राजस्व घाटे के वित्तपोषण के कारण सरकार द्वारा अधिक उधार लेना आवश्यक हो जाता है जो राजकोषीय घाटे में वृद्धि तथा उच्च ब्याज दर का कारण बनती है।

(ग) सरकार राजस्व की अधिकतम वृद्धि करके तथा व्यय को नियंत्रित करके राजस्व घाटे को सीमित करने का प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

अप्रयुक्त विदेशी सहायता

4632. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के उपयोग नहीं किये जाने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) उन परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनका अब तक कार्यान्वयन नहीं किया जा सका है तथा जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार विदेशी सहायता उपलब्ध करायी गयी थी;

(ग) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में कुछ नई विकास परियोजनाएं स्थापित करने हेतु विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) देश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का उपयोग न किये जाने के संबंध में विश्व बैंक ने कोई चिन्ता नहीं जताई है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित भारत : देशीय आर्थिक ज्ञापन, 1996 में विश्व बैंक ने इस बात का उल्लेख किया है कि "पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने ओ डी ए के उपयोग में सुधार लाने के लिए कई विशिष्ट उपाय किए हैं। जहां एक ओर इन उपायों से सहायता संवितरण में तेजी आई है, वहीं दूसरी ओर और सुधारों की गुंजाइश है।" इन एजेंसियों से विदेशी सहायता संवितरण आधार पर है, इसलिए राज्य सरकारों तथा परियोजना प्राधिकारियों को सर्वप्रथम व्यय करना पड़ता है और उसके बाद संघ सरकार के माध्यम से संवितरण का दावा किया जाता है। इस प्रबंध में, संघ सरकार परियोजना कार्यान्वयन को हाथ में लेने के बाद अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को विदेशी सहायता उपलब्ध कराती है।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त सहायता विकास परियोजनाों के लिए ही सीमित नहीं है। विश्व बैंक के मामले में, विश्व बैंक के समक्ष सहायता के लिए प्रस्तुत नई परियोजनाएं तथा जो परियोजनएं मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं, इस प्रकार हैं:-

राजस्थान : जल संसाधन समेकन परियोजना,, जयपुर जलापूर्ति तथा सफाई प्रबंध परियोजना, पांच कस्बों के लिए जलापूर्ति परियोजना, राज्य राजमार्ग उन्नयन, जिला गरीबी पहलकदमी परियोजना, तीसरी राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना, समेकित बाल विकास योजना-3 और राज्य विद्युत बोर्ड पुनर्संरचना परियोजना।

हरियाणा : कृषि विकास परियोजना, राज्य राजमार्ग उन्नयन और राज्य विद्युत बोर्ड पुर्नसंरचना परियोजना।

हिमाचल प्रदेश : तीसरी राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना और राज्य राजमार्ग परियोजना।

[अनुवाद]

लघु उद्योग

4633. डा. एम. पी. जायसवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु, मझौले और बड़े उद्योगों के वर्गीकरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक उद्योग को दिए गए प्रोत्साहनों का उद्योगवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्यगों को बड़े उद्योगों के समकक्ष सुविधाएं देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लघु उद्योग को वास्तविक मूल्य पर परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी में निवेश की उच्च सीमा के अनुसार परिभाषित किया गया है। लघु उद्योगों की वर्तमान सीमा 60 लाख रु. है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग दूसरे औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व में, नियंत्रित अथवा सहायक नहीं हो सकते हैं। मझौले और बड़े उद्योग को वर्गीकृत या परिभाषित करने के लिए कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) लघु उद्योगों को प्रदान किए गए मुख्य प्रोत्साहन और लाभ निम्न हैं:-

(1) लघु उद्योगों को 3 करोड़ रु. की कुल बिक्री पर उत्पाद शुल्क में रियायतें।

(2) लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट उत्पादन के लिए 836 मदें आरक्षित हैं।

(3) लघु उद्योगों को संस्थागत ऋण देना, प्राथमिक क्षेत्र को बैंकों से ऋण प्राप्त करने का एक भाग है।

(4) सरकारी क्रय कार्यक्रमों के अंतर्गत लघु उद्योगों को क्रय और मूल्य वरीयता दी जाती है।

(5) 2 लाख रु. के ऋणों तक रियायती/निर्धारित ब्याज। मझौले और बड़े उद्योग के उद्देश्य के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन और लाभ देने का पैकेज नहीं है। औद्योगिक संवर्धन का संचालन सामान्यत: सरकार की औद्योगिक नीतियों द्वारा किया जाता है। सामान्यत: औद्योगिक विकास को क्षेत्र के अनुरूप और आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरणार्थ आधारभूत उद्योगों और पिछड़े राज्यों में स्थापित उद्योगों के लिए एक करावकाश योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता

4634. श्री तारीक अनवर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक को स्वायत्तता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली का निरीक्षण करने वाला केन्द्रीय मौद्रिक प्राधिकारी और विनियामक निकाय है। वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक एक-दूसरे के साथ लगातार परामर्श करके कार्य करते हैं। इनका संबंध स्थिरता द्वारा आर्थिक प्रगति के हित में पारस्परिक सूझबूझ और सहायता की भावना से प्रेरित होता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयां

4635. श्री एन. एस. वी. चित्यन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में राज्य-वार पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की आज तक कुल संख्या कितनी है तथा इन इकाइयों द्वारा कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) उनमें से निर्यात करने वाली इकाइयों की संख्या कितनी है तथा वे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करती है;

(ग) क्या सरकार का लघु उद्योगों हेतु प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने का प्रसताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निकट भविष्य में लघु उद्योगों को अतिरिक्त सुविधाएं दिये जाने की क्या कोई सम्भावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार राज्य उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत लघु उद्योग एककों की राज्य-वार संख्या विवरण 1 में दी गई है।

लघु उद्योग एककों का उत्पादन केवल अखिल भारतीय स्तर पर आंका जाता है और वर्ष 1995-96 के दौरान वर्तमान मूल्यों के अनुसार कुल उत्पादन 3,37,207 करोड़ रुपये का आंका गया था।

(ख) पंजीकृत लघु उद्योग एककों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना के माध्यम से निर्यात करने वाले एककों की संख्या संबंधी

अंततम सूचना वर्ष 1987-88 के संबंध में उपलब्ध है। द्वितीय गणना के दौरान निर्यात करने वाले एककों की राज्यवार संख्या विवरण 2 में दी गई है। लघु उद्योग एककों के द्वितीय अखिल भारतीय गणना के दौरान निर्यात करने वाले एकक 0.78% थे। एककों के इसी अनुपात को मानते हुए 31 दिसम्बर 1995 की स्थितिनुसार अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत निर्यात करने वाले एककों की संख्या 16260 आंकी गई है। निर्यात संबंधी सूचना रुपये में उपलब्ध है। वर्ष 1994-95 के दौरान लघु उद्योग एककों से कुल प्रत्यक्ष निर्यात 29,068 करोड़ रुपये का हुआ था।

(ग) लघु उद्योग एककों के वर्गीकरण का मानदण्ड संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश है न कि प्रदत्त पूंजी। इसलिए प्रदत्त पूंजी बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र को दी जान वाली अतिरिक्त सुविधाओं में से कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं:-एकीकृत अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत नये विकास केन्द्र खोलना, प्रौद्योगिकी न्यास कोष, आई.एस.ओ. 9000 प्रमाण पत्रों हेतु सहायता, उद्यमिता विकास संबंधी सहायता, तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नये औजार कक्ष, आधुनिकीकरण के लिए ऋण सुविधाएं इत्यादि।

विवरण

31 दिसम्बर, 1995 की स्थितिनुसार पंजीकृत लघु उद्योग एककों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एककों की संख्या	
1.	आंध्र प्रदेश	1,53,454	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,200	(अनुमानित)
3.	असम	18,637	
4.	बिहार	99,645	(अनंतिम)
5.	दिल्ली	28,787	(अनंतिम)
6.	गोवा	5,081	(अनंतिम)
7.	गुजरात	1,24,857	(अनंतिम)
8.	हरियाणा	93,179	(अनंतिम)
9.	हिमाचल प्रदेश	13,819	
10.	जम्मू एवं कश्मीर	25,879	
11.	कर्नाटक	1,13,049	
12.	केरल	1,33,605	(अनुमानित)
13.	मध्य प्रदेश	2,53,754	
14.	महाराष्ट्र	81,297	
15.	मणिपुर	5,034	
16.	मेघालय	1,977	
17.	मिजोरम	2,880	
18.	नागालैण्ड	731	
19.	उड़ीसा	18,142	(अनुमानित)
20.	पंजाब	1,36,881	
21.	राजस्थान	70,577	(अनंतिम)
22.	सिक्किम	281	(अनुमानित)
23.	तमिलनाडु	2,07,317	
24.	त्रिपुरा	7,311	(अनुमानित)
25.	उत्तर प्रदेश	3,18,281	(अनंतिम)
26.	पश्चिम बंगाल	1,59,693	(अनंतिम)
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	957	
28.	चंडीगढ़	2,847	(अनंतिम)
29.	दादरा एवं नगर हवेली	412	
30.	दमन और दीव	610	(अनंतिम)
31.	लक्षद्वीप	304	(अनंतिम)
32.	पांडिचेरी	4,161	(अनंतिम)
	योग	20,84,639	

विवरण 2

वर्ष 1987-88 में पंजीकृत लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात करने वाले एककों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्यात करने वाले एककों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	140
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	17
4.	बिहार	131
5.	दिल्ली	403
6.	गोआ	23
7.	गुजरात	386
8.	हरियाणा	126
9.	हिमाचल प्रदेश	11

1	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	85
11.	कर्नाटक	304
12.	केरल	195
13.	मध्य प्रदेश	13
14.	महाराष्ट्र	726
15.	मनीपुर	9
16.	मेघालय	0
17.	मिजोरम	1
18.	नागालैण्ड	2
19.	उड़ीसा	42
20.	पंजाब	176
21.	राजस्थान	67
22.	सिक्किम	0
23.	तमिल नाडु	889
24.	त्रिपुरा	17
25.	उत्तर प्रदेश	503
26.	पश्चिम बंगाल	263
27.	अंडामन और निकोबार द्वीप	1
28.	चंडीगढ़	7
29.	दादरा और नागर हवेली	6
30.	दमन और द्विव	0
31.	लक्ष्यद्वीप	–
32.	पांडिचेरी	11
	कुल	4555

स्रोत : लघु औद्योगिक एककों (31 मार्च, 1988 तक पंजीकृत) की द्वितीय अखिल भारतीय गणना।

भारतीय सीमेंट निगम को कोयले की आपूर्ति

4636. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम को अपनी आवश्यकता का कोयला देश में ही मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा कोयले का आयात करने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को अपनी पूरी आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला नहीं मिल रहा है।

(ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कोयले का आयात कभी नहीं किया है।

लघु उद्योग

4637. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की समस्याओं पर गौर करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 29 दिसम्बर, 1995 को श्री आबिद हुसैन, पूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में लघु उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति लघु उद्योग तथा अन्य संबंधित पहलुओं से जुड़ी संवर्धनात्मक तथा उपचारात्मक नीतियों की जांच कर रही है। समिति के विचारणीय विषय नीचे दिए गए हैं:–

(1) हाल ही के आर्थिक सुधारों की दृष्टि से प्रोन्नत तथा संरक्षित नीतियों के प्रभाव तथा क्षमता का तथा लघु उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रम की जांच करना तथा यथोचित परिवर्तनों का सुझाव देना।

(2) लघु क्षेत्र की परिभाषा, कानूनी ढांचा तथा विविध संरचना की समीक्षा करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यथोचित परिवर्तनों की सिफारिश करना।

(3) लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति की क्षमता एवं वांछनीयता की जांच करना तथा उचित सिफारिश करना।

(4) लघु उद्यमों पर आंकड़े को एकत्र करने, संकलित करने, उसका प्रसार तथा विश्लेषण करने के लिए वर्तमान व्यवस्था तथा स्रोतों की जांच करना।

(5) प्रौद्योगिकीय सूचना के अंतरण तथा प्रसार के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं को बदलने की संभावना तथा आवश्यकता की जांच करना तथा उचित सिफारिश करना।

(6) लघु उद्यमों को दीर्घकालीन तथा अल्प-कालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं तथा नीतियों की प्रभावकारिता की जांच करना तथा उचित सिफारिश करना।

(7) लघु उद्यमों पर विभिन्न वित्तीय नीतियों तथा कर रियायतों के प्रभाव की समीक्षा करना।

(8) छोटी फर्मों पर श्रम कानूनों, फैक्ट्री अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा पर्यावरणीय संरक्षा अधिनियम जैसे विभिन्न विनियमित कानूनों तथा प्रक्रियाओं के प्रभावों की जांच करना।

(9) अन्य ऐसे मामलों पर विचार करना तथा सिफारिश करना जिसे समिति विचारार्थ सुसंगत समझती हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) इस समिति का कार्यकाल 31 अक्तूबर, 1996 तक बढ़ा दिया गया है जिस समय तक इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत यंत्र निगम लिमिटेड का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा इत्यादि

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कार दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 441/96]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1996 के लेखे और वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 2017, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2018, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "युग निर्माण योजना ट्रस्ट, मथुरा, यू.पी." को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2019, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत 25 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 9772 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 2020, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत 'ज्ञान प्रबोधिनी संसोधन संस्थान, पूणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2021, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम,

1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "महाराष्ट्र में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण संबंधी संघ, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2022, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "केरल मछुआरा कल्याण निधि बोर्ड, त्रिचूर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारम वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 2023, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत 27 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 9791 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 2024, जो 13 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि स्पेस्टिक्स सोसाइटी आफ ईस्टर्न इंडिया, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1997-98 के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2025, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, व्हाइट फील्ड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 2026, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि आर्म्ड फोर्सिस फ्लेग डे फंड, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2027, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2028, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेवा मंदिर, उदयपुर, राजस्थान" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2029, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि मद्रास क्राफ्ट फाउंडेशन, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2030, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मराठा मंदिर, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 2031 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री जैन श्वेताम्बर भंडार तीर्थ, बिहार" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2032 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि फ्रैन्ड्स आफ मौरल री-आर्मामेंट (इंडिया), मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2033 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि केंसर पेसेन्ट्स एड् एसोसियेशन, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 2034 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि पीपल्स एक्शन फार डेवलपमेंट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2035 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि अश्विनी रूरल केंसर रिसर्च एण्ड रीलिफ सोसाईटी, बर्शी, महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2036 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2037 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टिट्यूट आफ मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2038 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत 'श्रद्धानंद महिलाश्राम, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2039 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "खेलघर शिशु निवास शिक्षा केन्द्र, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2040 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टिट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2041 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2042 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि सोसाइटी फार सर्विस टू वोल्यिन्टरी एजेन्सीज, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 2043 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इँडियन एसोसिएशन आफ पार्लियामेंटेरियन ऑन पोपुलेशन एण्ड डिवलपमेंट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवध के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाइस) का.आ. 2044 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि एसोसियेशन आफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग (ए.एस.आर.टी.यू.), नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 2045 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि जहांगीर, आर्ट गैलरी, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2046 जो 13 जुलाई, 1996 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि स्माल फारमर्स एग्री-बिजनिस कंसोरटियम, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 2047 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि इंस्टिट्यूट आफ रेल ट्रांसपोर्ट (रजिस्टर्ड), नई

दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2048 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''दि सोसाइटी आफ सिस्टर्स आफ चेरेटी आफ सेंट बी. केपिटानियो एंड बी गेरोसा, कलकत्ता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2049 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि आर्य वैद्य शाला, कोट्टाक्कल, केरल'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 2050 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि नार्थ जोन कल्चरल सेन्टर, पटियाला'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 2051 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनिय, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि नार्थ जोन कल्चरल सेन्टर, पटियाला'' को कतपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 2052 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''द गुरुदेव सिद्ध पीठ, महाराष्ट्र'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 2053 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''दि ट्रिब्यून ट्रस्ट, चंडीगढ़'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 2054 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ''श्री नासिक पंचवटी पंजारापोल, नासिक'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 2055 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि इंडिया इन्टरनेशनल ट्रेड मशीनरी एक्जीबिशन सोसाइटी, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 2056 जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि वेद रक्षण निधि ट्रस्ट, मद्रास'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्तालीस) का.आ. 2057, जो 13 जुलाई 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''विवेकानन्द निधि, कलकत्ता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बार में है।

(बयालीस) का.आ. 2058, जो 13 जुलाई 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि एसोसिएशन आफ मेडिकल फिजिसिस्ट्स आफ इंडिया, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 2059, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''विवेकानन्द मिशन आश्रम, पश्चिम बंगाल'' को

कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 2060, जो 13 जुलाई 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "विवेकानन्द मिशन आश्रम, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 2061, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "तूतीकोरिन मल्टीपरपस सोशल सर्विस सोसायटी, तूतीकोरिन" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 2062, जो 13 जुलाई 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "स्त्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 2063, जो 13 जुलाई 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि मुनिवर आबाद चैरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 2064, जो 13 जुलाई 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि सेंटर फार पब्लिक सेक्टर स्टडीज, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 2065, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) का.आ. 2066, जो 13 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय विद्या भवन, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 442/96]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 128(अ) जो 12 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मैसर्स मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलौर को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अंतर्गत एक रिफाइनरी के रूप में घोषित किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) 31 मई, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 43/8/96-के.उ.शु. जो आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा 17 खेपों में प्राप्त 11,117 कु.नि. कंडेंसर टयूबों, जिन्हें आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा 1 मार्च, 1994 तक प्रयोग नहीं किया गया था, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या 26/96 के.उ.शु., जो 3 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के मूल्य वाले सूती फैब्रिकों (जिनमें अन्य कोई टैक्सटाइल सामग्री शामिल न हो) पर मूल उत्पाद शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर के दायरे को बढ़ाना तथा संसाधित फैब्रिकों और विनिर्दिष्ट फैब्रिकों के संबंध में मूल उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 12 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 27/96-के.उ.शु., जो 3 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका

आशय 30 रुपये प्रति वर्गमीटर के मूल्य वाले सूती फैब्रिकों (जिनमें अन्य कोई टैक्सटाइल सामग्री शामिल न हो) पर मूल उत्पाद शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर के दायरे को बढ़ाना तथा संशाधित फैब्रिकों और विनिर्दिष्ट फैब्रिकों के संबंध में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना संख्या 29/96-के.उ.शु., जो 3 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अंतर्गत निर्विष्टयों, अंतिम उत्पादों और माने गये आधार पर घोषित शुल्क के क्रेडिट की दर को घोषित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना संख्या 30/96-के.उ.शु., जो 3 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट फैब्रिकों के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर प्रदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क का क्रैडिट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 443/96]

(3) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर (महाराष्ट्र)[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 444/96]

(दो) चन्द्रपुर गडचिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 445/96]

(तीन) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 446/96]

(चार) सुरेन्द्र नगर-भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर (गुजरात) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 447/96]

(पांच) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी (कर्नाटक)[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 448/96]

(छह) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 449/96]

(सात) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 450/96]

(आठ) एटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 451/96]

(नौ) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (मध्य प्रदेश) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 452/96]

(दस) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 453/96]

(ग्यारह) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 454/96]

(बारह) बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 455/96]

(तेरह) बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक, पाटन (गुजरात) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 456/96]

(चौदह) अधियमन ग्राम बैंक, धर्मपुर (तमिलनाडु) [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 457/96]

अपराह्न 12.02 1/4 बजे

कार्य मंत्रणा समिति
पांचवा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.02 1/2 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति
पहला प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) महोदय, मैं 1996-97 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी स्तायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.02 3/4 बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति
पहला और दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) और कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में श्रम

और कल्याण संबंधी स्थायी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में पहला प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न $12.03^1/_2$ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

छियालीसवां, सैतालीसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री राम चन्द्र डोम (बीरभूम) मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों के संबंध मे छियालीसवां प्रतिवेदन;

(2) महिला और बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों के संबंध में सैतालीसवां प्रतिवेदन; और

(3) युवा मामलों और खेल विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों के संबंध में अड़तालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री उत्तम सिंह पवार (जालना) : महोदय, मैं नागर विमानन विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न $12.04^1/_2$ बजे

याचिकाएं

(एक) ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण के बारे में

(दो) जबलपुर रेलवे डिवीजन में कटनी रेलवे स्टेशन पर खान-पान ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण के बारे में

श्री शरद यादव (माधेपुरा) महोदय, मैं ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण के बारे में श्री बिरसा मुण्डा तथा कटेश्वर माइन्स, जबलपुर के अन्य श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका और (दो) जबलपुर रेलवे डिवीजन में कटनी रेलवे स्टेशन पर खान-पान ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण के बारे में कटनी के श्री देबीदीन गुप्ता तथा अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

मध्याह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदय, मैं घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 9 सितम्बर, 996 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी:-

(1) आज की कार्य सूची से आगे ले जाए गए किसी भी सरकारी कार्य की मद पर विचार।

(2) वर्ष 1996-97 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) वर्ष 1996-97 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को सोमवार 9 सितम्बर, 1996 को सायं 6.00 बजे सभा में मतदान के लिए रखा जाना।

(4) वर्ष 1996-97 के जम्मू-कश्मीर राज्य बजट पर सामान्य चर्चा।

(5) वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों (जम्मू-कश्मीर) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1996 पर विचार तथा पारित करना।

(7) वर्ष 1996-97 के उत्तर प्रदेश बजट पर सामान्य चर्चा।

(8) वर्ष 1996-97 के लिए लेखानुदानों की मांगों (उत्तर प्रदेश) को सभा में मतदान के लिए रखा जाना।

(9) जे.सी.एम. और अनिवार्य माध्यस्थम् की योजना के पैरा 21 के प्रावधानों में सेवा में रहते हुए छुट्टी को भुनाने के संब्रंध मे 1986 के सी.ए. संदर्भ संख्या 3 के द्वारा दिनांक 31.3.1989 को माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा पंचाट के नामंजूर किए जाने से संबंधित संकल्प पर चर्चा।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

भारत राजपत्र (असाधारण) भाग-2 खंड-3, उपखंड-2, संख्या 203, मार्च, 1991 द्वारा खाद्य भंडारण डिपो के 26 डिपो में ठेका प्रथा को समाप्त किया गया था, किन्तु 10 डिपो में अब तक समाप्त नहीं हुई है।

इस अधिसूचना को कार्यान्वित कराने पर विचार करने का मेरा प्रस्ताव है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए :-

1. देश तेजी से औद्योगिक प्रगति कर रहा है। यह कहा जाता है कि कोटा नगर राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है व वर्तमान में बड़ी तादाद में दूरभाष की प्रतीक्षा सूची हजारों में है। कृपया शीघ्र ही प्रतीक्षा सूची समाप्त करने हेतु चर्चा की जाए।

2. कोटा से सेन्ट्रल रेलवे के तहत तीन गाड़ियं कोटा-दमोह, कोटा-बीना, कोटा-भोपाल संचालित की जा रही हैं परंतु एक भी गाड़ी एक्सप्रेस नहीं है। कृपया इस रूट पर कोई भी एक गाड़ी ऐक्सप्रेस बनाकर चलाई जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:-

अमरीका ने पिछले दो दिनों में इराक के अनेक शहरों पर क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं, जिससे अनेक नागरिक मारे गए हैं। यह इराक की स्वायत्तता पर पूर्णत अवांछित हमला है। इससे वहां के सामान्य नागरिकों को अभूतपूर्व कठिनाइयां हुई है। हमे इस हमले की निन्दा करनी चाहिए।

हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। सदन को इसकी निन्दा करनी चाहिए तथा इस निन्दा की घोषणा अध्यक्ष पीठ से की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए। सारा सदन और सारा देश इस बारे में चिन्तित है कि ईराक के साथ क्या हो रहा है। आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): महोदय हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय........

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री हन्नान मोल्लाह : मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और हावड़ा के कुछ भागों में भारी बाढ़ आई है। सरकार को बाढ़ पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पता नहीं कि हमें समय मिलेगा या नहीं, पर हम भी इस गम्भीर मामले पर समुचित चर्चा करना चाहते हैं। कुछ भी हो, सदन को अमरीका द्वारा इराक पर किए गए इस बर्बर हमले की कठोर शब्दों में निन्दा करनी चाहिए। अमरीका विश्व भर पर अपनी दादागिरी करना चाहता है और ऐसे समय भी पुलिस की भूमिका निभाने का प्रयत्न कर रहा है जब उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें इस हमले की निन्दा करनी चाहिए। मैं इस पर समुचित चर्चा की मांग करता हूँ। जब यह मामला उठाया ही गया है तो हमें इसकी एकजुट होकर निन्दा करनी चाहिए ताकि हमारा संदेश वहां तक पहुंचाया जा सके।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हम अमरीका द्वारा अन्य देश पर किए गए हमले की निन्दा करने में अन्य सदस्यों के साथ हैं और आशा करते हैं कि सरकार इस पर चर्चा के लिए समय निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी अब शांत हो गई है, इसलिए सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलेगी। इसलिए हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इस बारे में चर्चा के लिए मैं श्री वाजपेयी से सहमत हूँ।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, सरकार को स्वयं इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए। हम चर्चा की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? अब तक वक्तव्य दे दिया जाना चाहिए था। यह एक

गम्भीर मामला है और इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें शान्ति बनाए रखनी चाहिए, यह एक गंभीर मामला है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको दो विषयों पर सूचनाएं दी हैं, जिनमें से एक इसी विषय पर है।

इसलिए फिलहाल मैं अपना पहला मुद्दा उठाता हूँ तथा दूसरा तब के लिए छोड़ता हूँ जब आप ऐसा करने के लिए कहेंगे।

इराक पर अमरीका का हमला बड़ा ही निन्दनीय है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकतीं। हमले की हर संभव कठोर शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए। अमरीका को ऐसा करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी आवश्यक है।

सरकार ने अपने प्रवक्ता द्वारा अमरीका की आलोचना करके ठीक ही किया है परन्तु उसका रुख बड़ा ही नरम रहा। सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ....(**व्यवधान**)

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस हमले का सवाल है, अधिकतर देशों ने इसकी निन्दा की है। केवल कुछ ही देशों ने अमरीका का समर्थन किया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। ...(**व्यवधान**) इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा करना और लोकतंत्र के हित में इस हमले की निन्द करना अत्यावश्यक है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : इसकी एकमत से निन्दा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से अमरीका के आक्रमण पर वक्तव्य दिया गया है, मगर बाहर दिया गया है। सदन में वक्तव्य होना चाहिए और सदस्यों को अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, विदेश मंत्री ने मुझे अभी-अभी बताया है कि वे दूसरे सदन में इस बारे में भारत सरकार के विचार स्पष्ट करने वाले हैं। उसके बाद वे इस सदन में आएंगे और स्पष्टीकरण देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा है कि वे वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित कर कृतार्थ करें:-

1. रेलवे नगरी के नाम से विख्यात एवं सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता एवं राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति को देखते हुए अजमेर में ही नये रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को जयपुर से अजमेर के मध्य भारी यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब चार लेन में बदलने की आवश्यकता।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार हेतु सम्मिलित किया जाए:-

1. जयंत विटामिन्स, बोरीदया केमिकल्स व विभिन्न डिस्टलरीज व रासायनिक इकाईयों द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय व जल प्रदूषण को रोकने हेतु केन्द्र सरकार प्रभावी वैधानिक कदम उठाये।
2. सरकार गन्ना उत्पादकों, चीनी मिल मालिकों व चीनी के उत्पादन व आवश्यकता को देखते हुए नई चीनी नीति बनाये।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाये :-

1. राजधानी दिल्ली के मोतियाखान स्थित बूचड़खाने में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने से संबंधित विषय।
2. राजधानी दिल्ली में लाटरी की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर विचार किए जाने से संबंधित विषय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। यह यहां नहीं उठाया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें:-

1. अस्पताल, डाक्टर एवं औषधियों के अत्यधिक अभाव से मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में फैली भीषण

आंत्र-शोध तथा मलेरिया के कारण अगणित आदिवासियों एवं अन्य गरीब लोगों की मृत्यु हो रही है। रायगढ़ जिले में फैली उक्त भयंकर बीमारियों की रोकथाम के लिए भारत सरकार को तत्काल योग्य कदम उठाने की आवश्यकता है।

2. भारत सरका द्वारा जे.आर.वाई. तथा अन्य मदों में प्रदत्त राशि से मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में किये गये निर्माण कार्यों का स्तर अत्यन्त घटिया है। अनेक शाला भवन पुलियें, रपटें तथा अन्य भवन लोकार्पण के पहले ही क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। रायगढ़ जिले के गत पांच वर्ष के समस्त निर्माण कार्यों की भारत सरकार द्वारा तत्काल सूक्ष्म जांच एवं आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : 'टाडा' अधिनियम के समाप्त होने पर अब 'टाडा' के मामले वापिस लिए जाने चाहिएं। सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करें:- .

(1) अनुसूचित जाति के वर्तमान आरक्षण में ईसाई के रूप में नई जनसंख्या को नहीं जोड़ा जाए तथा विद्यमान 15 प्रतिशत आरक्षण को उसकी जनसंख्या के अनुपात में 17 प्रतिशत किया जाए।

(2) हिन्दुस्तानी सेना के हैलीकाप्टर्स को पाकिस्तान द्वारा गिराए जाने की चिन्ताजनक स्थिति तथा देश के सुरक्षा प्रबंध को समर्थ और सक्षम बनाया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : हम पहले सुझाव का कड़ा विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किये जाने के लिए है।

श्री पी. सी. थामस : कृपया गरीबों की दयनीय स्थिति के बारे में सोचें।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है। यह तो केवल अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किए जाने का अनुरोध है।

अपराह्न 12.16 बजे

गुजरात के हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : स्पीकर साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी सदन में कोई ऐसी परिस्थिति बनी जिससे गतिरोध उत्पन्न हुआ तो किसी भी रूप में वह सुखद घटना नहीं होती है। यदि जन्माष्टमी से पहले दो दिन सदन में कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अभी जन्माष्टमी से दो दिन पहले सदन में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है, बल्कि चिन्ता का विषय है। मेरी अपेक्षा थी और आज भी है कि जिस चिन्ता की अभिव्यक्ति हम करते हैं, उस चिन्ता में सदन के हमारे दूसरे मित्र भी शामिल होंगे, शरीक होंगे।

हमारी चिन्ता एक बुनियादी मामले को लेकर है। यदि गुजरात प्रदेश में संवैधानिक संकट कृत्रिम रूप से खड़ा करने की कोशिश की गई है, अगर गुजरात की चुनी हुई सरकार, गुजरात विधान सभा में अपना बहुमत सिद्द करने के लिए न्यायोचित तरीके से, संवैधानिक तरीके से मत प्राप्त करने जाए और वहां उसे एक बार नहीं, दो बार मत प्राप्ति से वंचित किया जाए, यह सारी घटना, इस घटना की रचना, सरकार की इस मामले मे जिस तरीके से चुप्पी रही, जिस तरह के समाचार आते रहे कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या प्रोत्साहन दियों जा रहा है, उससे हमारी यह आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक था कि सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि वहां येन केन प्रकारेण किसी प्रकार का संकट खड़ा किया जाए और वहां की चुनी हुई सरकार को बहुमत सिद्ध करने से रोका जाए-हमारी शिकायत यह थी। संविधान को वहा तोड़ मरोड़ दिया गया ...**(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : यह किसका ज्यूरिस्डिक्शन है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रतिक्रियां व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं, वह मैं करूँगा।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : स्पीकार साहब, हमारी अपेक्षा थी, हमारी मांग थी और आज भी है कि इस मामले में सरकार अपना रुख स्पष्ट करे।

धारा 356 के बारे में सरकार की तरफ से कई चीजें कही जाती हैं। इनके घोषणा-पत्र में भी कई बातें कही गई हैं। हम इस सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वह गुजरात की स्थिति में फिजूल की दखलंदाजी करके, वहां गलत तरीके से कोई कृत्रिम संवैधानिक संकट पैदा नहीं करेगी, वहां की चुनी हुई सरकार को अपना काम संवैधानिक तरीके से करने देगी और गुजरात की सरकार विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को तैयार है, उसे अपना बहुमत सिद्द करने देगी। यही हमारी मांग रही है और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन मांगों के संबंध में सरकार यहां आश्वासन दे। पिछले दिनों सदन में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, उसका मूल कारण यही था और इसका एक ही निवारण है-सरकार यहां ऐसा आश्वासन दे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपनेता ने कहा है कि अन्य दलों को भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। हां हमने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, हमने आपके व्यवहार की निन्दा की है।

माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह ने अभी यह नहीं कहा है कि संसद के महत्वपूर्ण बजट सत्र में व्यवधान डालकर इस मामले में कैसे उलझा जाये। हमने विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने का प्रयत्न ही किया है।

श्री बाजपेयी ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है परन्तु लगता है उनकी उचित सलाह को उनका दल नहीं मान रहा है ...**(व्यवधान)** तब आपने उन पर अपनी राय बदलने के लिए या तो दबाव डाला गया है या वे आपको समझा नहीं पाये हैं अथवा उनकी दो अलग-अलग रायें हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : हमारी पार्टी श्री बाजपेयी जी के पीछे है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा कुछ तो हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : वे आडवाणी के पीछे नहीं है यह अच्छा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : वे सदन में हमारे नेता हैं। संसदीय पार्टी के रूप में हमारी पूरी पार्टी उनके पीछे हैं ....**(व्यवधान)** गलत फहमी पैदा करने की कोशिश मत कीजिए ....**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं भ्रान्ति पैदा करने की चेष्टा क्यों करुं जबकि उनके नेताओं के बीच पहले से ही भ्रान्तियां हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्य पूर्ण है कि गुजरात में बहुत से, विशेष कर धर्मनिरपेक्ष दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। आशा है उन्हें शीघ्र ही वहां प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। गुजरात में क्या हो रहा है यह आपका अन्दरूनी मामला है। आप अपने लोगों को ही एक जुट नहीं रख सकते। मैं 'झुण्ड' शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। यदि वहां किसी मंत्री को वस्त्र-विहीन किया जाता है तो यह हमारा काम नहीं है। हमने यह नहीं किया है ...**(व्यवधान)** आप उन्हें सदन में लाना चाहते हैं ...**(व्यवधान)** आप क्या कह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

वे हमें नैतिकता पर, सार्वजनिक आचरण पर और संसद के चलाये जाने पर बहुत भाषण देते हैं। परन्तु अब वे समूचे देश को बन्धक बनाना चाहते हैं। संसद उस कार्य के लिए नहीं चल रही है जिससे उसे कोई लेना देना नहीं है। वे एक जुलूस के रूप में जायें, यह सब ठीक है परन्तु वे हम से अपील क्यों कर रहे हैं?

श्री जसवन्त सिंह, आप गुजरात में अपनी पार्टी के सदस्यों से कहिए। हम निश्चय ही यह चाहते हैं कि गुजरात विधान सभा यह निर्णय करे कि वहां कौन राज्य चलाये। मैं कोई हस्तक्षेप न करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने वहां संसदीय प्रक्रिया चलने दी है। तब आप सरकार को दोष क्यों दे रहे हैं और संसद की कार्यवाही को क्यों रोक रहे हैं? इस विषय के औचित्य के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है, यदि विधान सभा में उपाध्यक्ष ने, जैसा आपने कहा है, उचित कार्यवाही नहीं की है तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है, जो अपनायी जानी चाहिए। हम उनकी सुविधानुसार उपाध्यक्ष को हटा नहीं सकते ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : यही तो सारी बात है। उचित प्रक्रिया अपनायी जाने दी जाये। और सरकार हमें आश्वासन दे ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री जसवन्त सिंह ने यहां पूछा है कि सरकार चुप क्यों है? सरकार को क्या करना चाहिए?

डा. मुरली मनोहर जोशी : उन्हें सलाह देनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार किसी जाल में नहीं फंसी है, इसके लिए मैं उसे बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपने हमारे गृहमंत्री का प्रबुद्ध परामर्श देखा होगा।

श्री कृष्ण लल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सत्ताधारी दल और कांग्रेस ने उपाध्यक्ष की भूमिका का समर्थन किया है ...**(व्यवधान)** मेरे पास श्री शरद यादव का वक्तव्य है ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष के आचरण का वहां समर्थन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मामले को उलझाइये नहीं। हमें श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुननी चाहिए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...(**व्यवधान**)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह आपस में क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनके कष्ट और उनकी बेचैनी को समझता हूँ, क्योंकि उनके ये संदेश कि वे अत्यधिक लोकतांत्रिक है, वे संसद के प्रति वचनबद्ध है धरे रह गे हैं और उनकी पोल खुल गई है। उन्होंने बहुत ही गैर-संसदीय लोकतांत्रिक आचरण का प्रदर्शन किया है। श्री जसवन्त सिंह मेरा यह कथन बहुत हलका है। इसलिए सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के इस आचरण के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की निन्दा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं।

मुझे विश्वास है कि सरकार को जो कहना है वह कहेगी। पर हम संसद के समय का दुरुपयोग किये जाने का विरोध करते हैं। हमें कहा गया है कि यह बड़ा ही मूल्यवान समय है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपको यह अहसास कब से हुआ? ...(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने सोचा था कि 13 दिन के लम्बे समय तक वित्त मंत्रालय में रहने के बाद श्री जसवन्त सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी ने समय के मूल्य को समझा होगा। पर उन्होंने उससे भी कुछ नहीं सीखा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनके इशारों पर नाचते रहेंगे। इस देश की जनता उचित समय आने पर अपना सही फैसला देगी और वे अपनी सही जगह पर आ जायेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : इस सत्र में हमें अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को निपटाना है। बजट कार्य भी है। हमने अभी वित्त मंत्री का उत्तर नहीं सुना है। हमें वित्त विधेयक पारित करना है। हमें कुछ मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करनी है।

अब यहां गुजरात का मसला उठाया गया है। इस बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करना या न करना सरकार का काम है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे एक वरिष्ठ नेता की इस टिप्पणी पर गहरी आपत्ति है कि गुजरात में कांग्रेस यह सब कर रही है। जब श्री सूरजभान अध्यक्षपीठ पर बैठते हैं तब वे उपाध्यक्ष हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रह जाता। तब उनका आचरण उनका अपना आचरण है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष के आचरण को कांग्रेस से न जोड़ा जाए क्योंकि कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है। अपने दल को समाप्त करने के लिए आप स्वयं ही पर्याप्त हैं। और आप ऐसा ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा करने में आप सफल हों। हमें कोई लेना-देना नहीं।

परन्तु हम यह चाहते हैं और यही अपील मैं सदन से करता हूँ, कि सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। प्रश्नकाल बड़ा अच्छा रहा। मैंने अच्छा प्रश्न किया और उसका अच्छा उत्तर आया।

अब माननीय प्रधान मंत्री यहां मौजूद हैं। मुझे प्रसन्नता होगी, यदि वह यह बताएं कि मुझसे उन्होंने कल क्या कहा था। श्री बाजपेयी ने सही ही कहा है कि वे अपने लोगों को नियंत्रण में रखेंगे। मेरा अनुरोध है कि हम कार्यवाही शुरू करें। मेरा कहना कि श्री जोशी को वाजपेयी जी के पीछे नहीं, साथ होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में पीछे से छुरा घोपना आसान होता है। यह बहुत ही बुरी बात है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यहां कांग्रेस का इतिहास नहीं दोहराया जा रहा है। ऐसा तो आपके यहां होता है।

श्री संतोष मोहन देव : इन शब्दों के साथ मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वे कुछ कहें।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधानमंत्री कुछ कहना चाहेंगे?

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवे गौड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं गुजरात के मामले पर, जिसके कारण लगभग दो दिन से संसद की कार्यवाही रुकी हुई है, निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूँ।

कम से कम आज विपक्ष के नेता और उनकी पार्टी ने प्रश्नकाल में सहयोग किया। जहां तक सरकार का संबंध है मुझे कोई हिचक नहीं है। यह मैंने कल संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया था। मैं वही यहां आज पढ़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात विधान सभा की हाल की घटनाएं भारत सरकार समेत सभी के लिए चिन्ता का विषय हैं। तथापि जहां तक भारत सरकार का संबंध है, जबकि गुजरात समेत सभी राज्यों की घटनाओं पर नजर रखना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का असर कानून और व्यवस्था पर पड़ता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गुजरात के राजनीतिक मामलों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। गुजरात की वर्तमान स्थिति को हल करने का काम गुजरात की राजनीतिक पार्टियों और राज्य सरकार का काम है।

भारत सरकार तो तभी आगे आएगी जब यह विश्वास हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र समाप्त हो गया है। वहां भी मामला

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बहुत कुछ राज्य के राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए भारत सरकार के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्षजी, मैंने सुखराम जी के बारे में एक प्रस्ताव दिया है ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना मिल गई है। मेरे पास उसके तथ्य नहीं है, इसलिए मैंने गृह मंत्रालय से तथ्य मांगे हैं और क्योंकि माननीय सदस्य इस सभा के सदस्य हैं, मेरे लिए उनके विचार जानना भी उचित होगा। इसलिए मैंने माननीय सदस्य के विचार भी मांगे हैं और भारत सरकार की रिपोर्ट भी। वह मिलने पर इस मामले पर चर्चा हो सकती है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : क्या वह अपने विचार बताने के लिए उपलब्ध हैं?

श्री राम नाईक : महोदय, बहुत समय बीत गया है। यदि आप आज मुझे इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं तो कम से कम सोमवार को तो आप मुझे अनुमति दे देंगे। यदि सदस्य उत्तर नहीं देते हैं ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें आशा करनी चाहिए कि सोमवार तक उत्तर आ जाएगा।

श्री राम नाईक : मुद्दा यह है कि हम उनके आचरण की जांच करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि वह उत्तर नहीं देते हैं, तो हमें उनके आचरण पर चर्चा करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यदि आप चाहें तो सोमवार को मुझे अनुमति दे सकते हैं। परन्तु यह केवल ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पूरी तरह रद नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि मैं भारत सरकार की अर्थात सी.बी.आई. की रिपोर्ट और माननीय सदस्य की टिप्पणी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ज्यों ही मुझे ये दोनों ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यदि माननीय सदस्य अपनी टिप्पणी देने के लिए उपलब्ध ही न हों, तो आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : अपनी टिप्पणी देने के लिए माननीय सदस्य का यहाँ उपस्थित होना आवश्यक नहीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप उस व्यक्ति की टिप्पणी कैसे प्राप्त करेंगे जो भूमिगत है? वह उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे जहां भी हैं, हमने उन्हें सन्देश भेज दिया है।

श्री राम नाईक : महोदय, मुझे आशा है मुझे सोमवार को अनुमति दे दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूँ जिन्होंने शून्य काल के लिए सूचना दी है। प्रत्येक सदस्य को अनुमति दी जाएगी। पर कृपया संक्षेप में कहें ताकि सबको अवसर मिल सके।

अपराह्न 12.34 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैंने दो अगस्त को एक सवाल उठाया था। (**व्यवधान**)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमीरपुर जनपद में माननीय सदस्य के साथ घटना घटित हुई है। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उनको बोलने दीजिए।

...(**व्यवधान**)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय सदस्य के साथ घटना घटित हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम पहले लिया जा चुका है।

...(**व्यवधान**)

श्री सैयद मसूदल हुसैन : उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने क्षेत्र के बारे में दो अगस्त को एक सवाल उठाया था, जो कि कटाव से संबंधित है। ....(**व्यवधान**) वहां की जो जमीन बंगलादेश की तरफ जा रही है, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है। इस बार बाढ़ के कारण वहां जो लोग फंसे हुए हैं, वे अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको आठ किलोमीटर पानी में तैरकर आना पड़ेगा। अगर वे उधर से इधर आ जायेंगे तो बंगलादेश उस जमीन पर पूरा कब्जा कर लेगा। मैं कटाव से संबंधित सवाल को बार-बार उठा रहा हूँ। ....(**व्यवधान**) यह इंडो-बंगलादेश रिवर गंगा है।

हम 16 साल से इस सवाल को उठा रहे हैं. 40 साल से यह कटाव है। मेरा क्षेत्र अभी गंगा के उस पार है, वह लगभग आठ किलोमीटर दूर पहुंच गया है, बंगलादेश के साथ जुड़ा हुआ है। इस सवाल को जिस दिन मैंने उठाया था, यहां पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने आश्वासन भी दिया था कि इसके बारे में कुछ काम करेंगे। मैं जब जल संसाधन मिनिस्टर साहब से मिला तो उन्होंने भी आश्वासन दिया।

मेरी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर बार-बार आ रहे हैं, डिप्टी फाइनेंस कमिश्नर के साथ मिल रहे हैं। लगभग 150 करोड़ रुपये का एक प्रपोजल भी इस कटाव को रोकने के लिए दिया गया है, 105 किलोमीटर में जो यह कटाव है। मैंने उस दिन इस सवाल को उठाया था, इसलिए कि अपने देश की जमीन बंगलादेश में चली जा रही है। इसके बारे में कोई बात कहने वाला नहीं है कि अपने देश की जमीन उस पार जा रही है, बंगलादेश के साथ जुड़ रही है। हमारे इस पार के लोग वहां रह नहीं पा रहे हैं, यह जमीन बंगलादेश के कब्जे में जा रही है ...(**व्यवधान**) आप इस चीज को मजाक मत समझिए। कृपया इस चीज को मजाक मत बनाइये। हम बार-बार इस सवाल को उठा रहे हैं। इसके बारे में इस सदन में पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने जो आश्वासन दिया था, उसके बाद भी उसका कोई फालो अप नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर यहां है, होम मिनिस्टर भी यहां हैं, कम से कम ये तो बोर्डर के बारे में कुछ कहें, अपने देश का हिस्सा जो बंगलादेश के साथ जुड़ा हुआ है।

इसके पहले और भी एक सवाल मैंने उठाया था। दूसरा एक सवाल उठाया था, जो अपने देश का एक पूरा टुकड़ा जमालपुर करके बंगलादेश के साथ जुड़ गया है, वहां पूरा बंगलादेश का कब्जा है। इसके बारे में कम से कम आप लोग बयान दें। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास लिस्ट है, मैं उसमें से नाम लूंगा।

...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। प्रधान मंत्री इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तरी भारत के राज्यों की विभिन्न नदियों में आई भयंकर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। मैं इसे एक गैर-राजनीतिक मामले के रूप में लेना चाहता हूँ। यह एक राष्ट्रीय मामला है। हमने इस समस्या के स्थायी हल खोजने के लिए इस दौरान कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रत्येक वर्ष हम या तो भारी बाढ़ का सामना करते हैं या भयंकर सूखे का। हर साल हम इस मामले पर बहस करते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ क्योंकि कुछ ...(**व्यवधान**) मैं योजना मंत्री को पहले ही यह निर्देश दे चुका हूँ कि वह इस पहलू का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाएं और उससे तीन महीने में अपना प्रतिवेदन देने को कहें। मैंने डा. अलग से यह पता करने के लिए कहा है ...(**व्यवधान**) कृपया मुझे अपनी बात कह लेने दें। श्री गनी खान चौधरी और अन्य लोग मुझसे मिलकर यह बता चुके हैं कि असल में मालदा में, जो श्री गनी खान चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र है, कितना नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने आज सवेरे ही मुझसे एक घण्टा चर्चा की है और बताया है कि समूचे राज्य में बाढ़ से कुल कितना नुकसान हुआ है। बिहार में भी ऐसी ही स्थिति है। हाल में बिहार में बाढ़ आई है। ...(**व्यवधान**) जी हाँ, उत्तर प्रदेश भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है-मथुरा, आगरा आदि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मैंने कहा है कि मैं इसे राष्ट्रीय मामला बनाना चाहता हूँ। और उसका कोई उपचार खोजा जाना सुनिश्चित करूँगा। मैंने योजना मंत्री से तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों की समिति का गठन करने को कहा है। मैं बहुत स्पष्ट बता दूँ कि इसमें राजनीति लाने का प्रश्न ही नहीं है। मैंने उन्हें कुछ सुझाव भी दिए हैं। इस बीच राहत कार्यों के लिए केन्द्र कुछ धन देने को तैयार है। दूसरे इस महीने की 13 तारीख के बाद मैं उस इलाके का दौरा करने जा रहा हूँ। हो सकता है 15 या 16 को मैं पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों में जाऊंगा। इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताऊँगा। मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ का दौरा करूँगा। केन्द्र सरकार के बस में जो होगा वह तत्काल करेगी ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश में आकर वहां की भी स्थिति देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। श्री शिवराज सिंह।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मसला यहां उठाना चाहता हूँ।

श्री भगवान शंकर रावत : उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 करोड़ रुपये की मांग की है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कह दिया है। आप बैठ जाएं और माननीय सदस्य को बोलने दें।

[अनुवाद]

..(**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय प्रधान मंत्री जा रहे हैं और मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक संविधानेतर सत्ता काम कर रही है। वहां के एक धर्मगुरू के कहने से सारा जिला प्रशासन और सारी पुलिस काम कर रही है। सिवनी से निर्वाचित सांसद श्री प्रहलाद पटेल को और उनके साथियों को लगातार वहां की पुलिस और जिला प्रशासन कुचलने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे धर्मगुरु उनको कुचल देने पर आमादा है, क्योंकि उसकी गलत बातों का ये सांसद और इनके साथी विरोध करते

हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतराम पटेल को पुलिस ने गोली मार दी, वह जनपद के उपाध्यक्ष थे और सांसद के भाई को पकड़ने के लिए पुलिस ने दो हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है। प्रहलाद पटेल ने इसी सदन में पिछली 30 जुलाई को एक मामला उठाया था और कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार एवम् पुलिस के अधिकारी मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उसमें मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ। मुझे प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं है, अत: केन्द्र सरकार मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद प्रहलाद पटेल की जान को खतरा है। जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार उनको कुचलने पर आमदा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, आप इस सदन के संरक्षक हैं, उनकी जान व माल की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें और प्रहलाद पटेल को संरक्षण दें। इस मामले में गृह मंत्री से भी कहना चाहता हूं कि वे भी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें और उनके भाई की सुरक्षा की भी व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए दो हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है, अत: कभी भी उनको गोली मारी जा सकती है।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रहलाद पटेल की जान को कोई खतरा नहीं है। ये असत्य बात कह रहे हैं। ऐसे मामले को यहां उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह मामला प्रदेश की विधान सभा में उठाया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : मैं इस सभा का ध्यान तथा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

21 मई, 1991 को सदन के भूतपूर्व नेता और पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या की गई थी ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : गृह मंत्री इस पर बयान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह सांसद की सुरक्षा का सवाल है। उनकी जान को खतरा है, माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात कह दी है।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। उसके बाद देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, 21 मई, 1991 को श्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। अब 1996 है। पांच वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। मद्रास में विशेष जांच दल उस तरीके से तहकीकात नहीं कर रहा है जिससे सब कुछ उजागर किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में चिन्ता व्यक्त की जा रही है। श्री राजीव गाँधी की हत्या के षड्यंत्र के पीछे बहुत कुछ हुआ है। भारत और विदेशों में विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं में बहुत कुछ छपा है। भूतपूर्व मुख्य सचिव विभिन्न कारण बता कर विशेष जाँच दल के सामने नहीं आ रहे हैं. अनेक अन्य साक्षी भी जाँच दल के सामने गवाही देने नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों की जाँच की जानी चाहिए उन्हें विशेष जांच दल के सामने नहीं लाया जा रहा है।

वर्तमान वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम–पहले भी वह प्रभारी मंत्री थे – ने यह निरपवाद घोषणा की थी कि वे समूची जाँच पर नजर रखेंगे और 21 दिसम्बर 1995 से पहले कुछ जानकारी देंगे। वह अवधि अब समाप्त हो चुकी है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार कम से कम इस सदन को राजीव हत्या कांड के बारे में मद्रास में विशेष जांच दल द्वारा किये जा रहे विलम्ब के बारे में विश्वास में लें। श्री गाँधी प्रधान मंत्री और सदन के भूतपूर्व नेता ही नहीं थे वे एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। भारत के लिए यह शर्म की बात है कि पांच साल के दौरान भी हम जांच नहीं कर सके और श्री गांधी की हत्या के बारे में पूरी रिपोर्ट नहीं दे सके। मैं इस मामले में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। आपके माध्यम मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और विलम्ब के कारण का पता लगाये। अनेक अधिकारियों का स्थानान्तरण हो गया है तथा कुछ अधिकारियों से अन्य जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। यह रवैया सही नहीं है। इससे भ्रांतियां पैदा हो रही हैं।

इसलिए मैं आपसे मेरा निवेदन है कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाये तथा सदन को तत्काल विश्वास में लिया जाये क्योंकि पिछले सदन में यह वादा किया गया था कि 31 दिसम्बर से पहले जांच का लेखा-जोखा बताया जायेगा। अब सितम्बर 1996 आ गया है। किसी भी बात का पता नहीं चल सका है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या विशेष जांच दल के सदस्यों ने उन लोगों से पूछ-ताछ करने में अपनी असमर्थता जताई है जिनकी वे जांच करना चाहते थे अथवा उन्हें कुछ एजेंसियों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है जिसके संबंध में मैं अभी विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। गृह मंत्रालय को विश्वास में लिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगवान शंकर रावत बोलें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट उनको बोलने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मामला पहले श्री चौहान ने उठाया था। यह मामला लोक सभा के एक सदस्य श्री प्रहलाद सिंह पटेल की सुरक्षा से संबंधित है। उनके लिए वहां असामाजिक तत्वों से और प्रशासन के भी कुछ तत्वों से गंभीर खतरा है। अब आप इस संबंध में निर्देश दे सकते हैं कि गृह मंत्री महोदय सारी जानकारी एकत्र करें। आखिर सदन के सदस्य की सुरक्षा का प्रबंध तो होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला तो एक बार पहले भी हाउस में उठ चुका है।

...(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, उनके एक साथी को गोली मार दी गई है। उनका साथी मर गया है। उनके भाई पर इनाम घोषित कर दिया गया है। वहां की सरकार उनके प्राण लेने पर तुली हुई है। वह सदन के सदस्य हैं। संसद की उनके प्राणों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। किसी भी दिन हमें उनके मरने की खबर मिल सकती है और कई बार यह मामला यहां उठ चुका है। एक पूरे प्रदेश की सरकार एक सांसद की जान लेने पर तुली हुई है और यह संसद उसके प्राणो की रक्षा नहीं कर सकती? ...(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : पिछली बार भी इसी तरह से संसद सदस्य की सुरक्षा का सवाल उठा था और आज फिर यह सवाल उठा है। यह हमारा दायित्व बनता है और सरकार को उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनको केन्द्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनकी जान की सुरक्षा करनी चाहए और प्रदेश से रिपोर्ट मंगाएं कि वहां क्या हो रहा है। जनतंत्र के अंदर इस प्रकार के आचरण की तो हम सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनिट जरा बैठिए। यह इश्यू एक बार पहले भी हाउस में उठ चुका है।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): विरोधी दल के नेता कृपा करके मुझको पूरी जानकारी दें। यह मामला हाउस में उठा है, उठा होगा, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता हूं। ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, उठा होगा?

..(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ सदन में कहा जाए उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

उपाध्य महोदय : एक मिनट बैठिए।

...(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या आपको सदन की कार्यवाही से वंचित रखा जाता है?

आपके मंत्रालय के अधिकारी आपको सदन की कार्रवाई से अपरिचित रखते हैं? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मामला आपके सामने उठा है।

डा. ममुरली मनोहर जोशी : यहां पर सवाल उठा है, तो उठा होगा का क्या सवाल है? यह प्रश्न उठा है और प्रश्न गम्भीरता से उठाया गया है। हमारी पार्टी आज भी इसको गम्भीरता से उठा रही है। ...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उठा रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसको पूरे ध्यान से देखा जाएगा और कार्रवाई जो करने की जरूरत है, वह की जाएगी।

डा. मुरली ममनोहर जोशी : सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुरक्षा ही तो, और क्या। ...(व्यवधान)

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश था। 29 तारीख को मैंने एक प्रतिनिधि को एस.पी. के पास बेजा और उसने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश है, इसका अनुपालन किया जाए। एस.पी. ने मेरे उस प्रतिनिधि को इतना पीटा और पिटवाया कि उसकी अस्पताल में 4 सितम्बर को मृत्यु हो गई। महोदय, अभी तक दरोगा द्वारा पिटाई होती थी और सिपाहियों द्वारा पिटाई होती थी, लेकिन भारतीय पुलसि के सबसे बड़े आफिसर एस.पी. ने स्वयं अपने कार्यालय में पिटाई की और उसको झूठे केस में फंसा दिया। डाक्टरों पर दबाव डालकर पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट को बदलवा दिया कि यह तो बीमारी के कारण मर गया है, जबकि उसके शरीर में चार जगहों पर फैक्चर था। वह स्वर्णकार समाज का अखिल भारतीय अध्यक्ष था और उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं चला था, लेकिन उसको आर्म्स एक्ट के तहत झूठा मुकदमा चला कर जेल भेज दिया गया। स्थानीय अखबार लिख रहे हैं कि सांसद के प्रतिनिधि को पुलिस ने इतना मारा कि वह मर गया। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, वह पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है और सांसद के प्रतिनिधि को इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं पूछता हूं, क्या यह कानून-व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें और साथ ही मेरी मांग है कि ऐसे पुलिस अधिकारी को तुरन्त निलम्बित किया जाए। सी.बी.आई. से एन्क्वायरी की जाए। जब तक मेरी यह मांग पूरी नहीं होती है, मैं इस संसद के अन्दर अनिश्चित काल के धरने पर बैठूंगा। जब मेरे प्रतिनिधि की जान सुरक्षित नहीं है, तो मेरी भी जान सुरक्षित नहीं रह सकती है। धारा 302 के तहत ऐसे पुलिस अधिकारी को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। यह बहुत गम्भीर मामला है। **...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मैंशन कर दिया है, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह मेरे क्षेत्र से लगा हुआ मामला है। **...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बगैर बुलाए मत बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मामला बहुत गम्भीर है। इस पर मंत्री जी को बयान देना चाहिए। **...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यही शब्द उन्होंने भी कहे हैं कि मामला गम्भीर है। फिर दोबारा कहने की क्या जरूरत है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया है। श्री भगवान शंकर रावत अपनी बात कहेंगे।

श्री भगवान शंकर रावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी सदन से उठ कर चले गए हैं, लेकिन जो भी उनके प्रतिनिधि यहां पर हैं, मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बाढ़ के बारे में उन्होंने चिन्ता प्रकट की है।

उपाध्यक्ष महोदय : फ्लड के बारे में प्रधान मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया है।

श्री भगवान शंकर रावत : लेकिन मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। तीन सौ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाढ़ से तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय करने के लिए केन्द्र को भेजा है। मैं चाहता हूं कि उसको योजना आयोग को भजेने की व्यवस्था कराये। अभी 46 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके कारण बड़ी भारी परेशानी है। आगरा में फिर बाढ़ आ गई है और मथुरा में भी बाढ़ आ गई है। गोवर्धन रेन्ज को भरतपुर के लोग काटने के लिए आमादा है। बाढ़ के कारण लोगों को परेशांनी हो रही है और वहां के किसान बर्बाद हो गए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल समाप्त हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। शून्य काल समाप्त हुआ। विदेश मंत्री अपना वक्तव्य दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। उन्हें पहले बोलने दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल समाप्त हुआ। आप सोमवार को अपना मामला उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : संसद ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम पास कर दिया है। सरकार उसे लागू क्यों नहीं कर रही है? हमें आश्वासन दिया जाए कि सरकार इस अधिनियम को लागू करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

श्री राजेश पायलट : महोदय, संसद ने इसे पास किया है। सरकार इसे लागू करने से क्यों हिचक रही है? **...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

मध्यान्ह 12.56 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इराक पर अमरीकी हमला

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोद्रय, मुझे खेद है कि जब माननीय सदस्य इराक की स्थिति पर बोल रहे थे उस समय मैं दूसरे सदन पर इसी विषय पर हो रही चर्चा के दौरान उपस्थित था।

महोदय, अपितु मैं सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे माननीय सदस्यों की भावनाओं की जानकारी है। सदस्यों ने 3 और 4

उसक बाद दख लू॥।

सितम्बर, 1996 को इराक पर अमरीकी क्रूज मिसाइलों द्वारा हमले के संबंध में गहन चिन्ता व्यक्त की है। उनकी भावनाओं से सरकार लगभग पूरी तरह सहमत है। हमने 3 सितम्बर, 1996 को अमरीकी हमले के बारे में प्रारंभिक सूचना प्राप्त होने के तुरंत पश्चात एक सरकारी वक्तव्य जारी किया था। हमने इन हमलों और उनके उस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पर भारी चिन्ता व्यक्त की थी। हमने अपनी यह दृढ़ आस्था भी व्यक्त की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों के अंतर्गत प्रवर्तक कार्यवाही केवल सुरक्षा परिषद द्वारा ही की जा सकती है।

जैसा कि सदस्यों ने ध्यान किया होगा कि अमरीकी कार्यवाही पर, जोकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आचरण के स्वीकृत मापदंडों के अनुरूप नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारी विरोध किया गया है। सभी राष्ट्रों की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करें और कानून को अपने हाथ में न लें तथा शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था, विशेषकर संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद, को बनाए रखें तथा सुदृढ़ करें।

अमरीकी कार्यवाही के विरोध में इस व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं के बावजूद अमरीका ने 4 सितम्बर, 1996 को पुनः इराक पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हमें नहीं मालूम कि और भी हमलों की योजना है। यह अत्यधिक खेदजनक है। भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद संकल्पों के कथित इराकी उल्लंघन अथवा अमरीका और खाड़ी में उसके सहयोगियों के हितों की रक्षा के आधार पर बमबारी के औचित्य को स्वीकार करने में असमर्थ है। हम अमरीका से इराक पर आगे और कोई हमला न करने को कहते हैं और उसकी सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने को कहते हैं जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद के संकल्पों में दोहराया गया है।

हम विशेषकर इस बात से चिंतित हैं कि सुरक्षा परिषद द्वारा इराकी तेल निर्यात पर रोक में दी गई छूट को भी ताकि वह इराक की जनता के लिए दवाएं और खाद्य पदार्थ खरीद सके, स्थगित कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों सहित, इराकी जनता को संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिबंधों के कारण कई वर्षों से कठिनाई और अभावों का सामना करना पड़ रहा है और हमें विश्वास है कि उन्हें राहत प्रदान करने के लिए उठाये जाने वाले कदम लम्बे समय से अपेक्षित है।

इन घटनाओं का भारत पर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। उस क्षेत्र के देशों में, जहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते और कार्य करते हैं, हमारे महत्वपूर्ण हित निहित है। इसलिए वहां अनिश्चितता के वातावरण के कारण हम पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से हम स्वाभाविक रूप से चिन्तित है। इन घटनाओं से क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होने की संभावना भी है।

हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और इस मामले में मित्र देशों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपरान्ह 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अपरान्ह 12.59 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपरान्ह 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपरान्ह 2.10 बजे

[अपरान्ह 2.00 बजे गणपूर्ति घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। अपरान्ह 2.03 बजे गणपूर्ति घंटी पुनः बजाई गई और गणपूर्ति नहीं हुई। अपारन्ह 2.06 बजे गणपूर्ति घंटी एकबार फिर बजाई गई और गणपूर्ति नहीं हुई। अतः महासचिव ने निम्नलिखित घोषणा की।)

महासचिव : गणपूर्ति नहीं है। इसलिए सदन की बैठक नहीं हो सकती। हम गणपूर्ति होने तक सदन की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि सदन की बैठक 15 मिनट बाद होगी।

अपरान्ह 2.26 बजे

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा अपरान्ह 2.26 बजे पुनः समवेत हुई

(**श्री नीतिश कुमार** पीठासीन हुए।)

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

देश में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में अनेक पटसन मिलों के बंद होने से उत्पन्न स्थिति

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : मैं अत्यावश्यक लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वस्त्र मंत्री का ध्यान आकर्षित

करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें:-

''देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में अनेक पटसन मिलों के बंद होने और भारतीय पटसन निगम द्वारा बाजार से कच्चे पटसन की खरीद के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम''

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : वर्ष 1995-96 के दौरान कच्चे पटसन की कीमत में सामान्य वृद्धि मुख्यत: फसल के कम होने तथा साथ ही बांगलादेश में निर्यात के लिए पर्याप्त फसल न होने के कारण हुई। इसके फलस्वरूप मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन होने तथा कीमतों में वृद्धि होने का अधिकांश पटसन मिलों के कार्यचालन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जुलाई, 1996 के दौरान बन्द पड़ी मिलों की संख्या 17 थी जिनमें 56,987 कर्मचारी प्रभावित थे। इस वर्ष भरपूर फसल होने की संभावना है। कच्चे पटसन की कीमतों में पहले से ही काफी गिरावट आ गई है जोकि निम्न स्तर पर है। 2-9-1996 की स्थिति अनुसार बन्द पड़ी पटसन मिलों की संख्या घटकर 9 रह गई है तथा प्रभावित कामगारों की संख्या 22,870 हो गई है। इसमें और कमी आने की संभावना है।

सरकार अनेक उपाय कर रही है जिनका उद्देश्य कच्चे पटसन के उत्पादन तथा गुणवत्ता में सुधार लाना, पटसन मिलों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र सहित मूल्यवर्धित विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास करना तथा फाईबर के नये प्रयोग को बढ़ावा देना है।

जहां तक भारतीय पटसन निगम का संबंध है, यह मुख्यत: कच्चे पटसन के मूल्य समर्थन प्रचालन के कार्य में लगा हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे पटसन की कीमतें न्यूतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर बनी रहीं तथा इसलिए भारतीय पटसन निगम को अधिप्राप्ति प्रचालन शुरू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वर्ष 1996-97 के मौसम के दौरान यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिर जाती हैं तो उस स्थिति में हम समर्थन मूल्यों पर कच्चे पटसन की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेंगे।

फिलहाल भारतीय पटसन निगम को वेतन तथा मजदूरियों के प्रति उनकी देयताओं को पूरा करने के लिए कुछ निधियां रिलीज की गई हैं। इस वर्ष अभी तक 5.45 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन. जे. एम. सी.) ने अपनी बकाया देय राशि का आंशिक रूप से भुगतान करने के लिए भारतीय पटसन निगम को 5 करोड़ रु. की राशि का पुनर्भुगतान किया है जिसमें से 1.15 करोड़ रु. की राशि का उपयोग भारतीय पटसन निगम द्वारा वेतन तथा मजदूरियों के भुगतान के लिए किया जाना है। भारतीय पटसन निगम को निदेश दिया गया है कि यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिर जाएं तो उस स्थिति में शेष 3.85 करोड़ रु. की राशि का प्रयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन शुरू करने के लिए किया जाए।

श्री पी. आर. दासमुंशी : पटसन से संबंधित यह समस्या पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है, वरन् असम, त्रिपुरा और बिहार का एक भाग भी इससे अछूता नहीं है। वे भी पटसन उत्पादकों के कष्ट, पटसन मिलों के कमर्मचारियों के दु:खों तथा पटसन उद्योगों से संबंधित गतिविधियों का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस स्थिति को पटसन के क्षेत्र में हाल में हुए विकास से जोड़ा है। इसमें वह वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं होता जिसके कारण पटसन उत्पादक और मिल मालिक वर्ष-प्रति-वर्ष संकट में पड़ते चले आ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थ को भारी हानि हो रही है और पटसन उत्पादक कठिनाई में पड़े हैं। उत्तर भारत के असम, बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में पटसन उत्पादक सबसे गरीब किसान है। पटसन के खेतों और मिलों में काम करने वाले मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के हैं।

हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के समय से पटसन मिलों में काम करने वाले अधिकतर उत्तरी भारत के गाँवों से आते हैं। यदि बिहार और उत्तर प्रदेश के उनके गांवों में मनीआर्डर नहीं पहुँचता तो उन राज्यों की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था भी चरमरा जाती है और कानून और व्यवस्था की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए पटसन मिलों के संकट से बंगाल ही प्रभावित नहीं होता है वरन् पूर्वी भारत के आसपास के भाग और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के गाँवों को भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मैं इस घटना-क्रम को बड़े ध्यान से देखता जा रहा हूँ और मुझे यह कहते खेद हो रहा है कि एक विशेष लॉबी अथवा गुट पटसन उत्पादन और उद्योग को नष्ट करने के घृणित और खतरनाक काम में लगा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसके पीछे कुछ कारण हैं।

माननीय मंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं और वे मेरे साथ इस बात को मानेंगे। जबकि अनेक उद्योगों, नकदी फसलों, वस्त्र यंत्र चालित करघा उद्योग कपास आदि को उत्पाद शुल्क की रियायतें दी गई, यह सुविधाएं केवल बंगाल ही नहीं अपितु पटसन उद्योग को भी नहीं दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि यह उद्योग पिछले बोझ से उबर नहीं सका।

हाल के बजट भाषण में भी माननीय वित्त मंत्री बड़ी आसानी से पटसन उद्योग के संकट की ओर से आंख फेर गए। मैं नहीं जानता, ऐस उन्होंने क्यों किया।

अपने इस कथन के साथ-साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि स्वयं सरकार ने भी इसे माना है। वर्ष 1971 में स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब वे प्रधान मंत्री थी, इस सदन में कहा था कि वे हृदय से धान और पटसन उगाने वाले मजदूरों के साथ हैं। पटसन सभ्यता के शुरू से और विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम के समय से हमारी पारम्परिक उपयोग की वस्तु है। पटसन हमारे स्वाधीनता संघर्ष में भी हमारे साथ रहा।

पटसन उद्योग के संकट को देखते हुए इंदिराजी ने ही नहीं वरन् तत्कालीन मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने भी पटसन उत्पादकों को समर्थन मूल्य देने के लिए भारतीय पटसन आयोग की स्थापना की घोषणा इस सदन में की थी, जिसका कार्य पटसन की एकाधिकार खरीद, 'बफर' स्टाक रखना, और पटसन उद्योग की रक्षा करना ही नहीं था उन सट्टेबाजों से हाथों से बाजार छीन कर मूल्य निश्चित करना था जो कलकत्ता की गलियों और आस-पास के क्षेत्र में पटसन की अर्थ-व्यवस्था को लूट रहे हैं। पर उस दिशा में आज तक कुछ नहीं हुआ।

भारतीय पटसन निगम को निष्क्रिय रखा गया और एक समय उसका एक मात्र कार्य वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी उपक्रम एन.जे.एम.सी. को कच्चे पटसन की सप्लाई करना रह गया। सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी पटसन मिल नेशनल जूट मिल्स मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है जिसका 1971 में इन्दिरा जी ने पुनः राष्ट्रीयकरण किया था। उस समय श्री गोयनका उनके मालिक थे।

भारतीय पटसन निगम एन.जे.एम.सी. को कच्चा पटसन सप्लाई करता था। क्योंकि एन.जे.एम.सी. या वस्त्र मंत्रालय समय पर भुगतान नहीं कर सकता इसलिए निगम से कहा गया कि वह उन्हें पटसन न दे और वे खुले बाजार से पटसन खरीदें। अब मजा देखिये, क्योंकि जूट कारपोरेशन आफ इंडिया को नेशनल जूट मिल्स कारपोरेशन आफ इंडिया अर्थात वस्त्र मंत्रलय से अपना रुपया वापिस नहीं मिलता है, इस कारण उसे कच्चा पटसन देने से रोक दिया गया और तब से वह खुले बाजार से पटसन खरीदने के लिए एन. जे. एम. सी. को रुपया दे रहा है। इस प्रकार वह सट्टेबाजों के हाथों का खिलौना बना हुआ है और भारी गोल-माल चल रहा है।

यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है। मैं नहीं बता सकता कि कितना गोलमाल वहां हो रहा है। यदि आप चेयरमैन तथा पांच वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में पिछले पांच वर्ष का व्यौरा लें और यदि आप उसकी जांच कराएं तो आपको पूरा सच पता चल जाएगा। बड़ी भयावह स्थिति है। मजदूरों के नाम पर रुपया वे लुटा रहे हैं, मजदूर नहीं। पैसा कहीं और जा रहा है। इसलिए भारी कुप्रबंध के कारण एन.जे.एम.सी. भी एक रुग्ण एकक बनता जा रहा है।

मैं यह चुनौती देता हूँ कि आप उस बाजार भाव को लें जिस पर निजी पटसन मिल मालिकों ने इस वर्ष पटसन खरीदा और उसी बाजार से राष्ट्रीय पटसन मिलों द्वारा खरीदे गये पटसन के मूल्य को भी तो आप पायेंगे कि वह मूल्य मिल मालिकों के मूल्य के समान नहीं है। इस प्रकार की हेराफेरी वहाँ होती है। इस बारे में अखबरों में भी बहुत कुछ छपा है, परन्तु इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया है।

इसके बाद प्राइवेट पटसन मिल मालिकों की बात लें। निजी मिल मालिक भविष्य निधि का भुगतान नहीं करते हैं। ऐसा अब आमतौर पर होने लगा है। घाटे पर चलने वाले मिलों को अन्ततः बन्द कर दिया जायेगा और तब भवन निर्माता उस भूमि को हथिया कर, उस पर इमारतें खड़ी कर देंगे। पश्चिमी बंगाल में उनसठ पटसन मिलें संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही हैं।

मंत्री महोदय पटसन पैकेजिंग आरक्षण आदेश को लागू करने की आपकी नीति का क्या हुआ। यह आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। तथा उसने इसे वैद्य करार दिया था। और सीमेंट लॉबी द्वारा इस बारे में प्रश्न उठाये जाने पर कहा था कि यह संविधान के विरुद्ध नहीं है। इसके बावजूद इस आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। क्या आपने यह पता लगाने का कभी प्रयत्न किया है कि वे इस आदेश का उल्लंघन क्यों करते चले जा रहे हैं। सीमेंट, उर्वरक तथा अन्य उद्योग इस आदेश का उल्लंघन सिंथैटिक लॉबी को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए तस्वीर के एक के बाद एक पहलू को आपके सामने रख रहा हूँ।

यह तस्वीर बड़ी ही डरावनी है। पटसन आरक्षण आदेश के मामले में पैकेजिंग आदेश का उल्लंघन करने के लिए अनेक तर्क दिए हैं। और इस प्रकार उसने पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों को बरबाद कर दिय है। वस्त्र मंत्रालय हाथ पर हाथ रखे बैठा है। पहले कुछ वर्षों में वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि मामला न्यायालय में है और हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि अस्थायी रोकादेश लागू है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले को निपटाये जाने के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। यही कारण है कि अब यह समस्या पैदा हो गई है।

भारतीय पटसन निगम का इस वर्ष का समर्थन मूल्य पांच सौ दस रुपये प्रति कुन्तल है, जबकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसकी लागत का अनुमान 745 रुपये प्रति कुन्तल से भी अधिक लगाया

है। ऐसी स्थिति में इन पटसन उत्पादकों की रक्षा कैसे की जायेगी?

जब कभी कपास या गन्ने का मामला इस सभा में आता है तो सभी किसान और सदन के सदस्य उसके समर्थन में उठ खड़े होते हैं। मैं उस संबंध में भी सदन के साथ हूं क्योंकि वे भी किसान हैं। जब कपास और गन्ने के किसानों की बात उठाई जाती है तो समूचा सदन चिन्ता व्यक्त करता है फिर पटसन उत्पादकों के बारे में भी वैसी ही भावना क्यों व्यक्त नहीं की जाती? क्या ऐसा इसलिए है कि उनकी कोई लॉबी नहीं है और उनको समर्थन देने वाली कोई और इकाइयां नहीं है? आप उनको क्यों मार रहे हैं? जब उत्पादन लागत 745 रुपये है आप उन्हें केवल 510 रुपये दे रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न्यायोचित नहीं है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

मैं निम्नलिखित चार बातें कहना चाहता हूं पहली पटसन पैकेज आरक्षण आदेश को निष्क्रिय बनाने के बारे में है। कृपया इसका कोई हल निकालिये। दूसरी बात यू.एन.डी.पी. सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत पटसन उत्पादों के विविधीकरण कार्यक्रम के बारे में है। मैं कम से कम जानना चाहता हूँ कि पटसन कपड़ा इकाइयों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है। आपूर्ति और निपटान महा निदेशालय की मार्फत सरकार के आदेश को लागू किये जाने कि स्थिति क्या है तथा कितनी मात्रा में पटसन की बोरियों का इस्तेमाल होता है। इस बीच इनके उपयोग में भारी कमी आयी है, जिसके परिणामस्वरूप पटसन उद्योग घाटे पर चल रहे हैं। राष्ट्रीय पटसन मिल निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए आपका क्या कार्यक्रम है? आपने यह पता लगाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है कि आठवीं योजना के कार्यक्रम में उतनी प्रगति पटसन के क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकी जितनी प्रगति की आपने शुरू में आशा की थी?

आप कृपा कर इन सब की तुलना श्री राम निवास मिर्धा द्वारा पटसन पैकेजिंग कार्यक्रम के बारे में की गई घोषणा से करें। मैं उनका वक्तव्य नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। श्री राम निवास मिर्धा ने उस समय यह बताया था कि आरक्षण आदेश क्यों लागू किया जा रहा है। आपके-अपने मंत्रालय ने ही उसका उल्लंघन किया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि क्या उनके लिए अपना सहयोग देने के अलावा एक संसदीय समिति अथवा वस्त्र, वित्त, कृषि मंत्रालयों और पश्चिमी बंगाल सरकार तथा संबंधित व्यक्तियों की एक समिति बनाना सम्भव है?

एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति उन बन्द पड़े मिलों को फिर से चलाने की जांच करे जिनका वित्तीय दृष्टि से चलाया जाना सम्भव है। वह समिति एकाधिकार वसूली कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारतीय पटसन मिल निगम में व्याप्त कुप्रबंध और भ्रष्टाचार की जांच करे। समिति यह सुझाव भी दे कि भविष्य में इसमें किस प्रकार प्रगति लायी जा सकती है, स्थिरता पैदा की जा सकती है। वह पटसन के विविधता पूर्ण उत्पादों पर भी विचार करे। समिति पश्चिमी बंगाल में तकनीकी सहायता के लिए धन देने और पटसन पैकेज आरक्षण आदेश को, विशेष रूप से सीमेंट और उर्वरक के क्षेत्र में, लागू किये जाने पर निगरानी रखने के लिए एक नियमित तंत्र की स्थापना किये जाने पर भी विचार करे।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और पश्चिमी बंगाल की पटसन अर्थ-व्यवस्था का पुनरुद्धार करने हेतु उचित कदम उठाएं। वे पटसन उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठायें।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : महोदय पटसन का उत्पादन अधिकतर असम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में होता है ...**(व्यवधान)** बिहार में भी कुछ उत्पादन होता है पर वह अधिक नहीं है। पिछले तीन सालों में इसका उत्पादन घटा है, जबकि सरकार कहती है कि बंगला देश से पटसन की कम आपूर्ति के कारण इसके मूल्य बढ़ गये और यही कारण कि पटसन मिल मालिकों ने पटसन उत्पादकों से कम मात्रा में पटसन खरीदा। मूल्य अधिक थे और भारतीय पटसन निगम को इस सबंध में अपनी भूमिका निभाने को नहीं कहा गया, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी अधिक था।

वहां समस्या है समस्या थी और समस्या रहेगी। पर सरकार इस समस्या को किस प्रकार हल करेगी? समस्या है पटसन मिलों के बन्द होने की पटसन त्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न दिये जाने की और पटसन के निर्यात की। यदि निर्यात और आयात बाजारों का उचित विस्तार नहीं किया गया तो पटसन और पटसन उत्पादों की समस्या हमेशा बनी रहेगी।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पटसन मिल मालिकों को आसान शर्तों पर ऋण देने के उपाय करेगी, क्योंकि वे व्यापारी हैं तथा वे वास्तव में उद्यमी नहीं हैं। वे पैसा कमाते हैं और उसे भारत में अन्य क्षेत्रों में निवेश करते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि पटसन मिलों का स्वयं का निगम बना दिया जाये तो उन्हें आसान शर्तों पर ऋण दिया जा सकता है। तब वे अपने मामले स्वयं निपटा सकेंगे ऐसा मेरा निजी मत है।

जहां तक निर्यात का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री यहां हैं, यदि शुल्कों में कुछ छूट दी जाये तो मिल मालिक निर्यात बांजार में और अदिक माल भेज सकेंगे।

हम जानते हैं कि निर्यात बाजार का विस्तार करने पर हमें बंगला देश का कड़ा मुकाबला करना होगा। बंगला देश के मिल मालिकों ने अपनी मिलों का आधुनिकीकरण कर दिया है।

हमारी मिलों को आधुनिक नहीं बनाया गया है। उन्हें और अधिक आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है। इनके अभाव में हमारे मिल मालिक हानि उठा रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारतीय मिलों को आधुनिक करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं या नहीं। यदि हमारे यहां आधुनिक पटसन मिलें हो जायें तो हम निर्यात बाजार में बंगलादेश से मुकाबला करने की स्थिति में आ जायेंगे।

भारतीय पटसन मिलों के पास अनुसंधान और विकास की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास टैक्नालाजिस्ट वैज्ञानिक हैं, वे पटसन उत्पादों के संबंध में नई प्रौद्योगकी की शोध कर सकते हैं, ताकि हमारे पटसन उत्पाद निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। क्या सरकार इस स्थिति में है कि वह अनुसंधान और विकास कार्य के लिए पर्याप्त धन दे सके? उपभोक्ताओं के काम में आने वाले थैले पटसन के न होकर अन्य किसी वस्तु से बनाये जाते हैं। यदि सरकार इन थैलों के संबंध में विदेशी निर्यातकों के लालच से अपने-आपको बचा सके तो पटसन मिलों को भी बचाया जा सकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना होगा। सरकार का कहना है कि इस वर्ष पटसन का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हुआ है इसलिए न्यूनतम मूल्य गिरेंगे।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं प्रश्न पूछता रहा हूं तथा कुछ और प्रश्न भी पूछूंगा।

सरकार का कहना है कि पटसन का अधिक उत्पादन होने के कारण मिल मालिकों को पर्याप्त मात्रा में पटसन उपलब्ध होगा और इसलिए भारतीय पटसन निगम की इसमें अपनी भूमिका निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह सत्य नहीं है क्योंकि सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि करनी होगी। मुद्रास्फीति का भारी दबाव है। अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं। फिर पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों न बढ़ाया जाये? इसके अभाव में उत्पादकों को हानि होगी। मेरे विचार से निगम को उपलब्ध 3.85 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि यह बहुत ही मामूली सी राशि है। पटसन उत्पादकों को अधिक धन की आवश्यकता है और वह हमें उन्हें देना चाहिए।

मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि क्या हम पटसन उद्योग को व्यापारियों से बचा सकते हैं या नहीं। उन्होंने पैसे की लूट मचा रखी है। वे पटसन मिलों में पैसा नहीं लगाते और अपने लाभ को देश के अन्य भागों में लगाते हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पटसन उद्योग को इस प्रकार चलाने का प्रयत्न करेगी, ताकि पटसन उत्पादकों और पटसन मिल मजदूरों को लाभ हो सके।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, सभा की जानकारी में बहुत सी बातें लायी जा चुकी है। हमारे देश में, जैसा कि श्री दास मुंशी ने बताया कि 40 लाख पटसन उत्पादक और 2.5 लाख पटसन मजदूर हैं। यह सबसे पुराना उद्योग है और भारतीय उद्योग की जननी है। अब इसी मां के बच्चे उसे समाप्त करने के लिए एकजुट हो गये हैं। पटसन उद्योग में सबसे पहले पूंजी का निर्माण हुआ और यह पूंजी अन्य उद्योगों में लगा दी गई। अब स्थिति ऐसी है कि पटसन उद्योग में एक भी पैसा नहीं लगाया जा रहा है। अपराधी लोग पटसन उद्योग के एक बड़े भाग के मालिक है।

हम सभी जानते हैं कि यह लूट किस प्रकार हो रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक पटसन मिलें हैं। उन्नीस बन्द मिलों के साथ-साथ कनोडि़या और बाबरिया पटसन मिलें भी बन्द कर दी गई हैं। हुआ यह है कि पटसन व्यापारियों का एक पटसन मिल होता है और एक कच्चे पटसन की कम्पनी। वे छ: सौ रुपये प्रति कुन्तल के भाव से कच्चा पटसन खरीद कर अपने गोदाम में रख लेते हैं और इसे अट्ठारह सौ रुपये प्रति कुन्तल के भाव से बेचते हैं। वे केवल गोदाम बदल कर ही 800-900 रुपये प्रति कुन्तल कमा लेते हैं। पटसन का उत्पादन शुरू होने से पहले ही अधिकतर रुपया इस प्रकार लूट लिया जाता है। ऐसा ठीक सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, जिसकी जानकारी सबको है। परन्तु पिछले 15 वर्षों से किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पटसन मिल मालिक बड़े शक्तिशाली हैं। और चोरबाजारी करने वाले हैं। ये लोग पटसन उद्योग, देश, उत्पादकों, किसानों और मिल मजदूरों को लूट रहे हैं। इस सबकी जांच की जानी चाहिए।

महोदय, पटसन के अभाव का तर्क भी सही नहीं है। देश में 72 पटसन मिलें है जिन्हें प्रतिवर्ष 80 लाख गांठ पटसन की आवश्यकता होती है। जबकि इस वर्ष 90 लाख गांठ पटसन का उत्पादन हुआ है। वे चोर बाजारी करने के लिए पटसन की कमी पैदा करना चाहते हैं। मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें।

भारतीय पटसन निगम और राष्ट्रीय कपास निगम की तुलना की जाती है। राष्ट्रीय कपास निगम कपास खरीदता है और उसके लिए उसे पूरा पैसा उत्पादकों से मिलता है। यदि कपास का

उत्पादन कम होता है तो वह आयात करके मिलों को कपास देता है। परन्तु पटसन के मामले में सरकार ऐसा नहीं करती। श्री मुंशी ने भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण के बारे में बताया था। इस निगम ने पांच करोड़ रुपये से कार्य करना शुरू किया। अब स्थिति क्या है? अब एम.जी.एम.सी. मिलों को 125 करोड़ रुपया भारतीय पटसन निगम को देना है और फिर 61 करोड़ रुपये की सब्सिडी की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। फिर उन्हें प्रति वर्ष मजदूरों को देने के लिए अट्ठारह करोड़ रुपये चाहिए। अब उन्हें पांच या छः करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया पड़ा है और भारतीय पटसन निगम को उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इतने पर भी हम निगम पर दोष लगा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम की तुलना करना सरासर भेदभाव है। देश के पूर्वी क्षेत्र के इस सबसे पुराने उद्योग के लिए समस्याएं पैदा करने का सोच-समझकर प्रयास किय जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि भारतीय पटसन निगम को उसकी पूरी राशि का भुगतान किया जाये, ताकि वह भी औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा ले सके।

न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के लिए मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री को भी यहां होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना उनका काम है। जैसा कि श्री दासमुंशी ने कहा कृषि के अन्य सभी क्षेत्रों की सरकार में और सभी जगह बड़ी मजबूत लाबी है। उत्तरी क्षेत्र लॉबी के मामले में अपने-आप में ही बहुत कमजोर है। वहां लॉबी बनाने की प्रथा ही नहीं है। वे इसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि इससे अपराधीकरण की बू आती है। हमारे इस क्षेत्र में यह एक कमजोरी है। और इसीलिए हमें अच्छे मूल्य नहीं मिल पाते। मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। उत्पादन पर प्रति कुन्तल 750 रुपये खर्चा आता है और यदि आप 510 रुपये का भुगतान करेंगे तो यह भेद-भाव होगा। और इससे पटसन उत्पादकों का संरक्षण नहीं किया जा सकेगा।

जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है 3 वर्ष पहले 150 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई थी। उसके लिए कितना रुपया निकाला जा चुका है? कितने मिलों ने रुपया लिया है और कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है? हम नहीं जानते कि क्या उन्होंने वह रुपया अन्य क्षेत्रों में लगा दिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि आधुनिकीकरण की स्थिति क्या है?

सिंथेटिक, पटसन के मुकाबले में नहीं ठहरता। और अब पर्यावरण प्रेमी भी इसके पक्ष में है। पटसन का बाजार देश और विदेश दोनों में बढ़ रहा है। एक बात और, सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम को लागू नहीं कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसे निष्ठा से लागू कर रही है? यदि सरकार ही अपने नियमों और अधिनियमों का उल्लंघन करती है तो हम अन्य पर दोष कैसे लगा सकते हैं?

अन्त में मैं पश्चिम बंगल सरकार की सिफारिशों के प्रश्न पर आता हूँ।

सभापति महोदय : आप अपना अंतिन प्रश्न कर रहे हैं। तभी आप कुछ अन्त में कह रहे हैं। कुछ अपने साथियों के लिए भी रहने दें।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, यह मेरा अंतिम प्रश्न है। जब श्री अशोक मित्र पश्चिम बंगाल में वित्त मंत्री थे उस समय एक सिफारिश की गई थी। उन्होंने प्रस्ताव किया था कि इसमें पंचायतों को शामिल किया जाए और सहकारी पंचायतों और भारतीय पटसन निगम को 200 करोड़ रुपया दिया जाए, ताकि वे कच्चे पटसन की एकाधिकार खरीद कर सकें और एन.जे.एम.जी. तथा अन्य पटसन मिलों को सप्लाई कर सकें, जिससे कच्चे पटसन के बाजार में आई मन्दी को रोका जा सके। यदि हम ऐसा कर सके तो हम 40 लाख पटसन उत्पादकों और 2.50 लाख पटसन मिल मजदूरों की सुरक्षा कर सकेंगे। आशा है मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मेरे विद्वान साथी बहुत ही उत्तेजित थे और इसलिए मेरे लिए वैसा करना आवश्यक नहीं है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान केवल पटसन उत्पादकों और पटसन मिल मजदूरों की कठिनाइयों की ओर खींचना चाहता हूँ।

जैसा कि आप जानते हैं पटसन केवल पश्चिमी बंगाल में ही नहीं उगाया जाता, इसे असम, त्रिपुरा, तथा उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश के भागों में भी उगाया जाता है। पटसन की खेती मध्यम तथा गरीब किसाों द्वारा की जाती है। कच्चे पटसन की कटाई के बाद पटसन आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता तथा वह पटसन किसानों से लाभकारी मूल्य पर कच्चा पटसन खरीदने में आनाकानी करता है। किसानों से पटसन खरीदने के लिए आयोग के अनेक कार्यालय हैं परन्तु वे हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। उन्हें किसानों से सीधे पटसन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

इस प्रकार पटसन उगाने वाले किसानों का बिचौलियों और सट्टेबाजों द्वारा शोषण किया जाता है और उन्हें लाभकारी मूल्य से वंचित किया जाता है, क्योंकि पटसन निगम कोई उपाय नहीं कर रहा है और कच्चा पटसन खरीदने में हिचक रहा है। ऐसी स्थिति में क्या भारत सरकार उत्पादकों से सीधे पटसन खरीदने के बारे में गंभीर है।

अपरान्ह 3.00 बजे

क्या सरकार पटसन उत्पादकों अर्थात किसान संगठनों, और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा पटसन उत्पादक राज्यों के राजनीतिक दलों के विशिष्ट नेताओं की एक समिति का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है?

महोदय, पटसन उद्योग के मजदूरों की दशा बड़ी ही दयनीय है। पटसन उद्योग की दशा के बारे में मेरे मित्र पहले ही बता चुके हैं। बहुत से मिल बन्द हो चुके हैं और कुछ ही चल रहे हैं। पर काम करने वाले मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें भविष्य निधि आदि जैसी कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिल रही है। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र से कलकत्ता और उसके उपनगर में लोग पटसन उद्योग में काम करने के लिए आते हैं। पटसन उद्योग के बन्द होने के कारण इन मजदूरों की दशा बड़ी ही दयनीय हो गई है तथा कुछ ने तो असहनीय भूख और गरीबी के कारण आत्महत्या भी कर ली है। ऐसी दयनीय स्थिति है हमारे पटसन मजदूरों की। हम जानते हैं कि हमारे पड़ौसी देश बंगलादेश ने आधुनिकीकरण के लिए उपाय किए हैं। पर हमारी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने पटसन मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई निर्णय लिया है। यदि हाँ, तो कितने पटसन मिलों का आधुनिकीकरण किया गया? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उन मिल मालिकों के किलाफ कोई कार्रवाई की है जो गरीब मजदूरों को भविष्य निधि तथा अन्य मजदूरी आदि नहीं दे रहे हैं? इस संबंध में सरकार ने क्या कानूनी कार्रवाई की है?

मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कह दी हैं, इसलिए अब मैं उनके उत्तर सुनना चाहता हूँ।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : यद्यपि मुझे पटसन मजदूरों और उत्पादकों ने चुना है, पर मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र और जिला सबसे बड़ा पटसन उत्पादक क्षेत्र है तथा अधिकतर पटसन मिलें इसी क्षेत्र में हैं।

अपरान्ह 3.03 बजे

(श्रीमती रीता वर्मा पीठासीन हुई।)

[हिन्दी]

मुझे सबसे पहले यह बात कहनी है कि कांग्रेस सरकार का जो रवैया था, हमें उसे बदलना है। अगर वही रवैया चलता रहा, तो शायद साझा न्यूनतम कार्यक्रम को अपनाकर भी हम सही दिशा में नहीं जा पाएंगे।

[अनुवाद]

सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का आधार नजरिए में आए कुछ वैचारिक और दार्शनिक परिवर्तन होने चाहिए। पिछली सरकार के कार्यकाल 1984 में पटसन उद्योग को एक मृतप्राय: उद्योग घोषित कर दिया गया था तथा वही नजरिया चला आ रहा है। कोई भी इसकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बी.आई.एफ.आर. का काम जैसा कि हम समझ पाए हैं, इस उद्योग का अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि वह अनेक औद्योगिक मामलों से निपट रहा है। अधिकतर पटसन उद्योग बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत हैं।

[हिन्दी]

हम लोगों को यह तय करना है कि तरक्की और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवेलेपमेंट के लिए क्या हम अपनी आत्म-निर्भरता को खो देंगे।

[अनुवाद]

क्या हम पैकेजिंग सामग्री का आयात करने की स्थिति में है? अब हम वास्तव में ऐसा ही कर रहे हैं। हम इन दिनों पैकेजिंग सामग्री का आयात कर रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम इसके सबसे बड़े निर्यातक होने चाहिए।

हमारा देसी पटसन उद्योग शत-प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। इस उद्योग को डूबता हुआ सूरज घोषित कर दिया गया है, परन्तु व्यापारिक युद्ध के इस युग में मैं इसे उगता हुआ सूरज मानता हूँ। यूरोप और अमरीका में हम पैकेजिंग सामग्री के क्षेत्र में प्रभुत्व जमा सकते हैं। परन्तु पहल कौन करेगा?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपा कर प्रश्न पूछे।

श्री तरित वरण तोपदार : सरकार को पहल करनी होगी। यह कहना असामान्य नहीं है कि बोरियों का निर्माण करना सरकार का कर्तव्य है। एक विशेष बात यह है कि पटसन क्षेत्र के उद्योगपति, इस क्षेत्र को छोड़ कर चले गए हैं और उन्होंने अपनी पूंजी और कहीं लगा दी है तथा इस उद्योग को दयनीय हालत में छोड़ दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पटसन उद्योग को पुनर्जीवित करने और विभिन्न प्रकार के थैलों का निर्यात कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े आधार पर आने के लिए कोई व्यापक प्रस्ताव अथवा कार्यक्रम अथवा योजना बना रही है क्योंकि पटसन के बोरे पर्यावरण को दूषित नहीं करते और विदेशों में इनकी मांग है। मेरा मुख्य प्रश्न है कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई व्यापक कार्यक्रम है अथवा वह केवल यह कहने जा रही है कि यह एक घाटे का उद्योग है और इस घटे का अनुमान लगाना बी.आई.एफ.आर. का काम है। बी.आई.एफ.आर. जब भी कोई पैकेज कार्यक्रम लेकर आता है सरकार उसमें विलम्ब करती है। मेरे पास इसके अनेक उदाहरण हैं, पर उनके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम बी.आई.एफ.आर. की सिफारिशों पर निर्भर करेंगे अथवा निर्यात बाजार में हिस्सा लेने और विश्व में पैकेजिंग के बाजार में प्रभुत्व बनाने के लिए देश के वास्ते एक नीति बनायेंगे। हम प्रतियोगिता कर सकते हैं और

उसमें खरे उतर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अस्थायी उपाय के रूप में अनिवार्य पटसन पैकेजिंग आदेश को लागू करेगी। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया है। इस आदेश के अनुसार देश में निर्मित 50 प्रतिशत सीमेंट की बिक्री पटसन की बोरियों मे की जानी चाहिए। यूरिया की शत-प्रतिशत बिक्री पटसन के लैमिनेट किये बोरों में होनी चाहिए। परन्तु इसके बजाय एच.डी.पी.आई. और पी.ए.पी. बोरों का उपयोग किया जा रहा है। मैं फिर यह पूछता हूं कि क्या भारतीयों को पैकेजिंग सामग्री बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहिए। या हमें पैकेजिंग सामग्री का आयात कर उसका उपयोग करते चले जाना चाहिए। यह एक बुनियादी सवाल है, जिसका जवाब दिया जाना है। यदि उन्नति और विकास आत्म-निर्भरता के विरुद्ध हैं तो उत्तर भिन्न है। यदि उन्नति और विकास आत्म निर्भरता से सम्बद्ध करना है तो उसका उत्तर भिन्न होगा।

जब अन्त में मैं भारतीय पटसन निगम के बारे में कुछ कहूंगा। इसके संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं माननीय मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री श्री ज्योतिबसु को लिखे एक पत्र के कुछ अंश पढ़ूंगा। जिससे कुछ प्रश्न उठते हैं। पत्र के दूसरे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि भारतीय पटसन निगम को समर्थन मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्ष मूल्य स्थिर हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि भारतीय पटसन निगम समर्थन मूल्य संबंधी गतिविधियों के लिए ही है तो सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि वह बिना काम के वेतन पर खर्चा कर रही है। एक ओर तो मंत्री महोदय यह कहते हैं कि यह केवल समर्थन मूल्य की गतिविधियों के लिए है और दूसरी ओर उनका कहना है कि 2400 लोग काम करके वेतन नहीं पा रहे हैं। यदि काम लगातार नहीं दिया जाता है तो यह स्थिति पैदा होगी। आप इससे कैसे बच सकते हैं? हम लम्बे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि भारतीय पटसन निगम अनिवार्यत: पटसन की खरीद करे अथवा वह पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के सहयोग से इस पर निगरानी रखे। अनेक दशकों से हमारा यह प्रस्ताव रहा है, परन्तु इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : आपको भाषण नहीं करना है। केवल प्रश्न पूछिए।

श्री तरित वरण तोपदार : मैं केवल एक मिनट लूंगा। पिछली सरकार ने भारतीय पटसन आयोग द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियां चलाये जाने का सुझाव दिया था। क्या संयुक्त मोर्चा सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : काफी प्रश्न पूछ लिए गए हैं।

श्री तरित वरण तोपदार : भारतीय पटसन आयोग द्वारा देनदारी का भुगतान किये जाने के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। निगम को एन.जे.एम.सी. को एक बड़ी राशि का भुगतान करना है। यह दोनों ही सरकरी उपक्रम हैं। एक का कहना है कि वह भुगतान नहीं कर रहा है और दूसरे का कहना है कि वह काम नहीं कर रहा है। मंत्री महोदय ने आरोप-प्रत्यारोप का जिक्र करके इस मामले को आश्चर्यजनक रूप से टाल दिया है। मेरा प्रश्न है कि जब दोनों ही एक ही मंत्रालय के अंतर्गत हैं तो क्या मंत्री महोदय इस मामले को हमेशा के लिए निपटाने को तैयार हैं।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है।

सभापति महोदय : आपने काफी प्रश्न पूछ लिए हैं। अब मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। आपको केवल एक प्रश्न पूछना था।

श्री तरित वरण तोपदार : यह मेरा अंतिम प्रश्न है।

सभापति महोदय : समय बहुत कम है और आपने काफी समय ले लिया है। आपको केवल एक प्रश्न पूछना था इतने अधिक प्रश्न नहीं।

श्री तरित वरण तोपदार : यह मेरा अंतिम प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपको केवल आधा मिनट दिया जाता है।

श्री तरित वरण तोपदार : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री को सहकारी संस्थाओं के बारे में दिये गये अपने सुझाव के सन्दर्भ में सरकार पटसन की समूची और अनिवार्य खरीद के लिए भारतीय पटसन निगम की मार्फत पंचायतों और सहकारी संस्थाओं को सम्बद्ध करने जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : सभापति महोदय, मैंने सभी वरिष्ठ सदस्यों की बातें ध्यान से सुनी हैं। उन्होंने अनेक सुझाव दिये हैं और एन.जे.एम.सी. की अनेक कमियों की जानकारी मुझे दी है।

इस पर विस्तार से कुछ कहने के पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। एन.जे.एम.सी. को सरकार ने आठ या दस वर्ष पहले अपने हाथ में लिया था।

श्री तरित वरण तोपदार : पन्द्रह वर्ष पहले।

श्री आर. एल. जालप्पा : बहुत अच्छा, पन्द्रह साल पहले। एन. जे. एम. सी. की 54.80 करोड़ रुपये की प्रदत पूंजी थी। उसका घाटा 751.22 करोड़ रुपये का था। सरकार अब तक उसे 621 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। हम प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपया दे रहे हैं। मुझे नहीं पता सरकार को यह 80 करोड़ रुपया इन छ: मिलों को कब तक देना पड़ेगा। वे मिलें बन्द नहीं पड़ी हैं, चालू हैं। दुर्भाग्यवश उनमें कर्मचारी बहुत अधिक हैं। हमें यह

देखना है कि क्या भविष्य में हम इनकी संख्या घटाकर एक तिहाई कर सकते हैं या नहीं।

श्री तरित वरण तोपदर : यह सच नहीं है।

श्री आर. एल. जालप्पा : मैं आपको वह बता रहा हूं जो मैंने सुना है। इस कार्य के लिए बनायी गई समिति ने सुझाव दिया था कि 253 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया जाये। यह सुझाव मेरा नहीं है। उन्होंने यह योजना बनायी थी पर यह नहीं बताया कि इसके लिए रुपया कहां से मिलेगा। भारतीय पटसन निगम का एक मुख्य काम यह है कि जब बाजार में गिरावट आये तो वह उसमें सक्रिय भाग ले। किसानों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि पिछले चार-पांच वर्ष से मूल्य नहीं गिरे हैं। मैं यह बताने के लिए कुछ आंकड़े दूंगा कि ये मूल्य समर्थन मूल्य से कहीं अधिक है। इसलिए निगम को बाजार में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने बाजार से खरीद नहीं की। मेरे मित्रों ने सुझाव दिया है कि उसे वाणिज्यिक आधार पर काम करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इन चीजों को अपने हाथ में क्यों ले, जबकि बाजार में जाकर खरीद करने के लिए सहकारी संस्थाओं और पंचायतों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। रुपया 'नाबार्ड' के पास उपलब्ध है। वे पश्चिमी बंगाल सरकार से भी इन सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए वे पश्चिमी बंगाल सरकार पर दबाव भी डाल सकते हैं। मुझे बताया गया है कि एक चौथाई सहकारी संस्थाएं भी इस कार्य के लिए सक्षम नहीं हैं। चार वर्ष पहले जो सैकड़ों संस्थायें सक्षम थी वे अब कमजोर पड़ गयी हैं और इसलिए वे बाजार में नहीं टिक पा रही हैं।

महोदय भारतीय पटसन निगम का मुख्य उद्देश्य किसानों की ऐसे समय में मदद करना है जब मूल्य गिर जाये। परन्तु जब कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हों, तब निगम के लिए बाजार में आने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

निगम में दो हजार चार सौ पचास कर्मचारी हैं। सरकार प्रतिवर्ष उन पर वेतन के रूप में लगभग 18 करोड़ रुपया खर्च करती है, और पिछले चार या पांच वर्षों से उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की है। उनके दो सौ बीस गोदाम खाली पड़े हैं।

श्री तरित वरण तोपदार : जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके उत्तर दिये जायें।

सभापति महोदय : कृपया पहले उन्हें उत्तर देने दें। बैठ जाइये।

...(**व्यवधान**)

श्री आर. एल. जालप्पा : कृपा कर मेरी बात सुनिये में तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ ...(**व्यवधान**)

श्री तरित वरण तोपदार : भारतीय पटसन निगम की स्थापना अपने आप नहीं हुई, सरकार ने की ...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उन्हें उत्तर देने दें।

श्री आर. एल. जालप्पा : मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं और न ही किसी को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। मैं केवल तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हम सभी जिम्मेदार लोग हैं।

अनेक लोग कह रहे थे कि यह एक बड़ा मंत्रालय है और जब मैं इसमें आया तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए एक मंत्री की क्या आवश्यकता है ...(व्यवधान)

मेरे मंत्रालय का बजट 860 करोड़ रुपये का है और मैं लगभग 300 करोड़ रुपया एन.टी.सी. पर ओर 100 करोड़ रुपया भारतीय पटसन निगम और एन.जे.एम.सी. पर खर्च कर रहा हूं। इस प्रकार 400 करोड़ रुपये का काम हुआ। 460 करोड़ रुपया शेष रहा। इसमें 70 करोड़ रुपया केन्द्रीय सिल्क बोर्ड को दे दिया जाता है और मेरे पास केवल अब 390 करोड़ रुपया शेष रहा। और इस धन का मुझे क्या करना चाहिए? अब स्थिति यह है कि सात या आठ साल बाद उदारीकरण के कारण किसी भी उद्योग को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वह सूती उद्योग हो या सिल्क उद्योग या पटसन या ऊन उद्योग हो। उस समय तक हथकरघा बुनकरों को भी, जो लगभग डेढ़ करोड़ हैं, अपनी आजीविका कमाने का प्रयास करना चाहिए। आठ साल बाद हम 390 करोड़ रुपये की छोटी सी राशि से उन्हें इस स्थिति का सामना करने योग्य बना सकेंगे, जबकि इस राशि में से 120 करोड़ रुपया स्थापना व्यय में ही खर्च हो जायेगा। मेरे पास 270 करोड़ या 250 करोड़ रुपया बचता है। क्या इसके प्रबंधन के लिए एक कैबिनिट स्तर के मंत्री की आवश्यकता है ....(**व्यवधान**)

पिछले वर्ष जुलाई और अगस्त में कीमतें बहुत ऊंची थीं क्योंकि उत्पादकों के पास पटसन नहीं था। वह डीलर्स के पास था। इस बार सौभाग्य से फसल अच्छी है। हमें 30 लाख गांठों से भी अधिक माल के बाजार में आने की आशा है। इससे हो सकता है कि कीमतों में कुछ गिरावट आये।

हम यहां किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यद्रि दुर्भाग्यवश मूल्य गिरते हैं तो हम बाजार में आकर बड़ी मात्रा में पटसन खरीदेंगे। मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने भी मुझे यह आश्वासन दिया है कि यदि हम धीमे चलते हैं तो वे हमारी सहायता करेंगे।

श्री पी. आर. दासमुंशी ने कहा कि एन.जे.एम.सी. में अत्यधिक भ्रष्टाचार है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : भ्रष्टाचार कहां नहीं है? यह सब जगह है ....(**व्यवधान**)

श्री आर. एल. जालप्पा : मैं उसका बहाना नहीं ले सकता। श्री दास मुंशी ने मुझे एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं अवश्य ऐसा करूँगा। उसके लिए ही नहीं मैं एन.टी.सी. के लिए भी एक समिति बनाने पर विचार कर रहा हूँ।

यह बड़े ही क्षोभ और दु:ख की बात है कि एन.टी.सी. को मिलों को हाथ में लेने के बाद से, लगातार घाटा हो रहा है। उनका घाटा लगभग 3450 करोड़ रुपया है। उन्होंने 2005 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। भगवान ही जानता है कि उसके लिए रुपया कहां से आएगा। उसे जमीन बेचनी होगी।

श्री राम नाईक : इसका अर्थ यह हुआ कि कपड़ा मिल मजदूरों को फिर से काम पर लगाने के संबंध में सरकार पूरी तरह असहाय हो गई है। यह एक गम्भीर मामला है। भगवान आपकी मदद कैसे कर सकता है? वित्त मंत्री आपकी मदद कर सकते हैं। और वे शरारत पूर्ण हंसी हंस रहे हैं। आप उनकी मदद अवश्य करें ताकि कपड़ा और पटसन मजदूरों को उनका अपना हिस्सा मिल सके। सरकार को यह करना चाहिए।

श्री पी. आर. दासमुंशी : भारतीय जनता पार्टी भी यह कह रही है कि भगवान आपकी मदद नहीं कर सकता?

श्री तरित वरण तोपदार : मंत्री महोदय को उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

सभापति महोदय : आप पहले ही अनेक प्रश्न कर चुके हैं। अब कृपया बैठ जाएं, मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री आर. एल. जालप्पा : यदि भारतीय जनता पार्टी को भगवान में विश्वास नहीं रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ।

पिछले एक सप्ताह से मूल्य बढ़ रहे हैं। 27-8-1996 को असम और मेगालय में मूल्य 730 रुपये था, 3-9-1996 को यह 798 रुपए था। उत्तरी बंगाल में भाव 878 रुपये प्रति क्विंटल है और दक्षिण बंगाल में 806 रुपये था अब यह 850 रुपए है।

जहां तक अनुसंधान का संबंध है हमारे यहां दो संस्थायें हैं। हम अनुसंधान पर केवल चार से पांच करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं स्वयं यह देखना चाहता था कि क्या अनुसंधान कार्य हुआ है। पर ऐसा नहीं कर सका। इस महीने के अंतिम सप्ताह में मैं वहा जाकर यह पता लगाऊंगा कि वहां क्या हो रहा है।

मेरे मित्र निर्यातकों को कुछ सहायता देने को कह रहे थे। हम मिल मालिकों से शुल्क की वसूली कर पहले ही उन्हें सहयोग दे रहे हैं। हम इन निर्यातकों को सब्सिडी दे रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में निर्यात काफी बढ़ा है। वर्ष 1993-94 में 380 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जबकि 1994-95 में यह बढ़कर 487 करोड़ हो गया और अब 1995-96 में यह 546 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ हुआ कि निर्यात लगातार बढ़ रहा है और हम इसे और बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

पटसन पैकेजिंग आदेश को लागू करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है सीमेंट को पटसन के बोरों में भरने से वह बाहर को बिखरता है। लगभग डेढ़ किलोग्राम सीमेंट बिखर जाता है। अत: सीमेंट निर्माता जूट के बोरों में सीमेंट की पैकिंग नहीं करना चाहते। जब जूट निर्माता मुझसे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बोरों के अन्दर लैमिनेशन करना सम्भव है ताकि उनमें से सीमेंट न बिखरे। उन्होंने कहा कि यह सम्भव है। मैं कोशिश करुंगा कि ऐसा किया जा सके और बोरों से सीमेंट का बिखरना रोका जा सके।

खाद्य पदार्थ और यूरिया आदि पटसन के बोरों में भरे जाते हैं। इनके लिए 60 से 70 प्रतिशत तक पटसन के बोरों का इस्तेमाल होता है। अन्य वस्तुएं भी पटसन के बोरों मे भरी जाती हैं।

मैं समझता हूं मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक समिति का गठन करने पर विचार कर रहा हूं। एन.टी.सी. के संबंध में भी मैं एक स्वतंत्र समिति गठित कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब और प्रश्न नहीं।

...(**व्यवधान**)

श्री आर. एल. जालप्पा : इसकी जांच की जायेगी। वस्त्र उद्योग की ओर भी ध्यान दिया जायेगा। मैं समझता हूं मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं?

सभापति महोदय : मैं अब वित्त मंत्री महोदय से सामान्य बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देने के लिए कहता हूं

...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : महोदय अपरान्ह 3.30 बज चुके हैं। अब गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है।

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं पर यदि सदन अनुमति दे और यदि श्री सुब्बारमी रेड्डी अनुमति दें...

....(**व्यवधान**)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम पहले वित्त मंत्री का उत्तर सुन लें बाद में हम ...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : गैर सरकारी सदस्यों का कार्य बाद में नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : इसे बाद में होने दें।

श्री रामनाईक : यह बाद में नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

श्री भगवान संकर रावत (आगरा) : प्राइवेट मेम्बर बिल पहले लीजिए। हमारे अधिकारों का करटेलमेंट मत कीजिए।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैंने विधेयक पेश किया है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ...(**व्यवधान**)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकाटा) : आप समय नहीं बदल सकती। यह हमारा अधिकार है। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उसमें आपको क्या आपत्ति है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : इससे बड़ा अन्तर पड़ता है। वे उसके बाद बोल सकते हैं। हमें उसके बारे में इतना चिन्तित क्यों होना चाहिए? यह प्रत्येक सदस्य का अधिकार है।

[हिन्दी]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : आधे मिनट में क्या होता है।

श्री भगवान शंकर रावत : यह सांसदों का संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसका करटेलमेंट नहीं होना चाहिए। हम छः बजे के बाद भी बैठ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : गैर-सरकारी सदस्य के अधिकारों को कभी कम नहीं किया जाता।

श्री सन्तोष मोहन देव : हम सभी चाहते हैं कि सामान्य बजट पर चर्चा पूरी की जाए। समय के सामंजस्य के लिए आप सदस्यों की राय ले सकते हैं। हमने अध्यक्ष से अनुरोध किया था, कि कम से कम एक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस हो जाए। यह सोमवार को की जा सकती है। सर्वदलीय बैठक में हमने निर्णय किया था कि वित्त विधेयक पर दो दिन चर्चा होगी, जिसमें हम सभी विषयों पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

अपराह्न 3.33 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।)

यदि मेरे दल के सदस्य इन संकल्पों पर कुछ कहना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके लिए कुछ समय दिया जा सकता है और उसके बाद वित्त मंत्री का उत्तर आज पूरा हो जाना चाहिए। हम देर रात तक भी बैठने को तैयार हैं। जो सदस्य मुम्बई जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। आशा है कि श्री वाजपेयी जी यहां ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसके बजाय हम विधेयक पुर:स्थापित कर सकते हैं। इसमें पांच या छः मिनट लगेंगे। वाजपेयी जी को कुछ काम है।

श्री संतोष मोहन देव : एक बार शुरू होने पर इसमें जल्दी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा कहना है कि विधेयकों के पुर: स्थापन के बाद, उत्तर दिया जाए। सभा का समूचा कार्य बहुत खराब स्थिति में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री अधिक समय लेंगे।

श्री पी. आर. दासमुंशी : उन्हें उत्तर देने दें।

श्री राम नाईक : वह गैर सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त होने बाद उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : वित्त मंत्री के अधिकारों या उनके कर्त्तव्यों में हम कोई करटेलमेंट नहीं कर रहे हैं। हमें प्राइवेट मेम्बर बिल के लिए थोड़ा टाइम मिलता है। इसलिए पहले इसे कर लें।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : छः बजे, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त होने के बाद, यदि वित्त मंत्री उत्तर देना चाहें, तो वे उत्तर दे सकते हैं। परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित समय को कम न किया जाए। पिछले सप्ताह हम पहले ही गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय खो चुके हैं, और इसे बाद में नहीं निपटा सकते। वे 6 बजे उत्तर दें। ऐसा करने की न तो प्रक्रिया है और न ही परम्परा। ऐसा कभी नहीं किया गया ...(**व्यवधान**) वे छः बजे के बाद उत्तर दे सकते हैं

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, बोलने वालों को मौका मिलना चाहिए ...(**व्यवधान**) गैर सरकारी कार्य पर ढाई घंटे मिलते हैं। आपकी अनुमति से ऐसा हो जाता है तो एक परम्परा बन जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमने पहले भी इसको एक घंटा आगे ले लिया। एक घंटा आगे जाएगा तो भी ढाई घंटे प्राइवेट मैम्बर्स के रहेंगे और वह कम नहीं होंगे। प्राइवेट मैम्बर्स साढ़े तीन बजे की जगह साढ़े चार बजे शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : कई माननीय सदस्यों को अपने विधेयक पुरःस्थापित करने हैं। आप 6 बजे तक कार्य पूरा कर लें और उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमारा यह सुझाव है।

श्री श्रीकान्त जेना : मान लीजिए हम अब कार्य शुरू करते हैं, विधेयक को पुरः स्थापित करने का काम 4.30 बजे शाम तक चलता रहेगा।

श्री राम नाईक : नहीं वे केवल 10 या 15 मिनट लेंगे, उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : तब, 10-15 मिनट बाद मंत्री उत्तर देना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : पहले हम विधेयकों को पुरःस्थापित कर सकते हैं। उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही सुझाव मैं दे रहा था। मैंने यही एजेस्ट किया था। आपने कहा, यह होता नहीं है।

श्री राम नाईक : अगर ऐसा करना है तो करिए।

अध्यक्ष महोदय : सदन कुछ भी निर्णय ले सकता है। वह सर्वोच्च है। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेते हैं-विधेयक पुरःस्थापित किये जाएं।

अपरान्ह 3.36 बजे

एक समान शिक्षा विधेयक*

डा. रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समस्त देश में एक समान शिक्षा प्रदान करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समस्त देश भर में एक समान शिक्षा प्रदान करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. रमेश चन्द्र तोमर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपरान्ह 3.36 $^{1}/_{2}$ बजे

मंत्रियों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा विधेयक*

डा. रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रियों की आस्तियों की घोषणा और उनकी सार्वजनिक जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों की आस्तियों की घोषणा और उनकी सार्वजनिक जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. रमेश चन्द्र तोमर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.37 बजे

लोक सभा (प्रशासन) विधेयक*

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक सभा सचिवालीय कर्मचारीवृन्द के प्रशासन का निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा सचिवालीय कर्मचारिवृन्द के प्रशासन का निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित मामलों की देखभाल के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 6-9-1996 में प्रकाशित।

अपरान्ह 3.37 1/2 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 80 आदि में संशोधन)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.38 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(दसवीं अनुसूची में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.38 1/2 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 19वें संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.39 बजे

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2 आदि में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.39 1/2 बजे

गर्म मसाला और नकदी फसल कीमत आयोग विधेयक

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गर्म मसाला और अन्य नकदी फसल के लिए सरकार से लाभकारी कीमत की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ एक आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्म मसला और अन्य नकदी फसल के लिए सरकार को लाभकारी कीमत की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ एक आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.40 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*
(नई धारा 29ख, आदि का अंत:स्थापन)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 6-9-1996 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह $3.40^1/_2$ बजे

देश में विदेशी राष्ट्रिकों का आगमन निवारण विधेयक*

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में विदेशी राष्ट्रिकों के अप्राधिकृत प्रवेश को रोकने और उन्हें उनके मूल देशों को विवासित करने तथा तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में विदेशी राष्ट्रिकों के अप्राधिकृत प्रवेश को रोकने और उन्हें उनके मूल देशों को विवासित करने तथा तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्णलाल शर्मा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.41 बजे

राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक*
(धारा 3 में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्णलाल शर्मा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह $3.41^1/_2$ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 51क में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.42 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 371 जक का अंत:स्थापन)

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने का अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गंगा चरण राजपूत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री काशीराम राणा – अनुपस्थित; श्री बसुदेव आचार्य–अनुपस्थित

अपरान्ह $3.42^1/_2$ बजे

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 6-9-1996 में प्रकाशित।

हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचि जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951; संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचि जातियाँ आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.43 बजे

संस्कृत भाषा (विद्यालयों में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक*

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विद्यालयों में संस्कृत भाषा के अनिवार्य शिक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्यालयों में संस्कृत भाषा के अनिवार्य शिक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.43 $^1/_2$ बजे

विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (निर्वाचन में मताधिकार) विधेयक*

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.44 बजे

असंगठित श्रमिक कल्याण विधेयक*

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि असंगठित श्रमिकों के संरक्षण तथा कल्याण और तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असंगठित श्रमिकों के संरक्षण तथा कल्याण और तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री द्वारका नाथ दास : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.44 $^1/_2$ बजे

पूर्व चाय-बागान श्रमिक कल्याण विधेयक*

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पूर्व चाय-बागान श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण तथा तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापि करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्व चाय-बागान श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण तथा तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 6-9-1996 में प्रकाशित।

श्री द्वारकानाथ दास : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी–अनुपस्थित

अपरान्ह 3.45 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(उद्देशिका आदि में संशोधन)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपरान्ह 3.45$^1/_2$ बजे

वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक*

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वृद्ध व्यक्ति को पेंशन का संदाय करने और अन्य पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का संदाय करने और अन्य पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपरान्ह 3.46 बजे

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक*
(धारा 2 में संशोधन)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थानों (अपारधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपरान्ह 3.46$^1/_2$ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 16क, आदि का अंत:स्थापन)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.47 बजे

बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक*

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में बेरोजगारी उन्मूलन करने की योजना के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग दो खण्ड-2 दिनांक 6-9-1996 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में बेरोजगारी दूर करने की योजना के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.47½ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 19 में संशोधन)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.48 बजे

मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल कर्मचारियों की आस्तियों की घोषणा और उनकी सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल कर्मचारियों की आस्तियों की घोषणा और उनकी सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.48½ बजे

निराश्रित महिला कल्याण विधेयक

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निराश्रित महिलाओं के कल्याण और तत्सबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निराश्रित महिलाओं के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपरान्ह 3.49 बजे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि आगरा मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपरान्ह 3.49½ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 44, आदि का लोप)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संसोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने क अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 6-9-1996 में प्रकाशित।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हू।

अपरान्ह 3.49 3/4 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 18क का अन्त:स्थापन)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपरान्ह 3.50 बजे

लाटरी (प्रतिषेध) विधेयक*

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लाटरियों के संस्थापन, संवर्धन, संचालन और विक्रय को प्रतिषिद्ध करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लाटरियों के संस्थापन, संवर्धन, संचालन, और विक्रय को प्रतिसिद्ध करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विजय गोयल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपरान्ह 3.50 1/2 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 371जक का अन्त:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का शेष कार्य वित्त मंत्री का उत्तर समाप्त होने के बाद लिया जाएगा। वित्त मंत्री कृपया उत्तर दें।

अपरान्ह 3.51 बजे

बजट (सामान्य) 1996-97

सामान्य चर्चा

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि बजट पेश करने के 46 दिन बाद मुझे 3 या 4 दिन तक चली बहस का उत्तर देने का अवसर मिला है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इस बहस के साथ महत्व की जो भावना और जोश जुड़ा होना चाहिए था वह नहीं था। मैं समझता हूं इसका कारण यह था कि बजट में कुछ ऐसा नहीं था जिसका किसी भी पक्ष से कोई विशेष विरोध होता।

मेरा सही और गलत की जांच करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जब भी मुझे कोई संदेह होता है तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं और यदि वहां मुझे अपने लोग प्रसन्न दिखाई देते हैं तो मैं इस विश्वास के साथ लौटता हूं कि हमने सही रास्ता पकड़ा है। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य कम से कम संसदीय या राजनैतिक जीवन में निर्णायक अवसरों पर ऐसा ही करते हैं। मैं नहीं समझता कि भारत का एक भाग दूसरे भाग से बहुत अधिक भिन्न है या यो कहें एक भाग के लोगों में दूसरे भाग के लोगों के मुकाबले बहुत अन्तर है। सामाजिक और सांस्कृतिक अन्तर हैं परन्तु भारत का हृदय एक ही है। सभी भारतीयों के दिल एक से ही धड़कते हैं। मेरा विश्वास है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार के इस पहले बजट का भारत की आम जनता ने ऐसे बजट के रूप में स्वागत किया है जो विकास और सामाजिक न्याय

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 6-9-1996 में प्रकाशित।

में संतुलन स्थापित करता है जो साहस और संवेदना में संतुलन रखता है तथा जो सुधार तथा नियंत्रण में संतुलन स्थापित करता है।

मूल्यवान सुझाव देने के लिए मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बहुत ही मूल्यवान बातें बताई जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों का आभारी हूं, उन्होंने बजट की आलोचना के साथ-साथ उसमें किये गये उपायों का मौटे तौर पर समर्थन किया है।

महोदय मैं अपना कथन आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के बारे में कुछ कह कर शुरू करता हूं। आर्थिक सुधारों के शुरू होने के पांच वर्ष बाद उनके बारे में उपयोगी और कारगर बहस होना अच्छा है। परन्तु यह बहस चरणवार होनी चाहिए। अब हम वैचारिक मतभेदों में नहीं पड़ सकते। अब हम इस बात पर बहस नहीं कर सकते कि क्या भारत को अपनी अर्थव्यवस्था अन्य देशों के लिए खोलनी चाहिए या नहीं। क्या व्यापार को मुक्त बनाया जाना चाहए अथवा हमें विदेशी निवेश की आवश्यकता है या नहीं। इन सभी मुद्दों पर हम बहस कर चुके हैं और मोटे तौर पर इनके बारे में सर्व सम्मति हो गयी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ।

जब तक कांग्रेस एक अकेली पार्टी के रूप में सत्ता में थी तो ये सुधार कांग्रेस पार्टी के माने जाते थे। तथा इनके लिए उसने अन्य पार्टियों से सहयोग मांगा। कुछ मामलों में वह सफल रही और कुछ में असफल। परन्तु आज 13 राजनैतिक दलों की सरकार है। तथ्य यह है कि 13 राजनैतिक दलों ने मिलकर जो सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम सफल होने के लिए बनाया है उसे मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। यदि कांग्रेस पार्टी भी यह सोचती है कि इस सरकार की नीतियां सही दिशा में चल रही हैं तो मेरा यह दावा करना सही होगा कि पिछले पांच सालों में इन सुधारों को जो समर्थन मिला था वह घटने के बजाय बढ़ा है। इसमें अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। इसमें डी.एम.के.; तेलुगुदेशम, और असमगण परिषद जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी सहयोग कर रही हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी भी एक बड़ी सीमा तक हमारे साथ है। मैं समझता हूं कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। यह राजनैतिक अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी बात है।

महोदय, प्रगति और सामाजिक न्याय के बारे में सदन में कुछ चर्चा हुई थी। इस विषय पर बड़े रोचक तर्क दिये गये। सामाजिक न्याय पर चिन्ता व्यक्त करना सरकार के लिए आवश्यक है। हम सभी इस बात को मानते हैं कि इस देश में प्रत्येक सरकार को सामाजिक न्याय के प्रति चिन्तित रहना चाहिए। इसको लेकर कोई विवाद नहीं है, प्रश्न केवल यह है कि सरकार का सामाजिक न्याय दिलाने की क्षमता कितनी है। अधिक विकास का अर्थ है सरकार की न्याय दिलाने की अधिक क्षमता और कम विकास का अर्थ है इस क्षमता में कमी।

आयोजना शुरू होने के बाद पहले तीन दशकों में हम वर्ष 1951 के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने के इच्छुक थे। हमारी उपलब्धि क्या रही। इसमें हमें पचास प्रतिशत विकास प्राप्ति की सफलता मिली। छठे, सातवें और आठवें दशक में भारत का सकल घरेलू उत्पादन औसतन 3.5 प्रतिशत बढ़ा। नौवें दशक में यह 5.5 प्रतिशत की औसत से बढ़ा। परन्तु हम 5.5 प्रतिशत की सीमा को कभी पार नहीं कर पाये। दसवें दशक में पहली बार पिछले तीन वर्षों में हमारा विकास 6 प्रतिशत से अधिक रहा है और अब हम विश्वास के साथ सात प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रख सकते हैं। आप भारत की स्थिति का अन्दाजा लगाये यदि पच्चीस वर्षों तक इसकी अर्थ-व्यवस्था में सात-आठ प्रतिशत की वृद्धि हो? वर्ष 2025 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर चौगुनी हो जायेगी। परन्तु यदि यह विकास दर पांच, या 5.5 प्रतिशत रहती है तो प्रति व्यक्ति आय केवल दोगुनी होगी। इस प्रकार केवल दो प्रतिशत के अन्तर पर प्रति-व्यक्ति आय दो गुनी या फिर चार गुनी हो सकती है।

अपरान्ह 4.00 बजे

विकास का विरोध कोई नहीं कर सकता। अधिक विकास का अर्थ है सामाजिक न्याय के लिए अधिक क्षमता। इसलिए हमारा सबका यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि विकास को बढ़ावा दें, ताकि इससे सामाजिक न्याय देने की हमारी क्षमता बढ़े।

महोदय जैसा कि मैंने पहले कहा, आर्थिक सुधारों का सार विकास को बढ़ाना है। परन्तु ऐसा कार्य-कुशलता और उत्पादन बढ़ाने से ही हो सकता है। सदन में बचत दर के बारे में कुछ बहस हुई है। इसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। परन्तु मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में घरेलू बचत काफी अधिक हैं। इस देश के लोगों के गरीब होने के बावजूद निजी बचत, घरेलू बचत काफी अधिक है। बचत तो सरकारी क्षेत्र ने नहीं की है। ऐसा क्यों हुआ है, यह एक अलग बात है। परन्तु सच यही है कि सरकारी क्षेत्र में बचत नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप हमारी बचत लगभग 21 प्रतिशत ही रही है। परन्तु इस 21 प्रतिशत बचत से भी यदि हम अधिक कार्यकुशल हों और यदि हम निवेश किये गये प्रत्येक रुपये से अधिक लाभ कमा सकें तो हम कहीं अधिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए कोरिया जैसा देश अपने इतिहास के लम्बे समय तक इस स्तर की बचत से ही कहीं अधिक प्रगति कर सका, इसलिए हमें कार्यकुशलता और उत्पादकता पर जोर देना

चाहिए। जब तक हम अपनी कार्यकुशलता और उत्पादकता नहीं बढ़ाते तब तक हम सात या आठ प्रतिशत की औसत से विकास नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है और इस संबंध में मैं सदन को भी विश्वास दिला सकता हूं कि कार्यकुशलता और उत्पादकता प्रतिस्पर्द्धा मुक्त व्यापार और बेहतर टैक्नोलॉजी से ही बढ़ सकती है।

पूर्वी और पश्चिमी, पूंजीवादी और समाजवादी देशों से इस बात के अनेक उदाहरण मिल सकते हैं कि जब भी कोई देश अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र में हाथ डालता है जहां कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रबंध करने के वह योग्य नहीं है, वहां वह असफल रहता है। ऐसे क्षेत्र हैं, जहां केवल सरकार ही नेतृत्व दे सकती है या निवेश कर सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा और रक्षा सरकार के विषय हैं। परन्तु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां मैं समझता हूं कि हम अधिक कार्य कुशल तभी हो सकते हैं जब उसमें नेतृत्व निजी क्षेत्र को दिया जाये और सरकार केवल सहायक नीति निर्णायक और नियामक की भूमिका निभाये। यही कारण है कि साँझे न्यूनतम कार्यक्रम में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सुसंगत कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें विकास के महत्व को स्वीकार किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय की चिंता को स्वीकार किया गया है, जिसमें राज्य की भूमिका को स्वीकार किया गया है तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया गया है।

आज मैं करों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उनके बारे में वित्त विधेयक पर चर्चा के समय दस और ग्यारह सितम्बर को कहने का अवसर मेरे पास है। आज मैं इस सरकार की नीति और बजट में प्रदर्शित नीति के बारे में बोलना चाहता हूं।

आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय है। मैंने इसे एक गैर अर्थशास्त्री के रूप में समझने का प्रयत्न किया है। मैं इसके बारे में गैर अर्थशास्त्री के रूप में आप को बताऊंगा, क्योंकि आप में से अधिकतर गैर-अर्थशास्त्री हैं। यह वित्तीय घाटा क्या है? वित्तीय घाटे का एक सीधा सा अर्थ है। राजस्व घाटे और पूंजीगत व्यय का बढ़ना। वर्ष 1980 तक हमारे यहां राजस्व घाटा नहीं था। आज हमारे यहां राजस्व घाटा बहुत अधिक है, जैसा कि बजट में बताया गया है। वर्ष 1996-97 में 31,475 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है। पिछले वर्ष यह घाटा 33,331 करोड़ रुपये का था। इसका अर्थ है राजस्व व्यय, राजस्व आय की तुलना में कहीं अधिक है।

फिर आता है पूंजी व्यय। हमारे यहां कुछ छोटी-छोटी पूंजी प्राप्तियां हैं। उदाहरण के लिए ऋणों की वसूली या अन्य कुछ वसूलियां पूंजी प्राप्ति है। पूंजी व्यय 42,840 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ हुआ कि यह 31,475 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे से भी अधिक है। ऋणों की कुछ वसूली के बाद हमारा पूंजीगत घाटा लगभग 31,000 करोड़ रुपये है। इन दोनों को मिलाकर हमारा आर्थिक घाटा लगभग 62,266 करोड़ रुपये हो जाता है। इस घाटे को पूरा करना होता है। इसे हम कैसे पूरा करते हैं? इस घाटे की पूर्ति हम बाजार से उधार लेकर या और अधिक मुद्रा छाप कर करते हैं। ऐसा हम कब तक कर सकते हैं? क्या यह लम्बे समय तक चल सकता है? हमें पुराने ऋणों की अदायगी के लिए उधार लेना पड़ता है हमें चालू कार्यों के लिए और पूंजीगत निवेश के लिए उधार लेना पड़ता है। कृपया इस अनुपात की ओर एक बार फिर ध्यान दें। वित्तीय घाटा राजस्व घाटे और शुद्ध पूँजीगत व्यय के योग के बराबर होता है। मुझसे अनेक बार कहा गया है तथा सदस्यों ने यहां भी कहा है कि पूंजी निवेश की उपेक्षा न की जाए। मैं इसकी उपेक्षा नहीं करना चाहता। परन्तु हमें पूँजी व्यय के लिए रुपया कहां से मिलेगा? क्या मैं वित्तीय घाटे को बढ़ाकर पूँजीगत व्यय को बढ़ा सकता हूँ? पूँजीगत व्यय में अधिक वृद्धि तभी हो सकती है जब वित्तीय घाटे में अधिक वृद्धि हो। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का एकमात्र साधन राजस्व घाटे पर नियंत्रण करना है। जब तक राजस्व घाटे को नियंत्रित नहीं किया जाता पूंजी कभी भी नहीं बढ़ सकती। हमारे यहां राजस्व घाटे पर कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्व व्यय और राजस्व घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष हमने इसे 2,000 करोड़ रुपये कम किया है। यह मेरा देश के लोगों और संसद से वायदा है कि हम बजट से बाहर खर्च नहीं करेंगे। जो भी कोई अनियंत्रित व्यय करता है वह देश की सेवा नहीं करता। हम आने वाली सन्तानों की कीमत पर खर्चा कर रहे हैं। मैं पूंजीगत निवेश बढ़ाना चाहता हूं और यह राजस्व घाटे को नियंत्रित करके ही किया जा सकता है। हम आर्थिक घाटे को उस सीमा तक रख सकते हैं जहां तक काम चलाया जा सके।

मैं वित्त पोषण की बात कर रहा था। हम बाजार से उधार ले रहे हैं इस वर्ष हम 35,000 करोड़ रुपये उधार लेंगे। हम कितनी मुद्रा छाप सकते हैं? यदि हम अधिक मुद्रा छापें और ब्याज दरें कम रखें तो मुद्रा स्फीति बढ़ेगी? और यदि हम कम मुद्रा छापें तो मुद्रा स्फीति घटेगी, पर ब्याज दरें बढ़ जायेंगी। हमें सन्तुलन रखना है। हमें ब्याज दर और मुद्रा स्फीति दोनों पर नियंत्रण करना है। यदि ब्याज दर नियंत्रण से बाहर हो जाये तो उत्पादन में हानि होगी और यदि मुद्रा स्फीति नियंत्रण से बाहर हो जाये तो गरीबों को कठिनाई होगी तथा सभी लोगों को कष्ट होगा। इसलिए हमें दोनों पर नियंत्रण रखते हुए चलना होगा।

पहला पाठ जो मैंने सीखा है वह यह है कि बजट में दिखाये गये आर्थिक घाटे तक ही हमें घाटे को सीमित रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में उससे अधिक घाटा नहीं होना चाहिए। आर्थिक घाटे को रोकना आसान काम नहीं है। पिछले वर्ष हमने इसे 8.5 प्रतिशत से घटाकर 5.9 प्रतिशत किया। वास्तव में यह घाटा 5.7 प्रतिशत रहा। पिछली सरकार का यह एक प्रशंसनीय कार्य है,

परन्तु हमें इसे और कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। साँझा न्यूनतम कार्यक्रम में इसे चार प्रतिशत से नीचे लाये जाने की बात कही गई है। इस वर्ष मेरी इच्छा इसे पांच प्रतिशत रखने की है तथा अगले वर्ष इससे भी कम। यदि हम ऐसा किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाये बिना और पूंजी व्यय को कम किये बिना करना चाहते हैं, तो इसका मात्र रास्ता राजस्व व्यय को नियंत्रित करना है।

महोदय इस समय हम 60,000 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान करते हैं। वास्तव में आर्थिक घाटे और ब्याज के भुगतान के बीच प्राथमिक घाटा बहुत कम है। यह 2,266 करोड़ रुपये है, जो पिछले अनेक वर्षों में सबसे कम है। ब्याज का भुगतान बहुत अधिक है तथा इसे कम करने का एकमात्र तरीका उधार को कम करना है। यह एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यह काफी समय पहले से इकट्ठा होता आया है। आपको स्मरण होना चाहिए कि आज भी हमारी गणना बाजार में उधार लेने वालों में होती है।

इस पृष्ठ भूमि में इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है? सबसे पहले हमने इस तथ्य को नोट किया है कि कृषि क्षेत्र में गिरावट आयी है, विशेषकर कृषि उपज, पिछले वर्ष केवल 0.9 प्रतिशत रही। यह हम सबके लिए एक चिन्ता का विषय है।

फिर भी संकेत अच्छे हैं। मानसून अच्छा रहा। मुझे खबरों से पता चला है कि 1993-94 के बाद शायद इस वर्ष मानसून सबसे अच्छा है और कृषि उत्पादन इस वर्ष उल्लेखनीय सीमा तक बढ़ेगा। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए यह प्रसन्नता है कि अगस्त के शुरू में वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में वार्षिक वृद्धि की दर 20 प्रतिशत से भी अधिक रही। यह उपलब्धि तब प्राप्त की गई जबकि मुद्रा की सप्लाई 16 प्रतिशत से ऊपर नहीं गई।

हमारा यह प्रयास है कि इस वर्ष भी इसे 16 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए और इस सीमा को तोड़े बिना गैर खाद्य वाणिज्यिक सेक्टर को उसकी आवश्यकता के अनुरूप ऋण उपलब्ध कराया जाए।

नाबार्ड की पूंजी में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा रही है। आर.आई.डी.एफ.-2 को इस वर्ष कृषि के लिए 2,500 करोड़ रुपये मिलेंगे! 900 करोड़ रुपये बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरी करने के लिए रखे गये हैं। एस.आई.डी.वी.आई. ने छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए अनेक उपाय किये हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूनर्गठन और उन्हें सक्षम बनाने के लिए उन्हें 200 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस प्रकार हमने कृषि और उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान दिया है।

पिछले वर्ष कृषि ऋण के लिए 24,849 करोड़ रुपये रखे गये थे। इस वर्ष हमें आशा है कि 31,473 करोड़ रुपये कृषि ऋण के रूप में दिये जायेंगे। इसी प्रकार पिछले वर्ष 'नाबार्ड' को 8,383 करोड़ रुपये दिये गये थे। इस वर्ष 8,560 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

विभिन्न एजेंसी द्वारा कृषि को दिया गया ऋण इस प्रकार है: सहकारी बैंकों द्वारा 13,440 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये जायेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1080 करोड़ रुपये देंगे, वाणिज्यिक बैंक 6,486 करोड़ रुपये कृषि ऋण के रूप में देंगे। इन सबका जोड़ 21,006 करोड़ रुपये होगा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक है।

मध्यम और लम्बे समय के ऋण सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाते हैं। इस वर्ष इन संस्थाओं द्वारा 10,467 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। कुल मिलाकर कृषि को इस वर्ष 31,473 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये जायेंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार हमने कृषि उद्योग और लघु उद्योगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा है।

अपरान्ह 4.16 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

मुद्रा स्फीति के बढ़ने से समाज के हर एक वर्ग, विशेषकर गरीब वर्ग को कष्ट होता है। मैंने अनेक बार कहा है कि मुद्रा स्फीति सबसे कठोर कर है। यह गरीब और अमीर दोनों पर समान रूप से लगने वाला कर है। मुद्रा स्फीति को कम करने के अनेक तरीके हैं। पहला तरीका है आर्थिक घाटे को कम करना। हमने ऐसा किया है अथवा कम से कम हमने ऐसा करने की इच्छा जाहिर की है। हम अपनी इस इच्छा को कहां तक पूरा कर पाते हैं, यह आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट हो जायेगा। मुद्रा की सप्लाई 16 प्रतिशत से नीचे रखी जा रही है। सीमा शुल्क में कमी की जा रही है, क्योंकि इन को कम करने से मूल्य वृद्धि रुकती है। आयात से भी मूल्य वृद्धि पर रोक लगाती है। इस समय भारत में आयात शुल्क का औसत लगभग 27 प्रतिशत है। यह एशिया और विश्व के स्तर से बहुत अधिक है। पर क्योंकि हमारे उद्योगों को कुछ स्तर तक सुरक्षा चाहिए। हमने इसे लगभग 27 प्रतिशत रखा है। दो प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाये जाने की आलोचना की गई है, परन्तु मुझे मूलभूत ढाँचे के लिए इसकी आवश्यकता थी। हमने मनमाने तरीके से अथवा जल्दी में ऐसा नहीं किया है। हम ऐसा चेलैया समिति की सिफारिशों के अनुसार कर रहे हैं। मैंने उत्पादन शुल्क नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे घटाया है और कुछ वस्तुओं पर से तो पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसलिए मुद्रा स्फीति से लागत नहीं बढ़ेगी।

अन्त में हम आपूर्ति का प्रबंध करना चाहते हैं। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क को कम करने से आर्थिक घाटे को कम करने में मदद मिलेगी और मैं समझता हूं कि इससे मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण सुनिश्चित होगा। जिस देश में जनसंख्या 2 प्रतिशत की दर से बढ़ती हो और लोगों की आशाओं में वृद्धि हो रही हो वहां मांग बढ़ेगी ही। आप मांग वृद्धि को नहीं रोक सकते। लोगों की आकांक्षाओं के कारण खपत बढ़ती है और खपत के कारण उत्पादन बढ़ता है। आप लोगों से अपनी आकांक्षाओं को बाद में पूरा करने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए आपूर्ति को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहिए तथा अन्य सभी प्रकार के उत्पादनों में वृद्धि करनी चाहिए। यदि हम आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें और किसी भी प्रकार की कमी को रोक सकें तो मैं समझता हूं हम मुद्रा स्फीति को कम रखने में सफल होंगे। पैट्रोलियम की कीमतें बढ़ाये अब सात सप्ताह का समय हो गया है। पर मुद्रा स्फीति केवल 1.2 प्रतिशत या 1.3 प्रतिशत बढ़ी है। मेरा देश के लोगों से कहना है कि उन्हें यह डर नहीं होना चाहिए कि मूल्य नियंत्रण से बाहर हो जायेंगे। मेरा संसद सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी यह संदेश लोगों को दें।

हम मुद्रा की सप्लाई पर, खर्चे पर और आर्थिक घाटे पर कड़ा अंकुश लगाये हुए हैं। आपूर्ति की समस्या को भी हम हल करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। माल उपलब्ध होगा और लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि मूल्य बढ़ेंगे अथवा वस्तुओं की कमी होगी। यदि लोगों के मन से मुद्रा स्फीति का डर निकलेगा तो यह नियंत्रण में रहेगी। हमें ऐसा कुछ न तो करना चाहिए और न कहना चाहिए, जिससे मुद्रा स्फीति बढ़े। इस वर्ष मानसून अच्छा रहा है, इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सप्लाई में व्यवधान पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मुद्रा स्फीति को रोक सकेंगे।

एक दूसरा क्षेत्र है जिस ओर हमें ध्यान देना है। वह है भुगतान संतुलन। ऐसा माना जाता है कि इसका देश की आन्तरिक अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव पड़ता है।

पिछले दो या तीन दिन में क्या हुआ है हम इस पर जरा दृष्टि डालें हमने कुछ तेल आयात किया और यह आशा की थी कि उसका मूल्य 16.5 डालर प्रति बैरल होगा। परन्तु यदि मूल्य बढ़कर 21 डालर प्रति बैरल हो जाये तो हमारे लिए इस तेल का मूल्य कहां पहुंच जायेगा?। इस प्रकार बाहरी दुनिया का हमारे देश की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। यह मेरे लिए कुछ चिन्ता का विषय है। इस वर्ष के पहले चार महीनों में आयात में कुछ कमी हुई है, परन्तु तेल आयात पर खर्च लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा है। हम बहुत अधिक तेल की खपत करते हैं। मैंने पैट्रोलियम मंत्रालय के अपने साथियों से कहा है कि वे तेल की खपत कम करने के उपाय खोजें। हम इतने अधिक तेल की खपत नहीं कर सकते। ...(**व्यवधान**)

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : कारें अधिक हैं और सड़कें कम। इसी कारण आप कठिनाई में है।

श्री पी. चिदम्बरम : इसका उत्तर आसान नहीं है। इसका उत्तर यह नहीं कि कम कारें और अधिक सड़कें हों। इसका उत्तर है, पेट्रोलियम क्षेत्र पर निवेश करना, अधिक तेल निकालना, तेल के नए निक्षेपों का पता लगाना, और उनसे तेल निकालना।

हमारी तेल अर्थ-व्यवस्था को क्या हो गया है? हम 50 प्रतिशत का उत्पादन करते थे और 50 प्रतिशत का आयात। अब खपत अधिक तेजी से बढ़ रही और उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है, पर आयात तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। इस प्रकार विदेशी अर्थ-व्यवस्था का असर भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है। भुगतान संतुलन बड़ी संकट की अवस्था में है।

भुगतान संतुलन के बारे में अपने विचार आपको बताते हुए मैं एक या दो घोषणाएं करना चाहता हूँ। मार्च 1995 में 99 बिलियन का विदेशी ऋण था; सितम्बर, 1995 तक यह घटकर 93.8 बिलियन हो गया। इसका यह अर्थ नहीं कि हमने 5.1 बिलियन का भुगतान कर दिया। हमने एक तिहाई का भुगतान कर दिया है। शेष दो-तिहाई विनिमय दर परिवर्तन है। हमारे विदेशी ऋण का प्रबंध अच्छा रहा है। विदेशी ऋण का अनुपात सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में मार्च, 1992 में 41 प्रतिशत था जो घट कर सितम्बर, 1992 में 29 प्रतिशत हो गया। यह अच्छे प्रबंध के कारण ही हुआ है।

इसी प्रकार ऋण सेवा अनुपात भी निर्यात और अन्य प्राप्तियों में अधिक वृद्धि होने के कारण कम हुआ है। वर्ष 1990-91 में यह 35 प्रतिशत था तथा 1995-96 में यह गिरकर 26 प्रतिशत हो गया है।

यह भी अच्छे प्रबंध की निशानी है। 1996-97 के चालू वर्ष में भुगतान संतुलन पर चालू खाता घाटा लगभग 7 बिलियन डालर या सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत होने की सम्भावना है। तथापि पूंजी खाते में भुगतान के इस वर्ष अधिक रहने की सम्भावना है, जो 10 बिलियन डालर के आस-पास रहेगा। इसका कारण विदेशी सहायता के रूप में पिछले कई ऋणों का समय समाप्त होना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण, रूस को रुपए में ऋण का भुगतान तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार हैं। यह इसलिए भी अधिक

है क्योंकि इस वर्ष हमें पांच वर्ष पहले जारी किए गए भारत विकास बांडों का 2.2 बिलियन डालर का भुगतान भी करना है। चालू खाता घाटे और पूंजीगत भुगतान की लगभग 17 बिलियन डालर की राशि को, हम विदेशी मुद्रा कोष को 17 बिलियन डालर के स्तर से कम किए बिना, पूरा करने के लिए विदेशी सहायता का व्यापक संवितरण करेंगे और 9 बिलियन डालर का वाणिज्यिक ऋण लेंगे तथा आधा बिलियन डालर अनिवासी भारतीयों से प्राप्त करेंगे।

अब मैं विदेशी मुद्रा कोष के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले वर्ष इसमें 3 बिलियन डालर की कमी आई। उसके कुछ उचित कारण थे। मैं उनके विवरण में नहीं जाना चाहता। इस वर्ष हम इसे कम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। वास्तविकता यह है कि हमारी विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है। इस सरकार के सत्ता में आने के समय से यह लगभग एक बिलियन डालर बढ़ी है। हम अपनी विदेशी मुद्रा को 17 बिलियन डालर से कम नहीं कर सकते, क्योंकि साढ़े तीन महीने के आयात के लिए इतनी विदेशी मुद्रा होना आवश्यक है। इसलिए हमें इतनी विदेशी मुद्रा अपने पास रखनी ही चाहिए। हमें सीधे विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहिए।

जब साँझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया गया था तब इन बातों के महत्व को समझा गया था। साँझा न्यूनतम कार्यक्रम बिना किसी आधार के नहीं बनाया गया था। इसे 1996-97 के आर्थिक तथ्यों को सामने रख कर तैयार किया गया था। इसीलिए इसमें विदेशी निवेश आमंत्रित करने की बात कही गई है। हम देश में विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे। यह बात न्यूनतम कार्यक्रम में कही गई है। हमारा लक्ष्य 10 बिलियन डालर एफ.डी.आई. का है। यदि हमारे यहां से 17 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा बाहर जाती है और विदेशी सहायता, वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी भारतीयों से लगभग 9.5 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा भारत में आती है तो शेष 7.5 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा एफ.डी.आई., एफ.आई.आई. और जी.डी.आर. से आनी चाहिए।

मैं इस अवसर पर उद्योग मंत्री को एफ.डी.आई. के पूरे बकाया को समाप्त करने के लिए कठोर क़दम उठाने, एफ.आई.पी.वी. को सक्षम बनाने और विदेशी निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना करने के लिए बधाई देता हूँ। विदेशी निवेश परिषद की बैठक कुछ ही दिनों में होने वाली है। हमें सीधे निवेश के रूप में और संस्थागत निवेश में पूंजी की आवश्यकता है।

पिछले वर्ष एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. की मार्फत काफी पूंजी प्राप्त हुई। इस वर्ष मुझे आशा है एफ. डी. आई. के मार्फत आने वाली पूंजी में एक बिलियन डालर की वृद्धि होगी और यह दो बिलियन डालर से बढ़कर तीन या साढ़े तीन बिलियन डालर हो जायेगी। हम जी.डी.आर. से आने वाली पूंजी में 1.5 बिलियन डालर की वृद्धि की आशा करते हैं। एफ.आई.आई. से आने वाली पूंजी के भी एक बिलियन डालर बढ़ने की सम्भावना है, जिससे हमारी कुल पूंजी बढ़कर 7.5 बिलियन डालर हो जायेगी। इस राशि की हमें इस वर्ष के विदेशी खाते के लिए आवश्यकता है। यह सब कुछ अपने आप नहीं हो जायेगा, इसके लिए हमें मजबूत आर्थिक समष्टिभाव बनाना होगा और विदेशी पूंजी के आगमन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे।

महोदय इस अवसर पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। हमने भारतीय विकास बान्डों का पूरा-पूरा भुगतान करने का निर्मय किया है। यह हमारी आर्थिक स्थिति की मजबूती, हमारे विश्वास और विदेशी अर्थव्यवस्था के प्रबंध में हमारी दक्षता का प्रतीक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हम अपनी रक्षित निधि को बनाये रख सकते हैं। ऐसे अनुमान लगाये जा रहे थे कि हम इन बान्डों को और आगे बनाये रखने की मांग करेंगे। मैं इन सभी अनुमानों को समाप्त करना चाहता हूं। हमारा भुगतान सन्तुलन मजबूत स्थिति में है। हम भारत विकास बान्डों का इस वर्ष पूरा भुगतान कर देंगे।

अब मैं संसाधनों के उपयोग पर आता हूं। सदन में बचत के ऊपर चर्चा हुई है। अपने भाषण को प्रारम्भ में मैंने इस पर प्रकाश डाला था। मैं फिर से अपनी उस बात को दोहराता हूं कि निजी बचत में कोई कमी नहीं आयी है। 1994-95 के दौरान विश्व के अन्य कुछ देशों जैसे इन्डोनेशिया, थाईलैण्ड, मलेशिया और जापान की तुलना में हमारा निजी निवेश अधिक है। भारत में यह उस समय 22.7 प्रतिशत था जबकि इन्डोनेशिया में यह 14 प्रतिशत था, थाईलैण्ड में यह 14.6 प्रतिशत मलेशिया में 19.1 प्रतिशत तथा जापान में 15.8 प्रतिशत था।

मैं यह बात साफ बता देना चाहता हूं कि ये आंकड़ें कुछ पुराने हो सकते हैं। हो सकता है उनकी निजी बचतों में तीन या चार प्रतिशत की और वृद्धि हुई हो। फिर भी भारत में निजी बचत इन्डोनेशिया, थाईलैण्ड और मलेशिया की तुलना में काफी अच्छी है। हम पीछे हैं सरकारी क्षेत्र की बचतों में। हमारी सरकारी क्षेत्र की बचतें 2 प्रतिशत से ऊपर कभी नहीं रहीं। 1994-95 में यह 1.7 प्रतिशत थी। जबकि इण्डोनेशिया में 1981-88 के दौरान सरकारी बचत 7.7 प्रतिशत थी, थाईलैण्ड में उसी समय में 8.6 प्रतिशत मलयेशिया में 10.3 प्रतिशत और जापान में 5.1 प्रतिशत थी। बचत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम सरकारी क्षेत्र में, जिसमें सरकार भी शामिल है। ज्यादा खर्च न करें और बचत करें। हमें सभी अनुत्पादक खर्चों को समाप्त करना चाहिए और जो भी एक रुपया हम खर्च करते हैं या निवेश करते हैं उससे अधिक से अधिक प्राप्ति करनी चाहिए।

जब मैंने किफायत के उपायों के बारे में घोषणा की थी, तो उस समय मैंने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। मैंने सरकारी क्षेत्र से यह ज़ोर देकर कहा था कि वह मुझे अधिक लाभांश दे। मैं उनसे अधिक बचत करने के लिए और कार्य कुशल होने के लिए कह रहा हूं और मेरा विश्वास है कि इस वर्ष वे सरकार को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पैसा देंगे। क्योंकि उन पर अधिक कार्यकुशलता दिखलाने का दबाव डाला जा रहा है।

महोदय इस बजट का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक राजस्व घाटे को कम करना है। बजट में इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए खर्च को नियंत्रित करने का ही सुझाव नहीं है वरन राजस्व में वृद्धि करने की भी बात है। इस बजट में करों के आधार को व्यापक बनाकर राजस्व में वृद्धि करने और न्यायोचित कर की दरें लागू करके, कर नियमों को सरल बनाकर और कठोर प्रशासन के द्वारा कर वसूली में सुधार कर करों के ढांचे में सुधार करने की नीति अपनायी गयी है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता हुई होगी कि पिछले चार सप्ताह में भारत सरकार के उत्पादन शुल्क विभाग और आय कर विभाग ने कर नियमों को लागू करने के बारे में अनेक कदम उठाये हैं। मैंने उन्हें कोई विशेष निर्देश नहीं दिये हैं। मैंने उनसे केवल इतना ही कहा है कि करों की कम दर और सरल प्रक्रिया चाहता हूं फिर यह भी चाहता हूं कि अच्छी वसूली के लिए कर नियमों को कड़ाई से लागू किया जाये। हम कर की चोरी करने वालों का जीना दूभर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का कर देना आवश्यक है चाहे वह आयकर हो, उत्पादन शुल्क हो या फिर सीमा शुल्क हो वह उसका भुगतान आवश्य करे। कर की चोरी करने वालों से कड़ाई से निपटा जायेगा और उन्हें सजा दी जायेगी।

मैंने सीमा शुल्क में कमी की है। मैंने उत्पादन शुल्क भी घटाया है मैंने प्रथम स्तर पर आय कर में भी पांच प्रतिशत की कमी की है। निगमित प्रभार को भी आधा कर दिया गया है। यदि प्रधान मंत्री के सहयोग से सब कुछ भली प्रकार चलता रहा तो हम करों और शुल्कों में कमी करते जायेंगे पर साथ ही कर नियमों को और अधिक कड़ाई से लागू करेंगे। ताकि वसूली अच्छी हो सके। सदस्यों को यह शिकायतें मिल सकती हैं कि हमारे लोग निरीक्षण कर रहे हैं और रिकार्ड मांग रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे ऐसी शिकायतों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें तथा सरकार को उन्हें न भेजें, क्योंकि जो भी कोई कर की चोरी करता है उसे जुर्माना भरना ही चाहिए। महोदय इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप और सख्ती करने से, करों की वसूली इस साल बढ़ेगी। और सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल कर राजस्व का अनुपात इस वर्ष 10.1 प्रतिशत से बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो जायेगा। मुझे अपने राजस्व विभाग तथा उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर इस बात का पूरा विश्वास है कि वे सरकार की आशाओं पर पूरा उतरेंगे और 1996-97 के लिए राजस्व का जो लक्ष्य रखा गया है उसे प्राप्त करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष कर वसूली के लिए जो प्रयत्न किये गये हैं वे पिछले 10 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक हैं। इस बजट में 2,692 करोड़ रुपये की कर वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक है। और ऐसा हमने बिना कोई कठोर कदम उठाये किया है। मैं समझता हूं सभी कर लगाये जायेंगे और वसूल किये जायेंगे। हमारा 2,700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली का इरादा है। यह 1991-92 में की गई वसूली के काफी करीब है जब सरकार ने 2617 करोड़ की वसूली की थी। परन्तु इस वर्ष की वसूली भी 2692 करोड़ है सबसे अधिक होगी।

महोदय सामाजिक सेवाओं और गरीबी दूर करने के बारे में कुछ चर्चा हुई है। मेरे मित्र श्री संतोष मोहन देव ने कुछ आंकड़े दिये। हर एक के पास अपने-अपने आंकड़े होते हैं। मैंने कुछ लेख-निबन्ध और प्रतिवेदन पढ़े हैं, जिनमें कहा गया है कि हम पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम खर्च कर रहे हैं। यह सही नहीं है। अधिक प्रगति और अधिक राजस्व से हमारी सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने की क्षमता बढ़ेगी। पिछली सरकार ने पांच वर्षों के दौरान भारत को संकट से निकाल कर प्रगति के पथ पर डाला। तथा अन्तिम दो या तीन वर्षों के दौरान सामाजिक, सेवाओं के लिए अधिक धन आबंटित किया।

मैं पिछली सरकार द्वारा किये गये उपायों का श्रेय नहीं लेना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान किये गये कार्यों को और आगे बढ़ाया है। हमने सामाजिक सेवाओं के लिए अधिक धन आवंटित किया है।

महोदय हम 1996-97 के बजट अनुमानों की तुलना 1995-96 के बजट अनुमानों से करें। सामाजिक सेवाओं के लिए केन्द्रीय आयोजना के आवंटन में पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन सेवाओं के गैर-योजना आबंटन में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह सब छोटी उपलब्धि नहीं है। यदि आप योजना और गैर-योजना आबंटनों को जोड़ें तो इसका अनुपात अब तक के सभी अनुपातों से बढ़कर इस वर्ष 7.3 प्रतिशत हो जायेगा। जबकि पिछले पुनःरीक्षित अनुमान के अनुसार यह 7 प्रतिशत और बजट अनुमान के अनुसार 6.2 प्रतिशत था। इसका प्रमुख कारण पिछले वर्ष अर्थव्यवस्था मे सात प्रतिशत की वृद्धि होना है।

मैं यह मानता हूं कि पिछले वर्ष की आर्थिक प्रगति के कारण ही यह सरकार इस वर्ष सामाजिक सेवाओं के लिए 7.3 प्रतिशत का आबंटन कर सकी है। इस अनुपात में 1995-96 के 0.97 प्रतिशत की तुलना में 1996-97 में 1.19 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है।

इसलिए यह कहना कि इस वर्ष हमने कम आवंटन किया है, तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है। हमने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आवंटन किया है। ऐसा हम इसलिए कर पाएं क्योंकि गत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह आंकड़े विभिन्न विभागों तथा सेवाओं को किए गए आवंटन के रूप में हैं। मैं इसमें प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से बनायी गयी उस विशेष योजना में आवंटित 2,466 करोड़ रुपये की राशि को नहीं जोड़ रहा हूं जोकि मूल न्यूनतम सेवाओं के लिए हमने उपलब्ध करवाया है। यदि मैं इसे जोड़ूं तो हमने इन सेवाओं के लिए जो धन आवंटित किया है वह अब तक की सरकारों द्वारा आबंटित धन से कहीं अधिक है। सामाजिक सेवाओं के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए यह पर्याप्त है।

श्री संतोष मोहन देव : श्री चिदम्बरम जी, मैं आपके दावे को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं परन्तु इसमें 2-3 बातें हैं। आप प्रधान मंत्री का हवाला दे रहे हैं। प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि बाकी करीब 900 इलाकों में अगले दो वर्ष के दौरान रोजगार बीमा योजना लागू कर दी जायेगी। प्रधान मंत्री के निर्देश पर आपने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को दी जाने वाली राशि 20,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दी है, जबकि इस मद के लिए आबंटन उतना ही रहने दिया गया है।

श्री पी. चिदम्बरमम : उसमें 2,466 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

श्री संतोष मोहन देव : आप हमारी रिपोर्ट देखें।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उसे देखूंगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : हम आपके दावे को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपका इरादा अच्छा है। परन्तु वित्त मंत्री के नाते यदि आप अपने प्रधान मंत्री के कथन को पूरा करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी।

श्री पी. चिदम्बरम : इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वित्त मंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को प्रधान मंत्री के विचारों का आदर करना है और उन्हें लागू करना है। वास्तविकता यह है कि योजना मंत्री ने मुझसे कहा-और उनका कहना सर्वथा सही था वे एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और इसका संचालन कर रहे हैं-कि आप 2,466 करोड़ रुपये को अपने हिसाब में नहीं लेंगे। अधिकतर आलोचक और लेखक यह भूल गये कि हम 2,466 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन कर रहे हैं। यह रुपया पीने के पानी, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवास और मध्यान्ह भोजन योजना के लिए दिया जा रहा है। यदि इसमें से कुछ हिस्सा इंदिरा आवास योजना को जाता है और 250 करोड़ रुपया गन्दी बस्तियों का सुधार करने में लगाया जाता है तो आप देखेंगे कि इन प्रत्येक मदों में पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक आवंटन किया गया है। मैं समझता हूं कि आपको 2,466 करोड़ रुपये के आवंटन का इन्तजार करना चाहिए। उसे अभी कई राज्यों को आबंटित किया जा चुका है अब केवल दो या तीन राज्य ही शेष हैं। जब यह आवंटन हो जायेगा और आप 2,466 करोड़ रुपये के इस आबंटन को जोड़ेगें तो आप पायेंगे कि यह आबंटन कहीं अधिक है।

यदि आप सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं, जिसमें ग्रामीण विकास शामिल हैं, के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय को देखें तो आप पायेंगे कि केन्द्रीय योजना में इस क्षेत्र का व्यय 50 प्रतिशत की रिकार्ड सीमा तक बढ़ा है जबकि पिछले वर्ष यह 47 प्रतिशत था। इसी प्रकार इन योजनाओं पर होने वाले व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 1.31 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 1.25 प्रतिशत थी।

इस प्रकार इस क्षेत्र में हमने ज्यादा आबंटन किया है। यदि सदस्य यह अनुभव करें कि इस प्रकार की जानकारी उनके लिए उस समय लाभदायक होगी जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे तो मैं इसकी प्रतियां बनवाकर अगले कुछ दिनों में सभी माननीय सदस्यों में वितरित कराने को तैयार हूं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : यह सहायक होगा।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रतियां वितरित करूंगा।

आर्थिक चुनौती के बाद, जैसाकि मैंने बजट में कहा था, मूल भूत ढांचे की चुनौती है। मैं समझता हूं हम सभी यह मानते हैं कि भारत का मूल भूत ढांचा पिछड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए हम बन्दरगाहों को लें। बन्दरगाहों की कार्यक्षमता प्रतिवर्ष नौ प्रतिशत बढ़ रही है। पिछले वर्ष निर्यात 21 प्रतिशत बढ़ा और आयात 29 प्रतिशत। अब यह केवल हाईस्कूल के गणित जैसा है कि यदि आयात में 25 प्रतिशत और निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि होती है, जबकि बन्दरगाहो की वृद्धि केवल 9 प्रतिशत है तो किसी न किसी को कहीं हानि उठानी पड़ती है और ऐसा ही इस समय हो रहा है। जहाजों को बन्दरगाह से बाहर 9-10 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र में चल रहा है। ऊर्जा को ही लें वहां 20 प्रतिशत की कमी है। सड़कों की ही बात लें। हमारे यहां

केवल 74,000 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह नाम के ही राजमार्ग है ये विश्व स्तर के राजमार्ग होने चाहिएं।

कोई मोटर कम्पनी के, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडू में अपना संयंत्र लगा रही है, एक व्यक्ति ने मुजसे कहा कि एक ट्रक को मुम्बई से तमिलनाडू पहुंचने में 5 से 9 दिन तक लगते हैं। यदि हमें कुशल और कम लागत वाली कारगर पद्धति चाहिए तो माल के मुम्बई से मद्रास पहुंचने में 9 दिन लगने पर यह कैसे सम्भव है? इसमें 2 दिन से अधिक नहीं लगेंगे। यदि हमारे यहां विश्व स्तर की सड़के हों। इसीलिए हमने आर्थिक चुनौती के बाद मूल-भूत ढांचे को दूसरी चुनौती माना है।

मैं आपकी स्मृति ताजा करने के लिए शीघ्रता से कुछ बातें बताऊंगा। हमने बड़े और पूरा होने के निकट सिंचाई योजनाओं के लिए 900 करोड़ रुपये दिये हैं। मेरा विश्वास है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष और योजना मंत्री संसद के अंतिम दिन तक या उसके तुरन्त बाद इन योजनाओं की घोषणा कर देंगे हमने आर.आई.डी.एफ.-2 को 'नाबार्ड' की मार्फत 2,500 करोड़ रुपये दिये हैं। मूल ढांचा विकास वित्त कम्पनी को 5,000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे जिसको इस वर्ष 1,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी। 200 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया गया है। मूल-भूत ढांचा परियोजनाओं के लिए लागू कर मुक्ति की योजना जल सप्लाई, सिंचाई, सफाई और गन्दे पानी की निकासी की योजनाओं पर भी लागू की गई है। मूल ढांचा संबंधी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने से होने वाली आय को आयकर से छूट दी गई है और आय-कर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत 10,000 रुपये तक की और छूट दी जा रही है। हमने पैसे और नीतियों के द्वारा इतनी मदद दी हैं। मैं छः मूल उद्योगों के कार्यकरण को लेकर बहुत चिन्तित हूं। वे उद्योग है बिजली, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, कच्चा तेल, तेल शोधन और सीमेंट। अब सीमेंट अधिकतर निजी हाथों में है। पर शेष पांच उद्योग सरकारी क्षेत्र में हैं। सरकारी क्षेत्र के पांचों उद्योग घाटे पर चल रहे हैं। यदि ये इसी प्रकार चलते हैं तो हम एक मजबूत राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? इस क्षेत्र के उद्योगों की, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था में सात प्रतिशत की प्रगति होती है और उद्योगों में 9 या 10 प्रतिशत की, तो इन उद्योगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मार्गदर्शन करना चाहिए। दुर्भाग्य वश वे परम्परा से ही कम कार्य कुशलता दिखाते आ रहे हैं। मेरे पास अप्रैल, मई और जून महीनों के आंकड़े हैं, जिन्हें देखकर चिन्ता होती है। बिजली उत्पादन में पहली तिमाही में पिछले वर्ष इसी अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में केवल 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कच्चे तेल का उत्पादन 9.4 प्रतिशत गिरा है। हां कोयले में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस्पात का उत्पादन भी छः प्रतिशत बढ़ा है, तेल शोधन में छः प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, सीमेंट के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है और 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कुल मिलाकर इन छः क्षेत्रों में केवल 4.6 प्रतिशत की प्रगति हुई है, जबकि पिछले बजट की पहली तिमाही में यह प्रगति 11.8 प्रतिशत थी। यदि इन क्षेत्रों में 4 या 5 प्रतिशत प्रगति होती है तो मुझे डर है कि हम अपने प्रगति के लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों के सभी पहलुओं के कर्त्ता-धर्ता जैसे प्रबंधक, श्रमिक, ट्रेड यूनियन बैंक आदि कमर कस लें ताकि इनके कार्यकरण में सुधार हो सके। ये महत्व पूर्व क्षेत्र हैं इन्हें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए पीछे नहीं रहना चाहिए। उनकी कम कार्यकुशलता का कारण है उनको जरूरत से ज्यादा विनियमित करना। मेरे इस कथन में कुछ माननीय मित्रों को दोष नहीं ढूढ़ना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है कि हम उन विनियमों का पता लगायें जो प्रगति में रुकावट डालते हैं तथा उनमें से अनेक को समाप्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। ये उद्योग सरकारी क्षेत्र में रहें या निजी क्षेत्र में, दोनों अच्छी तरह काम करें। और यदि उन पर जरूरत से अधिक विनियम लागू किये जायें तो हमें उन विनियमों को हटाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। यह एक कारण है परन्तु अन्य कारण भी हैं जिनके कारण ये क्षमता से कम काम कर रहे हैं।

महोदय मैं कुछ शब्द पूंजी बाजार के बारे में कहना चाहता हूं। पूंजी बाजार में लगभग दो करोड़ भारतीयों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगा रखी है। शेयर खरीदने वाले लोग देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि परिवार अपनी बचत के मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय कम्पनियां और उद्यमी नई फैक्ट्री और व्यापार शुरू करने तथा उनका विस्तार करने के लिए पूंजी बाजार से ज्यादा से ज्यादा रुपया ले रहे हैं। पूंजी बाजार में उतार-चढ़ाव चलता रहता है। किसी भी बाजार के लिए सट्टा अपरिहार्य है पर हमें अपने बाजारों को कुछ स्थिरता प्रदान करनी चाहिए ताकि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। इसके लिए हमने 'सेबी' को और शक्ति सम्पन्न बनाया है। मैंने पूंजी बाजार की 1993-94 की गतिविधियों की समीक्षा की है। उस अवधि में कुछ घटिया किस्म के ईशू बाजार में आये, जिसके परिणामस्वरूप छोटे निवेशक बाजार से पलायन कर गये। मैं बेइमान दलालों और बैंकरों के खिलाफ कार्रवाही करने के लिए दृढ़ संकल्प हूं। कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है जो कुछ और किया जा सकता है, किया जायेगा। पिछले कई सप्ताह से मेरे पास ऐसे अनुरोधों की भरमार हो गई है कि मुझे पूंजी बाजार को, जो कुछ समय के लिए भारी मन्दी की चपेट में आ गया था, उभारने के लिए कुछ करना चाहिए। बाजार की स्थिति की लगातार समीक्षा करनी होती है और निगरानी

करनी पड़ती है। जादू से कोई हल नहीं निकलता। भारतीय पूंजी बाजार में अनेक ढांचागत कमियां हैं, जिन्हें मैं धीरे-धीरे ठीक करुंगा। परन्तु मुझसे बार-बार कहा गया है कि बाजार के रुख में सुधार करना आवश्यक है। इस समय मैं जो घोषणाएं करुंगा उनके पीछे बाजार को स्थिरता प्रदान करने और छोटे निवेशकों को पूंजी बाजार में वापस लाने की मेरी इच्छा है। महोदय मुझे निम्नलिखित उपायों की घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है।

(1) आय कर अधिनियम की धारा 54(ङ)(क) जो विचाराधीन वित्त विधेयक में है के अन्तर्गत पूंजी गत लाभ को टैक्स से छूट दी जायेगी बशर्ते कि उसे सी.बी.डी.टी. द्वारा अधिसूचित बांडों अथवा डिबेंचरों में तीन वर्ष के लिए लगाया जाए। मैं सभी म्युचुअल फंडों में किए गए निवेश को इसमें शमिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(2) आयकर अधिनियम की धारा 54(ङ)(ख) के अन्तर्गत, जो विचाराधीन वित्त विधेयक में हैं, पूंजीगत लाभ को कर से छूट दी जायेगी। बशर्ते ये लाभ सी.बी.डी.टी. द्वारा अधिसूचित आस्तियों में निवेश किये जायें तथा उस धन को सात वर्ष तक वहां लगा रहने दिया जाये। मैं चाहता हूं कि सभी म्युचुअल फंडों के डिबेंचरों और यूनिटों को विशेष आस्तियों में शामिल किया जाये।

(3) आयकर अधिनियम की धारा 80ठ के अंतर्गत प्रतिभूतियों में कुछ विशिष्ट निवेशों से लाभांशों और ब्याज के रूप में होने वाली आय के संबंध में छूट की सीमा 13,000 रुपये है।

कुछ वर्ष पहले इस सीमा को दो भागों में बांटा गया था। मैं इसे फिर से दो भागों में बांटने का प्रस्ताव करता हूं। मैं छूट की सीमा को 15,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, परन्तु इसे 12,000 रुपये और 3,000 रुपये के दो भागों में बांटता हूं। 3,000 रुपये की सीमा शेयरों और म्युचूअल फन्ड में किये गये निवेश से होने वाली आय के लिए निर्धारित है। यू.टी.आई. और म्युचूअल फन्डों को इससे प्रसन्नता होगी।

(4) निजी व्यक्ति, भारतीय कम्पनियां और विदेशी कम्पनियां 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत लाभ देती हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि समानता के ख्याल से मैंने बजट भाषण में समान दर की घोषणा की थी। पर उस समय साझेदारी वाली फर्में मेरे ध्यान में आने से रह गयी थी। इन फर्मों को 30 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होता है। इस भेद-भाव को दूर करने के लिए मैं साझेदारी वाली फर्मों के पूंजीगत लाभ को वर्तमान तीस प्रतिशत से घटाकर बीस प्रतिशत कर रहा हूं।

(5) कुछ स्टॉक एक्सचेंजों ने निवेशक संरक्षक कोष बनाये हैं। ऐसे कोष बनाना अच्छा है और हमें इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे कोषों को आयकर से छूट देता हूं बशर्ते की इनसे होने वाली आय को पुनः उसी में लगा दिया जाये। इस संबंध में आयकर अधिनियम में उचित उपबन्ध किया जायेगा।

(6) माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक शेयरों और डिबेंचरों की सिक्योरिटी पर व्यक्तियों द्वारा बैंक की वर्तमान पांच लाख की लिमिट को दस लाख तक बढ़ाने की घोषणा अलग से कर रहा है।

(7) मैं चाहता हूं कि भारतीय ब्रोकर और अधिक कम्पनियाँ बनाएं। ब्रोकरों के और अधिक संख्या में कम्पनियाँ बनाना राष्ट्रीय हित में है। हमें ब्रोकरों को कम्पनी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ब्रोकरों के इन कम्पनियों पर कम्पनी कानून का अनुशासन भी लागू हो सकेगा। मैं शीघ्र ही बड़े ब्रोकरों और उनकी फर्मों को उस योजना पर चर्चा करने के लिए बुला रहा हूं, जिसके अन्तर्गत ब्रोकरों को पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में बदला जा सके। मुझे आशा है कि बातचीत के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

(8) मेरा यह विश्वास है कि स्टाक बाजार में बड़े खरीददारों के संगठन होने चाहिए। अन्यथा वित्तीय संस्थानों के लिए मैदान खुला होगा। जब तक नई संस्थाओं का इस क्षेत्र में आगे नहीं आती तब तक यू.टी.आई. और एल.आई.सी. को बड़ी जिम्मेदारी उठाते रहनी होगी। इन संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है तथा इन्हें पेशेवर बनाया जायेगा, ताकि वे इक्विटी बाजार में कारगर और जिम्मेदार भूमिका निभा सकें। मैं एल.आई.सी. और यू.टी.आई. के बोर्डों से इस लक्ष्य को पाने के लिए उपाय करने को कहुंगा।

(9) अपने बजट भाषण में मैंने प्रत्येक वित्तीय संस्था द्वारा कम्पनी में निवेश की सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। वित्तीय संस्थाओं को अपनी कुल निधि के 30 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है। कुछ वित्तीय संस्थाएं ऋण निधि बनाना चाहती है। और अधिक ऋण निधियों को बाजार में आने के लिए आकर्षित करने के वास्ते वित्तीय संस्थाओं को अपनी निधि के 100 प्रतिशत तक ऋण-पत्रों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके बारे में ब्यौरा बाद में 'सेबी' द्वारा घोषित किया जायेगा। ऐसा करने से स्टाक बाजार छोटे निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक हो जाएगा।

मैं, अब केवल एक या दो बात और कहना चाहता हूँ। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई सहायता बजट के आंकड़ों से स्पष्ट है। पिछले वर्ष योजना मद के अन्तर्गत 6,418 करोड़ रुपये इन उपक्रमों के लिए रखे गए थे। इस वर्ष बजट में 6,870 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष गैर योजना ऋणों के अंतर्गत 1184 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष हम 1270 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे

हैं। राष्ट्रीय कृत बैंकों के पूंजीकरण के लिए पिछले वर्ष 851 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष इस मद में 909 करोड़ रुपये रखे गये हैं। पिछले वर्ष इन सब मदों के अंतर्गत 8,453 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष यह राशि 9049 करोड़ रुपये है।

अपरान्ह 5.00 बजे

यह बात मानने का कोई कारण नहीं है कि जहां आवश्यक होगा, जहां पी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्देशित होगा और न्यायोचित होगा वहां आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी। यदि न्यायोचित होगा जो मैं बजट सहायता अवश्य दूंगा। परन्तु हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटे पर चलने के लिए इसलिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि वित्त मंत्री आर्थिक सहायता दे देंगे।

रक्षा व्यय के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा के लिए पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी विचार धारा या दलगत राजनीति से ऊपर है। हमें रक्षा की आवश्यकता को लेकर कभी आपत्ति नहीं होगी। परन्तु हमें यह नहीं मानना चाहिए कि रक्षा की अच्छी व्यवस्था का अर्थ अधिक धन देना है जैसाकि यह मार्क्सवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा है अच्छी रक्षा व्यवस्था वित्त पोषण से कहीं ऊपर है। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था एक अच्छी विदेश नीति है, पड़ौसी संबंधों की अच्छी नीति है और अच्छी व्यापार नीति है। हमें एक अच्छी विदेशी नीति, अच्छी व्यापार नीति और अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने की नीति बनानी चाहिए इसके साथ ही रक्षा सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति भी होनी चाहिए। मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि यदि रक्षा सेनाओं को अधिक धन की आवश्यकता होगी तो उन्हें वह दिया जायेगा। मैं अपने इस वादे पर दृढ़ हूं। संयुक्त मोर्चा सरकार का यह वादा है।

हम आंकड़ों की ओर देखें। रक्षा व्यय को राजस्व और पूंजी दो भागों मे बांटा जा सकत है। 1995-96 में रक्षा के लिए 25,500 करोड़ रुपये रखे गये थे। परन्तु जब तक वर्ष समाप्ति पर आया रक्षा व्यय बढ़कर 26,878 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष रक्षा कार्यों के लिए बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान में 1378 करोड़ रुपये अधिक दिये गये। इस वर्ष मैंने उन्हें अतिरिक्त राशि दी है जो 26,878 करोड़ रुपये से बढ़कर 27,798 करोड़ रुपये हो गयी है। सदस्य बी.ई. से आर.ई. में की गई वृद्धि को देख रहे हैं। पिछले वर्ष रक्षा व्यय के लिए 1300 करोड़ रुपये अधिक दिये गये थे। इस वर्ष के दौरान यदि रक्षा के लिए और अधिक धन की आवश्यकता हुई तो और अधिक धन दिया जायेगा। परन्तु मैं चाहता हूं कि आप रक्षा के पूंजी व्यय की ओर देखें। 1995-96 में रक्षा पर 7,354 करोड़ रुपये पूंजी व्यय हुआ था। बाद में यह बढ़कर 8,044 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष इस मद के लिए 8,944 करोड़ रुपये रखे गये हैं। जो पूंजी व्यय में 900 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार यदि आप वृद्धि के प्रतिशत को देखें तो रक्षा के पूंजी व्यय में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद और रक्षा पूंजी व्यय का प्रतिशत 0.7 ही रहा। राजस्व व्यय को कम किया गया है, परन्तु यदि रक्षा को राजस्व और पूंजी व्यय के लिए और अधिक धन की आवश्यकता हुई तो हम उसे उपलब्ध करायेंगे। रक्षा को पर्याप्त धन उपलब्ध करने कि हमारे वादे के संबंध में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

अन्त में मैं विज्ञान और टैक्नोलॉजी के बारे में ...(**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में एक ज्ञापन दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : वह करों के संबंध में है। उसका उत्तर मैं वित्त विधेयक पर बहस के दौरान दूंगा।

बजट में विज्ञान और टैक्नोलॉजी के लिए 1995-96 में 1,876 करोड़ रुपये रखे गये थे। इस बजट में इसके लिए 2,124 करोड़ रुपये रखे गये हैं। विज्ञान और टैक्नोलॉजी के पूंजी व्यय के लिए पिछले बजट में 211 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी इस बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि करके 236 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वही है जो पिछले वर्ष था। इस वर्ष हमने तीन नई बातें की हैं। पहली यह है कि हमने टैक्नोलॉजी विकास बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। इसकी मांग लम्बे समय से की जा रही थी। दूसरे टैक्नोलॉजी विकास कोष से हमने 30 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं, जबकि अंतरिम बजट में 10 करोड़ रुपये का ही प्रावधान था। हमारी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सी.एस.आई. आर. और आई.सी.ए.आर. प्रयोगशालायें, जो आय करेंगी उसके बराबर रुपया उन्हें और दिया जायेगा।

प्रधान मंत्री ने सी.एस.आई.आर., भारत के सभी प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, जिनमें सभी प्रयोगशालाओं के प्रमुख शामिल थे, के साथ एक बैठक की। बैठक में भाग लेने वालों को धन्यवाद देने के साथ-साथ यह वादा भी किया कि जो व्यवसायिक आय वे करेंगे उसके बराबर रुपया उन्हें बजट से और दिया जायेगा। हमारे वैज्ञानिक व्यवसायिक आय के प्रति अत्यधिक विश्वस्त और उत्सुक हैं।

मैंने प्रधान मंत्री के सामने अपने इस वादे को दोहराया था और अब मैं फिर संसद के सामने यह वादा करता हूं कि हमारे वैज्ञानिक विज्ञान पर जितना चाहें उतना खर्च करें और प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक विज्ञान में इसे परिवर्तित करे। वे उद्योग और कृषि के क्षेत्र में कार्य करें और वे जितने चाहें उतने पेटेन्ट करायें। भारत

ने अमेरिका और जापान जैसे देशों में अपने पेटेन्ट रजिस्टर कराये हैं। उन्हें उनके संबंध में विश्वास है। केवल तीन दिन पहले ही विदेश में एक भारतीय पेटेन्ट हुआ है। उनका कहना है कि वे इस साल और अगले साल विज्ञान और टैक्नोलॉजी के वाणिज्यिकरण से काफी रुपया कमायेंगे। जो भी रुपया वह इस प्रकार कमायेंगे उसी के बराबर बजट से उन्हें अतिरिक्त रुपया दिया जायेगा। और आप देखेंगे कि वर्ष के अन्त तक विज्ञान और टैक्नोलॉजी को सरकार से इतना अधिक प्रोत्साहन मिलेगा जितना कि पहले कभी नहीं मिला था। इसके लिए हम वचनबद्ध है। मैंने इंडिया टुडे या शायद बिजनेस टुडे में एक लेख पढ़ा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बजट प्रावधानों पर था। उसका शीर्षक था "वट दी डाक्टर आडरड"। हम वैज्ञानिकों की मांग पर ऐसा कर रहे हैं। वे विज्ञान टैक्नोलॉजी और अनुसंधान का वाणिज्यिकरण करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हम उन्हें वैसी ही मदद दें। हम उन्हें प्रत्येक रुपये के बदले एक और रुपया टैक्नोलॉजी विकास कोष से देंगे।

डा. असीमबाला (नवद्वीप) : इस मद पर सरकारी क्षेत्र के अधिकतर उपक्रम और निजी क्षेत्र भी बहुत कम खर्च करते हैं। इसलिए सरकार को अनुसंधान और विकास पर अधिक रुपया खर्च करना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय में यह कहकर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि हम अधिक पैसा उपलब्ध करायेंगे, क्योंकि हमारी क्षमता है। यदि हम सात से आठ प्रतिशत तक प्रगति लगातार करते चलते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ती रहेगी। हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर और अधिक खर्च कर सकते हैं। हमारे इन अतिरिक्त प्रयासों का व्यापक तौर से स्वागत किया जाना चाहिए।

हम ही पहली बार बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर 2,466 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यदि हम इस रास्ते पर चार से पांच साल तक चलते रहे, यदि हमारे सभी राज्यों में कुशलतापूर्वक खर्च किया, तो आप देखेंगे कि वर्ष 2000 ई. तक हमारे सभी गांवों में कम से कम सभी बुनियादी सेवायें उपलब्ध हो जायेंगी।

श्री संतोष मोहन देव : यदि उन्होंने पैसे को इन मदों पर नहीं लगाया तो आप क्या करेंगे? ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : हमारी दूसरी प्रमुख पहल यह है कि हमने खाद्य सब्सिडी अथवा उर्वरक सब्सिडी के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। इसके विपरीत हम विभिन्न उर्वरकों को 2,266 करोड़ रुपये की अधिक सब्सिडी देंगे। मूलभूत ढांचे और सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक व्यय कर रहे हैं। सामाजिक सेवाओं पर हमने जोर दिया है और ऐसी किसी भी योजना के बारे में अपने वादे को पूरा करने में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने चाहा है।

हमने राष्ट्रीय महत्व की किसी भी ऐसी योजना को लागू करने के अपने वादे को निभाया है जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पिछली सरकार के दौरान महत्वपूर्ण समझी गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई योजनाओं को रुपया देने से हमने मना नहीं किया है। प्रत्येक योजना को रुपया दिया गया है। हमने यह नहीं माना है कि पिछली सरकारें हमारी विरोधी थीं और हमें उनके वादों को पूरा नहीं करना चाहिए। इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, ग्रामीण विकास आदि योजनाओं को पन्द्रह साल पहले राष्ट्र ने स्वीकार किया था। हम इनके प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपना रहे हैं। हम इन्हें चालू रखने में विश्वास रखते हैं। आने वाली सरकारों को भारत के गरीबों द्वारा अपने लाभ के लिए स्वीकार की गई इन योजनाओं को चालू रखना चाहिए। इस संबंध में हमने कोई समझौता नहीं किया है।

हमने कुछ पहल की है, जैसे कि हर नई सरकार को करनी चाहिए। हमने कुछ नए कदम भी उठाये हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की जनता ने आमतौर पर बजट का स्वागत किया है और उसे स्वीकार किया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना दिशा निर्देश देना और समर्थन करना जारी रखें। वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए मैं कर संबंधी मामलों पर प्रकाश डालूंगा ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनें।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : केरल की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री जेविपर अराकल (एरणाकुलम) : वित्त विधेयक पर उत्तर देते समय आशा है आप सीमा शुल्क संबंधी हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आज करना है। हम ऑलरेडी काफी एक्रोचमेन्ट कर चुके हं। मैं एलाऊ करूंगा मगर यह डिबेट नहीं होगी।

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : हमें एक अच्छा भाषण सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है और बह मैं उनसे पूछना चाहता हूं. मैं यह प्रश्न गलती निकालने के लिए नहीं वरन एक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछ रहा हूं अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वे सरकार की नीतियों के बारे में बतायेंगे। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार सामाजिक न्याय के साथ-साथ प्रगति चाहती है। हम यह स्वीकार करते हैं कि यह एक अच्छा सिद्धान्त है। पर इसमें कहीं कुछ छूट गया है और मैं उसी छूटे हुए सम्पर्क सूत्र के बारे में

जानकारी चाहता हूं। प्रगति हम चाहते हैं और उसका स्वागत करते हैं। सामाजिक न्याय भी हम चाहते हैं और उसका भी स्वागत करते हैं, पर क्या हम आर्थिक न्याय की ओर कोई ध्यान नहीं देने जा रहे हैं? क्या हम यह भूल गये हैं कि आर्थिक न्याय भी कुछ है? यदि आर्थिक न्याय का कोई अर्थ है और उसका हमारे लिए कोई महत्व है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? अथवा क्या सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही आर्थिक न्याय भी आ जाता है? यदि उत्पादक को उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता है और उपभोक्ता को बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता है तो सामाजिक न्याय कहां है? यदि बाग में शरीफा पचास पैसे में बिकता है और दिल्ली में यह 20 रुपये के भाव बिकता है तो क्या यह आर्थिक न्याय है? यदि देश के सभी भागों मे समान औद्योगीकरण नहीं होता है तो क्या हम आर्थिक न्याय की ओर ध्यान दे रहे हैं? यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए या नहीं?

यह सरल काम नहीं है, परन्तु इस ओर प्रयत्न किया जाना चाहिए। ऐसी नीति होनी चाहिए ताकि आर्थिक न्याय दिया जा सके। यदि हम इसे भूलते हैं तो देश के बहुत से लोगों को परेशानी होगी।

श्री जेवियर अराकल : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क के बारे में कुछ नहीं कहा है ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने कहा है कि वित्त विधेयक पर बोलते समय में इसके बारे में कहूंगा।

श्री जेवियर अराकल : मैं जानता हूं कि आपने यह कहा था हम आपका भाषण शान्ति से सुन रहे थे।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इस बारे में चुप्पी नहीं साध रहा हूं। मैं जोर देकर यह कह रहा हूं कि वित्त विधेयक पर बोलते समय मैं इस पर प्रकाश डालूंगा।

श्री जेवियर अराकल : यह सही है। इसीलिए मैंने कहा "मैं उस मुद्दे को उठाऊं जिस पर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में प्रकाश नहीं डाला है।" इसका हमारे घरेलू उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? इसका सरकार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उदाहरण के लिए हम कोपराइलेक्टम उत्पादों पर सीमा शुल्क कम किये जाने को लें। इसका हमारे घरेलू उत्पादों पर क्या असर पड़ेगा? हम इसके बारें में सरकार की नीति जानना चाहेंगे। मैं यही सब जानना चाहता हूँ, वित्त विधेयक का पूरा विवरण नहीं। कृपा करके इस बारे में हमें जानकारी दें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन सब पर सोमवार को चर्चा कर सकते हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं मंत्री महोदय को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि फोर्ड कम्पनी को एक कार बम्बई से तमिलनाडु पहुँचाने में 6 महीने का समय लगता है। बजट में सड़क परिवहन को प्राथमिकता दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि इस मद में 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वे भारत में सर्वोत्तम सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार करने जा रहे हैं, जिससे परिवहन की समस्या हल हो सके?

[हिन्दी]

श्री कल्लप्पा आवाडे (इचलकरंजी) : उपाध्यक्ष होदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं, मोडवेट का स्टेटमेंट तीन तारीख को दिया गया है। उसमें सूती कपड़े के बारे में और अन्य कपड़े के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि सूती वस्त्रों के संबंध में अदा किये गये शुल्क में 50 प्रतिशत की दर से मोडवेट क्रेडिट जारी रखने का प्रस्ताव करने का प्रस्ताव भी करता हूं, किन्तु अन्य सभी वस्त्रों में इस प्रतिशत को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब यह है कि सूती कपड़े के लिए 50 प्रतिशत हैं और अन्य कपड़े के लिए 70 प्रतिशत है।

हमारे अलग-अलग स्टेट्स में बहुत से लोग जो प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं, प्रोसेस से डैलीगेशन चलाते हैं, उस प्रोसेस के लोगों पर उस सूती कपड़े के बारे में जो 50 प्रतिशत चार्ज किया गया है, वह 70 या 80 परसेंट होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं कि 70 परसेंट अन्य कपड़े के लिए किया है। वह सूती कपड़े के लिए भी जारी होना चाहिए, यह मेरी मांग है। बहुत से प्रोसेस हर स्टेट में आज इसी के कारण से बन्द हैं। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि जो 70 परसेंट अन्य कपड़े के लिए किया है, वह सूती कपड़े के लिए भी जारी करने का विचार इस बजट में किया जाय।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : वित्त मंत्री ने अधिकतर विषयों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने मूलभूत ढांचे पर विशेष रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं। उसे उन्होंने निश्चय ही पर्याप्त महत्व दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश के विभिन्न राज्यों में मूल भूत ढांचे के असंतुलति विकास को दूर करने के लिए उनकी क्या योजना है? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके विकास के बिना निवेश नहीं होंगे। कुछ राज्यों तक निवेश

का सीमित रहने का कारण है, सभी राज्यों में मूल भूत ढांचे के विकास की कमी। यदि आप इसमें सामान्य रूप से बढ़ावा देंगे तो अधिक विकसित राज्य और विकसित हो जाएंगे तथा पिछड़े राज्य पीछे ही रह जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस अन्तर को समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाई है, ताकि सामाजिक न्याय मिल सके?

मैं मंत्री महोदय को विज्ञान और टेक्नालाजी पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं उनसे इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ कि देश में जो भी अनुसंधान और विकास का कार्य होता है वह सरकारी एजेन्सियों तक ही सीमित है। निजी क्षेत्र इसमें कोई पैसा खर्च नहीं करता। यदि कुछ खर्च करते भी है तो वह उनकी आय का एक मामूली का भाग होता है। अधिकतर विकासशील और विकसित देशों में अनुसंधान और विकास पर निजी क्षेत्र काफी धन व्यय करते हैं। उन्हें इस कार्य पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्द्धा के इस युग में यह राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। क्या इसके लिए आपकी कोई योजना है?

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को उस मूल दर्शन और मूल सिद्धांतों के लिए बधाई देता हूँ, जिनके आधार पर उन्होंने वर्तमान बजट प्रस्ताव तैयार किये हैं। पर उनके वक्तव्य में एक कमी रह गई है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वित्त मंत्रालय क्षेत्रीय असंतुलन को किस प्रकार दूर करेगा। मैं पूर्व अध्यक्ष के इस कथन से सहमत हूँ कि कुछ क्षेत्र पहले ही विकसित हैं तथा कुछ लम्बे समय से पिछड़े हुए हैं।

यदि इस बजट को पूरी तरह से लागू किया जाता है तो पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही रह जाएंगे। कुछ पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए शून्य कर, परिवहन सब्सिडी आदि जैसी कुछ सुविधाएं दी गई थीं। परन्तु इस बजट में इन सबको समाप्त कर दिया गया है। हमें इस बजट मे कोई ऐसा प्रोत्साहन दिखाई नहीं देता, जिससे पिछड़े क्षेत्र विकसित क्षेत्रों के बराबर आने में सक्षम हो सकें।

कुछ योजनों जो पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक न्याय देने के लिए बनाई गई है, मूलभूत ढांचे के अभाव, भौगोलिक स्थिति और खाद्यान्न जैसे अनेक समस्याओं के कारण लागू नहीं की जा सकती। जब तक इन क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम नहीं बनाए जाते, ये क्षेत्र, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य, कभी विकसित नहीं हो सकते और न ही वे देश के अन्य भागों के बराबर आ सकते हैं ..(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, ऐसे तो डिबेट हो जायेगी।

श्री एस. पी. जायसवाल (वाराणसी) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर है। उसकी आबादी को देखते हुए, और प्रदेशों की तुलना में वहां पर ग्रामीण विकास के लिए जो धन आबंटित किया गया है और वहां पर गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं, इन सबको देखते हे उसके साथ क्या आर्थिक न्याय हुआ है, यह वित्त मंत्री जी को देखना चाहिए। वहां पर पशु चिकित्सालय के लिए राशि का प्रावधान किया गया, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए राशि का प्रावधान किया गया, जूनियर विद्यालयों के लिए राशि का प्रावधान किया गया, कूप बनाने की योजना है, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की योजना है, इन सब का आधार आबादी के आधार पर आधारित है और उस हिसाब से वहां राशि की अलाटमेंट की बात जहां शासन ने स्वीकार की है, क्या वहां वास्तव में उसी हिसाब से आबंटन किया गया है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्पीच न करें, केवल प्रश्न पूछे, नहीं तो यह डिबेट हो जाएगी।

श्री एस. पी. जायसवाल : इसलिए आर्थिक न्याय भी होना चाहिए। प्रदेश का बड़ा होना उसके लिए अभिशाप न बने इसलिए और प्रदेशों की तुलना में उसको अधिक धन अलाट होना चाहिए। क्या आप उसको सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय कहना चाहंगे जो अभी वहां की स्थिति है। इसलिए मेरा कहना है कि वहां पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इसका जबाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जवाब दीजिए। डिबेट बढ़ती जा रही है। क्या आप उनका उत्तर देना चाहते हैं।

...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जी नहीं, वित्त विधेयक पर बोलते समय मैं उनका उत्तर दूँगा ..(**व्यवधान**) महोदय, मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में एक घोषणा करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके बिना बोले जवाब आ गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उनके आने का इन्तजार कर रहा था। वे यहां नहीं थे इसलिए मैंने उस समय घोषणा नहीं की। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि योजनाओं में हम स्थानीय प्रशासन को पदों

का सृजन करने और उन्हें भरने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी में अन्तर इस कारण है कि पांडिचेरी का अपना संचित निधि है, तथा कुछ तकनीकी नियम आड़े आते हैं। पर मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयोजना स्कीमों की स्वीकृति के समय ही पदों के सृजन की भी स्वीकृति दे दी जाएगी, ताकि उसके लिए उन्हें फिर हमारे पास न आना पड़े।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हम श्रेणी 'ग' और 'घ' के पदों के सृजन और उन्हें भरने का अधिकार प्रशासक को दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह) : श्रेणी 'क' और 'ख' के बारे में क्या होगा। ...(**व्यवधान**)

श्री पी. चिदम्बरम : हम बाद में उस पर विचार करेंगे। मैं इतना ही कर सकता हूँ। ..(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : एम. पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट का अपने कहा था कि हम दो करोड़ रुपया बढ़ाएंगे। उसके बारे में आपने क्या किया है? ..(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : यह मामला माननीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है और हम उनका निर्णय मानेंगे।

अपरान्ह 5.28 बजे

अनिवार्य शिक्षा विधेयक–डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की मद संख्या 46 को लेते हैं।

श्री सुखदेव पासवान................. अनुपस्थित

श्री नवल किशोर राय

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया है। माननीय सदस्य टी. सुब्बारमी रेड्डी जी ने बहुत ही अच्छा विधेयक सदन के सामने रखा है, उन्हें में बधाई देना चाहता हूं कि उनके विधेयक के आने पर ही मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। यह विधेयक शिक्षा अनिवार्य करने के बारे में है। जो हमारे देश की स्थिति है, अभी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के 52 फीसदी लोग साक्षर बताए जाते हैं. लेकिन मेरा मानना है कि 52 फीसदी नागरिकों को साक्षर करने का डॉटा है लेकिन जिसे हम शिक्षित कह सकते हैं, उनकी संख्या 18 फीसदी है। 52 फीसदी साक्षरों में केवल 18 फीसदी शिक्षित हो पाए हैं और जो स्थिति है, शिक्षा के मायने में जो खर्च हो रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय असंतुलन है।

माननीय मानव संसाधन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि शिक्षा में प्रति व्यक्ति खर्च उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 96 रुपये से 113 रुपये तक हो रहा है, जबकि कर्नाटक और केरल में 160 रुपये से 184 रुपये तक खर्च हो रहा है।

इस विधेयक पर अपने विचार रखते हुए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए। उत्तर भारत के सबसे पिछड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े राज्य हैं, जब तक इन राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक हम सबको एक समान शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

महोदय, सरकार द्वारा सबको शिक्षित करने की बात कही जा रही है और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है–सार्वभौमि साक्षरता, यानि सन् 2000 तक देश के सभी लोगों को साक्षर करना चाहते हैं। हम आपके जरिये बताना चाहते हैं कि 1950-51 में अपने देश में 2 लाख 29 हजार प्राथमिक विद्यालय थे और आज उनकी संख्या बढ़ कर 5 लाख 73 हजार हो गई है। देश में विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सरकार को उनकी स्थिति के बारे में भी देखना चाहिए। यदि सरकार निश्चित रूप से सर्वेक्षण कराए, तो देखेगी कि आधे से अधिक विद्यालय भूमिहीन हैं, भवनहीन हैं, बोडर्स तक की सुविधा नहीं है। इसके विपरीत प्राइवेट शिक्षण संस्थायें कालीन पर कुर्सियां लगाकर पढ़ाई कराते हैं, जिसमें ऊंचा खर्च पड़ता है। इस प्रकार की रईसी शिक्षण संस्थायं बढ़ती जा रही हैं। जब यह स्थिति होगी, तो गरीब के बच्चे उन शिक्षण संस्थाओं में नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस विधेयक की आवश्यकता हुई। इस देश में प्राथमिक शिक्षा को समान करने की आवश्यकता है। मैं आपके जरिए सरकार के उन कामों का स्वागत करना चाहता हूं कि सरकार ने जो बुनियादी कार्यक्रम है, न्यूनतम कार्यक्रम हैं, उसमें प्राथमिक शिक्षा को अवव्ल दर्जे पर रखा है। माननीय मंत्री जी ने देश में एक समान शिक्षा करने के लिए राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और उसमें प्राथमिक शिक्षा पर काफी खर्च करने का एलान किया। उनके इस एलान का हम स्वागत करते हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 12वीं तक शिक्षा को

मुफ्त कर देना चाहिए। जब 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त होगी, तब जाकर ही गरीब के बच्चे शिक्षित हो पायेंगे।

सरकार द्वारा एक सैम्पल सर्वे कराया गया था। उस रिपोर्ट के अनुसार देश में विद्यालयों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन विभिन्न वर्गों में छात्रों की संख्या कम होती गई है। पहले वर्ग से पांचवें वर्ग तक शिर्फ 100 में से 63 विद्यार्थी ही रह जाते हैं और बाकी विद्यालय जाना बन्द कर देते हैं। पहले से आठवें वर्ग तक छात्रों की संख्या गिर कर 100 में से 47 रह जाती है। इस प्रकार यदि हम सन् 2000 तक स्थिति को देखें, तो स्थिति बिल्कुल विपरीत होगी। इसलिए जब तक नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करेंगे, तो 2000 ई. तक सब को साक्षर करने का भारत सरकार का सपना खोखला रह जाएगा। इसलिए हम आपके जरिए सरकार से कहना चाहते हैं कि 12वीं तक शिक्षा को निः शुल्क और एक समान करना चाहिए। यह सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण सवाल है। जो निजी क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, रईसीकरण बढ़ रहा है, एक साल में 50 हजार रुपये बोर्डिंग सहित खर्च हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। इन विद्यालयों में केवल बड़े-बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। इसलिए यह प्रयास होना चाहिए कि इस रईसीकरण को रोका जाए, ताकि रईसीकरण कम हो। तभी गरीब विद्यालय में जा सकता है। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, समाहर्ता हो, सरकारी पदाधिकारी हो या लोक सेवक हो। सबके बच्चों को एक सम्मान प्राथमिक शिक्षा मिले और सभी के लिए एक ही विद्यालय हो तभी इसमें हम सुधार कर पाएंगे।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। हमारे देश में जो 52 फीसदी साक्षरता के फीगर्स आते हैं इनमें केवल 18 फीसदी ही शिक्षित हो पाते हैं। इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा करा कर 12वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और समान करना चाहिए, यह हम आपके जरिये कहना चाहते हैं।

महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। हमारे देश में जो शिक्षा का माहौल है, जिस प्रकार से हम शिक्षा देते हैं, जिस प्रकार से हम पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था करते हैं उसमें बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3.79 करोड़ बेरोजगारों के नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज है, जबकि मेरा दावा है कि सभी शिक्षित बेरोजगार दफ्तर में अपने नाम दर्ज नहीं करा पाते हैं। उनकी संख्या निश्चित रूप से इससे दुगुनी होगी। इसी प्रकार से गांवों में भी शिक्षित बेरोजगारों की काफी संख्या है, जिनका नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज नहीं हो पाता है। हमारी शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं है, इसे रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए तथा नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हमारे देश की आबादी में 11 फीसदी लोग हस्तशिल्प पर आधारित है। कोई कुंभकारी का काम करता है, लौहारगिरी का काम करता है तथा कोई कास्तकारी का काम करता है, टोकरी बनाने का काम करता है। गांव के छोटे कारीगर के घर में जो जन्म लेता है, ऐसे लोगों की संख्या 11 फीसदी है। उनके बच्चे विद्यालय में नहीं जा पाते हैं और बालपन से ही कालीन बनाने के, टोकरी बनाने के, कास्तकारी का सामान बनाने के, लौहारगिरी करने के काम में, अपने माता-पिता के साथ सीखने का काम करते हैं।

महोदय, मैं आपके जरिये इस विधेयक पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव करना चाहता हूँ। यहां माननीय मानव संसाधन मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हस्तशिल्प कला को शिक्षा में लेना चाहिए। इसको शिक्षा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 11 फीसदी हमारे देश की जो आबादी है वह गरीबों की आबादी है। गांवों में रहने वाले जो गरीब हैं वही हस्तशिल्प कला पर निर्भर होते हैं। अभी जिस प्रकार से विदेशों में अमेरिका इत्यादि में हमारे जो कालीन बनाने वाले बच्चे हैं उनको बाल मजदूर की चर्चा करके रोकने का काम किया जाता है, इसको समाप्त करना चाहिए। इन तमाम कालीन बनाने वाले, कास्तकारी का काम करने वाले, लौहरगिरी का काम करने वाले, कुंभकार का काम करने वाले, बुनकर का काम करने वाले, ये जो 11 फीसदी हस्तशिल्प पर आधारित लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा में सम्पादित करके, शिक्षा से जोड़ कर, उसको रोजगार उन्मुख शिक्षा का नाम देकर देश में एक हस्तशिल्प कला विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि प्रथम क्लास से लेकर एम. ए. तक की डिग्री तथा अन्य सभी डिग्रियां इस विश्वविद्यालय से दी जाएं और जो बच्चे हस्तशिल्प पर आधारित हैं उनको शिक्षा में समाहित करके रोजगार से जोड़ते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, यह हम आपसे कहना चाहते हैं।

महोदय, हम लोक युवा संगठन चलाते हैं। अभी हमने सम्मेलन किया था उसमें माननीय मानव संसाधन मंत्री जी को भी आमंत्रित किया था। हमने उनका ध्यान हस्तशिल्प कला विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव की ओर खींचा था। आज मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं आपके जरिए उन सवालों को इनके सामने रखना चाहता हूं। हम इनसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि यह घोषणा करें और देश में हस्तशिल्प कला विश्वविद्यालय की स्थपाना करा कर उसमें रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था कराने का काम करें। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि देश में जो बच्चों के पढ़ने-लिखने का सवाल है, जो शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का सवाल है इसमें व्यापक बहस की जरूरत है। पहले की जो युवा नीति है, पहले से जो युवा नीति एक-दो पृष्ट की है, जिसमें रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात नहीं है उसको बदलने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिये अनुरोध करना चाहता हूं कि

देश में शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए, युवकों की नयी नीति बनाने के लिए नेशनल कंसलटेशन किया जाना चाहिए और उसमें देश के सभी युवा संगठनों को बुलाना चाहिए।

मैं युवा जनता दल का अध्यक्ष हूँ लेकिन और भी पार्टियों के युवा संगठन हैं। उन युवा और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को, विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के प्रतिनिधियों को, युवाओं और छात्रों के ऊपर जो कॉलम लिखने वाले पत्रकार हैं, ऐसे सब लोगों को इसमें बुलाया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के या स्वतंत्र लोगों को, एन.जी.ओ. में जो लोग युवाओं और छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित होते रहते है उन्हें भी इसमें बुलाया जाना चाहिए और सहमति के आधार पर देश में एक नयी युवा नीति की घोषणा करनी चाहिए। जो बिल श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी लाए हैं उसमें 12वीं कक्षा तक सम्मान और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से हस्तशिल्प कला विश्वविद्यालय की स्थापना और 12वीं तक शिक्षा को अनिवार्य और समान बनाये जाने का आग्रह करता हूं, साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि नयी युवा नीति की घोषणा शीघ्र की जाए जिससे शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का कार्य हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा लाये गये अनिवार्य शिक्षा विधेयक 1996 का स्वागत करता हूं और उनका इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे अनिवार्य शिक्षा विधेयक इस सदन में लाए हैं। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय जिस प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क देने के लिए पूर्ण रूप से इस देश को आश्वस्त किया था, लेकिन आज 50 वर्ष के बाद भी हम वह शिक्षा नहीं दे पाए हैं। हमारे शासकों का देश की जनता के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ और क्या हो सकता है, इससे बढ़कर इस देश की विडम्बना और क्या होगी। मान लेते हैं कि देश की आबादी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या की दृष्टि से देश का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है लेकिन यदि प्राथमिक शिक्षा की तरफ शुरू से ही ध्यान दिया जाता तो यह नौबत न आती जो आज आई है कि साक्षरता के अंदर हमारा देश सब देशों की सूची में सबसे नीचे है। यह देखकर हमारा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। सुब्बारामी रेड्डी जी 14 साल की जगह इस उम्र को 16-17-18 साल तक ले गए हैं और 12वीं कक्षा तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि आप 6 साल से 14 साल तक ही पहले कहते और जोर देते कि यह होना चाहिए। उसके बाद में इसे आगे बढ़ाते। यही अच्छा होता अगर पहले 10+2 को ही अनिवार्य बनाते तो यह बात समझ में आती। कहीं ऐसा न हो कि यह एक काल्पनिक मृगतृष्णा ही रह जाए।

यह हर्ष का विषय है कि पहली बार बजट में शिक्षा के लिए 3 प्रतिशत की जो सीमा-रेखा थी वह टूटी है और इसे धीरे-धीरे 6 प्रतिशत की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह जो 6 प्रतिशत का प्रयास किया जा रहा है यह भी आटे में नमक के बराबर है।

विश्वविद्यालय की शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, सीनियर सेकेंडरी शिक्षा, केन्द्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, संस्कृत की शिक्षा, गुरुकुलों को सहायता देने का काम, प्रौढ़ शिक्षा का काम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शिक्षाकर्मी योजना, लोक जुम्बिस योजना, तो फिर प्राथमिक योजना के लिए कितना है? आप 50 प्रतिशत की बात कह तो रहे हैं लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है। आज प्राथमिक शिक्षा की स्थिति गांवों के अंदर आप देखें। प्राथमिक पाठशालाओं की छतें टपकती होती हैं। वहां कक्षाएं हैं पांच और कमरा होता है एक और एक-एक कक्षा के अंदर मान लो कि 20-20 लड़के भी हुए तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कई बच्चे पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं अथवा जिस दिन वर्षा होती है या ज्यादा ठंड पड़ती है तो छुट्टी कर दी जाती हैं। ऐसे समय में बच्चों की शिक्षा कैसी होगी। मैं रेड्डी साहब के अनिवार्य शिक्षा विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन प्रार्थना करता हूं कि पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिक अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था इस देश में की जाए और जब 6 से 14 वर्ष का लक्ष्य पूरा हो जाए तो उसके बाद मिडिल, फिर सैकेंडरी, फिर सीनियर सैकेंडरी का लक्ष्य पूरा किया जाए। निःशुल्क शिक्षा देने की मान्यता नई नहीं है। देश की आजादी के बाद यह धारणा बनी थी कि सब को शिक्षा दी जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है

"माता शत्रु पिता बैरी, येन पुत्रों न पठितम्"

वह माता शत्रु है, वह पिता बैरी है जिन्होंने अपनी संतानों को पढ़ाया लिखाया नहीं है।

"न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्य बकोयता"

जैसे हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता है ऐसे ही निरक्षर व्यक्ति तनिक मात्र शोभा नहीं देता। शिक्षा पशु से मानवता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। शिक्षा शिक्षा के लिए या शिक्षा मानवता के लिए या शिक्षा संस्थानों के लिए या शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए या शिक्षा

सब के लिए या शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के लिए या शिक्षा किस उद्देश्य को सामने रख कर दी जाए? शिक्षा को देखकर मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है।

"निकले हैं कहां जाने के लिए,
पहुंचेंगे कहां मालूम नहीं,
इन राहों में भटकने वालों को
मंजिल का निशां मालूम नहीं।"

आज पढ़े-लिखे बहुत हो गए। नाना प्रकार के डिप्लोमाधारी आई.टी.आई. से निकलते हैं। कोई वैल्डर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया, कोई डीजल मैकनिक हो गया और कोई और कुछ हो गया। पॉलिटैक्निक खुले तो कोई इलैक्ट्रिकल में, कोई सिविल में और कोई मैकेनिकल में इंजीनियर बन गया। आज ऐसे बहुत से डिप्लोमाधारी खाली बैठे हैं। आज बी.ए. और एम.ए. पास सड़कों पर घूम रहे हैं और वे बेरोजगार हैं। एम्प्लायमैंट एक्सचेज में उनके नाम दर्ज हैं। कोई नौकरी निकलती है तो सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार नवयुवक वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? जहां पर जितनी आवश्यकता थी, उसके अनुसार संसाधन और शिक्षा दी जानी चाहिए थी। प्राथमिक शिक्षा मानव को संस्कारित करने के लिए और व्यावहारिक शिक्षा व्यावहारिक जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन में व्यावहारिकता लाने के लिए बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक रूप से दी जानी चाहिए थी, इसकी और तनिक मात्र ध्यान नहीं दिया गया।

1951 से लेकर आज तक कितने आयोग बने—चाहे राधा कृष्णन आयोग हो, चाहे मुदालिया आयोग हो, चाहे कोठारी आयोग हो, चाहे ईश्वर भाई पटेल आयोग हो, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे राम मूर्ति आयोग हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट इनकी समीक्षा के लिए नई कमेटी गठित कर दे, कमेटियां बहुत बनीं, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी बड़े से लेकर छोटे नेता कहते हैं कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। वह परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा?

महात्मा गांधी जी के सिद्धान्तों पर आधारित बुनियादी शिक्षा का प्रचलन हुआ था। फिर उद्योग केन्द्रित शिक्षा की क्या स्थिति हो गई, बाल केन्द्रित शिक्षा, टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन की क्या स्थिति हो गई?

बिहार के मंत्रिगण यहां बैठे हैं। कल इस देश में शिक्षक दिवस था। देश के प्रतिभाशाली शिक्षकों को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यों में राज्यपालों के द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार के 15 हजार शिक्षकों के प्रतिनिधि दिल्ली में आए। उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर केवल कटि वस्त्र धारण कर जन्तर मन्तर पर इस बात को लेकर प्रदर्शन किया कि उन्हें 4-5 साल से वेतन नहीं मिला। आज तक ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ।

जिस देश के अंदर शिक्षकों की यह स्थिति हो ..(**व्यवधान**)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : जब वे सरकार के नौकर नहीं हैं तो वेतन कैसे मिलेगा?

प्रो. रासा सिंह रावत : जिसके भी नौकर हों, अगर वे गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं तो वह भी सरकार का दायित्व है क्योंकि सरकार के कार्य में वह बहुत हाथ बंटा रहे हैं। आजादी से पहले गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाएं ही थीं जिन्होंने स्वाधीनता सेनानियों को तैयार किया था। जो सरकारी विद्यालय थे, वे केवल गोरे अंग्रेजों के शासन को चलाने के लिए काले अंग्रेज पैदा करने का काम करते थे, लेकिन जो गैर-सरकारी संस्थाएं थीं, वही देशभक्ति के संस्कार देती थीं। मैं चाहूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाएं हों या स्वामी विवेकानन्द या महात्मा गांधी से प्रेरित वर्धा में या सेवाग्राम में या साबरतमती में जो आश्रम हैं या पठशालाएं खुली थीं, या जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव जैसे जो बड़े-बड़े विचारक थे, रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे देशभक्ति के जो दीवाने थे, उन्होंने निजी क्षेत्र में जिस प्रकार के शिक्षण-संस्थान प्रारंभ किये थे, उन शिक्षण संस्थानों ने देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। सरकार का दायित्व है कि उनको अनुदान दिया जाए क्योंकि वे सरकार के काम में हाथ बंटाते हैं। अगर आपकी सरकारी संस्थाएं बंद हो जाएं तो आपके पास स्कूलों के भवन बनाने के लिए पैसा भी नहीं है। आपके स्कूलों के भवन टपकते रहते हैं। प्राइमरी स्कूलों के भवन, मिडिल स्कूलों के भवन, सेकेण्डरी स्कूलों और सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन टपकते रहते हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर राजकीय विद्यालयों से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। आज माता-पिता चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को किसी निजी शिक्षण संस्थान में, किसी पब्लिक स्कूल में प्रवेश दिलाएं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है या जो शिक्षा नीति के निर्धारक हैं, वह जिम्मेदार हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे देश से शिक्षा के भेदभाव को मिटाया जाना चाहिए। एक तरफ गांव का विद्यार्थी है जिसको गांव के स्कूल में खेलने के लिए मैदान नहीं है, पढ़ने के लिए पाठ्य-सामग्री नहीं है, वहां उसको टाट-पट्टी पर बैठना पड़ता है और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूलों के वे बच्चे हैं जहां वातानुकूलित कमरे हैं, सब प्रकार की सुविधाएं हैं और वे दोनों बच्चे बाद में एक ही कंपटीशन में बैठते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनके खाने की व्यवस्था करे, उनके पढ़ने

की व्यवस्था करे, उनके लिए पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करे, उनकी वर्दी की व्यवस्था करे। सेकेण्डरी और सीनियर सेकेण्डरी तो बहुत बड़ी बात होगी, मगर सरकार से मेरा केवल इतना कहना है कि जब यह बहस पूरी हो जाए तो इसमें कम से कम यह घोषणा तो माननीय बोम्मई साहब के मुखारविन्द द्वारा होनी चाहिए कि हमारा जो नारा है कि सन् 2000 तक देश में सभी को प्राथमिक शिक्षा तक शिक्षित कर देंगे, वह लक्ष्य को अवश्य पूरा कर लेंगे। हमारे यहां साक्षरता अभियान चल रहे हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि गांवों में इनकी क्या स्थिति है। मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले को उत्तरी भारत में सबसे पहले शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। वह जिला अजमेर है जो राजस्थान की हृदय-स्थली है। शत-प्रतिशत साक्षरता वह प्राप्त कर चुका है और पोस्ट लिट्रेसी अभियान वहां पर चल रहा है। इसके बाद जब वोट पड़े और जहां मतदाताओं के हस्ताक्षर होते हैं, वहां 70-80 प्रतिशत लोगों ने केवल अंगूठा लगाया और हम इतना पैसा इन पर खर्च करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का समय पूरा हो गया है। अगर सदन इजाजत दे तो इसे एक घंटा और बढ़ा देते हैं।

कई माननीय सदस्य : बढ़ा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम इस विधेयक पर एक घण्टे का समय बढ़ा देते हैं।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और काम है। क्या इस पर अगले शुक्रवार को चर्चा कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा छः बजे के बाद किया जाएगा।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अगले शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प होंगे।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : आज सदन में यह निर्णय लिया गया था कि यदि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को नहीं घटाया जाएगा तो वित्त मंत्री को बोलने दिया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को निपटाने के लिए पूरा समय दिया गया है।

माननीय वित्त मंत्री को बोलने की अनुमति देते समय यह निर्णय लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया है कि छः बजे के बाद सदन की कार्यवाही नहीं बढ़ाई जाएगी।

श्री पी. आर. दासमुंशी : तब हम यह माने कि गैर सरकारी सदस्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कहा गया है कि सभा 6 बजे स्थगित होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : सर, निवेदन तो यही हुआ था कि प्राइवेट मेम्बरों को अपनी बात कहने का समय बढ़ाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अगले शुक्रवार जो भी आएगा। इसे अगले सत्र में लिया जा सकता है।

आप अपना भाषण शुरू करें। कृपया उन्हें बोलने दें।

..(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि 6 बजे तक तो डिसकशन चलेगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : शिक्षा की परिभाषा करते हुए जब यह कहा जाता है कि बालक के व्यक्तित्व का समग्र संतुलित और सर्वांगीण विकास का नाम शिक्षा है। क्या शिक्षा के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल गली-गली में कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी माध्यम से स्कूल, जो केवल टाई लगा करके शिक्षा की दुकान खोलकर प्रारंभ होने लग गये हैं; मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा के इस व्यवसायीकरण को रोका जाए। ये जो एजूकेशनल शॉप्स प्रारंभ हो गई हैं, ये नाना प्रकार की कैपीटेशन फीस और नाना प्रकार के माध्यम से अभिभावकों का शोषण करते हैं। इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। आज अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। बालकों के कोमल मस्तिष्क पर प्रारंभ से ही विदेशी भाषा का वर्चस्व लागू हो जाता है। तो फिर देशभक्ति के संस्कार, नैतिकता के संस्कार, चरित्र निर्माण के संस्कार, मातृभूमि के प्रति प्रेम और वात्सल्य के जो संस्कार आते हैं, वे संस्कार उसके अंदर किस प्रकार से बीजारोपित होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। महोदय जो एडिड संस्थाएं हैं या जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, उनको मान्यता देते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए कि अगर वे सब प्रकार के नार्म्स अर्थात जिस स्तर का विद्यालय है, चाहे प्राइमरी, मिडिल, सैकेण्डरी या सीनियर सेकेण्डरी है, चाहे वह राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि मान्यता देते समय इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए कि उस स्कूल के लिए जितना स्टाफ देना चाहिए। स्टाफ को जितना पेमेंट किया जाना चाहिए, वहां पर खेल के मैदान में जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां जैसा पुस्तकालय होना चाहिए,

वहां जैसे कमरे होने चाहिए, वहां छात्रों के लिए सुख-सुविधाएं होनी चाहिए, वे सारी सुख सुविधाएं और व्यवस्थाएं विद्यमान हैं या नहीं, तभी मान्यता दी जानी चाहिए और इस शिक्षा के अंदर जो एक प्रकार से सैद्धांतिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया जा रहा है, किताबी ज्ञान बालकों को दिया जा रहा है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। वे श्रम नहीं करना चाहते हैं, पढ़-लिखकर बाबू बनना चाहते हैं, पंखे की हवा खाना चाहते हैं, इस प्रकार की जो मानसिकता पैदा हो रही है तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इन्होंने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है उस विधेयक के अन्दर कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि वहां ऐसे विद्यालय हों जो विकलांगों के लिए या जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल-फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से ऐसे विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए ताकि उनको भी सब प्रकार की सुख-सुविधाएं मिल सकें। नवोदय विद्यालय भी खोले गये हैं जिनसे यह लगा था कि गांवों की जो प्रतिभाएं हैं, वे इनके माध्यम से आगे आयेंगी। पब्लिक सैक्टर पैटर्न पर उनको शिक्षा प्राप्त होगी, वे भी कंपिटीशन के लायक हो सकेंगे। लेकिन आज नवोदय विद्यालयों में ऐसे छात्रावासों की क्या स्थिति है, उनके बारे में समय-समय पर मानव संसाधन विकास मंत्री जी के पास शिकायतें आती होंगी कि उनमें बच्चों को कैसा खाना दिया जा रहा है और वहां पर स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक भी नहीं है। चाहे वे नवोदय विद्यालय हो और चाहे सीधे आपके अधीन आने वाले केन्द्रीय विद्यालय हो। वहां पर एन.सी.ई.आर.टी. के जो हमारे डिमांस्ट्रेशन स्कूल हैं, अजमेर में रीजनल कालेज आफ एजूकेशन के अंतर्गत चलने वाले कई विद्यालयों में तो कई स्थानों पर शिक्षक नहीं हैं और फिर उनको कह दिया जाता है कि अच्छा तीन महीने के लिए रख दो और फिर उसके बाद में भेज देंगे। साल भर यह व्यवस्था नहीं होती है। उसका परिणाम यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी, वे उद्देश्य आज तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

इसलिए जहां मैं अनिवार्य शिक्षा विधेयक का समर्थन करता हूं, इसमें जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, उन भावनाओं की प्रशंसा करना चाहता हूं ..(**व्यवधान**) महोदय, अभी मुझे काफी बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अगले सैशन में कन्टीन्यू करिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपरान्ह 6.00 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा सोमवार, 9 सितम्बर, 1996/18 भाद्र, 1918 (शक) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।